



## इस अंक में ...

- अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट
- स्कूल शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- 11वीं सदी की चोल ताम्रपत्रों की भारत वापसी
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6
- एसिड अटैक पीड़ित RPwD अधिनियम के अंतर्गत शामिल
- पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2-0
- प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI) 2024 रिपोर्ट
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026
- भारत-नेपाल सीमा विवाद
- तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026
- क्वाड शिखर सम्मेलन 2026
- सयुक्त राष्ट्र वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026
- कांडला में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट
- इबोला वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित
- हंटावायरस
- मिशन दृष्टि सैटेलाइट
- भारत ने विकसित की 'CLEAR' तकनीक
- सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय
- कपास उत्पादकता मिशन 2026
- भव्य योजना: अगली पीढ़ी की औद्योगिक पार्क विकास पहल
- तारा (TARA) ग्लाइड वेपन का सफल परीक्षण
- हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी

और भी महत्वपूर्ण विषय ...



# भारत की नई वैश्विक रणनीति

## हरित संक्रमण · तकनीक · भू-राजनीति

## पहला पन्ना



एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान हो, बल्कि उचित ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। यह अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और समसामयिक मुद्दों के प्रति उसकी संतुलित समझ का भी मूल्यांकन करती हैं। तैयारी की यह प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। निस्संदेह यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, किन्तु उतनी ही प्रेरणादायी और उद्देश्यपूर्ण भी।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई चयनित सिविल सेवकों की समसामयिकी स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न माध्यम रही है। बदलते परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं तथा समकालीन विषयों की प्रकृति के अनुरूप यह पत्रिका निरंतर स्वयं को परिष्कृत करती रही है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

**विनय सिंह**  
संस्थापक  
ध्येय IAS

### टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	: विनय सिंह
प्रबंध संपादक	: विजय सिंह
संपादक	: आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	: भानू प्रताप
डिजाइनिंग	: अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	: सोनल तिवारी

### -: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरुक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com



### 1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति ..... 05-19

#### ➤ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: आस्था, अस्मिता और भारतीय सभ्यता की निरंतरता

- अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट
- भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट
- भोजशाला परिसर का निर्णय
- नीदरलैंड द्वारा 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्रों की भारत वापसी
- भारत में जनांकिकीय संक्रमण
- केरल में वृद्धजन कल्याण के लिए एक पृथक विभाग
- भारत में दहेज मृत्यु: कानून और न्यायिक प्रवृत्तियाँ
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6

### 2. राजव्यवस्था एवं शासन ..... 20-38

#### ➤ नीट-यूजी पेपर लीक मामले: भारत में परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ और कानूनी ढाँचा

- भारत में जनहित याचिका (PIL) का दुरुपयोग
- एसिड अटैक पीड़ितों को RPwD अधिनियम के अंतर्गत किया गया शामिल
- पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0
- नाबालिग रेप पीड़ितों के लिए गर्भपात की सीमा हटाने की अपील
- आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत
- प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI) 2024 रिपोर्ट
- धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके निहितार्थ

- सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी
- सर्वोच्च न्यायालय का आवारा कुत्तों पर फैसला और अनुच्छेद 21 का विस्तार
- धारा 124A पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- यूएपीए अधिनियम के तहत जमानत
- असम समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक

### 3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध ..... 39-61

#### ➤ हरित संक्रमण, तकनीक और भू-राजनीति : भारत की नई वैश्विक रणनीति

- भारत-नेपाल सीमा विवाद
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026
- भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध
- भारत और नीदरलैंड के बीच 'रणनीतिक साझेदारी'
- ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक
- भारत-स्वीडन रणनीतिक साझेदारी 2026
- भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा
- अमेरिका-चीन शिखर सम्मेलन 2026
- तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026
- भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग
- भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी 2026
- भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा साझेदारी 2026
- रूस-चीन संबंध और पुतिन की बीजिंग यात्रा
- भारत-साइप्रस सामरिक साझेदारी
- भारत-अमेरिका संबंध: 2026 में रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक यथार्थवाद
- क्वाड शिखर सम्मेलन 2026

#### 4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ..... 62-76

##### ➤ वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 : जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा गरीबी और सतत विकास के बीच वनों का भविष्य

- कांडला में भारत का पहला ग्रीन मेटेनॉल प्लांट
- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)
- खाद्य सुरक्षा पर अत्यधिक गर्मी का प्रभाव
- अरावली में दिखी रस्टी-स्पॉटेड बिल्ली
- निकोबार द्वीप समूह में वन्यजीव अभयारण्य
- भारत का पहला सैटेलाइट-टैग किया गया गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ
- ICJ की जलवायु संबंधी राय पर आधारित यूएनजीए प्रस्ताव पर भारत ने मतदान से दूरी बनाई
- भारतीय कॉकरोच प्रजातियों पर ZSI का अध्ययन

#### 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ..... 77-89

##### ➤ भारत का सेमीकंडक्टर मिशन: चिप प्रौद्योगिकी, नवाचार और तकनीकी संप्रभुता की ओर कदम

- हंटावायरस का प्रकोप
- मिशन दृष्टि सैटेलाइट
- PCOS का नाम बदलकर PMOS किया गया
- इबोला वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित
- चंद्रयान-3 मिशन के 'हॉप' प्रयोग से चंद्रमा की उपसतही परतों का खुलासा
- कार्बन-मुक्त फेरोसीन समरूप
- भारतीय वैज्ञानिकों ने 'CLEAR' तकनीक विकसित की
- भारत में हाइड्रोजन चलित ट्रेनो को मंजूरी
- गिर में एशियाई शेर के शावकों की मृत्यु

#### 6. आर्थिकी ..... 90-106

##### ➤ कोयला गैसीकरण: ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और हरित संक्रमण के बीच भारत की नई रणनीति

- कपास उत्पादकता मिशन 2026

- अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह ₹2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर
- भारत सरकार-आईएफएडी की ग्रामीण समृद्धि के लिए पहल
- सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय
- भारत में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 2026
- भारतीय भुगतान प्रणाली में बदलाव
- भव्य योजना: भारत की अगली पीढ़ी की औद्योगिक पार्क विकास पहल
- भारत की शीत-जल मत्स्यपालन प्रणाली
- भारत के नए श्रम संहिता और उनका कार्यान्वयन
- विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025
- भारत में नकली मुद्रा का बढ़ता खतरा: आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियाँ

#### 7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा ..... 107-117

##### ➤ स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट: भारत की प्रौद्योगिकी-आधारित सीमा सुरक्षा रणनीति

- आईएनएस महेंद्रगिरि
- नवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज (NASM-SR)
- तारा (TARA) ग्लाइड वेपन का सफल परीक्षण
- हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी
- एमआईआरवी तकनीक के साथ भारत का सफल उन्नत अग्नि मिसाइल परीक्षण
- यूएलपीजीएम - वी3 मिसाइल

प्रमुख चर्चित स्थल ..... 118-120

पावर पैकड न्यूज ..... 121-134

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न .... 135-144

1

# भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

## सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: आस्था, अस्मिता और भारतीय सभ्यता की निरंतरता

### संदर्भ:

सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक निरंतरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का उदाहरण है। हाल ही में स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूर्ण हुए। वर्ष 2026 में भारत सरकार और सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की ऐतिहासिक यात्रा में दो महत्वपूर्ण पड़ावों को चिह्नित करता है: 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहले दर्ज हमले के एक हजार साल पूरे होने और स्वतंत्रता के बाद 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा के पचहत्तर साल पूरे होने का उत्सव। “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की निरंतरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक है। वर्तमान समय में जब भारत स्वयं को “सभ्यतागत राष्ट्र” (Civilizational State) के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तब सोमनाथ का विमर्श और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

### सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। प्राचीन काल से यह मंदिर भारतीय समुद्री व्यापार, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमुख केंद्र रहा है। मुख्य रूप से इस मंदिर और क्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में किया गया है।



- » **ऋग्वेद:** इसमें सोमनाथ मंदिर और यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग के निर्माण का उल्लेख मिलता है।
- » **स्कंद पुराण:** इसके 'प्रभास खंड' में सोमनाथ को आदिलिंग (प्रथम ज्योतिर्लिंग) कहा गया है। यहाँ चंद्रदेव द्वारा शिव की तपस्या और मंदिर के निर्माण की कथा विस्तार से वर्णित है।

- » **शिव पुराण:** इसके अध्याय-13 में सोमेश्वर महादेव (सोमनाथ) का उल्लेख 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में किया गया है।
- » **महाभारत:** इस महाकाव्य और 'भागवत पुराण' में इस स्थान का उल्लेख 'प्रभास क्षेत्र' या 'प्रभास-पट्टाना' के नाम से प्रमुख तीर्थ के रूप में किया गया है। मान्यता अनुसार, यहीं भगवान श्रीकृष्ण ने अपना देहत्याग किया था।
- इतिहास के विभिन्न चरणों में इस मंदिर को अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, किंतु 1026 ई. में महमूद गजनवी द्वारा किया गया आक्रमण सबसे अधिक चर्चित रहा। उस समय मंदिर की संपत्ति लूटी गई और संरचना को भारी क्षति पहुंचाई गई।
- हालांकि सोमनाथ मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण हुआ। यही कारण है कि यह मंदिर केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक दृढ़ता और पुनर्जीवन क्षमता का प्रतीक बन गया।

### स्वतंत्र भारत और सोमनाथ का पुनर्निर्माण:

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का करवाया। यह निर्णय केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ था।
- उस समय भारत विभाजन की पीड़ा, सांप्रदायिक तनाव और औपनिवेशिक मानसिकता से जूझ रहा था। ऐसे समय में सोमनाथ का पुनर्निर्माण यह संदेश था कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः जुड़ना चाहता है। के.एम. मुंशी ने इसे "राष्ट्र की आत्मा के पुनर्जागरण" की संज्ञा दी थी।
- 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा "सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस राष्ट्र के पुनरुत्थान का प्रतीक है जिसने सदियों की दासता के बाद अपनी पहचान पुनः प्राप्त की है।"

### सोमनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली

- वर्तमान मंदिर का निर्माण 'चालुक्य' या 'सोलंकी' स्थापत्य शैली में किया गया है। यह मंदिर 'महामेरु' प्रासाद प्रकार का है, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। मंदिर की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर देवी-देवताओं, अप्सराओं और जानवरों की बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। वर्तमान मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार

प्रभास कुमार सोमपुरा ने तैयार किया था।

### मंदिर की संरचना:

- » मंदिर मुख्य रूप से तीन हिस्सों- गर्भगृह, सभामंडप (नृत्यमंडप) और नृत्यमंडप (प्रवेश द्वार) में बंटा है।
- » मंदिर का मुख्य शिखर जमीन से लगभग 155 फीट ऊंचा है।
- » शिखर के ऊपर 27 फीट लंबा एक ध्वजदंड (Flagpole) स्थापित है।
- » शिखर के शीर्ष पर स्थित कलश का वजन लगभग 10 टन है।
- » **बाण स्तंभ (Arrow Pillar):** समुद्र तट पर स्थित यह एक प्राचीन स्तंभ है। इस पर लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव (South Pole) तक सीधी रेखा में कोई भूमि या पहाड़ नहीं है।
- » मंदिर का पिछला हिस्सा सीधे अरब सागर से मिलता है, जो इसे एक अद्भुत दृश्य देता है।

### सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सांस्कृतिक विरासत:

- भारतीय संविधान "धर्मनिरपेक्षता" को सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के रूप में देखता है, न कि धर्म विरोध के रूप में। इसी कारण भारत में सरकारें धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।
- हाल के वर्षों में भारत में "सांस्कृतिक पुनर्जागरण" की प्रवृत्ति को बल मिला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, राम मंदिर और सोमनाथ जैसे परियोजनाओं को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक-राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भी इसी व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा माना जा रहा है। इसके माध्यम से भारत अपनी ऐतिहासिक स्मृतियों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों को पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला रहा है।
- भारत अब स्वयं को केवल एक आधुनिक राजनीतिक राष्ट्र नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा वाले राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

### सभ्यतागत राष्ट्र की अवधारणा और भारत:

- सोमनाथ का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है। यह भारतीय सभ्यता की उस विशेषता को दर्शाता है जिसमें विनाश के बाद भी पुनर्निर्माण की क्षमता बनी रहती है।
- भारत की सभ्यता ने आक्रमण, औपनिवेशिक शासन, सांस्कृतिक दमन और विभाजन जैसी अनेक चुनौतियों का सामना किया, किंतु उसकी मूल सांस्कृतिक धारा निरंतर प्रवाहित रही। सोमनाथ इसी “सभ्यतागत निरंतरता” (Civilizational Continuity) का प्रतीक है।
- आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में “सभ्यतागत राष्ट्र” (Civilizational State) की अवधारणा पर चर्चा बढ़ रही है। चीन, तुर्किये और रूस जैसे देश अपनी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी स्वयं को केवल आधुनिक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा वाले राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सोमनाथ, काशी, अयोध्या और नालंदा जैसे प्रतीक इसी विमर्श को बल देते हैं।

### विरासत संरक्षण और आर्थिक विकास:

- सोमनाथ का महत्व केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। भारत में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की “प्रसाद योजना” और “स्वदेश दर्शन योजना” के अंतर्गत तीर्थ स्थलों को आधुनिक अवसंरचना से जोड़ा जा रहा है।
- सोमनाथ मंदिर हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग, हस्तशिल्प और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है।
- इस प्रकार विरासत संरक्षण आज “सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था” (Cultural Economy) का महत्वपूर्ण भाग बनता जा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं।

### भारत की सॉफ्ट पावर और सोमनाथ:

- वैश्विक स्तर पर भारत अपनी “सॉफ्ट पावर” को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। योग, आयुर्वेद, बौद्ध विरासत और भारतीय दर्शन के साथ-साथ धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों का महत्व भी बढ़ रहा है।
- सोमनाथ जैसे स्थल भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और जीवंतता को विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह भारत की उस छवि को मजबूत करता है जो विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक निरंतरता

पर आधारित है।

- इसके अतिरिक्त भारतीय प्रवासी समुदाय (Indian Diaspora) के लिए भी ऐसे स्थल सांस्कृतिक जुड़ाव और पहचान का माध्यम बनते हैं।

### प्रमुख चुनौतियाँ:

- हालांकि सोमनाथ का पुनर्जागरण सकारात्मक प्रतीकवाद प्रस्तुत करता है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं-
  - » **इतिहास का राजनीतिकरण:** ऐतिहासिक घटनाओं की चयनात्मक व्याख्या सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकती है।
  - » **समावेशिता का प्रश्न:** सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भारत की बहुलतावादी परंपरा के अनुरूप बनाए रखना आवश्यक है।
  - » **व्यावसायीकरण:** तीर्थ स्थलों के अत्यधिक व्यावसायिक विकास से उनकी आध्यात्मिक पहचान प्रभावित हो सकती है।
  - » **विरासत संरक्षण बनाम आधुनिकीकरण:** आधुनिक सुविधाओं और मूल स्थापत्य के बीच संतुलन आवश्यक है।
  - » **ऐतिहासिक प्रामाणिकता:** पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के दौरान ऐतिहासिक स्वरूप की रक्षा करना जरूरी है।

### निष्कर्ष:

सोमनाथ की 1000 वर्षों की यात्रा और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवंतता और पुनर्निर्माण क्षमता का इतिहास है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक पहचान और सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहा है, तब सोमनाथ जैसे प्रतीक यह संदेश देते हैं कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक स्मृति और सभ्यतागत आत्मविश्वास में भी निहित होती है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट

### संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी “क्राइम इन इंडिया, 2024” रिपोर्ट ने देश में अपराध प्रवृत्तियों की मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत की है। वर्ष 2024 में भारत में कुल 58.86 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जो 2023 की तुलना में लगभग 6% की गिरावट दर्शाते हैं। इनमें से 35.44 लाख मामले भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दर्ज किए गए, जबकि 23.41 लाख मामले विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज हुए।

जहाँ एक ओर समग्र संज्ञेय (cognisable) अपराधों में कमी देखी गई है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध, नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतों और राज्य के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों को दर्शाता है।

### NCRB रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:


- साइबर अपराध में वृद्धि:** समग्र गिरावट के बावजूद, साइबर अपराध के मामलों में 17.9% की वृद्धि हुई है। 2024 में कुल 1.01 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 72.6% वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे।
- महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध:** महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 1.5% की मामूली कमी (4.41 लाख मामले) आई है। हालांकि, बच्चों के खिलाफ अपराध 5.9% बढ़ गए हैं, जिनमें अपहरण और यौन अपराधों की संख्या सबसे अधिक है।
- वर्षा नागरिक और आर्थिक अपराध:** वर्षा नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में 16.9% की चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक अपराधों में भी 4.6% की बढ़ोतरी हुई है।
- एससी/एसटी के विरुद्ध अपराध:** अनुसूचित जाति (SC) के खिलाफ अपराधों में 3.6% और अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ अपराधों में 23.1% की गिरावट देखी गई है।
- हत्या और दंगे:** हत्या के मामलों में 2.4% की कमी आई है (कुल 27,049 मामले), जिसका मुख्य कारण आपसी विवाद रहा। ‘राज्य के विरुद्ध’ अपराधों में 6.6% की वृद्धि हुई है।

### अन्य अपराधों की प्रवृत्तियाँ:

- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों में

6.6% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में बढ़कर 5,194 मामले हो गए, जबकि 2023 में यह संख्या 4,873 थी। इनमें से अधिकांश मामले सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (84.6%) के तहत दर्ज किए गए, इसके बाद गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (12.5%) के अंतर्गत मामले सामने आए। यह प्रवृत्ति आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की निरंतरता को दर्शाती है।

- सामाजिक न्याय के संदर्भ में, अनुसूचित जातियों (SCs) के विरुद्ध अपराधों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध अपराधों में 23.1% की उल्लेखनीय कमी देखी गई। यह प्रवृत्ति अपराधों की रिपोर्टिंग और प्रवर्तन में क्षेत्रीय भिन्नताओं की ओर संकेत करती है।



### आत्महत्या और नशीली दवाओं से संबंधित प्रवृत्तियाँ:

- “रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में कुल 1,70,746 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं, जिनमें किसान, दैनिक मजदूर, बेरोजगार व्यक्ति, छात्र और गृहिणियाँ प्रमुख रूप से शामिल रहे।
- एक चिंताजनक प्रवृत्ति यह रही कि नशीली दवाओं के ओवरडोज से

होने वाली मौतों में 50% की वृद्धि दर्ज की गई। यह संख्या 2023 में 650 थी, जो बढ़कर 2024 में 978 हो गई। इनमें से सबसे अधिक मौतें तमिलनाडु (313) में दर्ज की गईं, इसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम का स्थान रहा। यह पैटर्न मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी मौतों के क्षेत्रीय संकेन्द्रण को दर्शाता है।

### रिपोर्ट का महत्व:

- एनसीआरबी के आंकड़े भारत के अपराध स्वरूप में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाते हैं, जहाँ पारंपरिक अपराधों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी-आधारित अपराधों और नशीली दवाओं से संबंधित मौतों में तेज वृद्धि हो रही है।
- यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पारंपरिक पुलिसिंग सुधारों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा ढांचे, डिजिटल साक्षरता और नशा-निवारण तंत्र को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।

### आगे की राह:

- साइबर पुलिसिंग इकाइयों और फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना
- साइबर धोखाधड़ी की निगरानी हेतु अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाना
- मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम ढांचों का विस्तार करना
- लक्षित पुनर्वास और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटना
- एनसीआरबी विश्लेषण का उपयोग कर डेटा-आधारित पुलिसिंग को सुदृढ़ करना

### निष्कर्ष:

वर्ष 2024 की एनसीआरबी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि यद्यपि भारत में समग्र अपराध स्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अपराध की प्रकृति बदल रही है। यह अब अधिकतर साइबर-आधारित अपराधों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरों की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे एक अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित और रोकथाम-आधारित सुरक्षा दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

## भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट

### संदर्भ:

हाल ही में, नीति आयोग ने “भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन हेतु कालानुक्रमिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

### रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली की प्रगति का विश्लेषण करती है तथा विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप गुणवत्ता, समानता और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
- यह अध्ययन UDISE+, PARAKH, NAS और ASER सर्वेक्षणों के आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।



### स्कूल शिक्षा में प्रमुख उपलब्धियाँ:

- भारत, वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी स्कूल शिक्षा प्रणाली का संचालन कर रहा है, जिसमें 14.71 लाख विद्यालय, 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थी और 1.01 करोड़ शिक्षक शामिल हैं।
- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक पहुँच हासिल कर ली गई है, जहाँ प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) 90.9% तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 90.3% है।
- पिछले एक दशक में स्कूल अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कार्यशील बिजली सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत 2014-15

में 55.96% से बढ़कर 2024-25 में 91.9% हो गया है।

- डिजिटल पहुँच में भी तेज़ी से विस्तार हुआ है, जहाँ इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत 8.05% से बढ़कर 63.5% तक पहुँच गया है। सीखने के परिणामों में भी, विशेषकर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के क्षेत्र में, महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बाद धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे रहा है।

### रिपोर्ट में चिन्हित प्रमुख चुनौतियाँ:

- प्रगति के बावजूद, रिपोर्ट में कई संरचनात्मक तथा सीखने संबंधी चुनौतियों की पहचान की गई है। स्कूल शिक्षा प्रणाली अभी भी खंडित बनी हुई है, जहाँ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सीमित है। जहाँ 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय हैं, वहीं केवल 1.64 लाख उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजूद हैं, जिससे विद्यार्थियों के लिए अगले स्तर पर संक्रमण में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
- माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट एक गंभीर चिंता बना हुआ है। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 11.5% है जबकि प्राथमिक स्तर पर यह केवल 0.3% है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक-तिहाई से अधिक विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थी हैं, जिससे संसाधनों का आवंटन और शिक्षकों की तैनाती प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती।
- शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी असमान बनी हुई है। ASER के निष्कर्षों के अनुसार, ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के लगभग आधे विद्यार्थी कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, जो रटने की प्रवृत्ति तथा कमजोर आधारभूत कौशल की लगातार बनी हुई समस्या को दर्शाता है।

### नीति आयोग की सिफारिशें:

- रिपोर्ट में कक्षा 1 से 12 तक को शामिल करने वाले समग्र विद्यालयों (Composite Schools) के विकास तथा साक्ष्य-आधारित विद्यालय युक्तिकरण के माध्यम से संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश की गई है। साथ ही, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSAs) स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में दक्षता-आधारित शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल समावेशन तथा दिव्यांग बच्चों और प्रवासी विद्यार्थियों के समर्थन पर विशेष बल दिया गया है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुदृढ़ करना अभी भी प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।

### निष्कर्ष:

भारत ने स्कूल शिक्षा में पहुँच और अवसंरचना के विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, सीखने के परिणामों में सुधार, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट कम करना तथा डिजिटल पहुँच में समानता सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित यह रोडमैप भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्ता-आधारित ढाँचे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखता है, जो विकसित भारत @2047 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

## भोजशाला परिसर का निर्णय और इसका ऐतिहासिक महत्व

### संदर्भ:

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 242 पृष्ठों का एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित एक हिंदू मंदिर घोषित किया गया। यह फैसला भारत के लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक और विरासत विवादों में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।

### न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया:
  - » हिंदू पूजा के निरंतर ऐतिहासिक प्रमाण
  - » संस्कृत शिक्षा के केंद्र होने के मजबूत संकेत
  - » मंदिर मूल की पुष्टि करने वाले पुरातात्विक साक्ष्य
- न्यायालय ने हिंदू पक्ष के पक्ष में निर्णय देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को स्मारक के संरक्षण का कार्य जारी रखने का निर्देश दिया।

### भोजशाला परिसर के बारे में:

- भोजशाला परिसर 11वीं शताब्दी का एक संरक्षित स्मारक है, जो मूल रूप से संस्कृत शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र और देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर के रूप में कार्य करता था। समय के साथ, मंदिर संरचना के कुछ हिस्सों को कमाल मौला मस्जिद के रूप में परिवर्तित ढाँचे में शामिल कर लिया गया, जिससे यह एक अत्यंत विवादित धार्मिक स्थल बन गया।

- **स्थान:**
  - » **जिला:** धार (ऐतिहासिक नाम—धारा), मालवा क्षेत्र
  - » **राज्य:** मध्य प्रदेश
  - » **ऐतिहासिक महत्व:** परमार वंश की पूर्व राजधानी

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **स्थापना (1000-1055 ई.):** इस परिसर की स्थापना परमार वंश के सबसे प्रमुख शासक राजा भोज ने उच्च शिक्षा और संस्कृत अध्ययन के केंद्र के रूप में की थी।
- **विस्तार चरण:** उदयादित्य और नरवर्मन जैसे उत्तरवर्ती शासकों ने इस संस्थान का विस्तार और संरक्षण किया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में अर्जुनवर्मन देव के संरक्षण का भी उल्लेख मिलता है।
- **इस्लामी काल में परिवर्तन:** 14वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत काल के दौरान इस स्थल को मस्जिद में परिवर्तित किया गया और इसे सूफी संत शेख कमाल मौला से जोड़ा गया, जिससे इसकी दोहरी धार्मिक पहचान विकसित हुई।
- **आधुनिक कानूनी स्थिति:** इस स्थल को वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के एक समझौते के तहत:
  - » मंगलवार और बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा की अनुमति
  - » शुक्रवार को मुस्लिम नमाज की अनुमति दी गई

### स्थापत्य और अभिलेखीय विशेषताएँ:

- **मंदिर वास्तुकला:** इस संरचना में एक बड़ा प्रांगण, स्तंभ-युक्त बरामदे (colonnades) और एक प्रार्थना कक्ष शामिल है, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ और छतें स्पष्ट रूप से हिंदू मंदिर वास्तुकला शैली को दर्शाती हैं।
- **सर्पबंध अभिलेख:** स्थल पर दो विशिष्ट अभिलेख पाए गए हैं:
  - » एक अभिलेख जिसमें संस्कृत वर्णमाला और व्याकरणिक संरचनाएँ शामिल हैं।
  - » दूसरा अभिलेख संस्कृत क्रियाओं के विभिन्न काल (tenses) और भाव (moods) को विस्तार से दर्शाता है।
- **साहित्यिक और धार्मिक अभिलेख:**
  - » प्राकृत भाषा के शिलालेख, जिनमें कूर्म अवतार (विष्णु के कछुए वाले अवतार) की स्तुति की गई है।
  - » ऐसी शिलाएँ, जिन पर शास्त्रीय संस्कृत की नाट्य रचनाएँ अंकित हैं और जिनका संबंध राज-विद्वानों से है।

## भोजशाला विवाद



### भोजशाला की स्थापना (11वीं सदी)

11वीं सदी में परमार राजा भोज द्वारा "वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर/भोजशाला" की स्थापना का दावा।

### कमाल मौला मस्जिद की नींव (1305 ईस्वी)

1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भोजशाला का विध्वंस और कमाल मौला मस्जिद बनाए जाने का दावा।

### विवाद की शुरुआत (1935)

धार रियासत (ब्रिटिश काल) में हिंदुओं को मंगलवार को पूजा, मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी।

### ASI के अधीन भोजशाला (1952)

भोजशाला परिसर एक संरक्षित स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में आ गया।

### ASI ने नई व्यवस्था (2003)

विवाद बढ़ने पर हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार को पूजा और वसंत पंचमी पर विशेष पूजा की अनुमति। मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति।

### न्यायिक हस्तक्षेप और सर्वे (2024)

हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर को मंदिर घोषित करने और ASI सर्वे की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

### ASI ने नई व्यवस्था (2003)

कोर्ट के आदेश पर ASI ने करीब 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। सर्वे में पुरातात्विक, स्थापत्य और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया।

### कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (15 मई 2026)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवादित भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर माना।

**निष्कर्ष:**

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का भोजशाला संबंधी निर्णय विरासत विवादों के समाधान में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह धार्मिक अधिकारों की स्थिति को स्पष्ट करता है, साथ ही यह भी दर्शाता है कि ऐतिहासिक रूप से बहु-स्तरीय सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक है।

## नीदरलैंड द्वारा 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्रों की भारत वापसी

**संदर्भ:**

हाल ही में 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्रों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से भारत को सौंप दिया गया।

**पृष्ठभूमि:**

- नीदरलैंड ने चोल ताम्रपत्रों (अनैमंगलम ताम्रपत्र) को उनकी भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए भारत को वापस किया।
- ये ताम्रपत्र वर्ष 1862 से लीडेन विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित थे।
- यह निर्णय डच कॉलोनियल कलेक्शंस समिति की सिफारिश पर भारत के वर्ष 2023 के अनुरोध के बाद लिया गया।

**ताम्रपत्रों के बारे में:**

- कुल:** 21 बड़े ताम्रपत्र और 3 छोटे ताम्रपत्र
- ये दो अलग-अलग समूहों से संबंधित हैं:
  - » एक राजराजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित
  - » दूसरा कुलोत्तुंगा चोल प्रथम से संबंधित
- इन ताम्रपत्रों पर राजकीय मुहरें अंकित हैं तथा इनमें प्रशासनिक एवं धार्मिक अनुदानों का उल्लेख मिलता है।
- माना जाता है कि इन्हें 1687 से 1700 के बीच नागपट्टिनम में डच औपनिवेशिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त किया गया था।
- इन ताम्रपत्रों को वर्ष 1712 में नागपट्टिनम से फ्लोरेंटियस कैम्पर नामक डच मिशनरी द्वारा नीदरलैंड ले जाया गया था, जो डच ईस्ट इंडीज कंपनी से जुड़ा हुआ था।

**चोल वंश के बारे में:**

- चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे दीर्घकाल तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। इसकी उत्पत्ति तमिल क्षेत्र में हुई थी।

- इसका नियंत्रण वर्तमान तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों तक फैला हुआ था। यह निम्नलिखित विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध था:
  - » सशक्त नौसैनिक शक्ति,
  - » समुद्री व्यापार,
  - » मंदिर वास्तुकला,
  - » कुशल प्रशासन।

**प्रमुख चोल शासक:**

- राजारज चोल प्रथम (947–1014 ई.):**
  - » इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया।
  - » दक्षिण भारत और श्रीलंका तक साम्राज्य का विस्तार किया।
- राजेंद्र चोल प्रथम:**
  - » दक्षिण-पूर्व एशिया तक चोल प्रभाव का विस्तार किया।
  - » गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना की।
  - » शक्तिशाली समुद्री अभियानों के लिए प्रसिद्ध रहे।
- कुलोत्तुंग चोल प्रथम:**
  - » प्रशासनिक सुधारों को मजबूत किया।
  - » व्यापारिक नेटवर्क और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी।

**प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था:**

- प्रशासन:**
  - » अत्यधिक केंद्रीकृत राजतंत्र
  - » सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली
  - » ग्राम स्वशासन की मजबूत व्यवस्था (उर एवं सभा प्रणाली)
  - » प्रभावी भूमि राजस्व प्रशासन
- अर्थव्यवस्था:**
  - » कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
  - » दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समृद्ध समुद्री व्यापार

- » नागपट्टिनम जैसे सक्रिय बंदरगाह नगर
- » व्यापार एवं वाणिज्य के लिए सशक्त श्रेणी (गिल्ड) व्यवस्था
- **समाज:**
  - » स्तरीकृत किंतु सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना
  - » सामाजिक जीवन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका
  - » बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों को संरक्षण

### सांस्कृतिक एवं स्थापत्य योगदान:

- **चोल स्थापत्य कला:**
  - » द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला
  - » विशाल विमानों (मंदिर शिखरों) का निर्माण
  - » जटिल पत्थर नक्काशी एवं कांस्य मूर्तिकला
- **प्रमुख मंदिर**
  - » बृहदेश्वर मंदिर
  - » गंगईकोडा चोलपुरम मंदिर
  - » ऐरावतेश्वर मंदिर
  - » इन सभी को सामूहिक रूप से “ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स” कहा जाता है और ये यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल हैं।
- **समुद्री विरासत:**
  - » राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना विकसित की।
  - » दक्षिण-पूर्व एशिया, श्रीलंका और चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।
  - » हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

### ताम्रपत्रों की वापसी का महत्व:

- भारत की सांस्कृतिक पुनर्स्थापन कूटनीति को मजबूती मिलेगी।
- भारतीय विरासत अधिकारों की वैश्विक मान्यता को बल मिलेगा।
- दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है।
- औपनिवेशिक काल में कलाकृतियों की लूट के विरुद्ध भारत के व्यापक अभियान को समर्थन मिलता है।
- वैश्विक स्तर पर चोल सभ्यता की बेहतर समझ विकसित होगी।

### निष्कर्ष:

चोल ताम्रपत्रों की वापसी भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सांस्कृतिक विरासत की वापसी हेतु वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करता है तथा ऐतिहासिक महत्व की

कलाकृतियों को उनके वास्तविक मूल स्थान पर लौटाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

## भारत में जनांकिकीय संक्रमण

### संदर्भ:

हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा सैपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत तीव्र जनांकिकीय संक्रमण (Demographic Transition) के दौर से गुजर रहा है।

### SRS 2024 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **कुल प्रजनन दर:**
  - » भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो यह संकेत देती है कि देश धीरे-धीरे निम्न प्रजनन वाले समाज की ओर बढ़ रहा है। यह प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।
- **अशोधित जन्म दर:**
  - » देश की जन्म दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है।
  - » एक दशक पहले यह 21 थी, जो अब घटकर 18.3 प्रति 1,000 जनसंख्या हो गई है।
  - » ग्रामीण क्षेत्रों (20.2) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (14.7) में जन्म दर काफी कम है।
- **शिशु मृत्यु दर:**
  - » स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण IMR घटकर 24 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गई है।
  - » पिछले पाँच वर्षों में इसमें 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
- **पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर:**
  - » देश में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 28 हो गई है।
- **अशोधित मृत्यु दर:**
  - » यह दर 6.4 प्रति 1,000 व्यक्ति पर स्थिर बनी हुई है।
  - » हालाँकि, यह अभी भी कोविड-पूर्व स्तर से कुछ अधिक है।
- **जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth - SRB)**
  - » वर्ष 2022-24 के दौरान इसमें मामूली सुधार दर्ज किया गया है।
  - » अब यह 918 लड़कियाँ प्रति 1,000 लड़कों तक पहुँच गया है।

### क्षेत्रीय असमानताएँ एवं राज्य स्तरीय विविधता:

भारत के विभिन्न राज्यों में जनांकिकीय परिवर्तन समान नहीं हैं।

#### ■ अग्रणी राज्य

- » केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य जनांकिकीय संक्रमण में अग्रणी हैं।
- » केरल में IMR केवल 8 है, जो देश में सबसे कम है।
- » तमिलनाडु में यह 11 दर्ज की गई है।

#### ■ चुनौतीपूर्ण राज्य

- » मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुधारों के बावजूद IMR 35 तथा U5MR 41 बनी हुई है।
- » बिहार एवं उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में TFR अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- » यह क्षेत्रीय असमानता स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास में अंतर को दर्शाती है।

- » वृद्ध आबादी की निर्भरता बढ़ेगी
- » सामाजिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा
- » सरकार को कौशल विकास एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा

#### ■ ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य असमानता

- » ग्रामीण क्षेत्रों में IMR (27) अभी भी शहरी क्षेत्रों (17) से अधिक है।
- » यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता दर्शाता है।

#### वृद्धजन आबादी की चुनौती:


- कम प्रजनन दर के कारण भविष्य में वृद्धजन आबादी तेजी से बढ़ेगी। इसके लिए आवश्यक होगा:
  - » पेंशन प्रणाली का विस्तार
  - » जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाएँ
  - » सामाजिक सुरक्षा ढाँचे का सुदृढ़ीकरण

#### सरकार की प्रमुख पहलें:

- » राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- » आयुष्मान भारत योजना
- » पोषण अभियान
- » मिशन इंद्रधनुष
- » जननी सुरक्षा योजना
- » राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
- इन पहलों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

#### प्रमुख परिभाषाएँ एवं अवधारणाएँ:

- **शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate-IMR):** एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सामाजिक-आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है।
- **जन्म दर (Crude Birth Rate-CBR):** एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है।
- **कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR):** किसी महिला द्वारा अपने जीवनकाल में औसतन जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या को कुल प्रजनन दर कहा जाता है।
- **नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate-NMR):**



#### जनांकिकीय संक्रमण का अर्थ:

- जनांकिकीय संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश में:
  - » जन्म दर और मृत्यु दर दोनों धीरे-धीरे कम होने लगते हैं
  - » जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ जाती है
  - » वृद्ध आबादी का अनुपात बढ़ने लगता है
  - » भारत वर्तमान में इस संक्रमण के उन्नत चरण में प्रवेश कर रहा है।

#### प्रशासनिक एवं नीतिगत निहितार्थ:

#### ■ जनांकिकीय लाभांश का संकट

- » TFR के 1.9 तक गिरने से भविष्य में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी कम हो सकती है।

जन्म के 28 दिनों के भीतर शिशुओं की प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है।

### निष्कर्ष:

SRS 2024 रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत जनसंख्या स्थिरीकरण के चरण में प्रवेश कर चुका है। अब नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, वृद्धजन आबादी की चुनौतियों तथा जनान्किकीय लाभांश के प्रभावी उपयोग पर ध्यान देना होगा, ताकि समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

## केरल में वृद्धजन कल्याण के लिए एक पृथक विभाग

### संदर्भ:

हाल ही में केरल की नव-निर्वाचित सरकार ने वृद्धजन कल्याण के लिए एक पृथक विभाग के गठन की घोषणा की है, जिससे वह वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से शासन व्यवस्था को संस्थागत रूप देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह कदम केरल तथा पूरे भारत में बढ़ती वृद्धावस्था से जुड़ी नीतिगत चुनौतियों की तात्कालिकता को दर्शाता है।

### केरल: भारत का सर्वाधिक वृद्धावस्था वाला राज्य:

- केरल में जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था (Demographic Ageing) की प्रक्रिया पूर्वी एशियाई और यूरोपीय देशों के समान उन्नत स्तर पर पहुँच चुकी है। एल्डरली इन इंडिया रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, केरल की लगभग 16.5% आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की है, जो 2031 तक बढ़कर 20.9% होने का अनुमान है।
- वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात:
  - » 19.6% (2011)
  - » 26.1% (2021)
  - » 34.3% (अनुमानित 2031)
- वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या पारंपरिक पारिवारिक सहयोग प्रणाली के कमजोर पड़ने का संकेत देती है।

### तीव्र वृद्धावस्था के पीछे कारण:

- घटती प्रजनन दर:** केरल की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 1.35 है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी कम है। यह भारत के दक्षिणी

राज्यों में व्यापक जनसांख्यिकीय परिवर्तन को दर्शाता है।

- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है:
  - » **महिलाएँ:** ~78.4 वर्ष
  - » **पुरुष:** ~71.9 वर्ष
- प्रवासन प्रवृत्तियाँ:** कार्यशील आयु वर्ग की आबादी के बड़े पैमाने पर बाह्य प्रवासन के कारण “खाली घोंसला” (Empty Nest) परिवारों की संख्या बढ़ी है, जिससे वृद्धजन अधिक असुरक्षित हो गए हैं। वहीं, सेवानिवृत्त लोगों की वापसी भी वृद्धावस्था संबंधी दबाव को बढ़ा रही है।

### वृद्धजनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:** “लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया” (LASI) के अनुसार, केरल के 70% से अधिक वृद्धजन उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया तथा हृदय संबंधी बीमारियों जैसी दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित हैं। डिमेंशिया तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी बढ़ रही हैं।
- वृद्धावस्था का स्त्रीकरण (Feminisation of Ageing):** उच्च आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अनेक वृद्ध महिलाएँ विधवा होने के कारण अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं तथा आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रही हैं।
- आर्थिक असुरक्षा:** अपर्याप्त पेंशन और वित्तीय असुरक्षा के कारण अनेक वृद्धजन आज भी मनरेगा (MGNREGS) के अंतर्गत कार्य करने को विवश हैं।



### सरकारी पहलें:

- केरल ने वृद्धजन देखभाल से संबंधित कई नवाचारी कार्यक्रम विकसित किए हैं:

- » वयोमित्रम - मोबाइल चिकित्सा सेवा
- » समयप्रभा - डे-केयर सेंटर
- » स्मृतिपादम - डिमेंशिया केयर प्रथम
- » केरल केयर पैलिएटिव ग्रिड - एकीकृत उपशामक देखभाल प्रणाली
- वर्ष 2025 में राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु पहला राज्य वृद्धजन आयोग (State Elderly Commission) भी गठित किया।

### चुनौतियाँ:

- केरल में जेरियाट्रिक विशेषज्ञों की कमी है, जिनमें चिकित्सक, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट तथा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शामिल हैं। वर्ष 2030 तक एक सुदृढ़ देखभाल अर्थव्यवस्था तथा वृद्धजन-अनुकूल अवसंरचना के निर्माण हेतु इस कमी को दूर करना आवश्यक है।

### भारत में वृद्धजन आबादी:

- भारत की वृद्धजन आबादी (60+) कुल जनसंख्या का 12% से अधिक है और वर्ष 2050 तक इसके लगभग 319 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। इनमें लगभग 58% महिलाएँ हैं, जिनमें बड़ी संख्या विधवाओं की है।
- शहरीकरण, प्रवासन तथा एकल परिवारों के बढ़ने के कारण पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिससे अकेलेपन और निर्भरता की समस्या बढ़ रही है।
- सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया तथा संज्ञानात्मक क्षरण (Cognitive Decline) शामिल हैं। क्षेत्रीय असमानताएँ भी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ केरल जैसे राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं।
- सरकारी उपायों में शामिल हैं:
  - » माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007
  - » इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  - » अटल पेंशन योजना

### निष्कर्ष:

वृद्धजन कल्याण हेतु एक समर्पित विभाग का गठन करने का केरल का निर्णय भारत में एक अग्रणी शासन सुधार के रूप में उभरकर सामने आया है। जैसे-जैसे देशभर में जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था तीव्र होती जा रही है, केरल मॉडल भारत के व्यापक विकास ढाँचे में स्वास्थ्य सेवाओं,

सामाजिक सुरक्षा तथा गरिमामूलक वृद्धावस्था नीतियों के एकीकरण के लिए एक संभावित रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

## भारत में दहेज मृत्यु: कानून और न्यायिक प्रवृत्तियाँ

### संदर्भ:

भोपाल में त्विषा शर्मा की हालिया मृत्यु ने एक बार फिर दहेज से संबंधित हिंसा को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा में ला दिया है। उत्पीड़न के आरोप, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु और उसके बाद हुई न्यायिक जाँच जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जाँच शामिल है, ने आधुनिक भारत में दहेज मृत्यु की निरंतरता पर बहस को फिर से तेज कर दिया।

### दहेज मृत्यु (Dowry Death) क्या है?

- दहेज मृत्यु उस असामान्य (unnatural) मृत्यु को कहा जाता है जो किसी विवाहित महिला की जलने, शारीरिक चोट या अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्षों के भीतर होती है, जहाँ यह प्रमाण मिलता है कि उसे दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।
- इसे एक अलग अपराध इसलिए माना जाता है क्योंकि:
  - » यह विवाह जैसे निजी जीवन में घटित होता है।
  - » प्रत्यक्ष साक्ष्य जुटाना कठिन होता है।
  - » छिपाने और धमकाने की घटनाएँ अधिक होती हैं।

### दहेज मृत्यु के विरुद्ध कानूनी ढांचा:

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023**
  - » **धारा 80 - दहेज मृत्यु (Dowry Death)**
    - लागू होती है जब विवाह के 7 वर्षों के भीतर महिला की असामान्य मृत्यु हो।
    - मृत्यु से पहले दहेज संबंधी क्रूरता का प्रमाण आवश्यक
    - सजा: न्यूनतम 7 वर्ष, आजीवन कारावास तक
  - » **धारा 85 - पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता**
    - शारीरिक और मानसिक क्रूरता को शामिल करती है।
    - अवैध मांगों के लिए उत्पीड़न को भी कवर करती है।
- **दहेज निषेध अधिनियम, 1961:**
  - » दहेज देना, लेना और मांगना अपराध घोषित करता है।

- » “स्वेच्छा से दिए गए” दहेज पर भी लागू
- » **सीमाएँ (Limitations):**
  - “उपहार” के रूप में सामाजिक स्वीकृति
  - कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate)
  - मामलों की कम रिपोर्टिंग
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:**
  - » **धारा 113B – दहेज मृत्यु का अनुमान (Presumption of Dowry Death)**
    - विवाह के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु और दहेज उत्पीड़न।
    - न्यायालय पति/ससुराल वालों को जिम्मेदार मान सकता है।
    - सबूत का भार (burden of proof) आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है।

में हत्या (murder) की धाराएँ जोड़ने पर विचार करने का निर्देश दिया।

- **कंस राज बनाम पंजाब राज्य (2000):** कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु कानूनों की व्याख्या सामाजिक वास्तविकताओं और घरेलू गोपनीयता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

### न्यायिक प्रवृत्ति (Judicial Trend):

- पीड़ित-केंद्रित व्याख्या
- आरोपी पर सबूत का भार
- प्रभावी जांच की आवश्यकता

### दहेज मृत्यु क्यों हो रही है:


- **पितृसत्तात्मक मानसिकता:** विवाह को समानता नहीं, बल्कि “स्वामित्व के हस्तांतरण” के रूप में देखना
- **सामाजिक प्रतिष्ठा:** दहेज को सामाजिक हैसियत और उपभोक्तावाद से जोड़ना
- **दहेज मामलों की कमजोर प्रवर्तन:**
  - » खराब जांच
  - » कम दोषसिद्धि दर
  - » मुकदमों में देरी
  - » गवाहों को डराना
- **सामाजिक दबाव:** पीड़ितों को हिंसक विवाह छोड़ने से रोका जाना
- **संस्थागत समस्याएँ:** पुलिस पक्षपात, कमजोर फॉरेंसिक, प्रभावशाली परिवारों का दबाव

### सरकारी पहल:

- दहेज निषेध अधिनियम के प्रवर्तन तंत्र
- संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर
- महिला अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें
- आपातकालीन हेल्पलाइन (181, 112)
- “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे जागरूकता अभियान

### निष्कर्ष:

त्विषा शर्मा मामला विवाह के भीतर संरचनात्मक हिंसा के निरंतर पैटर्न को दर्शाता है, न कि एक अलग घटना को। मजबूत संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के बावजूद, पितृसत्ता, कमजोर प्रवर्तन और सामाजिक स्वीकृति के कारण दहेज मृत्यु बनी हुई है। दहेज मृत्यु को समाप्त करने के लिए सामाजिक सोच में बदलाव, मजबूत संस्थागत व्यवस्था और संवैधानिक नैतिकता के पालन की आवश्यकता है। वास्तविक लैंगिक न्याय तभी



### न्यायिक निर्णय:

- **सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2021):** सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु प्रावधानों की सख्त व्याख्या पर जोर दिया ताकि अपराधियों पर प्रभावी अभियोजन हो सके।
- **राजबीर बनाम हरियाणा राज्य (2010):** संदिग्ध परिस्थितियों

संभव है जब विवाह समानता पर आधारित हो, न कि नियंत्रण पर।

## राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6

### संदर्भ:

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) जारी किया है। इस सर्वेक्षण में देश के 715 जिलों और लगभग 6.79 लाख परिवारों को शामिल किया गया।

### राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -6 के बारे में:


- NFHS-6 एक व्यापक एवं बहु-चरणीय सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े प्रमुख संकेतकों का आकलन करना है।
- इसके माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन दर, पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज तथा डिजिटल समावेशन से संबंधित प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है।
- यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई द्वारा आयोजित किया जाता है और इसे भारत का सबसे व्यापक स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण माना जाता है। यह जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवार कल्याण से संबंधित जिला-स्तरीय आँकड़े उपलब्ध कराता है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण तथा सतत विकास लक्ष्य (SDGs) की प्रगति की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह सर्वेक्षण प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रदर्शन के मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और परिणामों में क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान के लिए एक मानक (Benchmark) का कार्य करता है।

### सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:

- **मातृ स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार:** सर्वेक्षण के अनुसार मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
  - » संस्थागत प्रसव (Institutional Deliveries) बढ़कर


90.6% हो गए हैं।

- » प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal Care) का कवरेज 95.9% तक पहुँच गया है।
- » गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण तथा नियमित स्वास्थ्य जांच में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- » ये उपलब्धियाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती हैं।
- **बाल स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार:** NFHS-6 के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संकेतकों में भी सकारात्मक प्रगति हुई है।
  - » बच्चों में ठिगनापन (Stunting) 35.5% से घटकर 29.3% हो गया।
  - » गंभीर क्षीणता (Severe Wasting) 7.7% से घटकर 5.2% रह गई।
- » पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया।
- » रोटोवायरस वैक्सीन कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि होकर 85.4% तक पहुँच गई।
- » ये सुधार बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन को दर्शाते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच एवं सामाजिक सुरक्षा:** स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा तक पहुँच में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
  - » स्वास्थ्य बीमा कवरेज 41% से बढ़कर 60.2% हो गया है।
  - » इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य (PM-JAY) जैसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।



- » बच्चों के 95.6% टीकाकरण सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से किए गए।
- » महिलाओं के इंटरनेट उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 33.3% से बढ़कर 64.3% हो गया है।
- » यह डिजिटल असमानता में कमी तथा सेवाओं तक बेहतर पहुँच को दर्शाता है।

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं-
  - » U-WIN के माध्यम से AI-आधारित माइक्रो-प्लानिंग अपनाकर टीकाकरण की निगरानी और कवरेज बढ़ाया जा सकता है।
  - » पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी को सशक्त बनाकर बाल पोषण में सुधार किया जा सकता है।
  - » स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का विस्तार गैर-संचारी रोगों की शीघ्र पहचान में सहायक होगा।
  - » व्यवहार परिवर्तन अभियानों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में पोषण संबंधी अनुपालन को बढ़ावा दिया जा सकता है।



### निष्कर्ष:

NFHS-6 भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य बीमा कवरेज में सुधार उत्साहजनक है। हालांकि, कुपोषण, अपूर्ण टीकाकरण और बढ़ते जीवनशैली संबंधी रोगों जैसी चुनौतियाँ यह संकेत देती हैं कि अब स्वास्थ्य नीति का ध्यान उपचार-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण की गुणवत्ता और स्वस्थ जीवनशैली पर केंद्रित होना चाहिए।

### प्रमुख चुनौतियाँ:

- प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं-
  - » 6-8 माह आयु के लगभग 40.5% शिशुओं को पर्याप्त पूरक आहार नहीं मिल रहा है।
  - » लगभग 12.9% बच्चे अभी भी आंशिक रूप से टीकाकृत हैं या बिल्कुल टीकाकरण से वंचित हैं।
  - » गैर-संचारी रोगों (NCDs) में वृद्धि देखी जा रही है।
  - » कुपोषण का दोहरा बोझ (Double Burden of Malnutrition) उभर रहा है, जिसमें अल्पपोषण के साथ-साथ मोटापा भी बढ़ रहा है।
  - » केवल 37.8% गर्भवती महिलाएँ ही आयरन एवं फोलिक एसिड की अनुशंसित खुराक पूरी कर पा रही हैं।

### आगे की राह:



## पेपर लीक मामला: भारत में परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ और कानूनी ढाँचा

### संदर्भ:

भारत की प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रणाली करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का आधार है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाएँ न केवल करियर निर्माण का माध्यम हैं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और समान अवसर की आधारशिला भी हैं। ऐसे में हाल ही में हुए नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक प्रकरण ने केवल एक परीक्षा की विश्वसनीयता को ही नहीं, बल्कि भारत की योग्यता-आधारित चयन प्रणाली, शिक्षा प्रशासन और सार्वजनिक संस्थानों की साख को भी चुनौती दी है। परीक्षा रद्द होने और पुनर्परीक्षा ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) तथा देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

### सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- नीट-यूजी विवाद की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षाओं के संचालन में बार-बार हो रही विफलताओं की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं ने लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को गहरी मानसिक एवं भावनात्मक पीड़ा पहुँचाई है।
- न्यायालय द्वारा व्यक्त प्रमुख चिंताएँ थीं:
  - » छात्रों और उनके परिवारों को हुई गंभीर मानसिक एवं भावनात्मक क्षति।
  - » राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में बढ़ता विश्वास संकट।

- » परीक्षा प्रणाली के भीतर स्पष्ट जवाबदेही तंत्र का अभाव।
- » परीक्षा प्रशासन में “तदर्थवाद (Ad-hocism)” और कमजोर संस्थागत स्मृति।
- » जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय न होना।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल नई समितियाँ बनाने या प्रक्रियात्मक बदलाव करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही और संस्थागत सुधार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

### परीक्षा की निष्पक्षता का संवैधानिक आयाम:

पेपर लीक केवल प्रशासनिक या कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर और न्याय के सिद्धांतों से है।

- **अनुच्छेद 14:** यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। जब परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रहती और कुछ उम्मीदवारों को अवैध रूप से प्रश्नपत्र उपलब्ध हो जाता है, तब सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं होता, जिससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।
- **अनुच्छेद 16:** यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देता है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाएँ सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश का आधार होती हैं। यदि परीक्षा में

धांधली या पेपर लीक होता है, तो योग्य उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित होते हैं और समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ता है।

- **अनुच्छेद 21:** सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए गरिमापूर्ण जीवन, निष्पक्ष प्रक्रिया और न्यायसंगत अवसरों को भी इसके दायरे में माना है। पेपर लीक के कारण छात्रों को मानसिक तनाव, अनिश्चितता और भविष्य को लेकर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके गरिमापूर्ण जीवन और निष्पक्ष अवसर प्राप्त करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### सरकार और एनटीए की प्रतिक्रिया:

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दाखिल कर पेपर लीक के बाद किए गए सुधारों की जानकारी दी। इन उपायों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में सुधार तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना शामिल है। प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:
  - » वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षित मुद्रण व्यवस्था।
  - » प्रश्नपत्रों के परिवहन हेतु भारतीय डाक विभाग और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का उपयोग।
  - » सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड का संरक्षण।
  - » बैकअप व्यवस्था सहित प्रश्नपत्रों के अनेक सेट तैयार करना।
  - » प्रश्नपत्र निर्माताओं को पृथक रखना और नियंत्रित प्रवेश प्रणाली लागू करना।
  - » अधिक कठोर मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को अपनाना।

### राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की वर्तमान संरचना:

- नीट विवाद के बाद केवल सुरक्षा उपायों पर नहीं, बल्कि स्वयं NTA की संस्थागत क्षमता पर भी प्रश्न उठे हैं।
- **प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ:**
  - » 2017 में स्थापित NTA का स्थायी प्रशासनिक ढाँचा अभी सीमित है।
  - » परीक्षा संचालन में आउटसोर्सिंग पर अधिक निर्भरता।
  - » प्रमुख अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण।
  - » संस्थागत स्मृति और अनुभव का अभाव।
  - » अत्यधिक केंद्रीकृत परीक्षा प्रबंधन।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित “तदर्थवाद” का संबंध इन्हीं

संरचनात्मक कमजोरियों से है।

### परीक्षा लीक रोकने हेतु कानूनी ढाँचा:

- भारत में पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक प्रमुख विधिक सुरक्षा उपाय लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 है, जो 21 जून 2024 से प्रभावी हुआ। यह कानून संगठित परीक्षा धोखाधड़ी, प्रश्नपत्र लीक तथा तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।

### अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:

- **दायरा और लागू क्षेत्र**
  - » केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू।
  - » नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी, सीयूईटी तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएँ इसके अंतर्गत शामिल हैं।
- **अनुचित साधनों की परिभाषा:** अधिनियम में विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
  - » प्रश्नपत्र लीक करना या उसका अनधिकृत प्रकटीकरण।
  - » ओएमआर शीट अथवा कंप्यूटर प्रणालियों में छेड़छाड़।
  - » परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अवैध सहायता प्रदान करना।
  - » प्रतिरूपण (Impersonation) तथा फर्जी परीक्षा संचालन।
  - » परीक्षा प्रणालियों में साइबर हेरफेर और हैकिंग।
- **कठोर दंड प्रावधान**
  - » **धोखाधड़ी या पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए:** 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
  - » **संगठित अपराध नेटवर्क अथवा “शिक्षा माफिया” के लिए:** 5 से 10 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना।
  - » **कदाचार में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए:** 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कारावास।
  - » सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable), गैर-जमानती (Non-bailable) तथा गैर-समझौतायोग्य (Non-compoundable) हैं।
- **सशक्त प्रवर्तन प्रावधान**
  - » अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती।
  - » त्वरित जांच की व्यवस्था।
  - » संगठित परीक्षा गिरोहों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई पर बल।

- यह अधिनियम परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारत के सबसे कठोर कानूनी ढाँचों में से एक है, हालांकि इसकी सफलता प्रभावी प्रवर्तन और शीघ्र अभियोजन पर निर्भर करेगी।

### राज्य स्तरीय एंटी-पेपर लीक कानून:

- उत्तर प्रदेश:** उत्तर प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत दोषियों की संपत्ति कुर्की, संगठित गिरोहों के लिए आजीवन कारावास, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना, का प्रावधान है।
- अन्य राज्य:** उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों ने भी ऐसे अध्यादेशों/कानूनों को लागू किया है जिनमें पेपर लीक और ओएमआर शीट में छेड़छाड़ के मास्टरमाइंड के लिए 1 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है।

### भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम:

- भारतीय न्याय संहिता (BNS)**
  - यद्यपि लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 परीक्षा कदाचार के विरुद्ध विशेष कानून है, फिर भी सामान्य आपराधिक कानूनों का उपयोग अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए किया जाता है। धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, संगठित अपराध से जुड़े प्रावधानों का उपयोग परीक्षा अपराधों में किया जाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000**
  - डेटा में छेड़छाड़ और हैकिंग:** आईटी अधिनियम की धारा 66 का उपयोग परीक्षा सर्वरों में अनधिकृत प्रवेश, हैकिंग, प्रश्नपत्र चोरी अथवा अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं और मूल्यांकन डेटा में हेरफेर के मामलों में किया जाता है।
  - यह अधिनियम साइबर माध्यम से होने वाली परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध कानूनी ढाँचे को मजबूत करता है तथा डिजिटल परीक्षाओं के सुरक्षित संचालन में सहायता प्रदान करता है।

### प्रशासनिक सुधार:

- कानूनी उपायों के साथ-साथ परीक्षा प्राधिकरण अपने बुनियादी ढाँचे का भी आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण:** परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का अनिवार्य आधार/बायोमेट्रिक सत्यापन।

- » **जैमर एवं सीसीटीवी:** सभी परीक्षा कक्षों में जैमर तथा उच्च-गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था।
- » **डिजिटल वितरण:** मानव-आधारित परिवहन जोखिमों को कम करने हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं तथा डिजिटल एन्क्रिप्शन (जैसे गतिशील प्रश्नपत्र प्रणाली) की ओर संक्रमण।

### अंतरराष्ट्रीय उदाहरण:

- विश्व के अनेक देशों ने बड़ी परीक्षाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकी और प्रशासनिक उपाय विकसित किए हैं, जिनसे भारत महत्वपूर्ण सीख ले सकता है। चीन की गाओकाओ (Gaokao) परीक्षा में सैन्य स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी, फेस रिकग्निशन तकनीक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कठोर नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएँ अपनाई जाती हैं।
- दक्षिण कोरिया की सीएसएटी (CSAT) परीक्षा में परीक्षा दिवस पर विशेष प्रशासनिक प्रबंधन, केंद्रीकृत सुरक्षा तंत्र और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित परीक्षा संचालन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहती है।
- वहीं अमेरिका की SAT और GRE जैसी परीक्षाओं में डिजिटल प्रश्न बैंक, बहु-स्तरीय एन्क्रिप्शन तथा प्रश्नपत्रों के अनेक गतिशील संस्करणों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना काफी कम हो जाती है।
- इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से स्पष्ट होता है कि तकनीकी नवाचार, मजबूत संस्थागत क्षमता और प्रभावी प्रशासनिक समन्वय का संयोजन परीक्षा सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

### परीक्षा प्रशासन में संरचनात्मक चुनौतियाँ:

- कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद व्यवस्थागत कमजोरियाँ परीक्षा सुरक्षा को प्रभावित करती रहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए के कार्य संचालन में “तदर्थवाद” की ओर संकेत करते हुए संस्थागत निरंतरता की कमी तथा प्रमुख अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण पर चिंता व्यक्त की। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
  - » प्रशासनिक बदलावों के कारण कमजोर संस्थागत स्मृति।
  - » अनेक एजेंसियों के बीच बिखरी हुई जवाबदेही।
  - » प्रश्नपत्रों के परिवहन और वितरण श्रृंखला में सुरक्षा संबंधी कमजोरियाँ।

- » संगठित नकल गिरोहों द्वारा डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग।
- » विशेषज्ञ समितियों की पूर्व सिफारिशों के क्रियान्वयन में कमी।

### आगे की राह:

भारत को परीक्षा सुरक्षा के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा:

#### ■ तकनीकी सुधार:

- » कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का विस्तार।
- » AI आधारित संदिग्ध गतिविधि पहचान प्रणाली।
- » साइबर सुरक्षा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
- » ब्लॉकचेन आधारित प्रश्नपत्र ट्रैकिंग प्रणाली।

#### ■ संस्थागत सुधार:

- » राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण (National Examination Security Authority) की स्थापना।
- » NTA में स्थायी पेशेवर कैडर का विकास।
- » संस्थागत स्मृति और विशेषज्ञता का संरक्षण।
- » परीक्षा सुरक्षा का नियमित स्वतंत्र ऑडिट।

#### ■ कानूनी और प्रशासनिक सुधार:

- » लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 का कठोर क्रियान्वयन।
- » त्वरित जांच और शीघ्र अभियोजन।

- » केंद्र एवं राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।
- » दोषी अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही।

#### ■ छात्र-केंद्रित सुधार:

- » प्रभावित अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श।
- » पुनर्परीक्षा की स्पष्ट और पारदर्शी नीति।
- » शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।

### निष्कर्ष:

नीट-यूजी पेपर लीक मामला केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि भारत की योग्यता-आधारित शिक्षा व्यवस्था और समान अवसर की अवधारणा के समक्ष एक गंभीर व्यवस्थागत चुनौती है। यह घटना दर्शाती है कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है। भारत की परीक्षा प्रणाली केवल चयन का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि पेपर लीक जैसी घटनाएँ बार-बार होती रहीं, तो युवाओं का संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होगा और योग्यता-आधारित व्यवस्था की वैधता प्रभावित होगी।




## 12th के बाद Graduation के साथ करें IAS/PCS की तैयारी

# IAS OLYMPIAD 2026



# 14<sup>th</sup>

JUNE 2026



★ Admission to Udaan Batch is subject to selection in IAS Olympiad

# संक्षिप्त मुद्दे

## भारत में जनहित याचिका (PIL) का दुरुपयोग

### संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति बी.वी. नागराजा ने टिप्पणी की कि PIL एक समय सामाजिक न्याय का साधन थी, लेकिन अब यह 'निजी', 'प्रचार', 'राजनीतिक' और यहां तक कि 'पैसा' (धन) हित याचिका में बदलती जा रही है।


### PIL का ऐतिहासिक विकास:

- PIL की अवधारणा 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा एक क्रांतिकारी उपकरण के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन वंचित वर्गों को "न्याय तक पहुंच" प्रदान करना था, जो स्वयं अदालत तक नहीं पहुंच सकते थे।
- पारंपरिक सुने जाने का अधिकार (locus standi) के नियम (जिसमें याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना आवश्यक होता है) को शिथिल करते हुए अदालत ने किसी भी जनहितैषी नागरिक को वंचित लोगों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति दी।
- हुसैनारा खातून (1979) और एस.पी. गुप्ता (1981) जैसे महत्वपूर्ण मामलों ने इस "न्यायिक सक्रियता" (judicial activism) को मजबूत आधार प्रदान किया।

### वर्तमान विवाद:

- यह बहस सबरीमाला पुनर्विचार मामले के दौरान फिर से सामने आई, जहां केंद्र सरकार और पीठ ने भारतीय युवा अधिवक्ता संघ के सुने जाने का अधिकार (locus standi) पर सवाल उठाया। इस गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने मूल रूप से 10-50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
  - » **पीठ की चिंता:** मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रश्न उठाया कि इस NGO का मंदिर की परंपराओं में क्या "हित" है, और याचिका को संभावित रूप से एक वास्तविक जनहित याचिका के बजाय "अनावश्यक हस्तक्षेप" (meddling) बताया।
  - » **'पैसा/प्रचार' कारक:** न्यायालय ने यह भी कहा कि अब कई PIL अखबारों की खबरों या व्यक्तिगत एजेंडा से प्रेरित होती

हैं, न कि वास्तविक जनहित या सार्वजनिक पीड़ा से, जिससे न्यायालय का समय व्यर्थ होता है।



### आधुनिक PIL से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ:

- अनावश्यक कानूनी कार्रवाई:** "पब्लिसिटी इंटरैस्ट लिटिगेशन" अक्सर मीडिया का ध्यान आकर्षित करने या राजनीतिक बदले के लिए दायर की जाती हैं।
- न्यायिक अतिक्रमण:** PIL का अत्यधिक उपयोग न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्य करने की ओर ले जा सकता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं।
- मामलों का लंबित बोझ:** कई याचिकाएँ न्यायालय का समय नष्ट करती हैं और आपराधिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मामलों (जैसे suo motu कार्यवाही) से ध्यान भटका देती हैं।

### निष्कर्ष:

यद्यपि PIL सामाजिक परिवर्तन के लिए एक "अद्वितीय तंत्र" है, सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियाँ इसके प्रति सख्त जांच (scrutiny) की दिशा में बदलाव का संकेत देती हैं। केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार, PIL व्यवस्था को पुनः संतुलित (recalibrate) करने की आवश्यकता है, ताकि यह कमजोर वर्गों की रक्षा का साधन बनी रहे, न कि अनावश्यक

हस्तक्षेप करने वालों का हथियार।

## एसिड अटैक पीड़ितों को RPwD अधिनियम के अंतर्गत किया गया शामिल

### संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत “एसिड अटैक पीड़ितों” की परिभाषा का विस्तार किया। पहले यह अधिनियम केवल एसिड फेंके जाने के पीड़ितों को मान्यता देता था, जबकि जबरन एसिड पिलाए जाने के मामलों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था।

### मुख्य निर्णय:

- मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि जबरन एसिड पिलाए जाने से बचे लोगों को भी “एसिड अटैक पीड़ित” की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।
- यह व्याख्या अधिनियम के लागू होने (2016) से ही प्रभावी मानी जाएगी (पूर्वव्यापी रूप से)।
- यह विस्तार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया, ताकि पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।


### कानूनी व संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 142:** सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति देता है।
- चूंकि सरकार ने अभी तक अधिनियम की अनुसूची में औपचारिक संशोधन नहीं किया था, इसलिए अदालत ने हस्तक्षेप किया।

### निर्णय का महत्व:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत अब जबरन एसिड पिलाए जाने के पीड़ितों को भी औपचारिक रूप से “दिव्यांग व्यक्ति” के रूप में मान्यता दी गई है।
- इस मान्यता से उन्हें दिव्यांग अधिकारों के कानूनी ढांचे में शामिल किया जाता है, जिससे उन्हें गरिमा के साथ व्यवहार और आवश्यक सहायता मिल सके, न कि उन्हें सुरक्षा प्रणाली से बाहर रखा जाए।
- इसके परिणामस्वरूप, ऐसे पीड़ित दिव्यांगता प्रमाणपत्र के पात्र होंगे, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। अदालत ने इस मुद्दे के लैंगिक न्याय

(gender justice) पहलू पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि अधिकांश पीड़ित महिलाएं होती हैं, जिससे यह मामला लैंगिक हिंसा से भी जुड़ता है। कुल मिलाकर, यह दृष्टिकोण पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और पीड़ितों की गरिमा बहाल करने पर केंद्रित व्यापक मानवाधिकार दृष्टिकोण को दर्शाता है।



### RPwD अधिनियम, 2016 के बारे में:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और इसे संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (UNCRPD) के अनुरूप बनाया गया।
- मुख्य विशेषताएं:**
  - दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, जिसमें एसिड अटैक पीड़ित भी शामिल हैं।
  - सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान।
  - भेदभाव रहित व्यवहार, गरिमा और समानता पर जोर।
  - सार्वजनिक ढांचे और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में सुगमता (accessibility) अनिवार्य।
  - केंद्र और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण प्राधिकरणों की स्थापना।

### निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में दिव्यांग अधिकारों और पीड़ित संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून की प्रगतिशील व्याख्या को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी सुरक्षा समय के साथ बदलते अपराधों और उनके प्रभावों के अनुरूप बनी रहे।

## पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0

## संदर्भ:

हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह 2,59,867 ग्राम पंचायतों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को लागू करने में उनकी प्रगति पर आधारित है।

## पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 के बारे में:

- PAI 2.0 एक बहुआयामी (multi-dimensional) ढांचा है, जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण (Localization of SDGs) का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है।
  - » **तैयार करने वाला:** पंचायती राज मंत्रालय
  - » **आवरण (Coverage):** 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें (सभी राज्य, पश्चिम बंगाल को छोड़कर)
  - » **आकलन वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2023-24
  - » **सूचकांक (Indicators):** 150 संकेतक
  - » **थीम:** SDG से जुड़े 9 स्थानीय थीम

## मुख्य विशेषताएँ और वर्गीकरण:

- PAI 2.0 ग्राम पंचायतों को 0-100 के पैमाने पर रैंक करता है और उन्हें पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:
  - » **अचीवर (90-100):** 0 पंचायतें
  - » **फ्रंट रनर (75-90):** 3,635 पंचायतें
  - » **परफॉर्मर (60-75):** 1,18,824 पंचायतें
  - » **एस्पिरेंट (40-60):** 1,23,719 पंचायतें
  - » **बिगिनर (40 से कम):** 13,689 पंचायतें
- यह वितरण दर्शाता है कि अधिकांश पंचायतें मध्यम श्रेणियों में आती हैं, जो ग्रामीण विकास में मध्यम और असमान प्रगति को इंगित करता है।

## मुख्य परिणाम:

- पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 में ग्राम पंचायतों की 97.30% भागीदारी दर्ज की गई, जो भारत में ग्रामीण शासन मूल्यांकन के डेटा कवरेज के सबसे उच्च स्तरों में से एक है। राज्यों में, त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जहाँ लगभग 80% पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में रहीं।
- इसके बाद केरल और ओडिशा का स्थान रहा, जिन्होंने भी मजबूत शासन परिणाम और निरंतर सुधार दिखाया। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे बड़े राज्य प्रदर्शन रैंकिंग में पीछे

रहे, जो जमीनी स्तर पर विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।

- PAI 2.0 नौ SDG-आधारित थीमों पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और लैंगिक समानता। विषयगत प्रदर्शन के अंतर्गत, थीम 1 (गरीबी-मुक्त और आजीविका) में 3,313 ग्राम पंचायतों को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ, जबकि थीम 2 (स्वस्थ पंचायत) में 1,015 पंचायतों को A+ ग्रेड मिला, जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में मजबूत परिणामों को दर्शाता है।

## पंचायत विकास सूचकांक

**PAI**

ग्राम पंचायत के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का सटीक आकलन करने वाला बहुआयामी सूचकांक।

PAI किन संकेतकों के आधार पर विकास का आकलन करता है?

- आधारभूत संरचना**  
सड़क, बिजली, जल, स्वच्छता
- स्वास्थ्य व शिक्षा**  
सेवाएँ, साक्षरता, नामांकन
- आर्थिक संकेतक**  
आय, रोजगार, कृषि
- सामाजिक संकेतक**  
गरीबी, समानता, समावेश
- शासन व प्रशासन**  
पारदर्शिता, सेवाएँ, भागीदारी
- पर्यावरणीय स्थिरता**  
संरक्षण, सतत विकास



## सूचकांक के उद्देश्य:

- PAI 2.0 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है और भारत के SDG इंडिया इंडेक्स (नीति आयोग) का पूरक है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - » जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करना
  - » डेटा-आधारित योजना को बढ़ावा देना
  - » “विकसित ग्राम पंचायत” के विजन को समर्थन देना
  - » समावेशी ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना
- यह 17 SDGs को मिलाकर 9 स्थानीय थीमों में समेकित करता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण।

## पंचायती राज प्रणाली के लिए महत्व:

- PAI 2.0 भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत मजबूत बनाता है।
- महत्व:**
  - » पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक शासन को प्रोत्साहन
  - » विकास में क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान
  - » पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा
  - » बेहतर संसाधन आवंटन में सहायता
  - » जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना
- भारत में 2.63 लाख से अधिक पंचायतें और 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिससे ऐसे सूचकांक शासन निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

### निष्कर्ष:

पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 भारत में जमीनी स्तर के शासन के मूल्यांकन और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपकरण है। यह स्थानीय विकास को वैश्विक SDGs से जोड़कर “विकसित ग्राम पंचायत” के विज़न को मजबूत करता है और समावेशी, पारदर्शी तथा डेटा-आधारित ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

## नाबालिग रेप पीड़ितों के लिए गर्भपात की सीमा हटाने की अपील

### संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अपील की है कि नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में गर्भपात की गर्भावधि सीमा (gestational limit) को हटाने के लिए कानून में संशोधन किया जाए। यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जो 15 वर्षीय पीड़िता की 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने से संबंधित थी।

### न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रजनन से जुड़े निर्णय केवल पीड़िता और उसके अभिभावकों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि राज्य या चिकित्सा पेशेवरों के। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने जोर दिया कि डॉक्टर केवल सहायक (facilitators) की भूमिका निभाते हैं और उन्हें नाबालिग पीड़िता तथा उसके माता-पिता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

- न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम, 1971 में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएँ और नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में गर्भावधि सीमा को पूरी तरह हटाया जाए। अदालत ने कहा कि रिपोर्टिंग और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी के कारण अक्सर गर्भावस्था कानूनी सीमा से आगे बढ़ जाती है और ऐसे में गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना गंभीर मानसिक आघात को बढ़ाता है।
- ट्रॉमा-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए, न्यायालय ने माना कि बलात्कार से उत्पन्न गर्भावस्था एक गहरा और स्थायी मानसिक घाव छोड़ती है, और पीड़िता को प्रसव के लिए मजबूर करना उसकी गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से सीधे जुड़ा है।



**SC URGES ABORTION LIMIT WAIVER FOR MINOR RAPE SURVIVORS**

The Supreme Court of India has urged the Union government to amend abortion laws to remove gestational limits for minor rape survivors, emphasizing dignity, autonomy and a trauma-centric approach.

“Reproductive choice in such sensitive cases rests solely with the survivor and her guardians, not with the State or medical professionals.”  
— Supreme Court

**KEY OBSERVATIONS BY COURT**

- SURVIVOR-CENTRIC DECISION-MAKING**  
Reproductive choice rests solely with the survivor and her guardians. Doctors are merely facilitators and must respect their decision.
- WAIVER OF GESTATIONAL LIMITS**  
The Court urged removal of gestational limits in cases of minor rape survivors, due to delays in reporting and legal processes.
- TRAUMA-CENTRIC APPROACH**  
Rape-induced pregnancy leaves a lasting scar. Forcing continuation intensifies psychological trauma and violates dignity and autonomy.
- CONSTITUTIONAL GROUNDING**  
The right to reproductive choice is part of Article 21 – protecting life, liberty, dignity, mental health and future life prospects.

**EXISTING LEGAL FRAMEWORK ON ABORTION IN INDIA**

- GOVERNED BY MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY ACT, 1971 (AMENDED IN 2021)**  
Permits abortion under specific conditions to protect the health and rights of women.
- GESTATIONAL LIMITS (AS PER LAW)**
  - UP TO 20 WEEKS**  
With opinion of one Registered Medical Practitioner.  
For grounds including: risk to woman's physical or mental health, fetal abnormalities, or contraceptive failure (married & unmarried women).
  - 20 – 24 WEEKS**  
With opinion of two Registered Medical Practitioners.
- CONSENT & CONFIDENTIALITY**
  - Guardian consent: mandatory for minors.
  - Identity of the patient must be protected at all times.
- BEYOND 24 WEEKS**  
Allowed only in exceptional cases with approval of a Medical Board.

Recent Supreme Court rulings have strengthened reproductive choice as a fundamental right, urging a more compassionate, rights-based approach.

### गर्भपात पर मौजूदा कानूनी ढांचा:

- भारत में गर्भपात गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम, 1971 (2021 संशोधन सहित) द्वारा नियंत्रित है, जो नाबालिग और बलात्कार पीड़िताओं जैसी विशेष श्रेणियों के लिए 24 सप्ताह तक गर्भ समाप्त करने की अनुमति देता है।
- 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय और 20–24 सप्ताह के बीच दो डॉक्टरों की अनुमति आवश्यक होती है, जो महिला के शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य जोखिम, भ्रूण में गंभीर विकृति या गर्भनिरोधक विफलता (विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के लिए) पर आधारित होती है।

- यह ढांचा सहमति और गोपनीयता की भी गारंटी देता है, जिसमें नाबालिगों के लिए अभिभावक की अनुमति आवश्यक होती है और मरीज की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
- 24 सप्ताह से अधिक गर्भपात केवल असाधारण परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से किया जा सकता है। हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने प्रजनन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में और मजबूत किया है, जिससे एक अधिक मानवीय और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है।

### महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:

- यह न्यायिक दृष्टिकोण डॉक्टर-केन्द्रित ढांचे से हटकर महिला और बच्चे-केन्द्रित दृष्टिकोण की ओर स्पष्ट बदलाव दर्शाता है, जिसमें संस्थागत निर्णयों की बजाय पीड़िता की पसंद को प्राथमिकता दी गई है।
- यह निर्णय शारीरिक स्वायत्तता को मजबूत करता है और मानता है कि प्रजनन संबंधी निर्णय अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं और संवैधानिक अधिकारों के तहत संरक्षित हैं।
- इसके साथ ही अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाकर उसमें गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की जीवन संभावनाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे जबरन गर्भधारण के दीर्घकालिक प्रभावों को स्वीकार किया गया है।

### क्रियान्वयन में चुनौतियाँ:

- कानून में संशोधन की आवश्यकता
- देर से किए गए गर्भपात से जुड़े नैतिक प्रश्न
- चिकित्सा अवसंरचना की तैयारी
- भ्रूण के अधिकार और पीड़िता के अधिकारों के बीच संतुलन

### निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाती हैं, जो कठोर कानूनी समय-सीमाओं की बजाय गरिमा, स्वायत्तता और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पीड़िता-केन्द्रित न्याय प्रणाली की ओर संकेत करती हैं।

## आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत

### संदर्भ:

हाल ही में सबरीमाला पुनर्विचार मामले की सुनवाई के संदर्भ में

“आवश्यक धार्मिक प्रथाओं” (Essential Religious Practices-ERP) का सिद्धांत चर्चा में है। विभिन्न धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों जैसे- हिजाब विवाद, सबरीमाला मंदिर प्रवेश, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन पर न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या अदालतों को यह तय करना चाहिए कि किसी धर्म की कौन-सी प्रथा “आवश्यक” है और कौन-सी नहीं?

### आवश्यक धार्मिक प्रथाओं (ERP) सिद्धांत क्या है?

- आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित एक संवैधानिक सिद्धांत है, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि किसी धर्म की कौन-सी प्रथाएँ संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण प्राप्त करेंगी।
- अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है।
- इस सिद्धांत की उत्पत्ति 1954 के प्रसिद्ध शिरूर मठ मामले में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल वही प्रथाएँ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करेंगी जो किसी धर्म का “अभिन्न और आवश्यक” हिस्सा हों।

### न्यायिक हस्तक्षेप की बढ़ती भूमिका:

- समय के साथ ERP सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका के लिए धार्मिक विवादों के समाधान का प्रमुख आधार बन गया। कई महत्वपूर्ण मामलों में अदालतों ने यह जांचने का प्रयास किया कि संबंधित प्रथा वास्तव में धर्म का आवश्यक हिस्सा है या नहीं। प्रमुख उदाहरण:
  - » **सबरीमाला मामला (2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लैंगिक समानता के विरुद्ध माना।
  - » **तीन तलाक मामला:** अदालत ने इसे इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना और असंवैधानिक घोषित किया।
  - » **हिजाब विवाद:** कर्नाटक हिजाब विवाद में भी यह प्रश्न उठा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं।
  - » **दाऊदी बोहरा समुदाय एवं पशु बलि संबंधी मामले:** न्यायालयों ने धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया।
- इन मामलों ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका अब केवल संवैधानिक व्याख्याकार नहीं, बल्कि कई बार धार्मिक प्रथाओं की वैधता का निर्धारण करने वाली संस्था भी बन गई है।

**Constitutional Provisions  
Related to Freedom of  
Religion**






**Article 25** Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.



**Article 26** Freedom to manage religious affairs.



**Article 27** Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.



**Article 28** Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions.



### प्रमुख आलोचनाएँ:

- **न्यायपालिका का “धर्मशास्त्रीय” हस्तक्षेप:** आलोचकों का मानना है कि अदालतों के पास धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की व्याख्या करने की विशेषज्ञता नहीं होती। जब न्यायालय यह तय करते हैं कि कौन-सी प्रथा आवश्यक है, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं।
- **व्यक्तिपरक व्याख्या:** “आवश्यक प्रथा” का कोई स्पष्ट मानक नहीं है। अलग-अलग मामलों में विभिन्न पीठों ने अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिससे न्यायिक असंगति की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- **धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सुधार:** ERP सिद्धांत का उपयोग कई बार सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। हालांकि, इससे यह बहस भी तेज हुई है कि क्या राज्य और न्यायपालिका धार्मिक परंपराओं को बदलने का अधिकार रखते हैं।

### संवैधानिक और सामाजिक महत्व:

- भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को केवल “राज्य और धर्म के पृथक्करण” के रूप में नहीं, बल्कि “समान सम्मान” के रूप में देखता है इसलिए न्यायपालिका का दायित्व है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे, साथ ही मौलिक अधिकारों विशेषकर समानता, गरिमा

और लैंगिक न्याय को भी सुनिश्चित करे।

- अब ERP सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र में तीन महत्वपूर्ण मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम बन गया है-
  - » धार्मिक स्वतंत्रता,
  - » सामाजिक न्याय,
  - » संवैधानिक नैतिकता।

### निष्कर्ष:

अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत धर्म और राज्य के बीच संतुलन बनाने का एक उपकरण है। हालांकि इसकी आलोचना होती है, लेकिन भारतीय जैसे विविधतापूर्ण समाज में सामाजिक सुधार और रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है। आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वर्तमान समय में जब धार्मिक पहचान और संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव बढ़ रहा है, तब न्यायपालिका की भूमिका और अधिक संवेदनशील हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि अदालतें धार्मिक मामलों में संतुलित, सीमित और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाएँ, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

## प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI) 2024 रिपोर्ट

### संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI) 2024 रिपोर्ट जारी की, जो भारत की जेल व्यवस्था का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में जेलों की जनसंख्या, भीड़भाड़, अवसंरचना, कर्मचारियों की स्थिति, पुनर्वास कार्यक्रमों तथा कैदियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का विश्लेषण किया गया है।

### प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI) रिपोर्ट के बारे में:

- प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (PSI) रिपोर्ट NCRB द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जेल संबंधी आँकड़े संकलित करती है तथा जेल प्रशासन, बंदियों के कल्याण और सुधारात्मक सुधारों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को उजागर करती है।
- यह रिपोर्ट नीति-निर्माताओं और न्यायिक संस्थाओं को भारत की

जेल प्रणाली की चुनौतियों का आकलन करने तथा उपयुक्त सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता प्रदान करती है।

### PSI 2024 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- PSI 2024 रिपोर्ट में उजागर की गई सबसे गंभीर चिंताओं में से एक जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ है। दिल्ली में सबसे अधिक 194.6% की अधिभोग दर दर्ज की गई, जहाँ 10,026 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 19,512 कैदी मौजूद थे।
- इसी प्रकार की भीड़भाड़ मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी देखी गई। यह भीड़भाड़ स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, रहने की स्थिति, जेल अनुशासन तथा पुनर्वास प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- रिपोर्ट में भारत में विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) पर अत्यधिक निर्भरता को भी उजागर किया गया। दिल्ली की जेलों में केवल 2,232 दोषसिद्ध कैदियों की तुलना में 17,178 विचाराधीन कैदी थे। यह न्यायिक विलंब, लंबी सुनवाई प्रक्रिया तथा जमानत और कानूनी सहायता तक सीमित पहुँच को दर्शाता है।
- रिपोर्ट में जेल कर्मचारियों की भारी कमी को भी एक प्रमुख समस्या बताया गया। 6,516 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 2,447 कर्मचारी उपलब्ध थे, जिससे 4,069 पद रिक्त रहे। इस प्रकार की कमी जेल सुरक्षा, कैदियों की निगरानी, परामर्श तथा पुनर्वास सेवाओं को कमजोर बनाती है।
- रिपोर्ट ने कैदियों की सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता को भी रेखांकित किया। अधिकांश कैदियों की शिक्षा कक्षा 10 से कम थी और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित थे, जो गरीबी, निम्न शिक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली में संवेदनशीलता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है।

### जेल संकट के संरचनात्मक कारण:

भारत में जेल संकट के पीछे कई संरचनात्मक कारण जिम्मेदार हैं:

- न्यायिक विलंब के कारण विचाराधीन कैदियों की लंबी अवधि तक हिरासत
- हिरासत आधारित निरोध (custodial detention) का अत्यधिक उपयोग तथा कठोर जमानत प्रथाएँ
- जेल अवसंरचना की खराब स्थिति और सुविधाओं के विस्तार की अपर्याप्तता
- आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों के लिए कमजोर कानूनी सहायता तंत्र
- जेल प्रशासन और कर्मचारियों के पदों पर बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ

## Overcrowded and understaffed

Delhi jails had only 2,447 staffers against requirement of 6,512

16	14	10,026	19,512	17,178
jails in Delhi	are central jails	is the total capacity	is occupancy	are undertrial prisoners

### HIGHEST DENSITY IN COUNTRY

Delhi	194.6%
Meghalaya	163.5%
Jammu and Kashmir	148.3%
Madhya Pradesh	147.1%
Maharashtra	143.9%

### OCCUPANCY RATE

2024	194.6%
2023	200%

SOURCE: NCRB DATA FOR 2024

### सरकारी पहल और सुधार:

सरकार ने जेल प्रशासन में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं:

- मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023:** जेलों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए
- मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016:** एकरूप जेल प्रबंधन, कानूनी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु
- ई-प्रिज़न्स परियोजना-** जेल अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए
- इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** न्यायालय, पुलिस, जेल और अभियोजन प्रणाली को जोड़ने के लिए
- FASTER प्रणाली:** जमानत आदेशों के त्वरित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के लिए
- अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटीयों (UTRCs):** लंबी अवधि के विचाराधीन मामलों की समीक्षा हेतु
- NALSA कानूनी सहायता कार्यक्रम:** जेलों के भीतर कानूनी साक्षरता और निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए।

### आगे की राह:

- भारत को विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के लिए त्वरित सुनवाई और उदार जमानत नीतियों को अपनाना होगा। न्यायिक क्षमता में वृद्धि तथा फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना से लंबित मामलों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- जेल अवसंरचना, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, साथ ही कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना आवश्यक है।

- पुनर्वास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और कानूनी सहायता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- खुली एवं अर्द्ध-खुली जेलों को बढ़ावा देने तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग से जेल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सकती है।

### निष्कर्ष:

PSI 2024 रिपोर्ट भारत की जेल व्यवस्था में गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करती है, विशेषकर भीड़भाड़, अत्यधिक विचाराधीन कैदियों की संख्या और अपर्याप्त अवसंरचना के संदर्भ में। यद्यपि हालिया सुधारों का उद्देश्य जेलों को सुधारात्मक एवं पुनर्वास केंद्रित संस्थानों में बदलना है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक दक्षता और मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण भारत में सार्थक जेल सुधारों के लिए अत्यंत आवश्यक बने हुए हैं।

## धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके निहितार्थ

### संदर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के वर्गीकरण का निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह नीतिगत मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में मांग की गई थी कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को 'धर्मनिरपेक्ष या व्यावसायिक' मानने की अपेक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26(क) के तहत 'धार्मिक व धर्मार्थ संस्थान' घोषित किया जाए।

### मुख्य संवैधानिक प्रावधान:

यह मामला भारतीय संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) के तहत विभिन्न अनुच्छेदों के बीच संतुलन और उनकी व्याख्या से जुड़ा है:

- अनुच्छेद 26(क) बनाम अनुच्छेद 30(1):** याचिकाकर्ता का तर्क है कि जो संस्थान किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देते हैं, उन्हें अनुच्छेद 30(1) के तहत 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान' का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। उन्हें अनुच्छेद 26(क) के तहत 'धार्मिक व धर्मार्थ संस्थान' माना जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 19(1)(छ) का दायरा:** याचिका के अनुसार, अनुच्छेद

30(1) कोई अतिरिक्त या विशेष अधिकार नहीं देता, बल्कि यह अनुच्छेद 19(1)(छ) (व्यापार या पेशा करने का अधिकार) का ही विस्तार है। इसलिए, धार्मिक शिक्षा को विशुद्ध व्यावसायिक या धर्मनिरपेक्ष आधुनिक शिक्षा के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।

- सार्वजनिक प्रतिबंधों की प्रयोज्यता:** यदि इन संस्थानों को अनुच्छेद 26(क) के तहत वर्गीकृत किया जाता है, तो ये राज्य द्वारा आरोपित सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), नैतिकता (Morality) और स्वास्थ्य (Health) के प्रतिबंधों के सीधे अधीन आ जाएंगे।

### संस्थानों के वर्गीकरण के निहितार्थ:

यदि शिक्षा मंत्रालय इन संस्थानों को 'धार्मिक/धर्मार्थ' घोषित करता है, तो इसके व्यापक प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव होंगे:

- राज्य का नियामक नियंत्रण:** वर्तमान में अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 26(क) के अंतर्गत आने पर, राज्य को बच्चों की सुरक्षा, पाठ्यक्रम की निगरानी और शिक्षकों की योग्यता तय करने का व्यापक कानूनी अधिकार मिल जाएगा।
- शिक्षा का अधिकार (RTE) और अनुच्छेद 21A:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य आधुनिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। धार्मिक संस्थानों के अनियंत्रित संचालन से बच्चों के वैज्ञानिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पाने के अधिकार का हनन होने की संभावना बनी रहती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ताना-बाना:** याचिका में सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे अपंजीकृत संस्थानों का उदाहरण देते हुए कट्टरपंथ की आशंका जताई गई थी। सख्त नियमन से राष्ट्रीय अखंडता और बंधुत्व (Fraternity) को मजबूती मिल सकती है।

### न्यायालय का दृष्टिकोण: शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत:

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप न करके शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का सम्मान किया है। न्यायालय का मानना है कि:
  - » किसी संस्थान की प्रकृति तय करना और उसके लिए नियम बनाना कार्यपालिका (Executive) का कार्य है।
  - » न्यायपालिका को नीतिगत मामलों में तब तक 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) नहीं दिखानी चाहिए जब तक कि किसी स्पष्ट मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो रहा हो।

## निष्कर्ष:

भारत जैसे बहुधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) और सांस्कृतिक/शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) के बीच एक बारीक संतुलन आवश्यक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अब एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए, जो धार्मिक शिक्षा के अधिकार का सम्मान करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करे कि 14 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुख्यधारा की आधुनिक व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके।

## सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी

### संदर्भ:

हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026' को मंजूरी दी। इसके तहत देश की शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 (37 अन्य न्यायाधीश + 1 मुख्य न्यायाधीश) कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अनुरोध और कैबिनेट की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है।


### उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु विधिक ढांचा:

- सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश संख्या का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 के तहत होता है, जिसे संसद अपने विधायी अधिकारों के अंतर्गत संशोधित कर सकती है। प्रारंभ में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 न्यायाधीशों (एक मुख्य न्यायाधीश और सात न्यायाधीश) के साथ कार्य शुरू किया था। समय के साथ न्यायिक कार्यभार बढ़ने के कारण स्वीकृत संख्या में लगातार वृद्धि की गई।
- यह अध्यादेश 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956' की धारा 2 में संशोधन करता है। आगामी मानसून सत्र में इसे बदलने के लिए विधेयक लाया जाएगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार प्राप्त है। इसी लचीलापन के कारण समय-समय पर संशोधन किए गए—1956 में

11 न्यायाधीश, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) तक संख्या बढ़ाई गई। नवीनतम प्रस्तावित संशोधन में इस संख्या को बढ़ाकर 37 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 करने का प्रावधान है।

### संख्या बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- मुकदमों का भारी बोझ:** अप्रैल 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या रिकॉर्ड 92,823 तक पहुंच चुकी है। न्यायाधीशों की कमी के कारण मामलों के निपटारे की दर (Clearance Rate) धीमी थी।
- संवैधानिक पीठों का गठन:** अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ जरूरी है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से बड़ी और नियमित संवैधानिक पीठों का गठन आसान होगा।
- न्यायिक कार्यकुशलता और तनाव:** वर्तमान में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों पर प्रतिदिन दर्जनों मामलों की सुनवाई का दबाव रहता है। संख्या बढ़ने से न्यायाधीशों को मामलों के गहन अध्ययन और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिखने का पर्याप्त समय मिलेगा।



### आगे की राह:

- रिक्तियों को शीघ्र भरना:** संख्या बढ़ाकर 38 करने के बाद वर्तमान में कार्यबल 32 है, यानी 6 पद खाली हैं। कॉलेजियम व्यवस्था को बिना किसी देरी के इन पदों पर नियुक्तियां करनी होंगी ताकि इस सुधार का वास्तविक लाभ मिल सके।
- केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं:** विशेषज्ञों का मानना है कि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक देरी का एकमात्र समाधान नहीं है। इसके साथ ही:
  - » **न्यायालयों का आधुनिकीकरण:** एआई (AI) और डिजिटल केस मैनेजमेंट का उपयोग बढ़ाना होगा।

- » **अपीलीय क्षेत्राधिकार को सीमित करना:** सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य रूप से संवैधानिक मामलों की अदालत बनाना चाहिए। इसके लिए 'राष्ट्रीय अपील न्यायालय' (Court of Appeal) के गठन पर विचार किया जा सकता है।
- » **निचली अदालतों का सुदृढीकरण:** देश में लंबित मुकदमों का बड़ा हिस्सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में है। बुनियादी सुधार वहां से शुरू होने चाहिए।

### निष्कर्ष:

न्यायाधीशों की संख्या को 38 करना 'त्वरित न्याय' (Speedy Justice) के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि, भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने की निरंतर आवश्यकता बनी रहेगी।

## सर्वोच्च न्यायालय का आवारा कुत्तों पर फैसला और अनुच्छेद 21 का विस्तार

### संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे का विस्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब कुत्तों के काटने और रेबीज से मौतों के मामले बढ़ रहे हैं।

### न्यायालय की मुख्य टिप्पणी:

- **अनुच्छेद 21 की संवैधानिक व्याख्या:**
  - » न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे, बुजुर्ग और आम नागरिक सड़कों, पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन केंद्रों का उपयोग बिना किसी शारीरिक खतरे के भय के कर सकें।
  - » इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम देते हुए "सार्वजनिक स्थानों में भय-मुक्त जीवन" को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है।

### मानव अधिकार और पशु कल्याण में संतुलन:

- » सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवारा कुत्ते मानव जीवन के लिए खतरा बनते हैं, तो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बिना नियंत्रण के रहने का असीमित अधिकार नहीं है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 51A(g) जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देता है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि पशु कल्याण नागरिकों के सुरक्षा, गतिशीलता और गरिमा से जुड़े अधिकारों (अनुच्छेद 19 और 21) पर हावी नहीं हो सकता।
- » इस प्रकार, यह निर्णय पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
- **"नो-रिलीज़ ज़ोन" (No-Release Zones) की घोषणा:** न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में आवारा कुत्तों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसे:
  - » स्कूल और कॉलेज
  - » अस्पताल और क्लिनिक
  - » रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस डिपो
  - » खेल परिसर और सार्वजनिक पार्क
  - » इन क्षेत्रों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद भी वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बजाय उन्हें अधिकृत पशु आश्रयों (shelters) में स्थानांतरित करना होगा।



### इच्छामृत्यु और भोजन संबंधी नियम:

- » न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इच्छामृत्यु (euthanasia) केवल उन कानूनी मामलों में ही अनुमति होगी जिनमें कुत्ते रेबीज से संक्रमित हों, गंभीर रूप से बीमार हों या विशेषज्ञ पशु चिकित्सकीय निगरानी में अत्यधिक आक्रामक पाए गए हों।
- » इसके साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को अनियंत्रित रूप से भोजन कराने पर रोक लगा दी है और नगर

निकायों को निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र (Designated Feeding Zones) बनाने के निर्देश दिए हैं।

**■ जवाबदेही और प्रशासनिक निर्देश:**

- » न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूर्ण रूप से कार्यशील पशु जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control - ABC) केंद्र स्थापित किया जाए। उच्च न्यायालय इन निर्देशों के कार्यान्वयन की सतत निगरानी करेंगे।
- » राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, आवारा कुत्तों के प्रबंधन में सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है।

**आगे की राह:**

भारत को “वन हेल्थ अप्रोच” (One Health Approach) अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु कल्याण और पर्यावरण प्रबंधन को एकीकृत किया जाए। नसबंदी अभियानों का विस्तार, वैज्ञानिक कचरा निपटान, जन-जागरूकता बढ़ाना तथा पशु कल्याण संगठनों के साथ साझेदारी जैसे कदम आवश्यक हैं।

**निष्कर्ष:**

यह निर्णय अनुच्छेद 21 के दायरे का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। यह एक संतुलित ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है, जो मानवीय और वैज्ञानिक आवारा कुत्ता प्रबंधन के माध्यम से मानव गरिमा और पशु कल्याण दोनों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

**धारा 124A पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय**

**संदर्भ:**

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत चल रहे देशद्रोह के मुकदमे और अपीलें आगे बढ़ सकती हैं, यदि आरोपी स्पष्ट रूप से इस पर आपत्ति नहीं करता। यह टिप्पणी उस मामले में आई जिसमें एक आरोपी 17 वर्षों से जेल में था और उसने अपने देशद्रोह मामले की अपील को गुण-दोष के आधार पर निपटाने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय की यह स्पष्टता 2022 के उस अंतरिम आदेश को संशोधित करती है, जिसमें सरकार

द्वारा औपनिवेशिक काल के इस कानून की समीक्षा किए जाने तक सभी देशद्रोह मामलों पर रोक लगा दी गई थी।

**पृष्ठभूमि:**

- मई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में सभी देशद्रोह कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी और निर्देश दिया था कि धारा 124A के तहत कोई नई एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज न की जाए, जब तक इस प्रावधान पर पुनर्विचार न हो जाए।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और संविधान के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना था। हालिया निर्णय में आरोपी की सहमति के आधार पर एक मामले-विशेष अपवाद जोड़ा गया है।

**SUPREME COURT CLARIFIES: CONSENTED ACCUSED CAN FACE SEDITION TRIALS UNDER SECTION 124A**  
Constitutional validity of the law remains under challenge.

**BACKGROUND**  
SECTION 124A (SEDITION)  
Part of the: Indian Penal Code (IPC), 1860  
Introduced during: British colonial rule in 1898  
Punishes: Acts or speech considered to incite disaffection against the government

**EARLIER SUPREME COURT POSITION (2022)**  
In May 2022, the Supreme Court:  
• Suspended fresh sedition cases and ongoing proceedings.  
Observed that Section 124A:  
• Reflected colonial mindset  
• Had chilling effect on free speech  
• Was widely misused  
The Court noted the Union government's statement that outdated colonial laws should be reconsidered.

**RECENT CLARIFICATION (MAY 21, 2026)**  
In: Kamran vs State of Madhya Pradesh  
the Court clarified:  
• If accused persons voluntarily agree, courts may proceed with sedition trials on merits.  
**PURPOSE**  
To protect:  
• Right to speedy trial  
• Timely closure of pending cases

**CONSTITUTIONAL CHALLENGE STILL PENDING**  
The constitutional validity of Section 124A remains under challenge in:  
S.G. Vombakere vs Union of India  
**MAIN GROUNDS OF CHALLENGE**  
Petitioners argue Section 124A violates:  
• Freedom of speech and expression  
• Personal liberty  
• Equality before law  
under:  
Article 19 | Article 21 | Article 14 of the Constitution.

**CONCERNS RAISED**  
**LEGAL AND PRACTICAL ISSUES**  
Lower courts may decide guilt while constitutional remains unresolved.  
Clarification did not address situations where:  
• One accused consents  
• Co-accused refuse

**HISTORICAL CONTEXT**  
**COLONIAL ORIGINS**  
Sedition law was used by British authorities against:  
• Bal Gangadhar Tilak  
• Mahatma Gandhi

**KEY TAKEAWAYS**  
The Supreme Court permits sedition trials if the accused voluntarily consents.  
This is to ensure speedy trials and closure of long-pending cases.  
The constitutional validity of Section 124A is still sub-judice.  
Balance sought between legal process efficiency and constitutional rights.

The issue of sedition law continues to be a debate between national security concerns and protection of fundamental rights and freedom of expression in a democratic society.

**सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन:**

- **आरोपी की सहमति:**
  - » यदि कोई आरोपी चाहता है कि उसके मामले की सुनवाई गुण-

दोष के आधार पर हो, तो कार्यवाही आगे बढ़ सकती है।

- » यदि आरोपी स्वेच्छा से सहमत है, तो इस पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

### ■ उच्च न्यायालय को निर्देश:

- » सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को लंबित अपील की तुरंत सुनवाई करने का निर्देश दिया।
- » मामले का निर्णय बिना देरी के गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

### धारा 124A (राजद्रोह कानून) के बारे में:

- धारा 124A के अनुसार राजद्रोह उन कार्यों को कहा जाता है (भाषण, लेखन या आचरण के माध्यम से) जो सरकार के प्रति घृणा या असंतोष उत्पन्न करते हैं।
  - » यह एक संज्ञेय (Cognizable) अपराध है
  - » यह एक गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध है
  - » दंड: आजीवन कारावास या न्यूनतम 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना

### राजद्रोह पर प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- **केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)**
  - » राजद्रोह कानून वैध है लेकिन इसका सीमित अर्थ में प्रयोग होना चाहिए।
  - » केवल तभी लागू होता है जब हिंसा या सार्वजनिक अशांति के लिए उकसावा हो।
  - » केवल सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है।
- **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995)**
  - » बिना हिंसा के नारे लगाना राजद्रोह नहीं माना जाएगा।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - » **अनुच्छेद 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  - » **अनुच्छेद 19(2):** सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध

### राजद्रोह कानून के खिलाफ तर्क:

- अक्सर असहमति (dissent) को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- “असंतोष” (disaffection) जैसे अस्पष्ट शब्दों का दुरुपयोग संभव है। यह औपनिवेशिक काल का कानून है।
- यूके जैसे कई लोकतांत्रिक देशों ने इसे समाप्त कर दिया है।
- पहले से मौजूद कानून (UAPA, NSA) सुरक्षा खतरों से निपटने के

लिए पर्याप्त हैं।

### समर्थन में तर्क:

- यह देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता है।
- हिंसक अलगाववादी आंदोलनों को रोकने में मदद करता है।
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है।
- विद्रोह के लिए उकसाने वाले मामलों में उपयोगी है।

### आगे की राह:

- केदार नाथ सिंह दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
- केवल हिंसक इरादे को शामिल करने के लिए कानून की परिभाषा को सीमित करना चाहिए।
- एफआईआर दर्ज करने से पहले मजबूत सुरक्षा उपाय (safeguards) लागू करना चाहिए।
- यह पुनर्मूल्यांकन करना कि धारा 124A को बनाए रखना, संशोधित करना या समाप्त करना चाहिए।

### निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण राजद्रोह कानून की संवैधानिक समीक्षा के साथ न्यायिक दक्षता को संतुलित करने का एक सूक्ष्म प्रयास दर्शाता है। यह आरोपियों को शीघ्र न्याय पाने की सुविधा देता है, लेकिन धारा 124A पर व्यापक बहस जारी है, जो भारत के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर करती है।

## यूपीए अधिनियम के तहत जमानत

### संदर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गैर-कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ (Larger Bench) के पास भेज दिया है। मामला 2020 दिल्ली दंगा साजिश प्रकरण की सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें विभिन्न आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोण सामने आए।

### मुख्य विवाद क्या है?

- UAPA की धारा 43D(5) जमानत पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। इसके अनुसार, यदि अदालत को प्रथम दृष्टया (Prima Facie) आरोप सही प्रतीत होते हैं, तो आरोपी को जमानत नहीं दी जा

सकती।

## यूपीए अधिनियम के तहत जमानत

— कानूनी बहस: आज़ादी बनाम सुरक्षा —

**उदाहरण**

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अन्तर्लोकल एन्टि-टेरिस्ट (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े एक क़ानूनी स्थान को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। यह मुद्दा 2020 के दिल्ली दंगा की साज़िश के मामले की सुनवाई के दौरान उठा, जहाँ अलग-अलग आरोपियों की जमानत याचिकाओं को लेकर अलग-अलग कानूनी नज़रिए सामने आए।

**मुख्य विवाद क्या है?**

यूपीए की धारा 43डी(5) बेल पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाता है।

इस नियम के अनुसार, अगर कोर्ट को लगता है कि आरोप्य पहली नज़र में सही लगते हैं, तो आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

**1 उदार दृष्टिकोण**

पुलिन और इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021)

- दरमूल में बहुत ज़रादा देरी से जमानत के आदेश 21 का उल्लंघन हो सकती है।
- संवैधानिक अदालतें ऐसे आरोपी को जमानत दे सकती हैं जो लंबे समय से जेल में हैं।
- UAPA के कठोर निष्पक्ष मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती।

इस फैसले में परमनल विद्वानों को प्राथमिकता देने पर चिन्तित किया गया।

**2 सख्त दृष्टिकोण**

**Umar Khalid & Sharjeel Imam Case (January 2026)**

- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत बहुत सावधानी से दी जा सकती है।
- अदालत 21 को "ट्रम्प कार्ड" के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- निर्णय दरमूल में देरी अपने आप जमानत का आधार नहीं बन सकती।

एक नतीजा गैरजबरन विचारधारा को ज़रादा महत्व देना है।

**जमानत पर दो परस्पर विरोधी न्यायिक दृष्टिकोण**

**गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) के बारे में**

1967 में लागू किया गया अन्तर्लोकल एन्टि-टेरिस्ट (प्रिवेंशन) एक्ट, भारत का मुख्य एंटी-टेरिस्ट कानून है।

**मुख्य उद्देश्य**

- भारत की संप्रभुता और अखंडता को रक्षित करें
- आतंकवाद और सैन्यवादी गतिविधियों को रोकें
- आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध
- आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकें
- पुलिसों और सशस्त्र नौकरियों को रोकें

अदालतों के लिए संतुलन का संवादा: संविधान के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे बचाए रखा जाए।

### जमानत पर दो परस्पर विरोधी न्यायिक दृष्टिकोण:

- **उदार दृष्टिकोण (Liberal View):** वर्ष 2021 के केंद्रीय गृह मंत्रालय बनाम के. ए. नजीब मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि:
  - » मुकदमे में अत्यधिक देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकती है।
  - » लंबे समय से जेल में बंद आरोपी को संवैधानिक अदालतें जमानत दे सकती हैं।
  - » UAPA की कठोर धाराएँ मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकतीं।
  - » यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने वाला माना गया।
- **कठोर दृष्टिकोण (Strict View):** जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने उमर खालिद एवं शारजील इमाम

की जमानत याचिकाएँ खारिज करते हुए कहा कि:

- » राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत अत्यंत सावधानी से दी जानी चाहिए
- » अनुच्छेद 21 का उपयोग "ट्रम्प कार्ड" के रूप में नहीं किया जा सकता
- » केवल मुकदमे में देरी जमानत का स्वतः आधार नहीं बन सकती
- » यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

### सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- अदालत ने स्पष्ट किया कि समान शक्ति वाली दो समन्वय पीठें (Coordinate Benches) एक-दूसरे के निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकतीं। यदि किसी निर्णय से असहमति हो, तो उचित प्रक्रिया के तहत मामले को बड़ी पीठ के पास भेजना आवश्यक है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि के. ए. नजीब का फैसला कोई "गणितीय सूत्र" नहीं है, जिसके आधार पर हर लंबे समय से बंद आरोपी को स्वतः जमानत मिल जाए। प्रत्येक मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच व्यावहारिक संतुलन आवश्यक है।

### महत्व:

- सर्वोच्च न्यायालय का यह संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी पीठ निम्न प्रश्नों पर स्पष्टता प्रदान करेगी:
  - » UAPA के तहत जमानत की सही कानूनी व्याख्या क्या होगी
  - » क्या लंबी अवधि तक कारावास अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है
  - » राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए

### गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के बारे में:

- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - » भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा
  - » आतंकवाद एवं गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम
  - » आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध
  - » आतंक वित्तपोषण एवं साजिशों को दंडित करना

### UAPA की प्रमुख विशेषताएँ:

- **व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति:** 2019 के

संशोधन के बाद सरकार किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। पहले यह प्रावधान केवल संगठनों तक सीमित था।

- **जमानत प्राप्त करना अत्यंत कठिन:** धारा 43D(5) के अनुसार यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं, तो जमानत नहीं दी जा सकती। इसी कारण UAPA को भारत के सबसे कठोर आपराधिक कानूनों में गिना जाता है।
- **आरोपपत्र दाखिल करने की विस्तारित अवधि:** सामान्य कानून के तहत आरोपपत्र 60-90 दिनों में दाखिल करना आवश्यक होता है। परंतु UAPA के तहत जांच अवधि 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। इससे मुकदमे से पहले लंबी हिरासत संभव हो जाती है।

### निष्कर्ष:

यह मामला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच मौजूद संवैधानिक संतुलन को रेखांकित करता है। बड़ी पीठ का निर्णय UAPA के तहत जमानत से जुड़े कानूनों में स्पष्टता, एकरूपता और भविष्य की न्यायिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## असम समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक

### संदर्भ:

हाल ही में असम विधान सभा ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंधों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है। यह विधेयक असम के सभी निवासियों के लिए एक समान कानूनी ढाँचा तैयार करने का प्रयास करता है। हालांकि, इसमें अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है, जो राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

### विधेयक का उद्देश्य:

- असम UCC विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करना है। इसके अंतर्गत विवाह और तलाक के नियमों का मानकीकरण, लिव-इन संबंधों का विनियमन तथा एक समान उत्तराधिकार व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, यह विधेयक राज्य के भीतर तथा राज्य से बाहर रहने वाले असम के सभी निवासियों के लिए कानूनी

एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

### प्रमुख प्रावधान:

- **विवाह संबंधी प्रावधान:** विधेयक के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति अनिवार्य होगी और किसी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी या मिथ्या प्रस्तुति को मान्य नहीं माना जाएगा। विधेयक 37 निषिद्ध संबंधों (जिसमें प्रथम चचेरे संबंध भी शामिल हैं) के भीतर विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा, चाहे विवाह असम के बाहर ही क्यों न संपन्न हुआ हो। विवाह संबंधी अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण हेतु खुले रहेंगे।
- **तलाक संबंधी प्रावधान:** विधेयक एक समान तलाक व्यवस्था लागू करता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय के आदेश के 60 दिनों के भीतर तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। तलाक के मान्य आधारों में क्रूरता, परित्याग तथा आपसी सहमति शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों में तलाक संबंधी प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना है।
- **लिव-इन संबंधों का विनियमन:** विधेयक लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें राज्य से बाहर रहने वाले असम के निवासी भी शामिल होंगे। संबंध समाप्त होने पर उसका पंजीकरण भी आवश्यक होगा। निम्न परिस्थितियों में पंजीकरण अस्वीकार किया जाएगा:
  - » यदि कोई पक्ष अल्पवयस्क हो
  - » यदि कोई पक्ष पहले से विवाहित हो
  - » यदि संबंध निषिद्ध श्रेणी में आता हो
  - » यदि सहमति वैध न हो
- **दंडात्मक प्रावधान:**
  - » **पंजीकरण न कराने पर:** 3 माह तक का कारावास या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों
  - » **सरकारी नोटिस के बाद भी नियमों का पालन न करने पर:** 6 माह तक का कारावास या ₹25,000 तक का जुर्माना या दोनों
  - » विधेयक परित्यक्त महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार भी प्रदान करता है तथा ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को वैध माना गया है।
- **उत्तराधिकार और संपत्ति:** विधेयक बिना वसीयत (Intestate Succession) की स्थिति में एक समान तथा लैंगिक-तटस्थ

उत्तराधिकार व्यवस्था लागू करता है। श्रेणी-I उत्तराधिकारियों में पति/पत्नी, संतान तथा माता-पिता शामिल होंगे। इसका उद्देश्य उत्तराधिकार विवादों को सरल बनाना और विभिन्न समुदायों में समानता सुनिश्चित करना है।

न्यायालय ने बहुविवाह के लिए धार्मिक परिवर्तन के दुरुपयोग को रोकने हेतु समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया।

- **शायरा बानो मामला (2017):** शायरा बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए लैंगिक न्याय और समानता को भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर प्राथमिकता दी।

## Ban On Polygamy, Mandatory Registration Of Live-In Relationships:

### Key Takeaways From Assam UCC Bill

 <p><b>Ban On Polygamy</b> Polygamy to be banned across all communities in Assam.</p>	 <p><b>Mandatory Registration Of Live-In Relationships</b> Live-in relationships must be registered.</p>
 <p><b>Legal Protection</b> Live-in partners and children born from such unions to get legal recognition and protection.</p>	 <p><b>Exemption For STs</b> The law will not apply to Scheduled Tribes (STs) residing in Assam.</p>
 <p><b>Uniform Legal Framework</b> A common legal framework for Marriage, Divorce, Succession/Inheritance and Live-in relationships.</p>	 <p><b>Respect For Religious &amp; Customary Rites</b> Marriages can continue under existing religious and customary rites.</p>
 <p><b>Minimum Age For Marriage</b> 21 years for men and 18 years for women.</p>	 <p><b>Compulsory Registration</b> Registration of marriages and divorces made compulsory.</p>
 <p><b>Legal Protections Ensured</b> Ensures maintenance rights, inheritance claims and legal protection for spouses.</p>	 <p><b>UNIFORM CIVIL CODE ASSAM</b></p>

### निष्कर्ष:

असम UCC विधेयक व्यक्तिगत कानूनों में कानूनी एकरूपता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समानता, स्पष्टता तथा पारिवारिक कानूनों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, किन्तु साथ ही निजता, विविधता और संवैधानिक संतुलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बहसों को भी जन्म देता है। इसका भविष्य भारत में समान नागरिक संहिता पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

### समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में:

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति से संबंधित एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है।
- वर्तमान में भारत में धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानून लागू हैं, हालांकि उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों ने UCC से संबंधित व्यवस्थाओं की शुरुआत की है। UCC का उद्देश्य समानता, लैंगिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है, किन्तु धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी चिंताओं के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है।

### सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय:

- **सरला मुद्गल मामला (1995):** सरला मुद्गल मामले में सर्वोच्च



# अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

## हरित संक्रमण, तकनीक और भू-राजनीति : भारत की नई वैश्विक रणनीति

### संदर्भ:

मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की पाँच देशों की हालिया यात्रा ने भारत की विदेश नीति को एक नए रणनीतिक आयाम के रूप में प्रस्तुत किया है। इस दौरे के केंद्र में भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, हरित संक्रमण (Green Transition), तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करना था।

भारत, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आने वाला है। भारत वर्तमान में अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत और गैस आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रश्न बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसी व्यापक भू-राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन देशों के साथ हुए समझौतों के कारण स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और सतत विकास के क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

**ऊर्जा सुरक्षा: भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती**

- रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, लाल सागर संकट और वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा आपूर्ति में बाधा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत जैसे विकासशील और ऊर्जा-निर्भर देश के लिए यह चुनौती और अधिक गंभीर है क्योंकि:
  - » भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
  - » देश में ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है।
  - » विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शहरीकरण ऊर्जा आवश्यकता को और बढ़ा रहे हैं।
  - » भारत 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।



- ऐसे में भारत को एक साथ तीन लक्ष्यों को संतुलित करना पड़ रहा है:
  - » सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना
  - » ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाना
  - » हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण करना
- प्रधानमंत्री मोदी की पाँच देशों की यात्रा इसी “ऊर्जा त्रिकोण” (Energy Trilemma) के समाधान की दिशा में एक रणनीतिक पहल के रूप में देखी जा रही है।



## यूएई: भारत की ऊर्जा कूटनीति का केंद्रीय स्तंभ

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारत की ऊर्जा रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। भारत और यूएई के बीच संबंध अब केवल तेल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक निवेश, पेट्रोलियम भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा तक विस्तारित हो चुके हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया:
  - » दीर्घकालिक तेल एवं गैस आपूर्ति
  - » रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण
  - » हरित हाइड्रोजन
  - » ऊर्जा अवसंरचना निवेश
  - » पेट्रोकेमिकल सहयोग

- भारत तेल खरीदने की नीति से आगे बढ़कर “ऊर्जा साझेदारी” की दिशा में काम कर रहा है। अब लक्ष्य यह है कि विदेशी ऊर्जा उत्पादक देश भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश भी करें।
- विशेष रूप से अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) द्वारा भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण में भागीदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है। इससे वैश्विक संकट की स्थिति में भारत के पास आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

## यूरोप और नॉर्डिक देश: हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यूरोप और नॉर्डिक देशों के साथ तकनीकी एवं हरित ऊर्जा सहयोग रहा।

- **नीदरलैंड: सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकी**
  - » नीदरलैंड, वैश्विक सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और जल प्रबंधन तकनीक का प्रमुख केंद्र है। भारत का उद्देश्य चीन-केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकल्प के रूप में स्वयं को स्थापित करना है। भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है:
    - सेमीकंडक्टर विनिर्माण
    - चिप डिजाइन
    - स्वच्छ ऊर्जा तकनीक
    - बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक्स
    - जल प्रबंधन
  - » भारत का “सेमीकंडक्टर मिशन” तभी सफल हो सकता है जब उसे अत्याधुनिक तकनीक और वैश्विक निवेश प्राप्त हो।
- **स्वीडन और नॉर्वे: ग्रीन ट्रांजिशन मॉडल**
  - » स्वीडन और नॉर्वे विश्व के सबसे उन्नत हरित अर्थव्यवस्था मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ये देश स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कार्बन न्यूट्रल तकनीक और सस्टेनेबल औद्योगिक विकास में अग्रणी हैं। भारत के लिए इन देशों के साथ सहयोग कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:
    - ग्रीन हाइड्रोजन
    - बैटरी स्टोरेज तकनीक
    - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
    - कार्बन कैप्चर तकनीक
    - अपशिष्ट प्रबंधन

➤ आर्कटिक रिसर्च

- » भारत अब “ब्राउन इकोनॉमी” से “ग्रीन इकोनॉमी” की ओर संक्रमण कर रहा है। इसके लिए केवल पूंजी ही नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक और अनुसंधान सहयोग भी आवश्यक है।

### इटली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी:

- इटली के साथ भारत के संबंधों को “विशेष रणनीतिक साझेदारी” तक उन्नत किया जाना इस यात्रा की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है।
- इटली यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र है। दोनों देशों के बीच सहयोग निम्न क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है:
  - » रक्षा विनिर्माण
  - » ऊर्जा संक्रमण
  - » हरित उद्योग
  - » उन्नत मशीनरी
  - » समुद्री सुरक्षा
  - » महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)
- विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) आज वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बनते जा रहे हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ तत्व इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- चीन का इन खनिजों पर प्रभुत्व विश्व के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। भारत अब वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

### ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी भारत की व्यापक रणनीति:

- प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की बहु-आयामी ऊर्जा रणनीति को स्पष्ट करती है। भारत अब केवल आयात-आधारित ऊर्जा मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
- **भारत की प्रमुख रणनीतियाँ:**
  - » **ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण:** भारत रूस, पश्चिम एशिया, अमेरिका और अफ्रीका सहित अनेक क्षेत्रों से ऊर्जा आयात बढ़ा रहा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।
  - » **हरित ऊर्जा विस्तार:** भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - » **ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को स्वच्छ ईंधन निर्यातक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

है।

- » **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण:** भारत वैश्विक संकट के समय ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने हेतु पेट्रोलियम भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है।
- » **तकनीकी आत्मनिर्भरता:** सेमीकंडक्टर, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों में घरेलू विनिर्माण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

### चुनौतियाँ:

- हालाँकि भारत की रणनीति महत्वाकांक्षी है, लेकिन कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं:
  - » अत्यधिक आयात निर्भरता
  - » स्वच्छ ऊर्जा तकनीक की ऊँची लागत
  - » चीन पर क्रिटिकल मिनरल निर्भरता
  - » वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता
  - » घरेलू ऊर्जा अवसंरचना की सीमाएँ
- इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा संक्रमण के दौरान कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े रोजगार और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण चुनौती बने रहेंगे।

### निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की पाँच देशों की यात्रा ने यह स्पष्ट किया है कि भारत की विदेश नीति अब “मल्टी-अलाइनमेंट” मॉडल पर आधारित है। भारत अमेरिका, यूरोप, रूस और पश्चिम एशिया, सभी के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ा रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति का उपयोग करते हुए वैश्विक ऊर्जा और व्यापार नेटवर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति अब केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, हरित संक्रमण और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। यदि भारत ऊर्जा सुरक्षा, हरित विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहता है, तो आने वाले दशक में वह केवल विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था का प्रमुख शक्ति केंद्र भी बन सकता है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## भारत-नेपाल सीमा विवाद

### संदर्भ:

हाल ही में नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई और एक बार फिर लिपुलेख-कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा दोहराया। भारत ने इस दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक और मानचित्रिय (cartographic) आधार पर सही नहीं है तथा यह मार्ग दशकों से उपयोग में लाया जा रहा है।

### विवाद का ऐतिहासिक आधार:

- यह विवाद सुगौली संधि (1816) से जुड़ा है, जो आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि में सीमा को महाकाली (काली) नदी के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसमें नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल को तथा पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश भारत को दिया गया।
- हालांकि, संधि में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम (source) कहाँ है, जिससे अस्पष्टता उत्पन्न हो गई। नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जिसके अनुसार कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का हिस्सा बनते हैं।
- दूसरी ओर, भारत का मानना है कि नदी का उद्गम कालापानी-लिपुलेख क्षेत्र के निकट है, जिससे यह क्षेत्र वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार, नदी के उद्गम स्थल की भिन्न व्याख्या ही इस लंबे समय से चले आ रहे भारत-नेपाल सीमा विवाद का मुख्य कारण है।

### नेपाल का पक्ष:

- नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं और सुगौली संधि, ऐतिहासिक मानचित्रों तथा प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर नेपाल का हिस्सा हैं। उसका तर्क है कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा है, जिससे सीमा पूर्व दिशा में स्थानांतरित होती है।
- नेपाल ने उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और समझौतों का भी विरोध किया है जो उसकी सहमति के बिना किए गए, जिनमें भारत-चीन के लिपुलेख मार्ग से संबंधित समझौते भी शामिल हैं। वर्ष 2020 में नेपाल ने एक संशोधित राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को शामिल किया गया और बाद में इसे अपने संविधान में भी सम्मिलित कर दिया, जिससे यह मुद्दा एक संप्रभुता

(sovereignty) का प्रश्न बन गया।

### भारत का पक्ष:

- भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा है और इस पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण रहा है। भारत 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग का उपयोग किया जा रहा है, जो ऐतिहासिक उपयोग को दर्शाता है।
- भारत नेपाल के दावे को एकतरफा और ठोस ऐतिहासिक या मानचित्रिय साक्ष्यों से रहित मानता है। साथ ही भारत का मानना है कि व्यावहारिक रूप से सीमा काफी हद तक तय है और वह इस मुद्दे के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन करता है।



### रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व:

- यह क्षेत्र भारत-नेपाल-चीन ट्राई-जंक्शन के निकट स्थित है, जिससे यह सीमा सुरक्षा और हिमालयी सैन्य लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।
- यह क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण धार्मिक महत्व भी रखता है, जहाँ लिपुलेख मार्ग तिब्बत तक अपेक्षाकृत छोटा रास्ता प्रदान करता है। भारत-चीन द्वारा इस मार्ग पर सहयोग ने नेपाल की

चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि उसे त्रिपक्षीय निर्णय प्रक्रिया से बाहर होने का एहसास होता है।

### समस्या क्यों बनी हुई है?

- यह विवाद मुख्य रूप से भौगोलिक अस्पष्टता के कारण बना हुआ है, क्योंकि महाकाली नदी प्रणाली की कई सहायक नदियाँ हैं और इसका कोई स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्गम नहीं है। औपनिवेशिक काल के मानचित्र भी नदी के स्रोत की अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं।
- इसके साथ ही नेपाल में बढ़ता राजनीतिक राष्ट्रवाद और भारत-चीन कनेक्टिविटी व बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े रणनीतिक हित इस समस्या के समाधान को और जटिल बनाते हैं।

### प्रस्तावित समाधान:

- इस समस्या के समाधान के लिए भारत-नेपाल संयुक्त सीमा कार्य समूह (Joint Boundary Working Group) को मजबूत करना आवश्यक है तथा GIS मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और जलविज्ञान अध्ययन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर सीमा निर्धारण करना चाहिए।
- विशेषज्ञों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण आयोग भी मतभेदों को सुलझाने में सहायक हो सकता है। साथ ही, कूटनीतिक संवाद जारी रहना चाहिए, लेकिन किसी भी एकतरफा कार्रवाई से बचना आवश्यक है।
- विश्वास निर्माण उपायों (CBMs) और जन-जन संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए तथा भू-राजनीतिक कारकों, विशेषकर चीन से जुड़े मुद्दों को अलग रखा जाना चाहिए।

### निष्कर्ष:

यह विवाद दर्शाता है कि ऐतिहासिक संधियाँ, नदी की भौगोलिक अस्पष्टता और रणनीतिक भूगोल मिलकर दीर्घकालिक सीमा तनाव उत्पन्न करते हैं, जिनके समाधान के लिए सावधानीपूर्ण कूटनीति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

## विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026

### संदर्भ:

हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर प्रेस की

स्वतंत्रता में तीव्र गिरावट को रेखांकित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार, 180 देशों और क्षेत्रों में से 100 में प्रेस स्वतंत्रता के अंक घटे हैं, जबकि वैश्विक औसत अंक पिछले 25 वर्षों के सबसे निम्न स्तर पर पहुँच गए हैं।

### विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में:

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष आरएसएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन निम्नलिखित पाँच मानकों के आधार पर करता है:
  - » राजनीतिक परिस्थिति
  - » विधिक ढाँचा
  - » आर्थिक स्थिति
  - » सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण
  - » पत्रकारों की सुरक्षा
- यह सूचकांक इस बात का आकलन करता है कि पत्रकार राजनीतिक दबाव, सेंसरशिप अथवा हिंसा के बिना कितनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं।



### सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:

- पहली बार, 52% से अधिक देशों को “कठिन” या “अत्यंत गंभीर” पत्रकारिता स्थिति वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कानूनी संकेतक (लीगल इंडिकेटर) में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जिसका कारण निम्नलिखित का बढ़ता दुरुपयोग है:
  - राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानून,
  - आतंकवाद-रोधी कानून,
  - पत्रकारों के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमे (SLAPPs)।
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र बना रहा।
- बढ़ता राजनीतिक दबाव, हिंसा, सेंसरशिप और मीडिया का एकाधिकार (मोनोपोलाइजेशन) वैश्विक स्तर पर प्रमुख चिंताएँ रहीं।

### देशों की रैंकिंग के बारे में:

- शीर्ष स्थान प्राप्त देश:**
  - नॉर्वे
  - नीदरलैंड्स
  - एस्टोनिया
  - डेनमार्क
  - स्वीडन
- सबसे निचले स्थान प्राप्त देश:**
  - इरिट्रिया (180वाँ स्थान)
  - उत्तर कोरिया
  - चीन
  - ईरान
  - सऊदी अरब

### भारत की रैंकिंग:

- भारत को 180 देशों में 157वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2025 के 151वें स्थान की तुलना में छह स्थानों की गिरावट है। आरएसएफ ने भारत की खराब रैंकिंग के लिए निम्न कारण बताए:
  - पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा,
  - मीडिया स्वामित्व का अत्यधिक केंद्रीकरण,
  - राजनीतिक दबाव,
  - राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग।

### निहितार्थ:

- प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करती है।

- स्वतंत्र पत्रकारिता के दमन से नागरिकों की विश्वसनीय सूचना तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- अत्यधिक राज्य नियंत्रण और कानूनी धमकी नागरिक स्वतंत्रताओं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकती है।
- मीडिया स्वामित्व का आर्थिक केन्द्रीयकरण विचारों की बहुलता को घटा सकता है।

### रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में:

- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) पेरिस स्थित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जो स्वतंत्र और विश्वसनीय सूचना तक पहुँच के मूल मानव अधिकार की रक्षा करता है।
- इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के वार्षिक प्रकाशन और वैश्विक स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों हेतु जाना जाता है।

### निष्कर्ष:

2026 का आरएसएफ सूचकांक स्वतंत्र पत्रकारिता के समक्ष बढ़ती वैश्विक चुनौतियों को दर्शाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण लोकतांत्रिक शासन, सूचित सार्वजनिक विमर्श और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु देशों को कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

## भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो संबंध

### सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर त्रिनिदाद और टोबैगो (T&T) की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा (8-9 मई, 2026) पर थे। यह यात्रा भारत की ‘सागर’ (SAGAR) पहल और ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों के साथ सक्रिय जुड़ाव की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सांस्कृतिक स्तर से तकनीकी और आर्थिक सहयोग के नए धरातल पर ले जाना है।

### यात्रा के मुख्य बिंदु:

- भारत ने स्थानीय स्कूली बच्चों को 2,000 लैपटॉप का पहला जन्था सौंपा, जो भारत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही तकनीकी सहायता का हिस्सा है।
- पेनल (Penal) में ‘नेशनल प्रोस्थेटिक्स सेंटर’ का उद्घाटन किया

गया। यह केंद्र भारत की प्रसिद्ध 'जयपुर फुट' तकनीक का उपयोग कर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सहायता करेगा।

- कुवा (Couva) में एक अत्याधुनिक एग्रो-प्रोसेसिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। इसके लिए भारत ने मशीनरी और तकनीकी सहायता प्रदान की है।
- डॉ. जयशंकर ने भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के आगमन स्थल का दौरा कर दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों को पुनर्जीवित किया।
- द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब 35 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य एवं औषधियां, ऑटोमोबाइल एवं मशीनरी, लोहा एवं इस्पात, वस्त्र एवं परिधान जैसे क्षेत्रों में व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है।
- त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश है जिसने सुगम भुगतान के लिए भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने पर सहमति जताई है।



### 8 प्रमुख समझौते (MoUs):

यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सहयोग के दायरे को विस्तृत करते हुए 8 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:

- **नवीकरणीय ऊर्जा (सौरकरण):** त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश और कैरिकॉम (CARICOM) मामलों के मंत्रालय के भवन को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करने के लिए समझौता। यह सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण (नेल्सन द्वीप):** ऐतिहासिक

नेल्सन द्वीप पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए समझौता। यह स्थल भारतीय प्रवासियों के इतिहास से गहराई से जुड़ा है।

- **आयुर्वेद की वैश्विक पहुंच:** 'वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय' में आयुर्वेद पर एक 'भारतीय पीठ' (Indian Chair) स्थापित करने का निर्णय, जो पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा।
- **लोक स्वास्थ्य (वेक्टर नियंत्रण):** मच्छर जनित और अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए तकनीकी साझाकरण हेतु स्वास्थ्य समझौता।
- **पर्यटन सहयोग:** दोनों देशों के बीच पर्यटन के बुनियादी ढांचे और यात्री प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।
- **शिक्षा का डिजिटलीकरण:** डिजिटल माध्यमों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना:** सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग और दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए समझौता।
- **क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** विभिन्न क्षेत्रों में त्रिनिदाद और टोबैगो के पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के 'ITEC' कार्यक्रम के तहत सहयोग का विस्तार।

### निष्कर्ष:

त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या (लगभग 35%) भारत के लिए एक महत्वपूर्ण 'सांस्कृतिक संपत्ति' है, जो द्विपक्षीय संबंधों को भावनात्मक मजबूती प्रदान करती है। भारतीय विदेश मंत्री की यह यात्रा भारत-कैरिबियन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। त्रिनिदाद और टोबैगो के पास प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं जो भविष्य में भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत स्वयं को विकासशील देशों की आवाज के रूप में पेश कर रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना भारत की इस छवि को मजबूत करता है।

## भारत और नीदरलैंड के बीच 'रणनीतिक साझेदारी' की घोषणा

### सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 मई 2026 को नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत किया है। दोनों

देशो ने भविष्य की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

### प्रमुख रणनीतिक समझौते:

- उच्च-प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर संप्रभुता:**
  - ASML-टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स समझौता:** भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नीदरलैंड की वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गज कंपनी ASML के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ASML उन्नत लिथोग्राफी मशीनों के निर्माण में वैश्विक एकाधिकार रखती है। यह साझेदारी गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट को मजबूत करेगी।
  - रणनीतिक रोडमैप (2026-2030):** दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए एक पांच वर्षीय रूपरेखा जारी की।
- जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन:**
  - कल्पसर परियोजना (Kalpasar Project):** भारत के जल शक्ति मंत्रालय और डच बुनियादी ढांचा मंत्रालय ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग के 'लेटर ऑफ इंटेंट' पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत खंभात की खाड़ी में मीठे पानी का जलाशय बनाने के लिए डच बाढ़-नियंत्रण और भूमि पुनर्प्राप्ति (Land Reclamation) तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
  - IIT दिल्ली में उत्कृष्टता केंद्र:** सतत जल विज्ञान और अपशिष्ट जल प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए IIT दिल्ली में एक 'Centre of Excellence on Water' की स्थापना की गई।
- सांस्कृतिक कूटनीति और रक्षा सहयोग:**
  - चोल-कालीन पुरावशेषों की वापसी:** नीदरलैंड सरकार ने 11वीं शताब्दी के चोल-कालीन तांबे के अभिलेख (Copper Plates) औपचारिक रूप से भारत को सौंपे। इन्हें 1712 में नागापट्टिनम से यूरोप ले जाया गया था। यह भारत की 'सॉफ्ट पावर' की एक बड़ी सफलता है।
  - रक्षा सह-उत्पादन:** रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक रक्षा रोडमैप पर सहमति बनी।

**विदेश टोरे पर  
प्रधानमंत्री मोदी**

## पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा

5 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे



📍 प्रधानमंत्री मोदी ने डच रॉयल फेमिली से मुलाकात की  
और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री **रोब ज़ेलेन** के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

**दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते साइन**



**सेमीकंडक्टर**  
सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, डिजाइन और फैब्रिकेशन में सहयोग बढ़ाने पर समझौता



**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस**  
AI रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट में साझेदारी को निलेगा नया आयाम



**मैरीटाइम**  
ग्लोबल शिपिंग, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम इन्वैस्टमेंट पर सहयोग को बढ़ावा



**टिक्वूएबल एनर्जी**  
ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एनर्जी में सहयोग पर समझौता

**66**  
भारत और नीदरलैंड के बीच यह साझेदारी नवाचार, स्थिरता और समृद्धि के नए अवसर तैयार करेगी।  
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

**इस दौर की खास बातें**

- ⊙ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई गति
- ⊙ निवेश और व्यापार के नए अवसर
- ⊙ इंडो-डच संबंधों को और मजबूती

### आर्थिक और द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध:

- नीदरलैंड वर्तमान में यूरोपीय संघ (EU) में भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभों में से एक है:**
  - FDI निवेश:** नीदरलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक (FDI) है, जिसका संचयी निवेश \$55.6 बिलियन से अधिक है।
  - द्विपक्षीय व्यापार:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार \$27.8 बिलियन तक पहुंच गया है।
  - व्यापारिक प्रवेश द्वार:** नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह (Port of Rotterdam) यूरोपीय महाद्वीप में भारतीय माल के प्रवेश के लिए मुख्य 'गेटवे' का काम करता है।

### भारत के लिए प्रमुख लाभ:

- तकनीकी आत्मनिर्भरता:** सेमीकंडक्टर और AI में डच सहयोग भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' पहलों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा।
- जलवायु सुदृढ़ता:** नीदरलैंड की जल-निकासी और तटीय प्रबंधन तकनीकें मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों को जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से सुरक्षित रखने में सहायक होंगी।

- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा:** दोनों देश एक मुक्त, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र का समर्थन करते हैं, जो वैश्विक समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

### निष्कर्ष:

भारत-नीदरलैंड संबंधों का यह नया चरण केवल व्यापारिक लेनदेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए तैयार (Future-Ready) तकनीकी और पर्यावरणीय साझेदारी का निर्माण है। सेमीकंडक्टर संप्रभुता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु सुदृढ़ता जैसे साझा लक्ष्यों के साथ यह रणनीतिक साझेदारी वैश्विक भू-राजनीति में एक मजबूत धुरी बनकर उभर रही है।

## ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक

### संदर्भ:

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की बैठक में वर्ष 1967 से पूर्व की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी मानते हुए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन की पुनः पुष्टि की गई। भारत ने भी इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान हेतु अपने पारंपरिक “दो-राष्ट्र समाधान” (Two-State Solution) के समर्थन को दोहराया। हालाँकि, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच मतभेदों के कारण एक संयुक्त घोषणा-पत्र (Joint Declaration) को अपनाया नहीं जा सका। इसके स्थान पर केवल “अध्यक्षीय वक्तव्य और परिणाम दस्तावेज़” (Chair’s Statement and Outcome Document) जारी किया गया।

### ब्रिक्स बैठक की प्रमुख विशेषताएँ:

- **फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन पर जोर:** ब्रिक्स सदस्य देशों ने निम्नलिखित के समर्थन की पुनः पुष्टि की:
  - » एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य
  - » 1967 से पूर्व की सीमाओं पर आधारित सीमांकन
  - » पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता
  - » समूह ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अरब शांति पहल के अनुरूप “दो-राष्ट्र समाधान” (Two-State Solution) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- **गाज़ा पट्टी पर रुख:** वक्तव्य में गाज़ा को अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र (Occupied Palestinian Territory) का अभिन्न हिस्सा बताया गया तथा फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) के

अंतर्गत गाज़ा और वेस्ट बैंक के एकीकरण का समर्थन किया गया।

- **पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा:** बैठक में सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्गों के महत्व पर विशेष बल दिया गया, जिनमें शामिल हैं:
  - » होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)
  - » लाल सागर (Red Sea)
  - » बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab-el-Mandeb Strait)
 सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया संघर्ष और समुद्री तनावों को लेकर अपने-अपने अलग दृष्टिकोणों को भी स्वीकार किया।

### ब्रिक्स (BRICS) के बारे में:

- **ब्रिक्स का विकासक्रम:**
  - » **2001:** अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा “BRIC” शब्द दिया गया
  - » **2006:** BRIC समूह का गठन
  - » **2010:** दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह “BRICS” बना
  - » BRICS+ में अब मिस्र, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान भी शामिल हैं

## ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से पीएम की मुलाकात



14-15 मई 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक

भारत बैठक की मेजबानी कर रहा है।



- **यह समूह प्रतिनिधित्व करता है:**
  - » वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5%
  - » वैश्विक GDP का 40%
  - » वैश्विक व्यापार का 26%
- **उद्देश्य:** ब्रिक्स का लक्ष्य है:

- » वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार
- » IMF और विश्व बैंक में पश्चिमी प्रभुत्व को कम करना
- » दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को मजबूत करना

### न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बारे में:

- न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई में है, अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

### दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) क्या है?

- **दो-राष्ट्र समाधान का प्रस्ताव है:**
  - » यहूदियों के लिए इज़राइल एक मातृभूमि के रूप में
  - » फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - » **1947:** संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना ने अलग अरब और यहूदी राज्यों का प्रस्ताव दिया
  - » **1993:** ओस्लो समझौते (Oslo Accords) के तहत इज़राइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) के बीच पारस्परिक मान्यता स्थापित हुई

### प्रमुख मुद्दे:

- 1967 पूर्व की ग्रीन लाइन के आधार पर सीमाएँ
- यरुशलम की स्थिति
- फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट
- दोनों राज्यों के लिए सुरक्षा गारंटी

### इज़राइल-फिलिस्तीन पर भारत की स्थिति:

- **फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक समर्थन:** भारत ने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को मान्यता दी तथा 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान की।
- **इज़राइल के साथ संबंध:** भारत ने 1992 में इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, जबकि फिलिस्तीन के समर्थन को भी जारी रखा।
- **वर्तमान नीति:** भारत “डी-हाइफनेशन” (De-hyphenation) नीति का पालन करता है, जिसके तहत वह इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखता है। भारत आतंकवाद की निंदा करते हुए इज़राइल की सुरक्षा चिंताओं का समर्थन करता है, साथ ही मानवीय सहायता और वार्ता-आधारित दो-राष्ट्र समाधान की वकालत भी जारी रखता है।

### निष्कर्ष:

ब्रिक्स बैठक ने फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन को दोहराया, साथ ही समूह के भीतर मौजूद भू-राजनीतिक मतभेदों को भी उजागर किया। भारत की संतुलित कूटनीति उसकी रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय स्थिरता और इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान हेतु दो-राष्ट्र ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## भारत-स्वीडन रणनीतिक साझेदारी 2026

### संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की 18 मई 2026 की स्वीडन की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और स्वीडन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत किया। यह कदम दोनों देशों के बीच नवाचार, सतत विकास, रक्षा, व्यापार और उभरती प्रौद्योगिकियों में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

### यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन द्वारा “रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार एंड कमांडर ग्रैंड क्रॉस” से सम्मानित किया गया, जो किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रधानमंत्री मोदी का 31वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मान था।
- भारत और स्वीडन ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, नवाचार, सतत विकास तथा अनुसंधान सहयोग के आधार पर अपने संबंधों को संस्थागत रूप देने हेतु रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। यह साझेदारी चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी:
  - » स्थिरता और सुरक्षा हेतु रणनीतिक संवाद
  - » नई पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी
  - » उभरती प्रौद्योगिकियाँ एवं विश्वसनीय कनेक्टिविटी
  - » “शेपिंग टुमॉरो टुगेदर” – लोग, पृथ्वी, स्वास्थ्य और लचीलापन
- उन्नत साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देशों ने “भारत-स्वीडन संयुक्त कार्ययोजना 2026-2030” को अपनाया, जो राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सुरक्षा, जलवायु तथा जन-से-जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक रोडमैप प्रदान करती है।
- दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल अवसंरचना तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गति देने के लिए “भारत-स्वीडन

प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर (SITAC)” के विकास का भी समर्थन किया। साथ ही नवाचार-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “भारत-स्वीडन एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म” की स्थापना भी की जाएगी।



### भारत-स्वीडन संबंधों के बारे में:

- **कूटनीतिक संबंध:** भारत और स्वीडन ने वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। स्वीडन ने वर्ष 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिससे नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की सहभागिता को मजबूती मिली। समय के साथ द्विपक्षीय संबंध व्यापार, नवाचार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्रों में लगातार विस्तारित हुए हैं।
- **आर्थिक संबंध:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत में स्वीडन का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लगभग 2.59 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में लगभग 280 स्वीडिश कंपनियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत हैं:
  - » दूरसंचार
  - » ऑटोमोबाइल
  - » इंजीनियरिंग
  - » स्वच्छ ऊर्जा
  - » वहीं लगभग 75 भारतीय कंपनियाँ भी स्वीडन में व्यावसायिक उपस्थिति बनाए हुए हैं।
- **सतत विकास सहयोग:** भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान “लीडरशिप ग्रुप

फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT)” की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी। यह पहल निम्न-कार्बन औद्योगिक परिवर्तन तथा सतत विनिर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है।

### भारत के लिए महत्व:

- यह साझेदारी उत्तरी यूरोप और यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक सहभागिता को मजबूत करती है। स्वीडन एक नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था है तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है:
  - » हरित औद्योगिकीकरण
  - » उन्नत विनिर्माण
  - » डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार
  - » सतत शहरी गतिशीलता
- यह साझेदारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने में भी सहायक होगी। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों पर भी बल दिया, ताकि उन्हें अधिक प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाया जा सके।

### आगे की राह:

भारत-स्वीडन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों, नवाचार और सतत विकास पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। जैसे-जैसे दोनों देश उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, रक्षा तथा बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा करेंगे, यह साझेदारी नॉर्डिक क्षेत्र और यूरोप के साथ भारत की सहभागिता का एक प्रमुख स्तंभ बन सकती है।

## भारतीय प्रधानमंत्री की यूई यात्रा

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के आधिकारिक दौर पर रहे, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की “लुक वेस्ट” नीति को और मजबूती मिली। यह यात्रा ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने वाली रही।

### प्रमुख परिणाम और द्विपक्षीय समझौते:

- **निवेश और आर्थिक सहयोग:** यूई ने भारत में 5 अरब अमेरिकी

डॉलर के निवेश की घोषणा की। प्रमुख प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं:

- » एमिरेट्स एनबीडी द्वारा RBL बैंक में 3 अरब डॉलर का निवेश
- » ADIA-NIIF (अवसंरचना क्षेत्र) में 1 अरब डॉलर का निवेश
- » IHC द्वारा Sammaan Capital में 1 अरब डॉलर का निवेश
- » इन निवेशों से भारत के अवसंरचना, बैंकिंग और पूंजी बाजार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

- **ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग:** ऊर्जा संबंध भारत-यूई संबंधों का मुख्य आधार बने हुए हैं।
  - » यूई भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल (crude oil) आपूर्तिकर्ता है, तीसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है और वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता है।
  - » दोनों देशों ने दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) पर समझौते किए। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- **रक्षा और सुरक्षा ढांचा:** दोनों देशों ने एक नए रक्षा सहयोग ढांचे पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य संयुक्त अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह भारतीय महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में समन्वय को बढ़ाता है और रणनीतिक विश्वास को मजबूत करता है।
- **प्रौद्योगिकी और समुद्री अवसंरचना:** एआई, सुपरकंप्यूटिंग और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया, जिसमें CDAC-G42 का 8 एक्सफ्लॉप (Exaflop) सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर शामिल है। समुद्री क्षेत्र में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और Drydocks World (वडिनार) के बीच समझौते से जहाज मरम्मत क्षमता, लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो “मेक इन इंडिया” पहल को मजबूत करेगा।

### यात्रा का महत्व:

- **विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार:** यूई भारत के लिए स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है। दीर्घकालिक एलपीजी (LPG) और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) सहयोग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और लचीलापन और मजबूत होता है।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** यह यात्रा पश्चिम एशिया में भारत की संतुलित कूटनीति को दर्शाती है, जिसमें भारत विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- **भारत-यूई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)**

**ढांचे को मजबूत करना:** इस यात्रा के परिणाम भारत-यूई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को आगे बढ़ाते हैं, जिसने वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुँचा दिया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हासिल करना है।

### भारत-यूई संबंधों के बारे में:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूई) के बीच मसालों, मोतियों, वस्त्रों और खजूर के क्षेत्र में सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1972 में स्थापित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की यात्रा के बाद यह साझेदारी और तेजी से बढ़ी तथा व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विस्तारित हुई।
  - » **व्यापार और निवेश संबंध:** यूई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जहाँ द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101.25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। निवेश प्रवाह में वर्ष 2000 से 2025 के बीच 25.19 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) शामिल है, जिसे संप्रभु धन कोषों (Sovereign Wealth Funds) और स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (Local Currency Settlement System) से समर्थन मिला है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हुई है।
  - » **ऊर्जा साझेदारी:** यूई भारत का एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है और भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) कार्यक्रम में एकमात्र साझेदार भी है, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है।

### निष्कर्ष:

यह यात्रा भविष्य-उन्मुख साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश, मजबूत ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ भारत-यूई संबंध भारत की आर्थिक वृद्धि और पश्चिम एशिया कूटनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनते जा रहे हैं।

## अमेरिका-चीन शिखर सम्मेलन 2026

### सन्दर्भ:

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्राध्यक्ष के बीच बीजिंग में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा है, जिसका उद्देश्य गहन भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के बीच वैश्विक व्यवस्था में “रणनीतिक स्थिरता” स्थापित करना था।

### शिखर सम्मेलन के मुख्य नीतिगत निर्णय:

- **आर्थिक नरमी:** दोनों पक्षों के बीच सीमित व्यापार रियायतों पर सहमति बनी:
  - » चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने का वादा किया।
  - » सैनिकी प्रतिबंधों में ढील के बाद अमेरिका से बीफ (गोमांस) के आयात में वृद्धि पर सहमति बनी।
  - » अमेरिकी बाजार से सोयाबीन की अधिक खरीदारी करने पर सहमति हुई।
- **प्रौद्योगिकी और निवेश:**
  - » अमेरिका ने 10 चीनी कंपनियों को उन्नत एनवीडिया (Nvidia) चिप्स तक पुनः पहुँच की अनुमति दी, जो एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - » टैरिफ (शुल्क) प्रबंधन और गैर-संवेदनशील निवेशों को सरल बनाने हेतु “व्यापार बोर्ड” और “निवेश बोर्ड” स्थापित करने पर चर्चा शुरू हुई।
- **रणनीतिक स्थिरता ढांचा:**
  - » चीन ने ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े तनावों को प्रबंधित करने हेतु “रणनीतिक स्थिरता आधारित रचनात्मक संबंध” का प्रस्ताव रखा।
  - » दोनों देशों ने अनियंत्रित तनाव वृद्धि से बचने की आवश्यकता को स्वीकार किया।
- **थ्यूसीडाइड्स ट्रैप की अवधारणा:**
  - » चीन ने “थ्यूसीडाइड्स ट्रैप” के जोखिम का उल्लेख किया और उभरती तथा स्थापित शक्तियों के बीच संरचनात्मक युद्ध से बचने का आग्रह किया।
- **पश्चिम एशिया और ऊर्जा सुरक्षा Security):**
  - » दोनों देशों ने विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।
  - » ईरान में परमाणु तनाव को बढ़ने से रोकने पर दोनों पक्षों में समान दृष्टिकोण देखा गया।

### भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ:

वैश्विक भू-राजनीति में इस द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) विमर्श का भारत के

राष्ट्रीय हितों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा:

- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाम बहु-पक्षीय गठबंधन**
  - » **क्वाड (QUAD) की प्रासंगिकता:** यदि अमेरिका और चीन के बीच वि-जोखिम (De-risking) नीति के तहत आर्थिक निकटता बढ़ती है, तो हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में चीन को संतुलित करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता प्रभावित हो सकती है।
  - » **रणनीतिक संतुलन:** भारत को अपनी “रणनीतिक स्वायत्तता” बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन (Regional Balance of Power) प्रभावित न हो।
- **आर्थिक और आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता**
  - » **‘चीन प्लस वन’ (China + 1) रणनीति:** अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में सुधार से उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गति धीमी हो सकती है जो भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र (Alternative Manufacturing Hub) के रूप में देख रही थीं।
  - » **क्रिटिकल खनिज सुरक्षा:** चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) के निर्यात पर ढील देने से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा (Clean Energy) क्षेत्रों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में तात्कालिक राहत मिलेगी।
- **तकनीकी संप्रभुता**
  - » **iCET और तकनीकी कूटनीति:** भारत-अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) पर पहल जारी है। अमेरिका-चीन एआई वार्ता को देखते हुए, भारत को डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty) और एआई प्रशासन (AI Governance) के वैश्विक मानकों को तय करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा चुनौतियाँ**
  - » **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर प्रभाव:** वाशिंगटन और बीजिंग के बीच वैश्विक मुद्दों (जैसे मध्य पूर्व और ऊर्जा सुरक्षा) पर भू-राजनीतिक तालमेल से भारत-चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी कूटनीतिक समर्थन के स्तर की भारत को निरंतर निगरानी करनी होगी।

### आगे की राह:

- **आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण:** भारत को क्रिटिकल खनिजों और रक्षा घटकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए और

‘मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप’ (MSP) जैसे मंचों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।

- **बहु-सरेखण नीति (Multi-alignment):** वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए भारत को एक ओर क्वाड (QUAD) को मजबूत करना चाहिए, तो दूसरी ओर ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) के माध्यम से यूरेशियाई भू-राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखनी चाहिए।
- **ग्लोबल साउथ का नेतृत्व:** भारत को विकासशील देशों की प्राथमिकताओं (ऋण स्थिरता, जलवायु वित्त) को वैश्विक मंच पर उठाकर खुद को एक अनिवार्य वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना होगा।

### निष्कर्ष:

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। अमेरिका-चीन के बीच यह संवाद भारत के लिए अपनी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और रणनीतिक स्वायत्तता को पुनर्गठित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

## तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026

### संदर्भ:

हाल ही में तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को ओस्लो में आयोजित किया गया, जहाँ भारत तथा पाँच नॉर्डिक देशों, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने अपनी साझेदारी को “हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत किया।

### नॉर्डिक क्षेत्र के बारे में:

- नॉर्डिक क्षेत्र में पाँच संप्रभु देश सम्मिलित हैं: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। यह “स्कैंडिनेविया” से भिन्न है, जिसमें सामान्यतः केवल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ही शामिल होते हैं।
- नॉर्डिक मॉडल उच्च मानव विकास, सशक्त सामाजिक कल्याण प्रणालियों तथा स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल शासन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है।

### शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

वर्ष 2026 का यह शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग से आगे बढ़कर एक संरचित दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण

परिवर्तन का संकेत देता है।

- **हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी:** भारत और नॉर्डिक देशों ने निम्न क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की:
  - » नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित हाइड्रोजन
  - » चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं अपशिष्ट प्रबंधन
  - » डिजिटल अवसंरचना एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ
  - » जलवायु-अनुकूल औद्योगिक समाधान
- **व्यापार और निवेश विस्तार:** इस शिखर सम्मेलन में भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन तथा भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर बल दिया गया। नॉर्डिक देशों के निवेश से भारत की विनिर्माण एवं नवाचार आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ होने की अपेक्षा है।

**3RD INDIA-NORDIC SUMMIT**  
19 MAY 2026 | OSLO, NORWAY

India and five Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden – elevated their partnership to a

**GREEN TECHNOLOGY AND INNOVATION STRATEGIC PARTNERSHIP**

THE FIVE NORDIC COUNTRIES  
DENMARK FINLAND ICELAND NORWAY SWEDEN

**STRATEGIC SIGNIFICANCE FOR INDIA**

- 1. CLIMATE AND GREEN TRANSITION**  
Nordic countries are global leaders in sustainability. Cooperation helps India achieve its “Panchamrit” climate goals and net-zero target through access to advanced green technologies.
- 2. GEOPOLITICAL AND ARCTIC ENGAGEMENT**  
The Arctic region is becoming strategically significant due to climate change and new shipping routes. India’s engagement with Nordic countries enhances its influence in Arctic governance and climate science cooperation.
- 3. TECHNOLOGY AND STRATEGIC AUTONOMY**  
Partnerships in 6G, AI, and quantum computing support India’s goal of technological self-reliance and diversification of critical supply chains.

**ABOUT INDIA-NORDIC SUMMITS**  
The India-Nordic Summit is a high-level diplomatic meeting between India and five Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. It aims to strengthen cooperation in areas like trade, climate change, clean energy, innovation, and global governance.

**THREE SUMMITS – A JOURNEY OF GROWING PARTNERSHIP**

- 2018 STOCKHOLM**  
Focus on innovation, global security, and economic cooperation.
- 2022 COPENHAGEN**  
Emphasis on post-pandemic recovery, climate action, and blue economy.
- 2026 OSLO**  
Upgraded to Green Technology and Innovation Strategic Partnership.

The 3rd India-Nordic Summit marks a new chapter of sustainable, innovative, and future-ready partnership for a resilient planet and prosperous future.

- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार:** सहयोग को निम्न क्षेत्रों में विस्तारित किया गया:
  - » 6G दूरसंचार

- » कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी
- » स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र एवं इनक्यूबेटर
- » यह भारत की उस रणनीति को समर्थन देता है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करना है।
- **आर्कटिक और नीली अर्थव्यवस्था सहयोग:** इन देशों ने आर्कटिक अनुसंधान, जलवायु निगरानी तथा सतत महासागर शासन में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यह भारत की आर्कटिक नीति और हिंद-प्रशांत समुद्री दृष्टिकोण को भी समर्थन प्रदान करता है।

### भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- **जलवायु और हरित संक्रमण:** नॉर्डिक देश विश्व में सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इस सहयोग से भारत को उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुँच मिलती है, जिससे वह अपने “पंचामृत” जलवायु लक्ष्यों और शून्य-कार्बन (नेट-ज़ीरो) लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है।
- **भू-राजनीतिक एवं आर्कटिक सहभागिता:** जलवायु परिवर्तन और नए समुद्री मार्गों के कारण आर्कटिक क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी से आर्कटिक शासन व्यवस्था और जलवायु विज्ञान सहयोग में उसकी भूमिका मजबूत होती है।
- **प्रौद्योगिकी और रणनीतिक स्वायत्तता:** 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण के लक्ष्य को समर्थन देता है।

### भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में:

- भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत और पाँच नॉर्डिक देशों, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक बैठक है।
- इसका उद्देश्य व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- **तीन शिखर सम्मेलन:**
  - » **2018 (स्टॉकहोम):** नवाचार, वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित
  - » **2022 (कोपेनहेगन):** महामारी के बाद पुनर्प्राप्ति, जलवायु कार्रवाई और नीली अर्थव्यवस्था पर बल
  - » **2026 (ओस्लो):** हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक

साझेदारी के रूप में उन्नयन

### निष्कर्ष:

तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन उत्तरी यूरोप के साथ भारत के संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह जलवायु कार्रवाई, उन्नत प्रौद्योगिकी, व्यापार और आर्कटिक शासन में सहयोग को मजबूत करता है। भारत के लिए यह साझेदारी सतत विकास, तकनीकी प्रगति और उभरते भू-राजनीतिक क्षेत्रों में वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

## भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग

### संदर्भ:

हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership-ECSP) में बदल दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

### द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **रक्षा सहयोग को मजबूत करना:** दोनों पक्षों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, संस्थागत संवाद, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण में समर्थन दोहराया।
- **हिंद-प्रशांत में समुद्री सुरक्षा:** समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री स्थिरता, समुद्री क्षेत्र की बेहतर जागरूकता और समुद्री डकैती तथा गैर-पारंपरिक खतरों के खिलाफ सहयोग पर जोर दिया गया, जो दोनों देशों की रणनीतिक समानता को दर्शाता है।
- **रक्षा तकनीक और उभरते क्षेत्र:** साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार किया गया ताकि आधुनिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
- **तकनीकी और क्षमता निर्माण पहल:**
  - » वियतनाम एयर फ़ोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन (भारत की सहायता से)
  - » न्हा ट्रांग स्थित टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में एआई लैब की घोषणा

- » भारत के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और वियतनाम की टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के बीच एआई और क्वांटम तकनीक पर समझौता (MoU)



## भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा संरचना:** यह सहयोग प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक माहौल में एक स्थिर और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति का सुदृढ़ीकरण:** वियतनाम भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” का दक्षिण-पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
- **रक्षा आधुनिकीकरण और तकनीकी सहयोग:** यह साझेदारी भारत के रक्षा नवाचार तंत्र को मजबूत करती है, विशेषकर एआई, साइबर और क्वांटम तकनीक के क्षेत्रों में।
- **समुद्री और भू-राजनीतिक संतुलन:** यह क्षेत्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और हिंद-प्रशांत में संतुलन बनाए रखने में सहयोग को बढ़ाती है।

## भारत-वियतनाम संबंध:

- **ऐतिहासिक और कूटनीतिक आधार:** दोनों देशों के बीच 2000 से अधिक वर्षों पुराने सभ्यतागत संबंध हैं (बौद्ध संबंध, चाम विरासत)। औपनिवेशिक काल में एकजुटता रही और 1972 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने युद्ध के दौरान और 1979 के बाद के अलगाव काल में वियतनाम का समर्थन किया।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** यह सहयोग “जॉइंट विजन 2030” और लॉजिस्टिक्स साझेदारी (MoU) के तहत उन्नत हुआ है। भारत ने INS किरपान (2023) वियतनाम को उपहार में दिया। Su-30 और Kilo-क्लास पनडुब्बियों के लिए MRO सहायता दी जाती है। वार्षिक VINBAX अभ्यास होता है और इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के तहत सहयोग किया जाता है।

## निष्कर्ष:

भारत-वियतनाम रक्षा संबंध धीरे-धीरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख सुरक्षा धुरी बन रहे हैं, जो समुद्री सहयोग, रक्षा तकनीक और क्षमता निर्माण पर आधारित हैं तथा एक स्थिर और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के भारत के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

## भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी 2026

### संदर्भ:

मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोम (इटली) की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऐतिहासिक ऊंचाई देते हुए “रणनीतिक साझेदारी” से अपग्रेड करके “विशेष रणनीतिक साझेदारी” (Special Strategic Partnership) का दर्जा दिया है। दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक में ‘भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-29’ की समीक्षा की गई और सहयोग के नए आयाम तय किए गए। यह कदम वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत की यूरोप नीति (विशेषकर फ्रांस और जर्मनी से परे) के विस्तार को दर्शाता है।

### महत्वपूर्ण समझौते:

- **रक्षा और सुरक्षा औद्योगिक रोडमैप (Defence & Security)**
  - » दोनों देशों ने एक व्यापक रक्षा औद्योगिक रोडमैप (Defence Industrial Roadmap) को मंजूरी दी है। इसके तहत रक्षा उपकरणों के केवल क्रय-विक्रय से आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, समुद्री आयुध और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का सह-विकास (Co-development) और सह-उत्पादन (Co-production) किया जाएगा।
  - » तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में इतालवी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच एक नया ‘समुद्री सुरक्षा संवाद’ (Maritime Security Dialogue) शुरू करने पर सहमति बनी है।
- **आर्थिक सहयोग और व्यापार लक्ष्य (Economic & Trade Linkages)**
  - » **20 अरब यूरो का लक्ष्य:** भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के वार्ता संदर्भों का लाभ उठाते हुए दोनों देशों ने वर्ष

2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

- » भारत में वर्तमान में 400 से अधिक बड़ी इतालवी कंपनियां सक्रिय हैं, जिन्हें 'मेक इन इंडिया' और इटली के 'मेड इन इटली' पहलों के बीच तालमेल बिठाकर और विस्तारित किया जाएगा।



### कनेक्टिविटी और भू-रणनीति (Connectivity: IMEC Corridor)

- » दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई और वर्ष 2026 में ही इसकी पहली मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई।
- » समुद्री परिवहन और बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत के पश्चिमी तटों को इतालवी बंदरगाहों (जैसे ट्रिएस्ट) से जोड़ेगा।

### उभरती प्रौद्योगिकियां और महत्वपूर्ण खनिज

- » **INNOVIT India Hub:** भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और फिनटेक स्टार्टअप्स को गति देने के लिए एक समर्पित नवाचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई।
- » **महत्वपूर्ण खनिज समझौता:** टिकाऊ और सुरक्षित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) सुनिश्चित करने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के सह-उत्पादन और ई-कचरे से इनके पुनर्चक्रण (Recycling) के लिए एक रणनीतिक समझौता किया गया।

### प्रवासन, गतिशीलता और त्रिपक्षीय सहयोग

- » भारतीय नर्सों और कुशल पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- » **अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग:** भारत के 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) और इटली के 'मैट्टेई प्लान' (Mattei Plan) को मिलाकर अफ्रीका में संयुक्त विकास परियोजनाएं (कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में) शुरू करने पर सहमति बनी।

### रणनीतिक महत्व:

- **भारत-भूमध्यसागरीय दृष्टिकोण (Indo-Mediterranean Vision):** इटली भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है। वह हिंद-प्रशांत को 'विस्तारित भूमध्य सागर' के हिस्से के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण भारत के 'समान विचारधारा वाले' लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर एक मुक्त, सुरक्षित और खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अनुकूल है।
- **आतंकवाद विरोधी मोर्चा:** भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इटली की 'गार्डिया डी फिनान्ज़ा' के बीच वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करने और टेरर फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है।
- **यूरोप में नया रणनीतिक साझेदार:** ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा इटली अब महाद्वीपीय यूरोप में भारत के सबसे भरोसेमंद और बड़े आर्थिक व रक्षा सहयोगी के रूप में उभर रहा है।

### आगे की राह:

भारत को उन्नत रक्षा विनिर्माण और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इतालवी तकनीकी विशेषज्ञता का पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ ही, IMEC परियोजना के वित्तीय और लॉजिस्टिक अवरोधों को दूर कर इसे जल्द चालू करना दोनों देशों की वैश्विक रणनीतिक संप्रभुता के लिए लाभकारी साबित होगा।

**भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा साझेदारी  
2026**

### संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल (दक्षिण कोरिया) की यात्रा

पर रहे जहाँ भारत और दक्षिण कोरिया ने अपनी “विशेष रणनीतिक साझेदारी” को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों में गहन सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

### उच्च स्तरीय रक्षा वार्ताएँ:

- इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन (DAPA) के मंत्री ली योंग-चुल से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अपनी रक्षा उद्योगों की पूरक क्षमताओं का उपयोग करते हुए संयुक्त विकास, सह-उत्पादन और निर्यात के अवसरों को बढ़ाने पर सहमति जताई।
- वार्ताओं में लॉजिस्टिक सहयोग को मजबूत करने, सैन्य आदान-प्रदान बढ़ाने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में साझेदारी विकसित करने पर भी चर्चा हुई।

### यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- संस्थागत ढाँचा और समझौते:** दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सहयोग को विस्तार देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया गया, जिनमें शामिल हैं:
  - रक्षा साइबर सुरक्षा
  - भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच प्रशिक्षण सहयोग
  - संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग
  - इन समझौतों का उद्देश्य साझेदारी को अधिक संस्थागत, संगठित और बहुआयामी बनाना है।
- रक्षा उद्योग सहयोग और नवाचार:** यात्रा का एक प्रमुख केंद्र रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना था। दोनों पक्षों ने “इंडिया-कोरिया डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर इकोसिस्टम (KIND-X)” पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के नवाचार तंत्र को जोड़ना है। इसके माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेंसर, सेमीकंडक्टर, स्वायत्त प्रणालियाँ और साइबर क्षमताओं जैसी उन्नत तकनीकों में संयुक्त विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रमुख रक्षा विनिर्माण पहल:** रक्षा उत्पादन सहयोग को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय विनिर्माण और निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यह पहल “मेक इन इंडिया” ढाँचे के तहत भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को और सशक्त बनाएगी।

- समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण:** दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अपने साझा हितों को दोहराया। सहयोग का मुख्य फोकस समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक क्षमताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करने पर रहेगा। यह बदलती भू-राजनीतिक चुनौतियों के प्रति दोनों देशों की साझा रणनीतिक सोच को दर्शाता है।



- पूर्व सैनिक सहयोग और ऐतिहासिक संबंध:** भारत और दक्षिण कोरिया ने पूर्व सैनिक मामलों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति व्यक्त की। “अंतरराष्ट्रीय पूर्व सैनिक सहयोग” पर समझौता ज्ञापन के तहत कोरियाई युद्ध के सैनिकों को सम्मानित करने, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने तथा साझा ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। कोरियाई युद्ध के दौरान भारत के योगदान, विशेष रूप से 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस की तैनाती, को विशेष रूप से सराहा गया। इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मानवीय संबंधों को भी रेखांकित किया गया।

### भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा साझेदारी के बारे में:

- भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध वर्ष 2015 में “विशेष रणनीतिक साझेदारी” तक विकसित हुए। यह साझेदारी रक्षा औद्योगिक सहयोग में निरंतर वृद्धि से समर्थित है, जिसमें K9 वज्र-टी आर्टिलरी कार्यक्रम जैसी प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं।
- दोनों देशों के संबंध भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” और दक्षिण कोरिया की क्षेत्रीय रणनीतियों के बीच बढ़ते सामंजस्य पर आधारित हैं। साथ

ही, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

### निष्कर्ष:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह यात्रा भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, नवाचार तंत्र और हिंद-प्रशांत रणनीति में बढ़ते सहयोग के साथ दोनों देश अधिक एकीकृत और भविष्य उन्मुख रणनीतिक साझेदारी की ओर अग्रसर हैं।

## रूस-चीन संबंध और पुतिन की बीजिंग यात्रा

### संदर्भ:

हाल ही में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 19-20 मई 2026 को बीजिंग का दौरा किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के तुरंत बाद हुआ। दोनों देशों के बीच एक शिखर सम्मलेन का भी आयोजन किया गया। इस यात्रा ने वैश्विक कूटनीति में चीन की बढ़ती केंद्रीय भूमिका को उजागर किया है।

### रूस-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि:

- रूस और चीन के संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों पाए जाते हैं। शीत युद्ध के दौरान, 1950 की चीनी कम्युनिस्ट क्रांति के बाद दोनों देशों ने "मित्रता संधि" पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, वैचारिक मतभेदों के कारण 1960 के दशक में चीन-सोवियत विभाजन हुआ और 1969 में सीमा संघर्ष भी हुए।
- सोवियत संघ के पतन के बाद संबंधों में सुधार हुआ और व्लादिमीर पुतिन तथा शी जिनपिंग के नेतृत्व में यह संबंध काफी मजबूत हुए। 2022 में दोनों देशों ने इसे "बिना सीमाओं की साझेदारी" (no-limits partnership) घोषित किया।

### शिखर सम्मलेन बारे में:

- शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना था। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), परिवहन संपर्क और वैश्विक शासन सुधारों पर चर्चा की। बैठक के दौरान 40 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- बैठक के मुख्य परिणाम:**

- द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार।
- ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्रों में अधिक सहयोग।
- "पावर ऑफ साइबेरिया" गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर अधिक ध्यान।
- व्यापार में स्थानीय मुद्राओं (युआन और रूबल) का अधिक उपयोग, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम करने (डी-डॉलराइजेशन) को बढ़ावा दिया जा सके।
- "बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था" (multipolar world order) का संयुक्त समर्थन और पश्चिमी प्रभुत्व की आलोचना।



### रूस-चीन साझेदारी के लाभ:

- रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद चीन से एक बड़ा आर्थिक सहारा मिला है।
- चीन बड़ी मात्रा में रूसी तेल, गैस और कच्चे माल खरीदता है, जिससे रूस की निर्यात आय को समर्थन मिलता है।
- चीन रूस को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और तकनीक प्रदान करता है, जिन्हें पहले पश्चिमी देशों से आयात किया जाता था।
- 2025 में रूस के कुल व्यापार का लगभग 32% हिस्सा चीन के साथ था, जो बीजिंग पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
- रूस वैश्विक मंचों पर, विशेषकर अमेरिका के दबाव के खिलाफ, चीन को कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन देता है।
- यह साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभाव का संतुलन करने में मदद करती है।

### साझेदारी के वैश्विक प्रभाव:

- यह साझेदारी अमेरिका-नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देती है।
- यह बहुध्रुवीय (multipolar) विश्व की अवधारणा को बढ़ावा देती है।

है, जिसमें कई शक्ति केंद्र होते हैं।

- यह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देती है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होती है।
- यह वैश्विक व्यापार में धीरे-धीरे डी-डॉलराइजेशन में योगदान देती है।
- यह प्रमुख शक्तियों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है।
- यह भारत, जापान और यूरोपीय देशों जैसे देशों को अपनी विदेश नीतियों को समायोजित करने के लिए मजबूर करती है।
- कुल मिलाकर, यह एक औपचारिक गठबंधन बनाए बिना वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रही है।

### भारत के लिए निहितार्थ:

- रूस और चीन की यह बढ़ती नजदीकियां भारत की विदेश नीति के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर सकती हैं:
  - » **रणनीतिक दुविधा:** भारत पारंपरिक रूप से रूस का एक मजबूत रक्षा और रणनीतिक साझेदार रहा है। रूस का चीन के पाले में पूरी तरह चले जाना वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
  - » **रक्षा आपूर्ति पर प्रभाव:** भारत अभी भी अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर है। रूस-चीन की घनिष्ठता संकट के समय इन आपूर्तियों को प्रभावित कर सकती है।
  - » **बहुध्रुवीयता बनाम एकध्रुवीयता:** भारत भी एक बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, लेकिन वह चीनी प्रभुत्व वाले एशिया के पक्ष में नहीं है।

### निष्कर्ष:

रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हालिया बीजिंग यात्रा पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करती है। साथ ही ट्रंप द्वारा शी जिनपिंग के साथ संबंध सुधारने के प्रयासों के बीच, भारत को अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए।

## भारत-साइप्रस सामरिक साझेदारी

### संदर्भ:

हाल ही में भारत और साइप्रस ने 22 मई 2026 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स (Nikos Christodoulides) की नई दिल्ली यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक रूप से “रणनीतिक साझेदारी” (Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत किया। इस

दौरान दोनों देशों ने छह प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

### प्रमुख समझौते एवं पहलें:

- **द्विपक्षीय रक्षा सहयोग रोडमैप (2026-2031)**
  - » 5 वर्षीय संरचित रक्षा सहयोग ढांचा
  - » क्षमता निर्माण, संयुक्त प्रशिक्षण और खोज एवं बचाव (SAR) अभियानों पर सहयोग
  - » रक्षा उत्पादन (Co-production) को बढ़ावा
  - » भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोपीय संघ के €150 अरब SAFE कार्यक्रम के तहत साइप्रस कंपनियों के साथ सहयोग का अवसर
- **सुरक्षा एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग**
  - » आतंक वित्तपोषण नेटवर्क पर सूचना साझा करने हेतु संयुक्त कार्य समूह (JWG) का गठन
  - » द्विपक्षीय साइबर सुरक्षा संवाद (Bilateral Cybersecurity Dialogue) की शुरुआत
- **वित्तीय एवं डिजिटल एकीकरण**
  - » UPI को 2027 तक यूरोप की TIPS भुगतान प्रणाली से जोड़ने की योजना
  - » सीमा-पार डिजिटल भुगतान और फिनटेक सहयोग को बढ़ावा
- **IMEC और कनेक्टिविटी**
  - » भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) के तहत द्विपक्षीय संपर्क संवाद की शुरुआत
  - » साइप्रस को यूरोप में भारतीय वस्तुओं के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की योजना
- **शिक्षा एवं प्रतिभा गतिशीलता**
  - » ICAI और साइप्रस के ICPAC के बीच योग्यता मान्यता समझौता
  - » राजनयिक प्रशिक्षण पर MoU
  - » शैक्षणिक एवं पेशेवर गतिशीलता को बढ़ावा
- **व्यापार एवं संस्थागत पहल**
  - » साइप्रस द्वारा मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा
  - » साइप्रस का भारत की इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI) में शामिल होना
  - » भारत-ग्रीस-साइप्रस (IGC) बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल को सक्रिय किया गया

### भारत और साइप्रस संबंध:

- भारत और साइप्रस गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य रहे हैं।
- साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNFICYP) में भारत की सक्रिय भूमिका ने रक्षा सहयोग की नींव मजबूत की।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध**
  - » साइप्रस से भारत को अब तक लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 214 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
  - » लक्ष्य: 2030 तक व्यापार को दोगुना करना।
  - » प्रमुख भारतीय निर्यात: दवाइयों, रसायन, इस्पात उत्पाद।

UN-आधारित समाधान का समर्थन किया।

- **हिंद-प्रशांत और यूरोप के बीच कड़ी:** भारत और साइप्रस की यह साझेदारी हिंद-प्रशांत और यूरोप के बीच एक रणनीतिक सेतु (Strategic Bridge) बनाती है। IMEC के माध्यम से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका मजबूत होती है।

### चुनौतियाँ:

- **वित्तीय अपारदर्शिता**
  - » साइप्रस का पूर्व टैक्स-हेवन के रूप में इतिहास
  - » राउंड ट्रिपिंग और वित्तीय निगरानी की चुनौती
- **IMEC क्रियान्वयन**
  - » पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता
  - » लॉजिस्टिक और सुरक्षा चुनौतियाँ
- **प्रमुख अवसर:**
  - » यूरोपीय बाजारों तक भारत की सीधी पहुँच
  - » डिजिटल भुगतान और फिनटेक विस्तार
  - » रक्षा उत्पादन में संयुक्त उद्यम
  - » वैकल्पिक वैश्विक व्यापार मार्गों का विकास

### निष्कर्ष:

भारत-साइप्रस सामरिक साझेदारी हिंद-प्रशांत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक सेतु के रूप में उभर रही है। रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुए समझौते इसे एक बहु-आयामी और भविष्य-उन्मुख साझेदारी बनाते हैं। यदि भारत-साइप्रस संयुक्त कार्य योजना (2025-2029) के लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह साझेदारी वैश्विक भू-राजनीति में भारत की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर सकती है।

## भारत-अमेरिका संबंध: 2026 में रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक यथार्थवाद

### सन्दर्भ:

हाल ही में 24 मई 2026 को नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच भारतीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता आयोजित हुई। चर्चा का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक मतभेदों को कम करना, आब्रजन (Immigration) से जुड़े मुद्दों को हल करना तथा ऊर्जा, सुरक्षा और

**INDIA AND CYPRUS ELEVATE TIES TO STRATEGIC PARTNERSHIP**  
India and Cyprus elevated bilateral ties to a Strategic Partnership during the visit of Cypriot President Nikos Christodoulides to India.

**KEY HIGHLIGHTS**

- 1 STRATEGIC PARTNERSHIP**  
Prime Minister Narendra Modi and the Cypriot President agreed to strengthen cooperation in:  
Defence, Trade and investment, Maritime security, Cybersecurity, Emerging technologies
- 2 DEFENCE COOPERATION**  
India and Cyprus signed an MoU between:  
Cyprus Defence and Space Industries Cluster, Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM)
- 3 AREAS OF COOPERATION**  
Defence manufacturing, Maritime domain awareness, Cybersecurity, Space and emerging technologies
- 4 INDIA'S POSITION ON CYPRUS**  
PM Modi emphasised:  
• Respect for sovereignty and territorial integrity  
• Support for democratic principles and rule of law  
**STRATEGIC CONTEXT**  
The statement is seen as indirect support to Cyprus in its dispute involving:  
Northern Cyprus, Türkiye
- 5 CYPRUS AS GATEWAY TO EUROPE**  
Cyprus highlighted its role as:  
• An investment gateway to the European Union
- 6 CURRENT POSITION**  
Cyprus currently holds the Presidency of the Council of the European Union.
- 7 IMEEC DISCUSSIONS**  
Both countries discussed the:  
India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEEC)  
INDIA, UAE, SAUDI ARABIA, JORDAN, ISRAEL, EUROPE
- 8 IMPORTANCE**  
• Enhancing connectivity and trade  
• Reducing supply-chain disruptions caused by West Asia conflicts

The elevation of ties to a Strategic Partnership reflects India and Cyprus' shared commitment to peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and the wider region.

### भू-राजनीतिक महत्व:

- **रणनीतिक संतुलन:** तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ के संदर्भ में साइप्रस के साथ भारत की साझेदारी रणनीतिक संतुलन प्रदान करती है। साइप्रस मुद्दे पर भारत ने उसकी संप्रभुता, अखंडता और

तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाना था।

### चर्चा का मुख्य पहलू:

- **द्विपक्षीय व्यापार समझौता:** बैठक में दोनों देशों ने एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर जोर दिया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाएँ कम होंगी, निवेश बढ़ेगा और आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत होगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीति:** वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों ने सुरक्षित समुद्री मार्गों और स्थिर ऊर्जा कीमतों पर जोर दिया। भारत ने अपने "डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी-एस्केलेशन" दृष्टिकोण को दोहराते हुए ऊर्जा संसाधनों के राजनीतिक उपयोग का विरोध किया।
- **आव्रजन और वीजा मुद्दे:** भारत ने अमेरिका में भारतीय छात्रों और पेशेवरों को वीजा नियमों में कड़ाई के कारण हो रही कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि ये बदलाव वैश्विक वीजा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा हैं और किसी एक देश विशेष के खिलाफ नहीं हैं। भारत ने यह भी सहमति जताई कि वह केवल सत्यापित अवैध प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस स्वीकार करेगा।
- **क्रिटिकल मिनरल्स, एआई और तकनीकी सहयोग:** दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और न्यूक्लियर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना और चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। इस दिशा में पैक्स सिलिका और फोर्ज जैसी पहलों पर भी चर्चा हुई।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और रक्षा तकनीक साझा करना शामिल है। दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
- **क्वाड और इंडो-पैसिफिक सहयोग:** यह बैठक क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हुई, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, सुरक्षित और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। यह सहयोग चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

### भारत-अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति:

- आज भारत-अमेरिका संबंध व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह संबंध केवल रक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और वैश्विक शासन तक विस्तारित हो चुके हैं। हालांकि टैरिफ, वीजा और रणनीतिक स्वायत्तता जैसे मुद्दे अभी भी दोनों देशों के बीच चुनौती बने हुए हैं।

### भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ

- भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ सहयोग को गहरा कर रहा है। ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में संतुलन बनाना भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। प्रस्तावित व्यापार समझौता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिला सकता है, जबकि तकनीकी सहयोग भारत को उभरती तकनीकों में प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

### निष्कर्ष:

मई 2026 की यह वार्ता भारत-अमेरिका संबंधों में एक नए चरण का संकेत देती है, जहाँ रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ आर्थिक यथार्थवाद भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। आने वाले समय में यह संबंध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता, वैश्विक व्यापार और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

## क्वाड शिखर सम्मेलन 2026

### संदर्भ:

हाल ही में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के समूह क्वाड (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) के विदेश मंत्रियों की बैठक में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियाँ, वैश्विक सप्लाई चैन संकट, ऊर्जा असुरक्षा और तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है।

### हालिया बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग:**
  - » बैठक में महत्वपूर्ण खनिज पहल (Critical Minerals Initiative) को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी धातुएँ इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग के लिए

अत्यंत आवश्यक हैं।

- » वर्तमान में इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का प्रभुत्व है। ऐसे में QUAD देश वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लाई चेन विकसित करना चाहते हैं। भारत के लिए यह खनिज महत्वपूर्ण है क्योंकि देश हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है।

### ■ इंडो-पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा पहल:

- » क्वाड (QUAD) देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा अवसंरचना और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहल की घोषणा की।
- » रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण QUAD की प्राथमिकता बन गया है।

### ■ समुद्री सुरक्षा पर फोकस:

- » बैठक में समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain Awareness) को मजबूत करने तथा हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।
- » क्वाड (QUAD) ने वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है।

### फिजी पोर्ट परियोजना:

- क्वाड (QUAD) ने फिजी में संयुक्त बंदरगाह परियोजना विकसित करने की घोषणा की। इसे प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले QUAD की रणनीतिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है।
- यह QUAD के “विकास साझेदारी मॉडल” को भी दर्शाता है, जिसमें केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि आधारभूत संरचना निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।



### भारत के लिए महत्व:

- QUAD भारत की “एक्ट ईस्ट पॉलिसी”, “सागर विज्ञान” और इंडो-पैसिफिक रणनीति को मजबूती प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से भारत को तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में लाभ मिल सकता है।
- इसके अतिरिक्त QUAD भारत को चीन की आक्रामक नीतियों के विरुद्ध एक सामूहिक कूटनीतिक मंच भी प्रदान करता है।
- QUAD अब केवल एक सामरिक मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक, तकनीकी और भू-राजनीतिक सहयोग का व्यापक ढांचा बनता जा रहा है।

### चुनौतियाँ:

- हालाँकि QUAD अभी भी NATO जैसी औपचारिक सैन्य व्यवस्था नहीं है। सदस्य देशों के चीन के प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता बनी हुई है।
- साथ ही ASEAN देशों को यह आशंका रहती है कि क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा से इंडो-पैसिफिक में तनाव बढ़ सकता है।

### QUAD क्या है?

- QUAD चार लोकतांत्रिक देशों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, किंतु वर्ष 2017 के बाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण यह समूह अधिक सक्रिय हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य “मुक्त, खुला, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक” सुनिश्चित करना है।

### निष्कर्ष:

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में QUAD तेजी से एक बहुआयामी रणनीतिक मंच के रूप में उभर रहा है। अब इसका दायरा केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, ऊर्जा, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री शासन तक विस्तृत हो चुका है। भारत के लिए QUAD न केवल सामरिक संतुलन का माध्यम है, बल्कि वैश्विक शक्ति संरचना में अपनी भूमिका मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है।

# पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

## वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 : जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा गरीबी और सतत विकास के बीच वनों का भविष्य

### संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 ने विश्व को वनों की बिगड़ती स्थिति के प्रति आगाह किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कृषि विस्तार के अतिरिक्त अब ईंधन लकड़ी (Fuelwood) और चारकोल की बढ़ती मांग भी वन क्षरण का प्रमुख कारण बनती जा रही है, विशेषकर अफ्रीका और एशिया के विकासशील क्षेत्रों में।

यह निष्कर्ष ऐसे समय में सामने आया है जब विश्व जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए वनों को सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक मान रहा है। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों के लिए यह रिपोर्ट केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं बल्कि विकास, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ा एक व्यापक नीति दस्तावेज है।

### ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026:

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) तथा संयुक्त राष्ट्र वन मंच (United Nations Forum on Forests-UNFF) द्वारा तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य वर्ष 2017-2030 के लिए निर्धारित संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक वन योजना (UN Strategic Plan for Forests) के अंतर्गत निर्धारित छह वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 उप-लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना है।

- इन लक्ष्यों का उद्देश्य विश्वभर में वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन, सतत प्रबंधन तथा वनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

### रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक वन क्षेत्र में लगातार गिरावट:** रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.18 अरब हेक्टेयर था, जो 2025 में घटकर 4.14 अरब हेक्टेयर रह गया। अर्थात् एक दशक में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो गया। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर वन संरक्षण प्रयासों की सीमाओं को दर्शाती है।
- प्राथमिक वनों का तेजी से क्षरण:** विश्व ने 2015-2025 के बीच लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर प्राथमिक वन खो दिए। प्राथमिक वन वे प्राकृतिक वन होते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप अत्यंत सीमित होता है। ये वन जैव विविधता, जल संरक्षण तथा कार्बन भंडारण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण अमेरिका में इन वनों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है।
- कृषि विस्तार अभी भी सबसे बड़ा कारण:** वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। खाद्य उत्पादन की बढ़ती मांग तथा व्यावसायिक कृषि गतिविधियों ने बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
- ईंधन लकड़ी और चारकोल की बढ़ती मांग:** रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि ऊर्जा गरीबी के कारण विकासशील देशों में लाखों परिवार आज भी ईंधन लकड़ी और चारकोल पर निर्भर

हैं। परिणामस्वरूप वन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ रहा है। यह स्थिति विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका तथा एशिया के कुछ क्षेत्रों में अधिक गंभीर है।

- **जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव:** सूखा, हीटवेव, जंगलों में आग, कीट संक्रमण तथा वन रोगों की बढ़ती घटनाएं वन पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर रही हैं। इससे वन कार्बन सिंक के रूप में अपनी क्षमता खो रहे हैं।
- **वन बहाली की धीमी प्रगति:** 91 देशों ने लगभग 19 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र के पुनर्स्थापन का संकल्प लिया था, किंतु 2025 तक केवल 4.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र ही बहाल किया जा सका। यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर वन बहाली की गति अभी भी अपेक्षित स्तर से काफी कम है।

### ऊर्जा गरीबी और वन संकट: नया दृष्टिकोण

- ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वन क्षरण को केवल पर्यावरणीय समस्या के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे ऊर्जा और गरीबी के प्रश्न से जोड़ती है।
- दुनिया के अनेक गरीब समुदाय आज भी खाना पकाने और घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए लकड़ी पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में वन संरक्षण संबंधी कानून तब तक पूर्णतः प्रभावी नहीं हो सकते जब तक लोगों को वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराई जाती।
- इसलिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच, एलपीजी, बायोगैस, सौर ऊर्जा और स्वच्छ खाना पकाने की तकनीकों का प्रसार वास्तव में वन संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह दृष्टिकोण सतत विकास लक्ष्यों के एकीकृत स्वरूप को दर्शाता है।


### वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का संबंध:

- वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुमान है कि वैश्विक वन मानव गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन का लगभग एक-तिहाई भाग अवशोषित करते हैं।
- लेकिन जब वन नष्ट होते हैं, तो दोहरा नुकसान होता है। इसलिए वन संरक्षण को जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Mitigation) की सबसे प्रभावी प्राकृतिक रणनीतियों में से एक माना जाता है।

### भारत के लिए निहितार्थ:

- भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जिन्होंने वन संरक्षण और

पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है तथा अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्माण के लिए वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण बढ़ाने पर बल दिया है।



### भारत की प्रमुख पहलें:

- **हरित भारत मिशन (Green India Mission)** – वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वन एवं वृक्ष आच्छादन बढ़ाना तथा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme)** – वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त एवं अवनत वन क्षेत्रों का पुनर्वास तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- **CAMPA निधि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority)** –

इसकी अवधारणा 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद विकसित हुई तथा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (CAF Act), 2016 के माध्यम से इसे वैधानिक आधार मिला। वन भूमि के गैर-वन उपयोग के बदले प्राप्त राशि का उपयोग वनीकरण और वन संरक्षण कार्यों के लिए किया जाता है।

- **वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act)**— वर्ष 1980 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों में परिवर्तित करने पर नियंत्रण स्थापित कर वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। वर्ष 2023 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए।
- **भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality-LDN) लक्ष्य** – भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के तहत 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकते हुए क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन करना है।
- **मिशन LiFE (Lifestyle for Environment)** – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में COP-26 (ग्लासगो) में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई तथा वर्ष 2022 में इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली और टिकाऊ उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देना है।
- भारत के नवीनतम वन सर्वेक्षणों के अनुसार देश का वन एवं वृक्ष आच्छादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वन गुणवत्ता, जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक वनों की सुरक्षा अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- इसके अतिरिक्त भारत के अनेक ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी पर निर्भरता आज भी देखी जाती है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों और वन संरक्षण रणनीतियों को एक-दूसरे से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

### आगे की राह:

- वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल वृक्षारोपण पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी:
  - » वनों की कटाई को रोकने हेतु कठोर नीतियां।
  - » कृषि और वन प्रबंधन के बीच संतुलित भूमि उपयोग।
  - » स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच।
  - » आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी।

- » वन बहाली कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन।
- » जैव विविधता संरक्षण और जलवायु नीतियों का समन्वय।
- » डिफॉरेस्टेशन-फ्री सप्लाई चेन को बढ़ावा।

### निष्कर्ष:

ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 यह स्पष्ट करती है कि वन संरक्षण केवल पर्यावरणीय दायित्व नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। वन जलवायु स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आजीविका का आधार हैं। रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वन संकट को गरीबी, ऊर्जा, विकास और जलवायु परिवर्तन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारत सहित विश्व के सामने चुनौती यह है कि विकास और पर्यावरण के बीच कृत्रिम द्वंद्व को समाप्त कर एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाए जिसमें आर्थिक प्रगति और प्राकृतिक संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकें। 2030 के वैश्विक वन लक्ष्यों की सफलता इसी संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी।

# संक्षिप्त मुद्दे

## कांडला में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट

### संदर्भ:

भारत गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में अपना पहला ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र विकसित कर रहा है। इस संयंत्र को थर्मैक्स लिमिटेड द्वारा अंकुर साइंटिफिक एनर्जी टेक्नोलॉजीज की गैसीफिकेशन तकनीक की मदद से विकसित किया जा रहा है।

### परियोजना की मुख्य विशेषताएँ:


- इस परियोजना में मुख्य रूप से आक्रामक (invasive) बायोमास का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से *Prosopis juliflora*, जिसे गुजरात में गंडो बावल और उत्तर भारत में विलायती कीकर के नाम से जाना जाता है।
- यह पौधा कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में बड़े पैमाने पर फैल चुका है, जिससे देशी घासों का स्थान घटा है और जैव विविधता को नुकसान पहुँचा है। अब इस पर्यावरणीय चुनौती को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।
- यह संयंत्र गुजरात के कांडला पोर्ट पर स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 5 टन मेथेनॉल प्रतिदिन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रीन पोर्ट्स की ओर संक्रमण को समर्थन देना और स्वच्छ शिपिंग ईंधन को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य पूरे किए जा सकें।
- इस तकनीक में दो मुख्य चरण शामिल हैं गैसीफिकेशन और मेथेनॉल संश्लेषण। गैसीफिकेशन प्रक्रिया में बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके सिंगैस (हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण) बनाया जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में इस सिंगैस को प्रोसेस करके ग्रीन मेथेनॉल तैयार किया जाता है, जो पारंपरिक ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है।

### ग्रीन मेथेनॉल क्या है?

- ग्रीन मेथेनॉल एक कम-कार्बन वाला तरल ईंधन है, जिसे नवीकरणीय स्रोतों जैसे बायोमास (बायो-मेथेनॉल) या ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड (ई-मेथेनॉल) से तैयार किया जाता है। इसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के एक टिकाऊ विकल्प के रूप में विकसित किया गया है।

### पर्यावरणीय महत्व:

- ग्रीन मेथेनॉल उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाता है:
  - लगभग 95% तक CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी
  - लगभग 80% तक NO<sub>x</sub> उत्सर्जन में कमी
  - सल्फर ऑक्साइड और कणीय प्रदूषण का लगभग पूर्ण उन्मूलन
- इसे शिपिंग जैसे कठिन-से-डिकार्बोनाइज होने वाले क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख संक्रमण ईंधन माना जाता है।



### नीतिगत और वैश्विक संदर्भ:

- यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के नियमों के अनुरूप है।
- IMO के 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य का समर्थन करता है।
- भारत प्रमुख बंदरगाहों को कम-उत्सर्जन “ग्रीन पोर्ट्स” में बदल रहा है।
- कांडला परियोजना सर्कुलर इकोनॉमी आधारित पोर्ट विकास का एक मॉडल है।

## आर्थिक और रणनीतिक महत्व:

- यह वेस्ट-टू-वेल्थ मॉडल को बढ़ावा देता है, जिसमें आक्रामक बायोमास को मूल्यवान ईंधन में बदला जाता है।
- जीवाश्म ईंधनों पर आयात निर्भरता को कम करता है।
- कृषि अवशेष (जैसे बैगास, कपास के डंठल) और नगर ठोस कचरे के उपयोग से विस्तार की संभावना है।
- ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक है।

## चुनौतियाँ:

- जीवाश्म-आधारित मथेनॉल की तुलना में उच्च उत्पादन लागत
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की सीमित उपलब्धता
- बायोमास संग्रह के लिए जटिल आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन)
- पायलट स्तर (5 TPD) से औद्योगिक स्तर तक तकनीक का विस्तार

## भारत के लिए महत्व:

- ग्रीन समुद्री ईंधन (maritime fuel) पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में पहला कदम। यह निम्न लक्ष्यों के अनुरूप है:
  - » नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धताएँ
  - » राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा रणनीति
  - » स्वच्छ बंदरगाह आधुनिकीकरण
- जलवायु कार्रवाई के लिए आक्रामक प्रजातियों के नवाचारपूर्ण उपयोग का उदाहरण।

## निष्कर्ष:

कांडला ग्रीन मथेनॉल परियोजना पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और समुद्री क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में कमी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। आक्रामक प्रजाति *Prosopis juliflora* को टिकाऊ ईंधन में बदलकर भारत एक चक्रीय और कम-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, साथ ही कच्छ जैसे क्षेत्रों में पारिस्थितिक क्षरण की समस्या का समाधान भी कर रहा है। यदि यह मॉडल सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर लागू होता है, तो यह अपशिष्ट बायोमास और आक्रामक प्रजातियों के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणाली में उपयोग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है।

## अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)

## संदर्भ:

हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC), जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय प्रणालियों में से एक है, वर्ष 2100 तक लगभग 59% तक कमजोर हो सकता है।

## अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में:


- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) को एक विशाल “महासागरीय संवहन पट्टी (ओशन कन्वेयर बेल्ट)” है, जो अटलांटिक महासागर में ऊष्मा और पोषक तत्वों का परिसंचरण करती है। यह वैश्विक महासागरीय प्रणाली का हिस्सा है, जिसे ऊष्मा-लवणीय परिसंचरण (थर्मोहिलाइन सर्कुलेशन) कहा जाता है।
- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म सतही जल AMOC द्वारा उत्तर दिशा की ओर ले जाया जाता है। जब यह जल आर्कटिक क्षेत्र में पहुँचता है, तो यह ठंडा होकर अधिक घना हो जाता है और समुद्र की गहराई में डूब जाता है।
- इसके बाद यह ठंडा और घना जल गहराई में दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होता है और अंततः ऊपर उठकर इस चक्र को पूरा करता है। यह निरंतर प्रक्रिया पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती है, क्योंकि यह दोनों गोलार्द्धों में ऊष्मा का पुनर्वितरण करती है।

## AMOC के कमजोर होने के कारण:

- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) तापमान और लवणता के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन इस संतुलन को बिगाड़ रहा है।
- आर्कटिक बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण उत्तर अटलांटिक में बड़ी मात्रा में मीठा पानी (स्वच्छ जल) जुड़ रहा है। मीठा पानी कम घनत्व वाला होता है और आसानी से नीचे नहीं डूबता, जिससे वह गहन जल निर्माण प्रक्रिया कमजोर हो जाती है जो AMOC को संचालित करती है।
- पहले के अध्ययनों में पिछले कुछ दशकों में लगभग 15% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था, लेकिन समुद्री अवलोकनों पर आधारित नवीन शोध संकेत देते हैं कि यह प्रणाली वर्ष 2100 तक लगभग 59% तक कमजोर हो सकती है।
- वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि AMOC एक संभावित “जलवायु टर्निंग प्वाइंट (अपरिवर्तनीय मोड़)” है, जिसका अर्थ है कि एक निश्चित सीमा पार होने पर यह स्थायी रूप से कमजोर अवस्था में जा सकता है।

## वैश्विक जलवायु प्रभाव:

- AMOC के कमजोर होने से वैश्विक जलवायु में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इससे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र-स्तर में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव तथा तूफानों के मार्ग (स्टॉर्म ट्रैक्स) में परिवर्तन हो सकता है।
- यह दोनों गोलार्द्धों के बीच ऊष्मा वितरण को भी प्रभावित करता है, जिससे दक्षिणी गोलार्द्ध में अधिक गर्मी, जबकि उत्तरी गोलार्द्ध के कुछ हिस्सों में ठंडक बढ़ सकती है।



सकता है, जिससे ENSO घटनाएँ अधिक अप्रत्याशित और तीव्र हो सकती हैं। इससे एशिया सहित कई महाद्वीपों में अनियमित वर्षा पैटर्न की संभावना बढ़ जाती है।

## भारत पर प्रभाव:

- यद्यपि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) अटलांटिक महासागर में स्थित है, फिर भी यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव के माध्यम से परोक्ष रूप से भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकता है।
- एक बाधित अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) महासागरों में ऊष्मा के वितरण को बदल सकता है, जिससे मानसून के समय, तीव्रता और विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- चूँकि भारत की कृषि, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत प्रणालियाँ मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर हैं, इसलिए छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े सामाजिक-आर्थिक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं।

## निष्कर्ष:

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वैश्विक स्तर पर ऊष्मा का वितरण करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसका कमजोर होना गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। भारत के लिए मुख्य चिंता इसका मानसून पैटर्न पर प्रभाव है, जो खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। इसलिए दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनों के लिए जलवायु अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना और पूर्वानुमान प्रणालियों में सुधार करना आवश्यक है।

## खाद्य सुरक्षा पर अत्यधिक गर्मी का प्रभाव

### संदर्भ:

हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक गर्मी वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है।

### अत्यधिक गर्मी (Extreme Heat) के बारे में:

- अत्यधिक गर्मी से आशय अत्यधिक उच्च तापमान की लंबी अवधि से है, जिसे आधिकारिक रूप से "हीटवेव" (लू) की श्रेणी में रखा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी तीव्रता और आवृत्ति

## एल नीनो और वैश्विक मौसम प्रणालियों से संबंध:

- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) अन्य वैश्विक जलवायु प्रणालियों, जैसे एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO), से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ENSO प्रशांत महासागर में होने वाला एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है, जिसमें हर 2-7 वर्ष में गर्म (एल नीनो), ठंडा (ला नीना) और तटस्थ चरण आते हैं।
- कमजोर AMOC वैश्विक महासागरीय ऊष्मा वितरण को बदल

लगातार बढ़ रही है।

- यह एक महत्वपूर्ण गैर-पारंपरिक आपदा है, जो स्वास्थ्य, कृषि तथा श्रम क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर पड़ता है।

### रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- “खतरे को बढ़ाने वाला कारक” के रूप में अत्यधिक गर्मी:
  - रिपोर्ट में अत्यधिक गर्मी को थ्रेट मल्टिप्लायर (Threat Multiplier) अर्थात “खतरों को बढ़ाने वाला कारक” बताया गया है, क्योंकि यह विकासशील देशों में पहले से मौजूद कमजोरियों को और अधिक गंभीर बना देती है।
  - अत्यधिक गर्मी मिट्टी की नमी के वाष्पीकरण को बढ़ाती है, वर्षा चक्र को बाधित करती है, कृषि भूमि को शुष्क बनाती है तथा बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों को जन्म देती है।
  - यह वनों को नुकसान पहुँचाती है, जैव विविधता को कम करती है तथा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती है। चूँकि विश्व की लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए बढ़ता तापमान खाद्य उत्पादन प्रणालियों पर गंभीर दबाव उत्पन्न कर रहा है।
- भारत की खाद्य प्रणाली पर प्रभाव:
  - भारत की खाद्य सुरक्षा मुख्य रूप से गेहूँ और चावल जैसी जलवायु-संवेदनशील फसलों पर निर्भर करती है। भारत का “अन्न भंडार” कहे जाने वाले इंडो-गंगेटिक मैदान (Indo-Gangetic Plains) टर्मिनल हीट स्ट्रेस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
  - सामान्य तापमान से केवल 1-2°C की वृद्धि भी गेहूँ की उत्पादकता को कम कर सकती है, क्योंकि इससे दाने सिकुड़ जाते हैं तथा फसल समय से पहले पकने लगती है। वर्ष 2022 की हीटवेव के कारण भारत के कई राज्यों में गेहूँ उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई थी।
  - चावल की खेती भी जोखिम में है, क्योंकि यह वर्षा और स्थिर मौसम परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करती है।
  - भारत में कुल कैलोरी सेवन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा चावल से प्राप्त होता है, इसलिए बढ़ती गर्मी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करती है। गेहूँ और चावल की एकल फसल प्रणाली (Monoculture Farming) पर भारत की अत्यधिक निर्भरता जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ाती है।

## क्यों हो रहा है?



- कई राज्यों में तापमान 40°C से ऊपर पहुँच रहा है।




- हीटवेव अब पहले (अप्रैल में) आने लगी हैं, जबकि सामान्यतः यह मई-जून में आती थीं।



- रात का तापमान भी अधिक रहने लगा है, जिससे शरीर को पर्याप्त ठंडक नहीं मिलती और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं।



- तटीय शहरों में नमी और Urban Heat Island प्रभाव के कारण गर्मी का असर और बढ़ जाता है।



## मुख्य कारण



- पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) और गरज-तूफान की घटनाओं में कमी।



- संवहनीय गतिविधि (Convective Activity) कम होने से प्राकृतिक ठंडक घट रही है।



- El Niño के अवशिष्ट प्रभाव।



- दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं को तीव्र बना रहा है।

## बढ़ती गर्मी के प्रभाव



### स्वास्थ्य पर प्रभाव

- हृदय संबंधी रोगों से मृत्यु दर में वृद्धि।
- विशेषकर बाहरी श्रमिकों (Outdoor Workers) में हीट स्ट्रेस और लू का खतरा।



### आर्थिक नुकसान

- 2024 में 247 अरब कार्य-घंटों का नुकसान – Lancet Countdown Global Report के अनुसार।
- निर्माण और कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित।



### कृषि और खाद्य सुरक्षा

- अत्यधिक गर्मी से फसलों का परिपक्व होना तेज हो जाता है, जिससे उत्पादन घट सकता है।
- रबी फसल प्रभावित होने से खाद्य मंहंगाई बढ़ने का खतरा।

- पशुधन, मत्स्य पालन और वनों पर प्रभाव:

- अत्यधिक गर्मी पशुधन क्षेत्र, विशेषकर डेयरी और पोल्ट्री उद्योग, पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हीट स्ट्रेस के कारण दूध और अंडा उत्पादन में कमी आती है तथा पशुओं की मृत्यु दर

बढ़ जाती है।

- » मत्स्य क्षेत्र भी खतरे में है, क्योंकि समुद्री तापमान में वृद्धि से जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और मछलियाँ गहरे समुद्री क्षेत्रों की ओर चली जाती हैं, जहाँ तक पारंपरिक मछुआरों की पहुँच कठिन हो जाती है।
- » वन भी अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि बढ़ता तापमान वनाग्नि (Wildfires) के जोखिम को बढ़ाता है। इससे जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है तथा फल, शहद और औषधीय पौधों जैसे वन उत्पादों की उपलब्धता कम हो जाती है।

### भारत की कृषि नीति व्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ:

- भारत की कृषि नीतियाँ मुख्यतः खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं, न कि जलवायु-सहिष्णुता (Climate Resilience) पर।
- सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली गेहूँ और धान जैसी जल-गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर, सरकार द्वारा “श्री अन्न” के रूप में प्रचारित किए जाने के बावजूद बाजरा और दलहन जैसी जलवायु-सहिष्णु फसलों किसानों के लिए अपेक्षाकृत कम लाभकारी बनी हुई हैं।

### निष्कर्ष:

अत्यधिक गर्मी भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। जलवायु-संवेदनशील फसलों, मानसून पर निर्भरता तथा विशाल कृषि कार्यबल भारत को बढ़ते तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत को फसल विविधीकरण, जलवायु-सहिष्णु कृषि, श्रमिक सुरक्षा तथा सतत कृषि नीतियों को बढ़ावा देना होगा, ताकि अधिक सुरक्षित और लचीली खाद्य प्रणाली का निर्माण किया जा सके।

## अरावली में दिखी रस्टी-स्पॉटेड बिल्ली

### सन्दर्भ:

हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद जिले (दिल्ली-एनसीआर) के अरावली क्षेत्र के वन्यजीव कॉरिडोर में “रस्टी-स्पॉटेड कैट” की उपस्थिति देखी गई। कोट गाँव के पास एक मादा बिल्ली और उसके शावक की तस्वीरें दर्ज की गईं। यह पहली बार है जब इस दुर्लभ बिल्ली के प्रजनन (breeding) के ठोस प्रमाण इस क्षेत्र में मिले हैं, जो अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

### रस्टी-स्पॉटेड कैट के बारे में:

- रस्टी-स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है, जिसकी शरीर की लंबाई लगभग 35-48 सेमी होती है, जिसमें लगभग आधा हिस्सा इसकी पूंछ का होता है।
- इसका फर छोटा और धूसर-लाल रंग का होता है, जिस पर जंग जैसे धब्बे होते हैं, जो इसे शुष्क वनों और झाड़ियों में छिपने में मदद करते हैं।
- यह एक अत्यंत छुपा हुआ (secretive) और रात्रिचर (nocturnal) जीव है, जिसके कारण इसकी दृश्यता बहुत दुर्लभ होती है।
- यह भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है, लेकिन इसकी आबादी बिखरी हुई और कम घनत्व वाली है। इसके लगभग 75% आवास कृषि, शहरी विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण दबाव में हैं।
- यह प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में “निकट संकटग्रस्त” (Near Threatened) श्रेणी में सूचीबद्ध है और भारत में इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है।



### भारत में अन्य छोटी जंगली बिल्लियाँ के बारे में:

- भारत में कई कम ज्ञात छोटी जंगली बिल्लियाँ पाई जाती हैं, जो कृन्तक (rodent) आबादी को नियंत्रित करके और खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- » **फिशिंग कैट (Fishing Cat):** फिशिंग कैट (Fishing Cat) एक मजबूत तैराक होती है और आर्द्रभूमि (wetlands) के लिए अनुकूलित है। यह सुंदरबन, गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह आवास क्षति, प्रदूषण और शहरीकरण के कारण “लुप्तप्राय

(Endangered)” श्रेणी में है और इसे अनुसूची-1 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

- » **कराकल:** कराकल (Caracal) एक मध्यम आकार की रात्रिचर बिल्ली है, जिसकी पहचान इसके काले कानों के गुच्छों (ear tufts) से होती है। भारत में यह अब बहुत दुर्लभ है और मुख्यतः राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है। वैश्विक स्तर पर इसे कम चिंताजनक (Least Concern) माना जाता है, लेकिन भारत में यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और अनुसूची-1 के तहत संरक्षित है।
- » **एशियाई वाइल्डकैट:** एशियाई वाइल्डकैट (Asiatic Wildcat) शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर थार मरुस्थल में पाया जाता है। इसका रेतीला रंग इसे सूखे आवासों में छिपने में मदद करता है। यद्यपि यह वैश्विक स्तर पर कम चिंताजनक (Least Concern) श्रेणी में है, लेकिन स्थानीय आबादी आवास दबाव का सामना कर रही है और इसे भी अनुसूची-1 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

### अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिक महत्व:

- अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। खनन, वनों की कटाई और शहरीकरण से हुए क्षरण के बावजूद यह पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।
- यह मरुस्थलीकरण को रोकने, जलवायु को नियंत्रित करने और वन्यजीवों की आवाजाही के लिए जैव विविधता गलियारों (biodiversity corridors) का समर्थन करने में मदद करती है।
- रस्टि-स्पॉटेड कैट की उपस्थिति इसकी पारिस्थितिक लचीलापन (ecological resilience) को दर्शाती है और झाड़ीदार व शुष्क वन पारिस्थितिकी तंत्रों के त्वरित संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करती है।

### निष्कर्ष:

अरावली में रस्टि-स्पॉटेड कैट की पुनः उपस्थिति यह दर्शाती है कि नाजुक और शहरी क्षेत्रों के निकट स्थित पारिस्थितिकी तंत्र भी दुर्लभ वन्यजीवों का समर्थन कर सकते हैं। फिश कैट, काराकल और एशियाई वाइल्डकैट जैसी प्रजातियों के साथ मिलकर यह भारत की समृद्ध लेकिन संवेदनशील जैव विविधता को दर्शाता है। अरावली जैसे क्षेत्रों में आवास संरक्षण को मजबूत करना इन दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

## निकोबार द्वीप समूह में वन्यजीव अभयारण्य

### संदर्भ:

हाल ही में निकोबारी जनजातीय परिषद (Nicobarese Tribal Council) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिटिल निकोबार, मेंचल और मेरोए द्वीपों पर अधिसूचित तीन नए वन्यजीव अभयारण्यों को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। परिषद का आरोप है कि केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA), 2006 के अंतर्गत अनिवार्य परामर्श प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा इन द्वीपों पर समुदाय के पैतृक स्वामित्व, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक संबंधों की उपेक्षा की है।

### वन्यजीव अभयारण्यों को लेकर विवाद:

- इन अभयारण्यों को ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना (Great Nicobar Island Development Project) से जुड़े पर्यावरणीय शमन (Environmental Mitigation) उपायों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।
- इस परियोजना में कंटेनर बंदरगाह, हवाई अड्डा और टाउनशिप के निर्माण जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाएँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विकास से होने वाली पारिस्थितिक क्षति की भरपाई करना है।

### विवाद के केंद्र में स्थित द्वीप:

- **लिटिल निकोबार द्वीप (ऑंग)**
  - » **क्षेत्रफल एवं स्थिति:** लगभग 140 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला यह द्वीप दक्षिणी निकोबार समूह का आबाद द्वीप है।
  - » **महत्व:** यह जैव-विविधता से समृद्ध द्वीप है, जहाँ संकटग्रस्त प्रजातियाँ तथा निकोबारी समुदाय की बस्तियाँ स्थित हैं।
  - » **अभयारण्य प्रस्ताव:** लेदरबैक कछुआ अभयारण्य (Leatherback Turtle Sanctuary) का प्रस्ताव पारंपरिक गांवों से आच्छादित क्षेत्र में है।
  - » **चिंता:** इससे समुदाय की पैतृक एवं आवासीय भूमि तक पहुँच सीमित होने की आशंका है।
- **मेंचल द्वीप (पिंगायेयाक)**
  - » **स्थिति:** निर्जन द्वीप, जिसका उपयोग कभी-कभी मौसमी खेती और मत्स्यन के लिए किया जाता है।

- » **सांस्कृतिक महत्त्व:** इसे पवित्र द्वीप माना जाता है, जहाँ पूर्वजों की आत्माओं का निवास माना जाता है।
- » **अभयारण्य प्रस्ताव:** स्थानिक पक्षी संरक्षण हेतु मेगापोड अभयारण्य (Megapode Sanctuary) का प्रस्ताव।
- » **चिंता:** समुदाय इसे सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमि से पूर्ण बहिष्करण के रूप में देखता है।
- **मेरोए द्वीप (पिरुई)**
  - » **स्थिति:** लगभग 0.52 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला छोटा निर्जन द्वीप।
  - » **उपयोग:** नारियल संग्रहण और मत्स्यन के संसाधन क्षेत्र के रूप में उपयोग।
  - » **अभयारण्य प्रस्ताव:** प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु कोरल अभयारण्य (Coral Sanctuary)।
  - » **चिंता:** समुदाय के पारंपरिक स्वामित्व और उपयोग अधिकारों की अनदेखी होती है।

- से उचित परामर्श और सहमति प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- **पवित्र भू-दृश्य:** मेंचल और मेरोए को पूर्वजों की आत्माओं का निवास माना जाता है, इसलिए वहाँ पहुँच पर प्रतिबंध सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।
- **आजीविका पर निर्भरता:** ये द्वीप नारियल एवं सुपारी के बागानों तथा आवास, औजारों और पारंपरिक शिल्प के लिए उपयोग होने वाले वन संसाधनों का आधार हैं।
- **सीमित अधिकारों पर चिंता:** प्रशासन ने केवल धार्मिक शिकार (ritual hunting) की अनुमति दी है, जबकि समुदाय का कहना है कि उनके अधिकारों में निवास, कृषि और संसाधनों का उपयोग भी शामिल है।
- **पर्यटन का विरोध:** प्रस्तावित ईको-टूरिज्म का विरोध करते हुए स्थानीय लोग जेट्टी, पेयजल आपूर्ति और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

### निष्कर्ष:

निकोबार द्वीप समूह में वन्यजीव अभयारण्यों को लेकर उत्पन्न विवाद संरक्षण-आधारित विकास नीति और आदिवासी अधिकारों के बीच गहरे टकराव को दर्शाता है। एक ओर ये अभयारण्य ग्रेट निकोबार में विकास परियोजनाओं से प्रभावित नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निकोबारी समुदाय इन्हें अपनी पैतृक भूमि, सांस्कृतिक पहचान और आजीविका सुरक्षा पर अतिक्रमण के रूप में देखता है। इस विवाद का समाधान पारिस्थितिक संरक्षण और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कानूनी एवं आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने पर निर्भर करेगा।



## भारत का पहला सैटेलाइट-टैग किया गया गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ

### संदर्भ:

हाल ही में, भारत का पहला सैटेलाइट-टैग्ड (Satellite Tagged) गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ असम स्थित 1,302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया।

### इस पहल का महत्व:

- यह सैटेलाइट-टैगिंग परियोजना, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में, कछुए की मौसमी गतिविधियों, आवास उपयोग, प्रजनन क्षेत्रों और

### निकोबारी समुदाय इस कदम का विरोध क्यों कर रहे है?

समुदाय का विरोध कानूनी, सांस्कृतिक और आजीविका संबंधी चिंताओं पर आधारित है:

- **FRA का उल्लंघन:** अभयारण्य अधिसूचना से पहले ग्राम सभा

प्रजनन व्यवहार का अध्ययन करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।


- यह पहल भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) द्वारा असम वन विभाग और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के सहयोग से संचालित की गई, जिसमें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का वित्तीय सहयोग भी शामिल है।
- इस परियोजना से संरक्षण अधिकारियों को बेहतर आवास प्रबंधन रणनीतियाँ बनाने और असम में मीठे पानी (freshwater) की जैव विविधता के संरक्षण को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

### गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ के बारे में:

- गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ (Ganges Soft-Shell Turtle - *Nilssoniana gangetica*) दक्षिण एशिया का मूल निवासी एक बड़ा मीठे पानी का कछुआ प्रजाति है। यह अपने सपाट चमड़े जैसे खोल, लंबी गर्दन और नलीनुमा थूथन (snout) के लिए जाना जाता है, जो इसे पानी के अंदर रहते हुए भी सांस लेने में मदद करता है।

### प्रमुख विशेषताएँ:

- इस कछुए का खोल जैतूनी हरा या हल्का मटमैला हरा होता है, जिसके किनारे पीले रंग के होते हैं।
- इसका खोल चपटा और लचीला होता है, जिससे यह पानी में तेजी से तैर सकता है।
- यह दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के कछुओं में से एक है, जिसकी खोल की लंबाई 94 सेमी तक हो सकती है।
- यह सर्वाहारी (omnivorous) और मृतभक्षी (scavenging) प्रकृति का होता है, जो मछली, मेंढक, घोंघे (mollusks), जलीय पौधे, कीड़े और मृत जीवों को खाता है।
- इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान इसके सिर के ऊपरी भाग पर पाया जाने वाला तीर के आकार (arrowhead-shaped) का निशान है।



### आवास और वितरण:

- यह प्रजाति दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी प्रणालियों में पाई जाती है, जिनमें शामिल हैं:
  - » गंगा
  - » ब्रह्मपुत्र
  - » सिंधु
  - » यमुना
  - » महानदी
- यह गहरे, धीमी गति से बहने वाली नदियों, झीलों, जलाशयों, नहरों और रेत या कीचड़ वाले तल वाले जल क्षेत्रों में निवास करती है।
- भारत में असम को मीठे पानी के कछुओं के संरक्षण के लिए विश्व के प्रमुख (priority) क्षेत्रों में माना जाता है। भारत में पाई जाने वाली आठ सॉफ्ट-शेल कछुआ प्रजातियों में से पाँच काजीरंगा परिदृश्य (Kaziranga landscape) में दर्ज की गई हैं।

### पारिस्थितिक महत्व:

- गंगा सॉफ्ट-शेल कछुआ एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह नदियों में सफाई (scavenger) और शिकारी (predator) के रूप में कार्य करता है। यह मृत और सड़ते हुए जैविक पदार्थों को खाकर मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में जल की गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

### संरक्षण स्थिति:

- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित।
- वन्य जीव एवं वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I (Appendix I) में शामिल।

### प्रमुख खतरे:

इस प्रजाति को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है:

- रेत खनन, बांध निर्माण और नदी प्रदूषण के कारण आवास का विनाश।
- मछली पकड़ने के जालों में आकस्मिक फँसकर मृत्यु।
- मांस और कछुए के पंजों से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के कारण

अवैध शिकार।

- मानवीय गतिविधियों के कारण मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का लगातार क्षरण।

### निष्कर्ष:

गंगा साँफ्ट-शेल कछुए की सैटेलाइट टैगिंग भारत के मीठे पानी के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल वन्यजीव प्रबंधन में तकनीक के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है और दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता के लिए नदी तंत्र और संकटग्रस्त जलीय प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है।

## ICJ की जलवायु संबंधी राय पर आधारित यूएनजीए प्रस्ताव पर भारत ने मतदान से दूरी बनाई

### संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी दायित्वों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकारी राय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के एक प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई। यह प्रस्ताव वानुआतु द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 141 देशों के समर्थन, 8 विरोध तथा भारत सहित 28 देशों के मतदान से दूर रहने के साथ पारित किया गया।

### प्रस्ताव के बारे में:

- इस प्रस्ताव में देशों से आग्रह किया गया कि वे जलवायु परिवर्तन पर ICJ की सलाहकारी राय के अनुरूप अपने जलवायु दायित्वों का पालन करें।
- जलवायु परिवर्तन पर ICJ की सलाहकारी राय:**
  - देशों पर मानव-जनित जलवायु परिवर्तन से निपटने का कानूनी दायित्व है।
  - राज्यों को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।
  - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में “सर्वोच्च संभव

महत्वाकांक्षा” दिखाई देनी चाहिए।

- जलवायु प्रतिबद्धताएँ “ड्यू डिलिजेंस” (Due Diligence) के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, जिसके तहत उनका कड़ाई से पालन और क्रियान्वयन आवश्यक है।
- हालाँकि ICJ की सलाहकारी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी उनका नैतिक और कानूनी प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होता है तथा वे भविष्य के अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून और जलवायु मुकदमों को प्रभावित कर सकती हैं।

### भारत के मतदान से दूरी बनाने के प्रमुख कारण:

- यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ढाँचे की सुरक्षा:** भारत का तर्क था कि जलवायु संबंधी दायित्व केवल निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत हुई वार्ताओं से उत्पन्न होने चाहिए:
  - संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC)
  - पेरिस समझौता (Paris Agreement)
  - भारत ने ICJ की गैर-बाध्यकारी राय को अर्ध-बाध्यकारी (quasi-binding) दर्जा देने का विरोध किया।
- NDCs को लेकर चिंताएँ:** भारत ने कहा कि यह प्रस्ताव:
  - पेरिस समझौते की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित संरचना को कमजोर कर सकता है।
  - घरेलू जलवायु लक्ष्यों (NDCs) को अंतरराष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला सकता है।



- विकासशील देशों पर बाहरी उत्सर्जन-नियंत्रण मानक का दबाव बना सकता है।

- **जलवायु वित्त (Climate Finance) की अनदेखी:** भारत ने प्रस्ताव में “क्लाइमेट फाइनेंस” का उल्लेख न होने की कड़ी आलोचना की। भारत ने जोर देकर कहा कि:
  - » विकसित देशों की उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी है।
  - » उन्हें निम्नलिखित सहायता प्रदान करनी चाहिए:
    - वित्तीय सहायता
    - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
    - क्षमता निर्माण सहयोग
    - भारत ने इस चूक को “गंभीर चिंता” बताया।
- **CBDR-RC सिद्धांत का कमजोर होना:**
  - » भारत ने “सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ” (CBDR-RC) के सिद्धांत को दोहराया। भारत का कहना था कि:
    - » ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों और विकासशील देशों पर समान बोझ नहीं डाला जा सकता। ऊर्जा परिवर्तन होना चाहिए:
      - न्यायसंगत
      - समानतापूर्ण
      - विकास-उन्मुख

### अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में:

- **स्थापना:**
  - » संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग।
  - » वर्ष 1945 में स्थापित।
  - » मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड।

### ICJ के कार्य:

- **विवादास्पद मामले (Contentious Cases):** संप्रभु राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है।
- **परामर्शात्मक राय (Advisory Opinions):** संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों को कानूनी राय प्रदान करता है।

### प्रमुख विशेषताएँ:

- 15 न्यायाधीशों से मिलकर बना है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ICJ की संविधि के पक्षकार हैं।
- निर्णय निम्न आधारों पर दिए जाते हैं:
  - » अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
  - » प्रथाएँ/रीतियाँ

» कानून के सामान्य सिद्धांत

### अधिकार-क्षेत्र और प्रवर्तन:

- ICJ का अधिकार-क्षेत्र राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है।
- ICJ के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
- यदि कोई राज्य निर्णय का पालन नहीं करता, तो प्रवर्तन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका हो सकती है।

### निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव पर भारत का मतदान से दूरी बनाना (abstention) जलवायु शासन में न्यायिक निगरानी के विस्तार के प्रति उसके सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। जलवायु कार्रवाई और संवेदनशील देशों के समर्थन के साथ-साथ भारत लगातार जलवायु समानता, विकासात्मक न्याय और UNFCCC ढाँचे पर बल देता रहा है।

## भारतीय कॉकरोच प्रजातियों पर ZSI का अध्ययन

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India - ZSI) के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय टैक्सोनॉमी पत्रिका जूटाक्सा (Zootaxa) में भारत के कॉकरोच (ब्लेटोडिया) पर एक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया है।

### मुख्य बिंदु:

- **उच्च स्थानिकता (Endemism):** रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कॉकरोच की 191 दर्ज प्रजातियाँ हैं। इनमें से 60% से अधिक (लगभग 119 प्रजातियाँ) स्थानिक (Endemic) हैं, अर्थात् ये केवल भारत में ही पाई जाती हैं।
- **प्रथम डीएनए बारकोड लाइब्रेरी:** वैज्ञानिकों ने भारत की पहली और सबसे बड़ी डीएनए बारकोड संदर्भ लाइब्रेरी (DNA Barcode Reference Library) तैयार की है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज I जीन का उपयोग करके 100 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले बारकोड विकसित किए गए हैं। डीएनए बारकोडिंग (DNA Barcoding) एक अत्याधुनिक जैविक तकनीक है, जिसका उपयोग किसी अज्ञात जीव की विशिष्ट प्रजाति (Species) की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- **गुप्त विविधता (Cryptic Diversity):** आनुवंशिक विश्लेषण

से मात्र 150 नमूनों में से 86 से 99 विशिष्ट आनुवंशिक वंशावलियों (lineages) का पता चला है। इनमें से 44 वंशावलियाँ अभी भी अनाम हैं, जो भविष्य में नई प्रजातियों की खोज का संकेत देती हैं। हाल ही में पुणे के खेतों में खोजी गई नई प्रजाति 'नियोलोबोटेरा पेनिनुसुलारिस' (Neoloboptera peninsularis) इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

- **गोंडवाना काल से संबंध:** टाइम-कैलिब्रेटेड फाइलोजेनेटिक विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय कॉकरोच का विविधकरण लगभग 162 मिलियन वर्ष पुराना है। यह कालक्रम गोंडवाना महाद्वीप के विखंडन और अफ्रीका से इंडो-मेडागास्कर प्लेट के अलग होने के इतिहास से मेल खाता है।

**THE COCKROACH THE ULTIMATE SURVIVOR**  
280 MILLION YEARS OF SURVIVAL. COUNTLESS REASONS TO MARVEL (OR SHUDDER).

- The establishment of the Cockroach Janta Party (CJP) has brought the insect to the limelight.
- This insect whose origin dates back 280 million years is found in almost every household.

“A nuclear war, if it comes, will not be won by the Americans ... the Russians ... the Chinese. The winner of World War II will be the cockroach.”  
- National Committee for a Sane Nuclear Policy, 1965

**A SURVIVOR THROUGH TIME**

- 280 MILLION YEARS AGO: Cockroaches appear on Earth.
- CRETACEOUS-PALEOGENE EXTINCTION: Survived the extinction that killed 80% of animal life.
- HIROSHIMA & NAGASAKI 1945: Seen emerging from rubble - a myth was born.
- TODAY: Found in almost every household.

From nuclear radiation to decapitation, nothing can wipe it out from the earth.

**CAN COCKROACHES SURVIVE NUCLEAR WAR?**

**MYTH** vs **FACT**

**MYTH:** Cockroaches were reportedly seen emerging from the rubble after the nuclear bombings in Hiroshima and Nagasaki. So, a myth was created that they can survive nuclear attacks.

**FACT:** They CANNOT survive the heat of a nuclear fireball or the crushing pressure of shockwaves. But they are highly resistant to nuclear radiation. They survived after being exposed to 10,000 rad, which is 10 times the lethal dose for humans.

So, it is most likely to outlive humans after a radioactive fallout.

**CAN COCKROACH LIVE WITHOUT HEAD?**

Yes! A cockroach can survive for days or even weeks without its head.

- Open circulatory system: Blood clots in the head stump, sealing it and isolating it from the rest of the body.
- Breathes through small pores called spiracles located along its body.

So, it can move, sense its surroundings and do simple work without a head.

**MORE AMAZING COCKROACH FACTS**

- NATURE'S RECYCLER:** Cockroaches play an important role in the nitrogen cycle. They feed on dead and decaying matter and recycle it back into the soil.
- FOOD FOR MANY:** They are a food source for many animals, including birds and rats.
- CAN HOLD ITS BREATH:** Cockroaches can live submerged under water for up to 30 minutes. They hold their breath to regulate water loss.
- GOOD RUNNERS:** Cockroaches can run up to 3 miles an hour. Baby cockroaches can run as fast as their parents.
- FAST GROWERS:** The German cockroach can become an adult in just 30 days after its birth.
- SIZE MATTERS:** The largest cockroaches are found in South America with a one-foot wingspan. Average cockroaches range from 1/2" to 2" long.
- DIVERSE SPECIES:** The most common cockroach in the German cockroach, but there are more than 4,000 species of roaches.

⚠️ The German cockroaches are harmful to human beings as they have been held responsible for the outbreaks of illness and allergic reactions in many people.

1% से भी कम मानव आवासों में कीट (pests) के रूप में रहती हैं। अधिकांश प्रजातियाँ जंगलों और गिरे हुए पत्तों (leaf-litter) के बीच रहती हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं।

- **खाद्य जाल (Food Web) का आधार:** ये कीड़े पक्षियों, सरीसृपों और छोटे स्तनधारियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला का संतुलन बना रहता है।
- **बायोइंडिकेटर (Bioindicators):** जंगली कॉकरोच पर्यावरण और आवास में होने वाले बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।
- **बीज प्रकीर्णन (Seed Dispersal):** जंगलों में रहने वाली कॉकरोच की कुछ प्रजातियाँ कुछ विशिष्ट पौधों के बीजों को फैलाने (Dispersal) में मदद करती हैं। वे इन बीजों को खाकर या अपने शरीर से चिपकाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाती हैं, जिससे पौधों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन (Natural Regeneration) को बढ़ावा मिलता है।
- **मृदा में वायु संचालन (Soil Aeration):** मिट्टी के नीचे या पत्तियों के सड़ते ढेर (Leaf litter) में सुरंगें और बिल बनाकर रहने के कारण, ये कीट प्राकृतिक रूप से मिट्टी की खुदाई करते हैं। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन और पानी का प्रवाह बेहतर होता है, जिसे 'सॉइल एरेशन' कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों की जड़ों के विकास के लिए बेहद जरूरी है।

### निष्कर्ष:

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा तैयार की गई यह पहली डीएनए बारकोड संदर्भ लाइब्रेरी केवल कॉकरोच प्रजातियों का दस्तावेजीकरण नहीं है, बल्कि यह भारत की व्यापक जैविक संप्रभुता (Biological Sovereignty) को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान (Taxonomy) के साथ 'डीएनए बारकोडिंग' जैसी आधुनिक तकनीकों का यह मेल (एकीकृत वर्गीकरण दृष्टिकोण) भारत के 'राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य' (National Biodiversity Targets) को प्राप्त करने में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

### पारिस्थितिक महत्व:

कॉकरोच को केवल गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीव के रूप में देखा जाता है। हालांकि, इसके पारिस्थितिक महत्व हैं:

- **पोषक तत्वों का चक्रण:** दुनिया भर की 5,000 प्रजातियों में से

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



## भारत का सेमीकंडक्टर मिशन: चिप प्रौद्योगिकी, नवाचार और तकनीकी संप्रभुता की ओर कदम

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission-ISM) के अंतर्गत दो नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें गुजरात के धोलेरा में देश की पहली गैलियम नाइट्राइड (GaN) आधारित सेमीकंडक्टर एवं माइक्रो-एलईडी निर्माण इकाई तथा सूरत में एक नई सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एवं परीक्षण सुविधा शामिल है। इन स्वीकृतियों के साथ भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 12 तक पहुँच गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन इकाई के लिए तकनीकी सहयोग समझौता भी हुआ है। ये सभी घटनाक्रम दर्शाते हैं कि भारत अब केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपभोक्ता बाजार नहीं रहना चाहता, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण निर्माता और नवाचार केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

### नीति आयोग का 2035 रोडमैप:

- हाल ही में जारी 10-वर्षीय रोडमैप भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक 120-150 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला पारितंत्र विकसित करना है। यह रोडमैप पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
  - » उन्नत अनुसंधान एवं विकास तथा डिजाइन बौद्धिक संपदा (IP)
  - » दीर्घकालिक निवेश और वित्तीय समर्थन
  - » उन्नत पैकेजिंग एवं कंपाउंड सेमीकंडक्टर विनिर्माण
  - » कुशल मानव संसाधन और प्रतिभा विकास

- » विश्वसनीय वैश्विक साझेदारी और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग
- विशेष रूप से यह दस्तावेज भारत को उन्नत पैकेजिंग, आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण (OSAT), वाइड-बैंडगैप सेमीकंडक्टर और डिजाइन नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल देता है। यह दृष्टिकोण यथार्थवादी भी है क्योंकि वर्तमान वैश्विक बाजार में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल डिजाइन प्रतिभा आधार है।

### सेमीकंडक्टर की महत्ता:

- सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) मुख्य रूप से सिलिकॉन से बने होते हैं। सामान्य स्थिति में ये विद्युत् नहीं गुजारते, लेकिन अशुद्धियाँ मिलाने पर ये सुचालक बन जाते हैं। इसी गुण के कारण इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने (स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन) के लिए किया जाता है।
- स्मार्टफोन, लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5जी नेटवर्क, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, उपग्रह, रक्षा प्रणालियाँ और सुपरकंप्यूटर, इन सभी के केंद्र में सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। इन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था का “नया तेल” भी कहा जाता है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं और उसके बाद उत्पन्न चिप संकट ने दुनिया को यह एहसास कराया कि सेमीकंडक्टर केवल औद्योगिक उत्पाद नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति हैं। अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा और ताइवान जलडमरूमध्य से जुड़े भू-राजनीतिक तनावों ने भी चिप निर्माण को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में बदल दिया है। यही कारण है कि

आज लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ अपनी घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करने का प्रयास कर रही हैं।

### भारत सेमीकंडक्टर मिशन : एक व्यापक दृष्टि

- भारत सरकार ने वर्ष 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य केवल चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करना नहीं, बल्कि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, डिस्प्ले निर्माण और अनुसंधान को शामिल करते हुए एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- मिशन के अंतर्गत सरकार सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग एवं परीक्षण इकाइयों तथा डिजाइन कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वर्तमान में गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कई परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन, सीजी पावर, फॉक्सकॉन, एचसीएल और अन्य घरेलू एवं वैश्विक कंपनियाँ इस मिशन का हिस्सा हैं।

### भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0:

- भारत सरकार ने हाल ही में बजट 2026 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य केवल विनिर्माण इकाइयों तक सीमित नहीं है बल्कि सेमीकंडक्टर उपकरण, विशेष रसायन, कच्चे माल, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, डिजाइन नवाचार और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यदि भारत चिप डिजाइन में अपनी मौजूदा ताकत को विनिर्माण क्षमता के साथ जोड़ने में सफल हो जाता है, तो वह वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख शक्ति बन सकता है।

### धोलेरा: भारत का उभरता 'सिलिकॉन वैली ऑफ चिप्स':

- गुजरात का धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (Dholera Special Investment Region) भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। यहीं पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) के सहयोग से भारत की पहली व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई स्थापित की जा रही है।
- लगभग ₹91,000 करोड़ के निवेश वाली यह परियोजना 28 नैनोमीटर से लेकर 110 नैनोमीटर तक की चिप्स का उत्पादन करेगी, जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स,

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में स्वीकृत गैलियम नाइट्राइड (GaN) आधारित संयंत्र भी धोलेरा में स्थापित होगा, जिससे यह क्षेत्र भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन जाएगा।

### ईयूवी लिथोग्राफी (EUV Lithography): चिप उद्योग की सबसे उन्नत तकनीक

- सेमीकंडक्टर निर्माण में सबसे जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया लिथोग्राफी होती है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से सिलिकॉन वेफर पर अरबों ट्रांजिस्टर्स के सूक्ष्म पैटर्न अंकित किए जाते हैं।
- वर्तमान समय में अत्याधुनिक चिप्स के निर्माण के लिए एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट (Extreme Ultraviolet-EUV) लिथोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह 13.5 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों के माध्यम से अत्यंत छोटे आकार की चिप्स बनाने में सक्षम है। 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर और भविष्य की 2 नैनोमीटर तकनीक वाली चिप्स के निर्माण में EUV तकनीक की केंद्रीय भूमिका है।
- इस क्षेत्र में डच कंपनी ASML का लगभग एकाधिकार है। विश्व की सबसे उन्नत EUV मशीनें केवल यही कंपनी बनाती है। भारत की पहली चिप फैब के लिए ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच सहयोग समझौता इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के उच्चतम स्तर तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

### कंपाउंड सेमीकंडक्टर: गैलियम नाइट्राइड (GaN):

- पारंपरिक चिप निर्माण मुख्यतः सिलिकॉन पर आधारित रहा है, लेकिन नई पीढ़ी की तकनीकों के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। गैलियम नाइट्राइड (GaN) ऐसा ही एक उन्नत पदार्थ है जो उच्च तापमान, उच्च वोल्टेज और उच्च आवृत्ति पर सिलिकॉन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है।
- GaN आधारित उपकरणों का उपयोग 5जी और भविष्य की 6जी संचार प्रणालियों, रडार, रक्षा उपकरणों, उपग्रह संचार, इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च दक्षता वाले फास्ट चार्जर्स में किया जाता है। यही कारण है कि भारत का पहला GaN फैब केवल औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### Micro-LED और डिस्प्ले प्रौद्योगिकी में अवसर:

- हाल ही में स्वीकृत परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले निर्माण है। जिसे अगली पीढ़ी की डिस्प्ले तकनीक माना जा रहा है।
- यह तकनीक अधिक चमक, कम ऊर्जा खपत, लंबी और बेहतर दृश्य गुणवत्ता प्रदान करती है। भविष्य में संवर्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR), स्मार्टवॉच, स्मार्ट ग्लास और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका व्यापक उपयोग होने की संभावना है।

### भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक पूंजी निवेश की है। एक आधुनिक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने में अरबों डॉलर का निवेश आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर उद्योग को विशाल मात्रा में शुद्ध जल, निरंतर विद्युत आपूर्ति और अत्यधिक कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।
- तकनीकी दृष्टि से भी भारत अभी शुरुआती चरण में है। ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दशकों के निवेश और अनुसंधान के बाद अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त की है।

- भारत को डिजाइन, सामग्री विज्ञान, उपकरण निर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में भी समानांतर रूप से क्षमता निर्माण करना होगा।

### निष्कर्ष:

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल औद्योगिक विकास कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह तकनीकी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव से जुड़ा हुआ एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन है। नीति आयोग का 2035 रोडमैप, भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति, धोलेरा में स्थापित हो रही पहली फैब, GaN और SiC जैसी उन्नत तकनीकों में निवेश तथा वैश्विक कंपनियों के साथ बढ़ती साझेदारियाँ इस बात का संकेत हैं कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दीर्घकालिक नेतृत्व की तैयारी कर रहा है। यदि देश अनुसंधान, कौशल विकास, निवेश और वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहता है, तो आने वाले दशक में भारत केवल चिप्स का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर शक्ति के रूप में उभर सकता है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## हंटावायरस का प्रकोप

### संदर्भ:

हाल ही में अटलांटिक महासागर में नीदरलैंड्स आधारित एक क्रूज जहाज पर संदिग्ध हंटावायरस प्रकोप के कारण तीन यात्रियों की मृत्यु हो गई है और तीन अन्य बीमार पड़ गए हैं।

### हंटावायरस के बारे में:

- हंटावायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, जो मुख्य रूप से कृन्तकों (जैसे चूहे) से मनुष्यों में फैलता है और इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा माना जाता है। यह हंटाविरिडी परिवार से संबंधित है और मनुष्यों में दो प्रमुख रोग उत्पन्न करता है—हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS), जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, तथा हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS), जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है।

- मनुष्यों में हंटावायरस रोग पैदा करने वाले वायरस के वंश का मुख्य वैज्ञानिक नाम 'ऑर्थोहंटावायरस' है। ये वायरस 'हंटाविरिडे' परिवार से संबंधित हैं और इनमें कई अलग-अलग प्रजातियाँ शामिल हैं, जैसे कि 'ऑर्थोहंटावायरस हंटानेन्स' (हंटान वायरस) और 'ऑर्थोहंटावायरस सिननोम्ब्रेएन्स' (सिन नोम्ब्रे वायरस)।
- इस वायरस की पहचान पहली बार 1970 के दशक में दक्षिण कोरिया के हंटान नदी क्षेत्र में हुई थी। आज यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है और अलग-अलग क्षेत्रों में इसके अलग-अलग स्ट्रेन मौजूद हैं। यह संक्रमण मुख्यतः संक्रमित कृन्तकों के मूत्र, मल या लार से दूषित सूक्ष्म कणों को सांस के माध्यम से लेने से फैलता है।

### लक्षण:

- संक्रमण के लक्षण आमतौर पर 1 से 8 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं, जिनमें बुखार, थकान, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं। गंभीर मामलों में HPS से सांस लेने में विफलता हो सकती है,

जबकि HFRS किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है। इसका कोई विशेष इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए समय पर पहचान और सहायक चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

## हंतावायरस क्या है

कैसे फैलता है और कितना खतरनाक



हंतावायरस एक दुर्लभ लेकिन घातक वायरस है, जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है।

### संक्रमण के तरीके



संक्रमित चूहों के पेशाब, मल या लार के संपर्क से



दूषित हवा में सांस लेने से

### लक्षण

**शुरुआती:**  
बुखार, थकान,  
मांसपेशियों में दर्द

**बाद में:** खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न

यह वायरस हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) पैदा करता है, जो जानलेवा हो सकता है।



### हंतावायरस में मृत्यु दर 38%

- इस बीमारी का कोई निश्चित इलाज नहीं है
- लक्षणों के आधार पर इलाज दिया जाता है
- गंभीर मामलों में वेंटिलेटर की जरूरत होती है
- बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनैटी वाले लोगों में खतरा ज्यादा

## आगे की राह:

- कूज जहाजों के लिए मानकीकृत बायो-सिक्योरिटी प्रोटोकॉल
- चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए पूर्व-निर्धारित सुरक्षित बंदरगाह
- IHR (2005) के तहत WHO समन्वय को मजबूत करना
- समुद्री क्षेत्रों में कृन्तक निगरानी में सुधार
- समुद्री कानून ढांचे में स्वास्थ्य सुरक्षा का एकीकरण

## निष्कर्ष:

हंतावायरस प्रकोप जूनोटिक रोगों के जोखिम, समुद्री गतिशीलता और वैश्विक शासन में मौजूद कमियों के बीच संबंध को उजागर करता है। यह एक अत्यधिक जुड़ी हुई दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा,

मानवाधिकार और नौवहन की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

## मिशन दृष्टि सैटेलाइट

### संदर्भ:

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित स्पेस-टेक स्टार्टअप GalaxEye ने सफलतापूर्वक मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया, जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपग्रह को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक कक्षा (orbit) में स्थापित किया गया। इसे भारत का सबसे बड़ा निजी रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान और अपनी तरह का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है।

### मिशन दृष्टि के बारे में:

- मिशन दृष्टि एक रिमोट-सेंसिंग (दूर संवेदन) उपग्रह है, जिसे भारतीय स्टार्टअप GalaxEye द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन (Earth observation) को बेहतर बनाना है, जिसमें कई सेंसिंग तकनीकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - » भारतीय निजी स्पेस-टेक कंपनी (GalaxEye) द्वारा विकसित
  - » SpaceX Falcon 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया
  - » वाणिज्यिक लॉन्च मिशन के जरिए सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित
  - » भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ी उपलब्धि
  - » उपग्रह तकनीक में भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।



## ऑप्टोसार तकनीक के बारे में:

- यह उपग्रह ऑप्टोसार (Optical + SAR) तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें दो उन्नत इमेजिंग प्रणालियों को जोड़ा गया है:
  - » **ऑप्टिकल इमेजिंग:** दृश्य प्रकाश (visible light) परिस्थितियों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन (high-resolution) चित्र प्रदान करती है।
  - » **सिंथेटिक अपचर रडार (SAR):** बादलों, अंधेरे और सभी मौसम स्थितियों में भी इमेजिंग करने में सक्षम बनाती है।

## महत्व:

- हर मौसम में, दिन और रात पृथ्वी का अवलोकन संभव बनाती है।
- भू-स्थानिक (geospatial) डेटा की सटीकता और निरंतरता को बढ़ाती है।
- रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन और जलवायु निगरानी के लिए उपयोगी है।

## भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए महत्व:

- IN-SPACe सुधारों के तहत भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है।
- उन्नत उपग्रह प्रणालियों के निर्माण में स्टार्टअप्स की क्षमता को दर्शाती है।
- ड्यूल-सेंसर (ऑप्टिकल + रडार) तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देती है।
- विदेशी उपग्रह डेटा सेवाओं पर निर्भरता को कम करती है।
- भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लक्ष्य को समर्थन देती है।

## भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र:

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी 2020 के बाद से एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह क्षेत्र अब केवल “विक्रेता-आधारित निर्माण” से आगे बढ़कर “पूर्ण मिशन क्षमता” की ओर विकसित हो रहा है, जिसे सुधारों ने गति दी है।
- वर्तमान में यह क्षेत्र एक व्यवस्थित नीति और संस्थागत ढांचे द्वारा समर्थित है, जो स्टार्टअप्स और निजी नवाचार को बढ़ावा देता है।

## मुख्य संस्थागत स्तंभ:

- IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र):** अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त सिंगल-विंडो संस्था, जो निजी कंपनियों को नियंत्रित और प्रोत्साहित करती है।

- NSIL (न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड):** इसरो की वाणिज्यिक शाखा, जो तकनीक हस्तांतरण और प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जिम्मेदार है।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष सेवाओं के निर्माण में निजी कंपनियों की भूमिका को औपचारिक रूप देती है।

## एफडीआई सुधार (2024):

- उपग्रह निर्माण में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति
- प्रक्षेपण वाहनों में 49% तक एफडीआई की अनुमति
- उपग्रह घटकों में 100% एफडीआई की अनुमति

## मुख्य उपलब्धियाँ:

- भारत का निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 200 से अधिक स्टार्टअप उपग्रह, प्रक्षेपण वाहनों और डेटा सेवाओं पर कार्य कर रहे हैं।
  - » **स्काईरूट एयरोस्पेस:** 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-एस लॉन्च किया
  - » **अग्रिकुल कॉसमॉस:** 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन और निजी लॉन्चपैड विकसित किया
  - » **वनवेब इंडिया:** IN-SPACe के माध्यम से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की अनुमति प्राप्त की
- ये विकास दर्शाते हैं कि भारत नवाचार और उद्यमिता से प्रेरित एक प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

## आगे की राह:

मिशन दृष्टि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के सरकारी-प्रधान मॉडल से सहयोगात्मक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। बढ़ती निजी भागीदारी के साथ, भारत धीरे-धीरे उन्नत उपग्रह तकनीक, पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों और भौगोलिक सूचना सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

**PCOS का नाम बदलकर PMOS किया गया**

## सन्दर्भ:

हाल ही में, वैश्विक विशेषज्ञों ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) का नाम बदलकर पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम (PMOS) कर दिया है। यह परिवर्तन मोनाश विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 14 वर्षों

के सहयोगात्मक शोध के बाद किया गया। द लैसैट में प्रकाशित इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल अंडाशयों से जुड़ी समस्या नहीं, बल्कि अंतःस्रावी (endocrine), चयापचय (metabolic) और प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला बहु-प्रणाली विकार (multisystem disorder) है।

### PMOS (पूर्व में PCOS) के बारे में:








- PMOS महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे सामान्य हार्मोनल विकारों में से एक है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग हर आठ में से एक महिला को प्रभावित करता है। यह कई प्रकार के लक्षणों से जुड़ा होता है, जैसे अनियमित या अनुपस्थित मासिक धर्म चक्र, बांझपन, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएँ, मुहाँसे, अत्यधिक बालों की वृद्धि, वजन बढ़ना, इंसुलिन प्रतिरोध, चिंता, अवसाद, मधुमेह तथा हृदय संबंधी जोखिम।
- पहले प्रयुक्त शब्द PCOS अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने वाले अंडाशयों में अनेक छोटे फॉलिकल्स (follicles) पर आधारित था, जिन्हें गलती से “सिस्ट” कहा गया। हालांकि, शोध से पता चला है कि ये वास्तविक सिस्ट नहीं होते, बल्कि ऐसे अविकसित फॉलिकल्स होते हैं जो परिपक्व होकर अंडाणु जारी करने में असफल रहते हैं।
- सामान्य मासिक चक्र में एक फॉलिकल प्रमुख बनकर अंडोत्सर्जन (ovulation) करता है, जबकि अन्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन PMOS में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे अनेक अपरिपक्व फॉलिकल्स बन जाते हैं, जो सिस्ट जैसे दिखाई देते हैं, पर वास्तव में यह अंडाशय की बीमारी नहीं बल्कि हार्मोनल असंतुलन का संकेत है।

### PMOS की प्रमुख विशेषताएँ:

- पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहु-प्रणाली विकार (multisystem disorder) को दर्शाता है, जो निम्नलिखित को प्रभावित करता है:
  - हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशयों से संबंधित अंतःस्रावी तंत्र की गड़बड़ी
  - इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह के जोखिम जैसी चयापचय संबंधी समस्याएँ
  - अनियमित अंडोत्सर्जन और बांझपन जैसी प्रजनन संबंधी चुनौतियाँ
  - मुहाँसे और अत्यधिक बालों की वृद्धि जैसे त्वचा संबंधी लक्षण
  - चिंता और अवसाद सहित मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
  - शरीर में दीर्घकालिक सूजन के कारण हृदय संबंधी जोखिम

## PCOS का नाम अब PMOS?

❖ क्या बदला है? ❖

PCOS नाम क्यों बदल रहा है?	PMOS क्या बताता है?
 <p>हर patient में ovarian cysts नहीं होते</p>	 <p><b>Polyendocrine</b> → multiple hormone imbalance</p>
 <p>यह सिर्फ ovaries की समस्या नहीं है</p>	 <p><b>Metabolic</b> → insulin resistance / weight issues</p>
 <p>hormones + metabolism भी प्रभावित होते हैं</p>	 <p><b>Ovarian</b> → ovulation &amp; fertility impact</p>
	 <p><b>Syndrome</b> → multiple symptoms together</p>

### नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी:

- विशेषज्ञों के अनुसार, PCOS नाम ने इस जटिल अंतःस्रावी विकार को केवल अंडाशयों तक सीमित करके अत्यधिक सरल रूप में प्रस्तुत किया। इस गलतफहमी के कारण दशकों तक बीमारी की पहचान में देरी हुई और उपचार भी पर्याप्त नहीं हो पाया। नया नाम इस स्थिति को सुधारता है, क्योंकि यह स्वीकार करता है कि यह केवल एक अंग नहीं बल्कि शरीर की अनेक प्रणालियों से जुड़ा विकार है।
- पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम अंतःस्रावी नियंत्रण, चयापचय प्रक्रियाओं तथा प्रजनन हार्मोनों में होने वाली गड़बड़ियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह न्यूरोएंडोक्राइन (neuroendocrine) और चयापचय संबंधी कारकों को भी मान्यता देता है, जिससे चिकित्सा अभ्यास और शोध में इस बीमारी को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है।

### भारत की भूमिका:

- भारत ने इस वैश्विक सहमति प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें दुनिया भर की 56 संस्थाओं से जुड़े मरीजों, चिकित्सकों और पेशेवर संगठनों के 22,000 से अधिक सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर व्यापक परामर्श किया गया। भारतीय विशेषज्ञों ने इस बदलाव के महत्व पर विशेष जोर दिया, क्योंकि भारत में इसकी व्यापकता लगभग 16-18% है।
- मेटाबॉलिक (Metabolic) शब्द को शामिल करना भारत के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में किशोरों के बीच भी इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा और टाइप 2 मधुमेह के मामले तेजी से

बढ़ रहे हैं।

### निष्कर्ष:

PCOS से PMOS में परिवर्तन महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी शोध में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुरूप नई शब्दावली अपनाने से चिकित्सकीय स्पष्टता और रोगियों में जागरूकता दोनों बढ़ती हैं। भारत और विश्व के लिए यह एक अधिक सटीक ढाँचा प्रदान करता है, जिससे लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली इस स्थिति के बेहतर प्रबंधन और समन्वित, दीर्घकालिक देखभाल में सहायता मिलेगी।

## इबोला वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित

### संदर्भ:

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न (PHEIC) घोषित किया है।

### प्रकोप की वर्तमान स्थिति:


- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के इतुरी प्रांत में अब तक 8 प्रयोगशाला-प्रमाणित इबोला मामले और 246 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 80 संदिग्ध मौतें भी रिपोर्ट की गई हैं।
- युगांडा के कंपाला में भी दो इबोला मामलों की पुष्टि हुई है। ये संक्रमित व्यक्ति डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से यात्रा करके आए थे, जिससे सीमा-पार संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है।
- WHO ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि यह प्रकोप गंभीर है और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, फिर भी यह वर्तमान में COVID-19 जैसी महामारी आपात स्थिति की श्रेणी में नहीं आता। संगठन ने देशों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा या सीमा प्रतिबंध लगाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे कदम मानवीय सहायता और व्यापार को बाधित कर सकते हैं।

### इबोला वायरस रोग क्या है?

- इबोला वायरस रोग (EVD) एक गंभीर और अक्सर जानलेवा संक्रामक रोग है, जो ऑर्थोइबोला वायरस (Orthoebolavirus) जीनस से संबंधित वायरस के कारण होता है। यह एक जूनोटिक रोग है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह रोग रक्तसावी बुखार (haemorrhagic fever) पैदा करता है और

इसकी औसत मृत्यु दर लगभग 50% होती है।

- वर्तमान प्रकोप बंडिबुग्यो (Bundibugyo) स्ट्रेन के कारण हुआ है, जो इबोला वायरस का एक दुर्लभ प्रकार है, जिसके लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि कांगो और युगांडा में पहले भी इबोला के प्रकोप देखे गए हैं, यह बंडिबुग्यो स्ट्रेन से जुड़ा केवल तीसरा प्रकोप है।



### इबोला वायरस का संचरण:

- इबोला वायरस मुख्य रूप से जंगली जानवरों, जैसे कि फल खाने वाले चमगादड़ों (fruit bats), से उत्पन्न होता है और संक्रमित जानवरों या उनके शारीरिक द्रवों के सीधे संपर्क से मनुष्यों में फैलता है।
- निदान परीक्षण और उपचार:**
  - इबोला संक्रमण की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक होते हैं। प्रमुख निदान विधियों में RT-PCR परीक्षण, एंटीबॉडी-कैप्चर ELISA परीक्षण, एंटीजन डिटेक्शन परीक्षण, और सेल कल्चर द्वारा वायरस आइसोलेशन शामिल हैं।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इबोला वायरस रोग के मानक उपचार के रूप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार mAb114 (Ansuvimab/Ebanga) और REGN-EB3 (Inmazeb) की दृढ़ता से अनुशंसा करता है।
  - मुख्य नियंत्रण उपायों में मरीजों का आइसोलेशन, संपर्कों

की पहचान (contact tracing), सुरक्षित दफन प्रथाएँ, बेहतर स्वच्छता, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग और जन-जागरूकता अभियान शामिल हैं।

### विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में:

- WHO संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विशेषीकृत एजेंसी है। यह 1948 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- यह वैश्विक स्तर पर बीमारियों से लड़ने, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के प्रयासों का समन्वय करता है।
- WHO वर्तमान में 194 सदस्य देशों के साथ काम करता है और दुनिया भर में अपने क्षेत्रीय और देशीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें भारत भी शामिल है।

### निष्कर्ष:

कांगो और युगांडा में इबोला का प्रकोप यह दर्शाता है कि संक्रामक रोग अब भी एक गंभीर वैश्विक खतरा हैं। WHO की यह घोषणा वैश्विक सहयोग, रोग निगरानी और तेज सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तंत्र के महत्व पर जोर देती है, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रसार को रोका जा सके और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

## चंद्रयान-3 मिशन के 'हॉप' प्रयोग से चंद्रमा की उपसतही परतों का खुलासा

### संदर्भ:

चंद्रयान-3 के लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट किए गए "हॉप प्रयोग" (Hop Experiment) से प्राप्त आँकड़ों ने हाल ही में चंद्रमा की रेजोलिथ (धूल एवं चट्टानी सतह) संरचना के बारे में नई जानकारी प्रदान की है। मिशन से यह पता चला है कि चंद्रमा की ऊपरी सतह एकसमान नहीं है, बल्कि केवल कुछ सेंटीमीटर की गहराई में ही विभिन्न परतों से बनी हुई है। यह अध्ययन ChaSTE उपकरण के आँकड़ों के आधार पर द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल (The Astrophysical Journal) में प्रकाशित किया गया।

### चंद्रयान-3 मिशन के बारे में:

- चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे वर्ष 2023 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसने चंद्रमा

के दक्षिणी ध्रुव के निकट पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। इस मिशन में शामिल थे:

- » विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर
- » एक चंद्र दिवस (लगभग 14 पृथ्वी दिवस) की संचालन अवधि
- » सतही संरचना, भूकंपीय गतिविधियों तथा तापीय अध्ययनों पर विशेष ध्यान
- » चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव संभावित जल-बर्फ भंडारों के कारण वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

### 'हॉप' प्रयोग क्या है?

- हॉप प्रयोग (Hop Experiment) या 'हॉप टेस्ट', इसरो (ISRO) के चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किया गया एक ऐतिहासिक और सफल परीक्षण है। इस प्रयोग के तहत, चंद्रयान-3 की मुख्य सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, वैज्ञानिकों ने लैंडर के इंजनों को चंद्र सतह पर दोबारा चालू (Reignite) किया।
- इसके बाद विक्रम लैंडर ने हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर छलांग (Hop) लगाई और अपनी मूल जगह से 30 से 50 सेंटीमीटर दूर एक नए स्थान पर फिर से सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग की।

### 'हॉप' प्रयोग के प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष:

- दो अलग-अलग उपसतही परतें
  - » ऊपरी सतह पर एक ढीली और छिद्रयुक्त (porous) परत मौजूद है।
  - » 2-6 सेंटीमीटर की गहराई के नीचे अधिक सघन और ठोस परत पाई गई।
  - » यह दर्शाता है कि बहुत कम गहराई में ही भौतिक और तापीय गुणों में तीव्र परिवर्तन होता है।
- रॉकेट प्लूम द्वारा रेजोलिथ में परिवर्तन:
  - » लैंडर के निकास गैस (exhaust plume) ने चंद्र सतह की लगभग 3 सेंटीमीटर सामग्री को विस्थापित कर दिया। इससे पहले से दब चुकी परतें सतह पर आ गईं, जिससे उपकरणों को चंद्रमा पर प्लूम-मिट्टी (plume-soil) अंतःक्रिया का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर मिला।
- अत्यधिक तापीय प्रवणता (Thermal Gradient): मापों से पता चला कि:
  - » केवल 10 सेंटीमीटर की गहराई में तापमान लगभग 60°C तक घट जाता है।
  - » चंद्र मिट्टी की तापीय चालकता (thermal conductivity)

अत्यंत कम है।

- » यह जानकारी भविष्य में चंद्र आवास (lunar habitats) और तापीय सुरक्षा प्रणालियों के डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### ChaSTE के बारे में:

- ChaSTE (चंद्र सतह ताप-भौतिकीय प्रयोग) उपकरण Vikram Lander पर स्थापित था। इसमें एक छड़ (rod) के आकार की जांच प्रणाली थी, जिसमें विभिन्न गहराइयों पर तापमान सेंसर लगाए गए थे तथा इसके सिरे पर एक हीटर लगा हुआ था।
- ChaSTE ने चंद्र सतह में प्रवेश करके तापमान परिवर्तन, ऊष्मा प्रवाह तथा मिट्टी के प्रतिरोध को रिकॉर्ड किया। हॉप प्रयोग के दौरान सतह में हुए परिवर्तन के बाद ChaSTE ने परिवर्तित रेजोलिथ परिस्थितियों का अध्ययन किया, जिससे वैज्ञानिकों को ऊपरी मुलायम परत और नीचे की सघन परत की तुलना करने में सहायता मिली।

### निष्कर्षों का महत्व:

- **वैज्ञानिक महत्व:** इन निष्कर्षों से चंद्रमा की मिट्टी (रेजोलिथ) के निर्माण, प्रभाव इतिहास (impact history) तथा उपसतही संरचना की समझ बेहतर हुई है। ये चंद्रमा की निकट-सतही परतों का सूक्ष्म स्तर पर तापीय और घनत्व प्रोफाइल प्रदान करने वाले पहले अध्ययन हैं।
- **तकनीकी महत्व:** हॉप प्रयोग ने निम्न क्षमताओं को प्रमाणित किया है:
  - » सतह से नियंत्रित उड़ान भरने (controlled surface lift-off) की क्षमता
  - » पृथ्वी से बाहर की सतहों पर थ्रस्टर के सटीक उपयोग की क्षमता
  - » इंजन के निकास गैस (exhaust) के प्रभाव में रेजोलिथ के व्यवहार का अध्ययन
- **रणनीतिक महत्व:** ये निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, जिनमें शामिल हैं:
  - » मानव चंद्र लैंडिंग मिशन
  - » चंद्र आधार (Lunar Base) का निर्माण
  - » नमूना-वापसी (Sample Return) मिशन
  - » ये उपलब्धियाँ वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण और गहन अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की स्थिति को और मजबूत करती हैं।

### निष्कर्ष:

चंद्रयान-3 का हॉप प्रयोग एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में उभरा है, जिसने केवल कुछ सेंटीमीटर की गहराई में चंद्रमा की परतदार उपसतही संरचना का खुलासा किया है। इससे चंद्र भूविज्ञान की समझ में वृद्धि हुई है तथा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह संबंधी मिशनों में भारत की क्षमताओं को और सशक्त बनाती है।

## कार्बन-मुक्त फेरोसीन समरूप

### सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे कार्बन-मुक्त अणु का सफल संश्लेषण किया है, जो फेरोसीन की प्रसिद्ध “सैंडविच संरचना” की नकल करता है। यह खोज लगभग 70 वर्षों से अनसुलझी वैज्ञानिक चुनौती का समाधान मानी जा रही है। यह शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुआ है।

### फेरोसीन के बारे में:

- फेरोसीन 1950 के दशक की शुरुआत में खोजा गया एक प्रसिद्ध ऑर्गेनोमेटैलिक यौगिक है। इसकी संरचना में:
  - » केंद्र में एक लौह (Iron) परमाणु होता है।
  - » उसके दोनों ओर कार्बन-आधारित चक्रीय संरचनाएँ (Cyclopentadienyl Rings) होती हैं।
- इस अनूठी “सैंडविच संरचना” के कारण फेरोसीन का उपयोग:
  - » औषधि निर्माण
  - » बैटरियों
  - » इलेक्ट्रॉनिक्स
  - » उन्नत पदार्थ विज्ञान
 जैसे क्षेत्रों में होता है। इसकी स्थिरता और विशेष संरचना ने इसे ऑर्गेनोमेटैलिक रसायन विज्ञान का एक आदर्श यौगिक बना दिया।

### वैज्ञानिक चुनौती:

- दशकों से वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या फेरोसीन जैसी संरचना बिना कार्बन के बनाई जा सकती है। मुख्य प्रश्न थे:
  - » क्या “सैंडविच संरचना” केवल कार्बन रसायन पर निर्भर

करती है?

- » या अन्य तत्व भी इसी प्रकार की स्थिर संरचना बना सकते हैं?
- » विश्वभर में कई प्रयासों के बावजूद अब तक कोई स्थिर कार्बन-मुक्त समरूप तैयार नहीं किया जा सका था।

### नई खोज के बारे में:

- शोधकर्ताओं ने एक नया अणु विकसित किया, जिसमें:
  - » लौह के स्थान पर ऑस्मियम (Osmium)
  - » कार्बन रिंगों के स्थान पर बोरॉन-आधारित रिंग संरचनाएँ
  - » तथा स्थिर “सैंडविच जैसी” आणविक संरचना
  - » का निर्माण किया गया। यह दुनिया का पहला सफल कार्बन-मुक्त फेरोसीन समरूप माना जा रहा है।

### संरचनात्मक और रासायनिक महत्व:

- प्रारंभिक अध्ययन से पता चला कि:
  - » ऑस्मियम और बोरॉन रिंगों के बीच मजबूत बंधन मौजूद हैं।
  - » अणु अत्यधिक स्थिर है।
  - » कार्बन की अनुपस्थिति के बावजूद इसकी ज्यामिति फेरोसीन जैसी है।
  - » यह खोज उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है कि स्थिर चक्रीय आणविक संरचनाएँ केवल कार्बन से ही बन सकती हैं।

### रसायन विज्ञान में कार्बन का महत्व:

- कार्बन कार्बनिक रसायन विज्ञान का आधार है क्योंकि यह:
  - » मजबूत सहसंयोजक बंध बनाता है
  - » लंबी श्रृंखलाएँ और जटिल संरचनाएँ बना सकता है
  - » अत्यधिक आणविक विविधता प्रदान करता है
- यह नई खोज दर्शाती है कि कार्बन जैसी संरचनात्मक भूमिका अन्य तत्व भी निभा सकते हैं, जिससे अकार्बनिक और ऑर्गेनोमेटैलिक रसायन विज्ञान की सीमाएँ विस्तृत होंगी।

### खोज का महत्व:

- 70 वर्ष पुरानी रसायन विज्ञान की समस्या का समाधान
- रासायनिक बंधों की समझ का विस्तार
- आणविक डिजाइन के नए मार्गों का उद्घाटन

### पदार्थ विज्ञान में संभावनाएँ:

- भविष्य में यह खोज नए उत्प्रेरकों (Catalysts), उन्नत इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों, औद्योगिक उपयोग हेतु अत्यधिक स्थिर यौगिकों के विकास में सहायक हो सकती है।

### सीमाएँ:

- » यह अभी मूलभूत वैज्ञानिक शोध के स्तर पर है
- » व्यावहारिक उपयोगों पर अभी अध्ययन जारी है
- » दीर्घकालिक औद्योगिक एवं तकनीकी अनुप्रयोग अभी स्पष्ट नहीं हैं

### निष्कर्ष:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन-मुक्त फेरोसीन समरूप का संश्लेषण आधुनिक रसायन विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। कार्बन के बिना रसायन विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक को पुनः निर्मित करके इस खोज ने आणविक विज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया है तथा भविष्य में उन्नत पदार्थों के विकास की नई संभावनाएँ खोल दी हैं।

## भारतीय वैज्ञानिकों ने 'CLEAR' तकनीक विकसित की

### सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन इमेजिंग की एक नई और क्रांतिकारी तकनीक 'CLEAR' (Cleavable Light-Erased Antibody Reporter) विकसित की है। यह तकनीक 'प्रिसिजन मेडिसिन' (सटीक चिकित्सा), कैंसर की शुरुआती पहचान और न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका तंत्र) रोगों के इलाज में एक महत्वपूर्ण खोज सिद्ध हो सकती है। वैज्ञानिकों की इस खोज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के प्रतिष्ठित जर्नल 'केमिकल साइंस' में भी प्रकाशित किया गया है।


### CLEAR तकनीक के विषय में:

- पारंपरिक तरीकों में कोशिकाओं के भीतर विभिन्न प्रोटीनों की पहचान करने के लिए कई तरह के फ्लोरोसेंट मार्करों (चमकदार रंगों) का उपयोग करना पड़ता है। यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है और अक्सर इससे जैविक ऊतक (टिश्यूज) खराब हो जाते हैं।
- CLEAR तकनीक इस पूरी प्रक्रिया को एक 'बायोलॉजिकल ब्लैकबोर्ड' की तरह आसान बना देती है। इसमें केवल एक ही फ्लोरोसेंट मार्कर का उपयोग करके अनगिनत प्रोटीनों का नक्शा तैयार किया जा सकता है:
  - » **टैगिंग (Tagging):** सबसे पहले फ्लोरोसेंट टैग की मदद से

कोशिका के चुनिंदा प्रोटीन को चमकाया जाता है।

- » **इमेजिंग (Imaging):** माइक्रोस्कोप के जरिए इसकी हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीर ली जाती है।
- » **इरेजिंग (Erasing):** इसके बाद 365 nm LED लाइट की एक हल्की किरण डालकर उस चमक (सिग्नल) को पूरी तरह मिटा दिया जाता है।
- » **रिपीटिंग (Repeating):** ब्लैकबोर्ड साफ होने के बाद, उसी नमूने पर दूसरे प्रोटीनों को फिर से टैग और स्कैन किया जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है।

- 'जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च' (JNCASR), बेंगलुरु के प्रोफेसर सरित एस. अगस्ती और उनकी टीम ने इस तकनीक को डिजाइन और सिंथेसाइज किया है और 'भारतीय विज्ञान संस्थान' (IISc) बेंगलुरु ने इम्यून कोशिकाओं (प्रतिरक्षा कोशिकाओं) जैसे जटिल जैविक प्रणालियों पर इस तकनीक का सफल परीक्षण करने में मदद की।



### चिकित्सा क्षेत्र में इस तकनीक का अनुप्रयोग:

- **कैंसर की शुरुआती पहचान:** यह तकनीक डॉक्टरों को कोशिकाओं के स्तर पर होने वाले उन सूक्ष्म बदलावों को देखने में मदद करेगी जो पारंपरिक स्कैन में दिखाई नहीं देते। इससे कैंसर का बेहद शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकेगा।
- **दिमागी बीमारियों को समझना:** अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में प्रोटीनों के व्यवहार को समझना अब तक बहुत कठिन था, लेकिन CLEAR तकनीक से इनका सटीक अध्ययन संभव होगा।
- **प्रिसिजन मेडिसिन (सटीक उपचार):** हर मरीज का शरीर और उसकी बीमारी अलग होती है। यह तकनीक मरीज के प्रोटीनोमिक प्रोफाइल का सटीक डेटा देगी, जिससे डॉक्टर 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' के बजाय मरीज के अनुसार सटीक दवाएं तैयार कर सकेंगे।
- **कम लागत और अधिक दक्षता:** केवल एक मार्कर और सामान्य एलईडी लाइट का उपयोग होने के कारण यह तकनीक मौजूदा

वैश्विक तकनीकों की तुलना में काफी सस्ती और सुरक्षित है।

### निष्कर्ष:

'CLEAR' तकनीक का विकास आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक चिकित्सा विज्ञान के लिए एक गर्व का क्षण है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई यह तकनीक न केवल प्रयोगशाला अनुसंधान की गति को तेज करेगी, बल्कि आने वाले समय में दुनिया भर के करोड़ों मरीजों को कम खर्च में सटीक और जीवन रक्षक इलाज मुहैया कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

## भारत में हाइड्रोजन चलित ट्रेनो को मंजूरी

### सन्दर्भ:

हाल ही में रेलवे बोर्ड ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन (DPRS 1200 kW DEMU) के संचालन को आधिकारिक मंजूरी दी है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रेल खंड पर चलेगी जो भारत के 'नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन' लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकती है।

### हाइड्रोजन ट्रेनें क्या हैं?

- हाइड्रोजन ट्रेनें, जिन्हें 'हाइड्रैल' (Hydrail) या H-ट्रेन भी कहा जाता है, ऐसी विद्युत चालित ट्रेनें हैं जो बाहरी बिजली या डीजल के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल की सहायता से स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं।
- इनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल (HFC) तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बिजली उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया का एकमात्र उप-उत्पाद जलवाष्प होता है, इसलिए ये उपयोग के स्थान पर शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाली ट्रेनें मानी जाती हैं।

### भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की प्रमुख विशेषताएँ:

- **विकसितकर्ता:** इंडीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई
- **मार्ग:** जींद-सोनीपत, हरियाणा
- **संरचना:** 10-कोच वाली ट्रेनसेट
- **अधिकतम गति:** 75 किमी प्रति घंटा
- **प्रकार:** गैर-विद्युतीकृत मार्ग पर संचालन
- **वैश्विक समन्वय:** जर्मनी, जापान, स्वीडन और चीन की हाइड्रोजन रेल प्रणालियों के अनुरूप

### हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के बारे में:

- हाइड्रोजन ट्रेनें विद्युत-रासायनिक अभिक्रियाओं

(Electrochemical Reactions) के माध्यम से संचालित होती हैं:

- » हाइड्रोजन एनोड में प्रवेश करती है और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो जाती है।
- » प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) से होकर गुजरते हैं।
- » इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ (External Circuit) से प्रवाहित होकर बिजली उत्पन्न करते हैं।
- » कैथोड पर ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलती है।
- » **उत्पादन:** विद्युत् + जलवाष्प + ऊष्मा
- इस प्रणाली में दहन (Combustion) नहीं होता तथा इसमें बहुत कम चलायमान भाग होते हैं, जिससे यह शांत और अधिक दक्ष बनती है।

### भारत के लिए इसका महत्व:

- **रेलवे का डीकार्बोनाइजेशन:** यह भारतीय रेलवे के वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को समर्थन देता है तथा डीजल पर निर्भरता कम करता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** हाइड्रोजन ट्रेनें शून्य टेलपाइप उत्सर्जन प्रदान करती हैं, जिससे भारत को स्वच्छ परिवहन प्रणाली की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है।
- **रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण:** यह गैर-विद्युतीकृत तथा विरासत (Heritage) मार्गों पर हरित परिवहन को संभव बनाती है।
- **“हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज” पहल:** इस पहल के अंतर्गत भारतीय रेलवे विरासत एवं पहाड़ी मार्गों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को संचालित करने की योजना बना रहा है।

### राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में:

- वर्ष 2023 में स्वीकृत इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- **प्रमुख लक्ष्य:**
  - » वर्ष 2030 तक 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन
  - » निर्यात वृद्धि के साथ इसे 10 MMT तक विस्तारित करने की संभावना
  - » इस्पात, रिफाइनिंग और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन का प्रतिस्थापन

### हाइड्रोजन के प्रकार:

- **ग्रे हाइड्रोजन:** प्राकृतिक गैस/कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित; इसमें CO<sub>2</sub> उत्सर्जन होता है।
- **ब्लू हाइड्रोजन:** जीवाश्म ईंधनों से उत्पादित, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (CCS) तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन:** नवीकरणीय ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित; इसमें लगभग शून्य उत्सर्जन होता है।

### निष्कर्ष:

भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सतत रेलवे परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा वर्ष 2070 तक भारत की नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उचित विस्तार और आधारभूत संरचना के समर्थन के साथ, हाइड्रोजन ट्रेनें भारत की स्वच्छ, दक्ष और भविष्य-उन्मुख परिवहन प्रणाली का एक प्रमुख आधार बन सकती हैं।

## गिर में एशियाई शेर के शावकों की मृत्यु

### संदर्भ:

हाल ही में गुजरात के गिर क्षेत्र में आठ एशियाई शेर के शावकों की मृत्यु संदिग्ध बैबेसिया संक्रमण के कारण हुई है। ये मामले मुख्य रूप से गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों के राजस्व क्षेत्रों से रिपोर्ट किए गए हैं।

### बैबेसियोसिस क्या है?

- बैबेसियोसिस (Babesiosis) एक दुर्लभ लेकिन गंभीर टिक-जनित (संक्रमित कीड़ों के काटने से होने वाली) बीमारी है, जो ‘बैबेसिया’ (Babesia) नामक सूक्ष्म प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। यह परजीवी सीधे मानव या जानवरों की लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे एनीमिया (खून की कमी) जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।
- वर्ष 2018 में गिर क्षेत्र में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) और बैबेसियोसिस के सह-संक्रमण के कारण कई शेरों की मृत्यु दर्ज की गई थी, जिससे इसकी गंभीरता और अधिक स्पष्ट हुई।

### एशियाई शेरों की संरक्षण स्थिति:


- एशियाई शेर (वैज्ञानिक नाम: Panthera leo persica) केवल भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। इनका मुख्य प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। आकार में ये

अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं और इनके पेट पर त्वचा की एक विशिष्ट लंबवत (उभरी हुई) तह होती है।

» **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** सुभेद्य (Vulnerable)

» **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I (सर्वोच्च संरक्षण)

- **CITES:** परिशिष्ट I।
- **आवास:** केवल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, मुख्यतः गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- **आबादी:** हाल के अनुमानों के अनुसार लगभग 891 शेर।



## प्रमुख चिंता:

- **महामारी के प्रति संवेदनशीलता:** यदि एक ही बीमारी फैलती है तो पूरी आबादी को खतरा हो सकता है क्योंकि शेर एक ही क्षेत्र में सीमित हैं।
- **राजस्व क्षेत्रों में विस्तार:** शेर अब संरक्षित जंगलों से बाहर मानव-प्रधान क्षेत्रों में भी जाने लगे हैं, जिससे रोग संक्रमण और मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है।

- **कम आनुवंशिक विविधता:** सीमित प्रजनन के कारण इनब्रीडिंग होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलन क्षमता घटती है।

## आगे की राह:

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दूसरी आबादी स्थापित करना दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आवश्यक है, ताकि एक ही स्थान पर केंद्रित आबादी के जोखिम को कम किया जा सके। इसके साथ ही वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जिसमें मानव, पशुधन और वन्यजीव स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि जूनोटिक और वेक्टर जनित रोगों को रोका जा सके।
- इसके अलावा, आसपास के क्षेत्रों में नियमित एंटी-टिक अभियान और पशुधन का टीकाकरण भी रोग प्रसार को कम करने में महत्वपूर्ण हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं के माध्यम से जीनोमिक निगरानी को मजबूत करना भी रोग पैटर्न और उत्परिवर्तन की पहचान में मदद करेगा।

## निष्कर्ष:

गिर में शेर के शावकों की मृत्यु केवल एक स्थानीय वन्यजीव स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का चेतावनी संकेत है कि किसी प्रजाति को एक ही आवास में केंद्रित रखना कितना जोखिमपूर्ण हो सकता है। यदि आवास का विविधीकरण, मजबूत रोग निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन तुरंत नहीं अपनाया गया, तो एशियाई शेरों के दीर्घकालिक अस्तित्व पर गंभीर अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।



## कोयला गैसीकरण: ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और हरित संक्रमण के बीच भारत की नई रणनीति

### संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने ₹37,500 करोड़ की पृथ्वी की सतह के निकट पाये जाने वाले कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारत ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक ऊर्जा संकट, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें और बढ़ती आयात निर्भरता भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बन चुकी हैं।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक (लगभग 401 अरब टन) और लिग्नाइट (कोयले का एक निम्न प्रकार) का लगभग 47 अरब टन भंडार है। देश के ऊर्जा मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक है। गैसीकरण प्रक्रिया द्वारा कोयले/लिग्नाइट को सिंथेटिक गैस (सिन्गैस) में परिवर्तित किया जाता है, जो घरेलू स्तर पर ईंधन और रसायनों के उत्पादन के लिए बहुउपयोगी कच्चा माल है। इसी संदर्भ में “कोयला गैसीकरण” को ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक ईंधन अर्थव्यवस्था के नए आधार के रूप में देखा जा रहा है।

### कोयला गैसीकरण के बारे में:

- कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयला या लिग्नाइट को संश्लेषण गैस (Syngas) में परिवर्तित किया जाता है। सिंगैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसों से मिलकर बनी होती है।

- इसका उपयोग उर्वरक, मेथनॉल, अमोनिया, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन तथा औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में किया जा सकता है। यह तकनीक कोयला संसाधनों के विविध एवं अपेक्षाकृत स्वच्छ उपयोग को संभव बनाती है।
- भारत वर्तमान में LNG, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया तथा कोकिंग कोल का बड़ी मात्रा में आयात करता है। वित्त वर्ष 2025 में इन उत्पादों का आयात बिल लगभग ₹2.77 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जिससे देश अंतरराष्ट्रीय मूल्य उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील बन जाता है। कोयला गैसीकरण घरेलू कोयला संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करके इस निर्भरता को कम करने में सहायक हो सकता है।

### योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

- इस योजना में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं:
  - नई सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए ₹37,500 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता।
  - संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का अधिकतम 20% तक प्रोत्साहन (Incentive)।
  - लगभग 75 मिलियन टन कोयला एवं लिग्नाइट के गैसीकरण को सुगम बनाने का लक्ष्य।
  - पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (Competitive Bidding Process) के माध्यम से वित्तीय सहायता।
  - परियोजना की प्रगति (Milestones) से जुड़ी चार किस्तों में प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी।

- » प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम ₹5,000 करोड़ तक की प्रोत्साहन सीमा।
- » प्रौद्योगिकी-तटस्थ (Technology-neutral) दृष्टिकोण, जिसमें स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- » गैर-विनियमित क्षेत्र (Non-Regulated Sector) ढाँचे के अंतर्गत कोयला लिंकेज अवधि को 30 वर्षों तक बढ़ाने का प्रावधान।

## कोयला गैसीकरण की महत्ता:

### ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता:

- » भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% तथा प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसके अतिरिक्त मेथनॉल, अमोनिया और उर्वरकों के लिए भी विदेशों पर निर्भरता बनी हुई है।
- » वैश्विक स्तर पर किसी भी भू-राजनीतिक संकट का सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा लागत पर पड़ता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आयात-आधारित ऊर्जा व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती।
- » ऐसे में भारत अपने विशाल घरेलू कोयला भंडार का वैकल्पिक और अधिक उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। कोयला गैसीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

### आयात व्यय में कमी:

- वित्त वर्ष 2025 में एलएनजी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल, मेथनॉल, डीएमई और अन्य प्रमुख प्रतिस्थापन योग्य उत्पादों में भारत का आयात व्यय लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपये रहा। यदि कोयले से ही गैस, मेथनॉल और उर्वरक बनाए जाएंगे तो:
- » LNG आयात कम होगा,
- » मेथनॉल आयात घटेगा,
- » उर्वरक उद्योग को घरेलू कच्चा माल मिलेगा।
- » अनुमान है कि इससे भारत को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत हो सकती है।

### आत्मनिर्भर भारत और औद्योगिक विकास:

सरकार अब कोयले को केवल “ईंधन” नहीं, बल्कि “फीडस्टॉक” के रूप में विकसित करना चाहती है। इसका अर्थ है कि कोयले का उपयोग

विद्युत् उत्पादन से आगे बढ़कर रसायन उद्योग, परिवहन ईंधन तथा हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी किया जाएगा। यह नीति मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जैसी पहलों को भी मजबूती देती है।

- **रोजगार सृजन:** इस योजना के अंतर्गत कोयला उत्पादन क्षेत्रों में स्थित 25 परियोजनाओं में लगभग 50 हजार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है।
- **सरकारों को राजस्व:** योजना के तहत अनुमानित 75 मिलियन टन गैसीकरण में कोयला/लिग्नाइट उपयोग से सालाना 6,300 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। साथ ही माल और सेवा कर (जीएसटी) और अन्य करों से भी राजस्व प्राप्त होगा।
- **प्रौद्योगिकी पारितंत्र:** स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और विदेशी ईपीसी (निर्माण या औद्योगिक परियोजनाओं में इंजीनियरिंग, खरीद सामग्री और निर्माण की पूरी जिम्मेदारी के अनुबंध) ठेकेदारों पर निर्भरता कम करके भारत की घरेलू सतह के निकट स्थित कोयले की गैसीकरण क्षमता सुदृढ़ होगी।

### संभावित लाभ:

- **कोयले का स्वच्छ एवं कुशल उपयोग:** पारंपरिक कोयला दहन की तुलना में गैसीकरण अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रित और कुशल प्रक्रिया मानी जाती है। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ सकती है।
- **मेथनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** भारत “मेथनॉल अर्थव्यवस्था” (Methanol Economy) की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। मेथनॉल का उपयोग:
  - » परिवहन ईंधन,
  - » समुद्री ईंधन,
  - » रसायन उद्योग में किया जा सकता है।
  - » यदि मेथनॉल घरेलू स्तर पर बनने लगे, तो आयात निर्भरता कम होगी।
- **हरित हाइड्रोजन की दिशा में कदम:** सिंगैस से हाइड्रोजन भी प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में यह भारत की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था (Hydrogen Economy) को गति दे सकता है।
- **रोजगार और क्षेत्रीय विकास:** झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे कोयला-समृद्ध राज्यों में:
  - » नए उद्योग विकसित होंगे,
  - » रोजगार सृजित होंगे,

» स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।



## चुनौतियां:

हालाँकि कोयला गैसीकरण को अपेक्षाकृत बेहतर तकनीक माना जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ी कई चुनौतियाँ भी हैं:

- **कार्बन उत्सर्जन:** कोयला अंततः एक जीवाश्म ईंधन ही है। गैसीकरण प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। यदि कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (Carbon Capture Utilisation and Storage- CCUS) जैसी तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया, तो यह जलवायु लक्ष्यों के विपरीत जा सकता है। CCUS (कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण) एक अत्याधुनिक स्वच्छ तकनीक है जो औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोकती है।
- **जल उपयोग की समस्या:** गैसीकरण परियोजनाओं में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। भारत के कई कोयला क्षेत्र पहले से ही जल संकट से जूझ रहे हैं।
- **उच्च लागत और तकनीकी चुनौती:** यह अत्यधिक पूंजी-गहन तकनीक है। परियोजनाओं की स्थापना और संचालन दोनों में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। साथ ही भारत अभी इस तकनीक में पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा के साथ संतुलन:** भारत एक ओर सौर एवं पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कोयला गैसीकरण पर निवेश बढ़ा रहा है। इसलिए नीति-निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि विकास और हरित संक्रमण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।

## वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- चीन विश्व में कोयला गैसीकरण का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। उसने कोयले से रसायन एवं गैस उत्पादन के बड़े औद्योगिक मॉडल विकसित किए हैं। दक्षिण अफ्रीका भी लंबे समय से इस तकनीक का उपयोग कर रहा है।
- भारत अब इन देशों के अनुभवों से सीखकर अपनी ऊर्जा रणनीति को नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहा है।

## आगे की राह:

- भारत के लिए कोयला गैसीकरण न तो केवल ऊर्जा नीति है और न ही केवल औद्योगिक परियोजना। यह संसाधनों के रणनीतिक उपयोग की व्यापक सोच का हिस्सा है। हालाँकि इसकी सफलता कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करेगी:
  - » स्वदेशी तकनीक का विकास,
  - » पर्यावरणीय सुरक्षा,
  - » CCUS जैसी स्वच्छ तकनीकों का उपयोग,
  - » जल प्रबंधन,
  - » निजी निवेश और नीति स्थिरता।
- यदि इन चुनौतियों का समाधान किया गया, तो कोयला गैसीकरण भारत को ऊर्जा आयातक से ऊर्जा-आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

## निष्कर्ष:

आज विश्व ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। भारत के सामने दोहरी चुनौती है- एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और दूसरी ओर जलवायु प्रतिबद्धताएँ। ऐसे में कोयला गैसीकरण “विकास बनाम पर्यावरण” की बहस के बीच एक संक्रमणकारी समाधान के रूप में उभर रहा है। यह तकनीक भारत को ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा वैकल्पिक ईंधन अर्थव्यवस्था की दिशा में नई संभावनाएँ प्रदान करती है। किंतु इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इसे कितनी संतुलित, स्वच्छ और दीर्घकालिक रणनीति के साथ लागू करता है।

# संक्षिप्त मुद्दे

## कपास उत्पादकता मिशन 2026

### संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय सरकार ने ₹5,659.22 करोड़ की राशि कपास उत्पादकता मिशन के लिए पाँच वर्ष की अवधि (2026-27 से 2030-31) हेतु मंजूर की है। इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के माध्यम से कपास की उत्पादकता बढ़ाना तथा भारत के वस्त्र उद्योग के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

### मिशन के बारे में:

- कपास उत्पादकता मिशन भारत में कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और सततता (sustainability) को सुधारने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है।
- यह सरकार के 5F विज़न—Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign—के अनुरूप है, जो पूरे वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करता है। यह मिशन किसानों की आय बढ़ाने और वस्त्र क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर भी केंद्रित है।

### मुख्य उद्देश्य और घटक:

- यह मिशन कई विज्ञान-आधारित और बाजार-उन्मुख हस्तक्षेपों पर केंद्रित है:
  - » **उच्च उपज और जलवायु-सहिष्णु बीज:** उन्नत प्रजनन तकनीकों के माध्यम से कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल कपास किस्मों का विकास।
  - » **तकनीक-आधारित खेती:** उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), कम दूरी पर बुवाई और एकीकृत कपास प्रबंधन को बढ़ावा देना।
  - » **प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण:** दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए जिनिंग और प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन।
  - » **गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना:** मानकीकृत कपास ग्रेडिंग और प्रमाणन के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना।
  - » **ब्रांडिंग और ट्रेसेबिलिटी:** भारतीय कपास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए “कस्तूरी कॉटन भारत” को मजबूत करना।

- » **डिजिटल एकीकरण:** पारदर्शी मूल्य निर्धारण और बेहतर बाजार पहुंच के लिए मंडियों को ई-प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
- » **परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy):** पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कपास अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर मूल्य-वर्धित उत्पाद बनाना।
- » **फाइबर विविधीकरण:** बांस, फ्लैक्स, रेमी और केले के रेशे जैसे प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देना।

### मिशन के लक्ष्य (Targets of the Mission):

- **कपास उत्पादन लक्ष्य:** 2031 तक 498 लाख गॉठें (bales)
- **उत्पादकता सुधार:** 440 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम/हेक्टेयर उत्पादन करना

**CABINET APPROVES**

**MISSION FOR COTTON PRODUCTIVITY**

WITH AN OUTLAY OF **RS. 5,659.22 CRORE**

It will lead to self-sufficiency in cotton and competitiveness in global textile markets by 2030-31

Mission aligns with the **5F vision** (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) of Government

Mission envisages achieving production of **498 lakh** bales of cotton by 2031

Mission will benefit around **32 lakh** farmers

### भारत के कपास क्षेत्र के बारे में:

- भारत क्षेत्रफल (Acreage) के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, जो वैश्विक कपास क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा रखता है। हालाँकि, कुल उत्पादन के मामले में, भारत आमतौर पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20-23% योगदान देता है।
- प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान हैं। हालाँकि, उत्पादन-क्षमता (productivity) अभी भी वैश्विक अग्रणी देशों की तुलना में कम है।

## कपास उत्पादन की चुनौतियाँ:

- मुख्य समस्याओं में कम उपज, गुलाबी बॉलवर्म जैसे कीटों का आक्रमण, वर्षा-आधारित खेती के कारण जलवायु संवेदनशीलता, तथा मूल्य अस्थिरता शामिल हैं, जो किसानों की आय को प्रभावित करती हैं।

## सरकारी सहायता उपाय:

- कपास निगम ऑफ इंडिया (CCI) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था
- बीटी कपास (Bt cotton) को बढ़ावा देना
- कपास खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए “कपास किसान ऐप”
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACI) द्वारा परामर्श एवं सलाह

## मिशन का महत्व:

- कपास उत्पादकता मिशन से अपेक्षा है कि यह:
  - » किसानों की आय बढ़ाएगा
  - » वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
  - » भारत की वैश्विक वस्त्र प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा
  - » सतत (sustainable) और तकनीक-आधारित कृषि को बढ़ावा देगा

## निष्कर्ष:

कपास उत्पादकता मिशन एक रणनीतिक सुधार है, जिसका उद्देश्य नवाचार, डिजिटलीकरण और सततता के माध्यम से भारत के कपास क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है, जिससे 5F विज़न के तहत संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जा सके।

**अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह ₹2.43 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर**


## संदर्भ:

हाल ही में, भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ने अप्रैल 2026 में ₹2.43 लाख करोड़ का सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.7% की वृद्धि दर्शाता है। यह उपलब्धि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की निरंतर मजबूती और स्थिरता को उजागर करती है। यह मजबूत प्रदर्शन बेहतर अनुपालन, आर्थिक सुधार की प्रवृत्तियों और विभिन्न

क्षेत्रों में स्थिर व्यावसायिक गतिविधियों को भी दर्शाता है।

## मुख्य बिंदु:

- अप्रैल 2026 में भारत का GST संग्रह मजबूत बना रहा, जिसमें सकल राजस्व ₹2.43 लाख करोड़ रहा। रिफंड समायोजन के बाद, शुद्ध GST राजस्व ₹2.11 लाख करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 7.3% की वृद्धि को दर्शाता है।
- इसमें एक प्रमुख योगदान आयात से संबंधित GST का रहा, जो बढ़कर ₹57,580 करोड़ हो गया, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की।
- घरेलू GST संग्रह भी स्थिर रूप से बढ़कर ₹1.85 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो अर्थव्यवस्था के भीतर मध्यम लेकिन स्थिर खपत और व्यावसायिक गतिविधियों को इंगित करता है।



## विकास के प्रेरक तत्व:

- GST वृद्धि का एक प्रमुख कारक आयात-आधारित राजस्व रहा है, जो घरेलू संग्रह की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है। यह वैश्विक व्यापार संबंधों में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला के सामान्यीकरण और

मजबूत आयात मांग को दर्शाता है। हालांकि, यह बढ़ती आयात निर्भरता और कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमजोर घरेलू उत्पादन क्षमता को लेकर चिंताएं भी उत्पन्न करता है।

- 4.3% की दर से घरेलू GST वृद्धि मध्यम खपत प्रवृत्तियों को दर्शाती है, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के कारण विवेकाधीन खर्च में कमी की संभावना है। इसके बावजूद, GST संग्रह लगभग 7-8% मासिक की स्थिर दीर्घकालिक वृद्धि प्रवृत्ति दिखाता है, जो समग्र आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

### जीएसटी 2.0 सुधार और उनकी भूमिका:

- जीएसटी 2.0 सुधार (2025-26) ने कर प्रणाली को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रमुख पहलुओं में दरों का सरलीकरण शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से 5% और 18% के स्लैब रखे गए हैं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का उच्च स्लैब लागू किया गया है, और जीवन व स्वास्थ्य बीमा सेवाओं को छूट दी गई है।
- संस्थागत सुधारों जैसे जीएसटी अपीलिय अधीकरण (Appellate Tribunal) की शुरुआत ने विवाद समाधान को मजबूत किया है। इन सुधारों से अनुपालन में सुधार हुआ है, वर्गीकरण से जुड़े विवाद कम हुए हैं और कर आधार को बनाए रखते हुए खपत को समर्थन मिला है।

### जीएसटी की संस्थागत संरचना:

- भारत में जीएसटी प्रणाली एक मजबूत संवैधानिक ढांचे पर आधारित है। अनुच्छेद 246A केंद्र और राज्यों दोनों को समानांतर कर लगाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 269A अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत GST (IGST) के अधिरोपण और वितरण को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 279A GST परिषद की स्थापना करता है, जो कर दरों, छूट और नीति समन्वय के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
- भारत एक द्वैध GST मॉडल का पालन करता है, जिसमें अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए केंद्रीय GST (CGST), राज्य GST (SGST)/केंद्र शासित प्रदेश GST (UTGST) और अंतर-राज्य व आयात लेनदेन के लिए IGST शामिल है, जिससे अर्थव्यवस्था में निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रवाह सुनिश्चित होता है।

### रिकॉर्ड संग्रह का महत्व:

- रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह से सरकार की राजकोषीय क्षमता मजबूत होती है, जिससे पूंजीगत व्यय और कल्याणकारी खर्च बढ़ाने में मदद मिलती है। यह आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है,

क्योंकि यह खपत, व्यावसायिक गतिविधियों और व्यापार प्रवाह को दर्शाता है। इसके अलावा, यह GST परिषद के तहत केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय के माध्यम से सहकारी संघवाद को भी मजबूत करता है।

### आगे की राह:

- मजबूत संग्रह के बावजूद कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे बढ़ती आयात निर्भरता, मध्यम घरेलू मांग और भू-राजनीतिक तनाव जैसे बाहरी जोखिम। आगे बढ़ते हुए, नीति का ध्यान घरेलू खपत को बढ़ावा देने, “मेक इन इंडिया” के तहत विनिर्माण को मजबूत करने, जीएसटी अनुपालन को और सरल बनाने तथा अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण के माध्यम से कर आधार का विस्तार करने पर होना चाहिए।

### निष्कर्ष:

अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह भारत की कर प्रणाली की मजबूती और परिपक्वता को दर्शाता है। हालांकि, संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए आयात निर्भरता को कम करना और दीर्घकालिक सतत आर्थिक विकास के लिए मजबूत घरेलू मांग को समर्थन देना आवश्यक होगा।

## भारत सरकार-आईएफएडी की ग्रामीण समृद्धि के लिए पहल

### सन्दर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (IFAD) के सहयोग से वर्ष 2026-2033 की अवधि के लिए एक नया आठ-वर्षीय कंट्री स्ट्रेटेजिक ऑपर्युनिटीज प्रोग्राम (COSOP) शुरू किया है।

### पहल का उद्देश्य:

- यह पहल ग्रामीण आय को सुदृढ़ करने, लचीलापन बढ़ाने तथा पूरे भारत में सतत आजीविका के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह कार्यक्रम भारत के विकसित भारत@2047 विजन के तहत दीर्घकालिक विकास रोडमैप के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो समावेशी, जलवायु-सहिष्णु और बाज़ार-उन्मुख ग्रामीण परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

### कंट्री स्ट्रेटेजिक ऑपर्युनिटीज प्रोग्राम के बारे में:

- कंट्री स्ट्रेटिजिक ऑपच्युनिटीज प्रोग्राम (COSOP) 2026–2033 भारत और IFAD के बीच अगले दशक के सहयोग का एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है।
- यह दो मुख्य रणनीतिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: पहली, ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी लचीलापन क्षमता को बढ़ाना और दूसरी, ज्ञान प्रणालियों को सुदृढ़ करना ताकि भारत तथा वैश्विक दक्षिण (Global South) के अन्य देशों में सफल विकास मॉडलों का विस्तार किया जा सके।
- यह कार्यक्रम केवल परियोजना वित्तपोषण तंत्र के रूप में नहीं, बल्कि सतत ग्रामीण परिवर्तन के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी मॉडल के रूप में तैयार किया गया है।
- COSOP, IFAD की उस दीर्घकालिक कार्यपद्धति पर आधारित है जिसमें वित्तीय सहायता को क्षमता निर्माण और ग्रामीण प्रणालियों में नवाचार के साथ जोड़ा जाता है। यह स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा सहकारी समितियों जैसे जमीनी संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है। ये संस्थाएँ किसानों को बाजारों, ऋण प्रणालियों, तकनीकी मंचों और अवसंरचना नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती हैं।

### IFAD के बारे में:

- अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में विश्व खाद्य सम्मेलन के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। IFAD के 180 सदस्य देश हैं और इसकी AA+ क्रेडिट रेटिंग है, जिसके कारण यह वैश्विक पूंजी बाजारों से संसाधन जुटाने में सक्षम है।
- यह संस्था विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है तथा रियायती ऋण और अनुदानों के माध्यम से लघु किसानों, ग्रामीण महिलाओं, पशुपालकों और आदिवासी समुदायों को सहायता प्रदान करती है।
- स्थापना के बाद से IFAD ने विकास सहायता के रूप में 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है, जिससे विश्वभर में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- यह एक सह-निवेश (co-investment) मंच के रूप में कार्य करता है, जो सार्वजनिक और निजी संसाधनों को मिलाकर जलवायु-सहिष्णु कृषि, ग्रामीण अवसंरचना और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देता है।

### COSOP का महत्व:

- नया कंट्री स्ट्रेटिजिक ऑपच्युनिटीज प्रोग्राम (COSOP) सफल ग्रामीण विकास मॉडलों के विस्तार पर विशेष जोर देता है, जिनमें समावेशी ग्रामीण वित्त, डिजिटल कृषि सेवाएँ, सहकारी शासन व्यवस्था तथा जलवायु-सहिष्णु मूल्य श्रृंखलाएँ शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य भारत को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है, ताकि अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान किया जा सके।
- कार्यक्रम के दौरान, IFAD और NABARD ने ग्रामीण वित्त प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

### निष्कर्ष:

कंट्री स्ट्रेटिजिक ऑपच्युनिटीज प्रोग्राम (COSOP) 2026–2033 भारत-IFAD सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो परियोजना-आधारित हस्तक्षेपों से आगे बढ़कर ग्रामीण आजीविका के प्रणालीगत परिवर्तन पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और वैश्विक ज्ञान आदान-प्रदान को एक साथ जोड़ते हुए, यह पहल सतत ग्रामीण विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक विकास सहयोग में उसकी उभरती नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करती है।

## सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय

### संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यह निर्णय विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस बदलाव को सामाजिक कल्याण अधिभार (और कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकरण में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया है।

### सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के कारण:

- यह निर्णय कई बाहरी आर्थिक और रणनीतिक दबावों को दर्शाता है। भारत इस समय बढ़ते आयात बिल के कारण, विशेषकर ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में वृद्धि के चलते, विदेशी मुद्रा दबाव

का सामना कर रहा है।

- पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़े जोखिमों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है।
- साथ ही, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों तक कमजोर हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार का उद्देश्य गैर-आवश्यक आयात जैसे सोना-चांदी को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कच्चा तेल, उर्वरक, रक्षा उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल के लिए सुरक्षित रखना है।

### आयात शुल्क के बारे में:

- आयात शुल्क वह कर (Tax) है, जिसे सरकार विदेशों से देश में लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है। इसके कई उद्देश्य होते हैं, जैसे:
  - » घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना
  - » आयात और व्यापार संतुलन को नियंत्रित करना
  - » सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना
  - » विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना

### भारत में कानूनी ढांचा:


- भारत में आयात शुल्क मुख्य रूप से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (Customs Tariff Act, 1975) के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। ये कानून आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने, उसका आकलन, संग्रहण और छूट प्रदान करने की व्यवस्था तय करते हैं।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) सीमा शुल्क कानूनों के प्रशासन, तस्करी रोकने और शुल्कों की उचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

### भारत में आयात शुल्क के प्रकार:

- भारत वस्तुओं की प्रकृति और नीतिगत उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क लगाता है:
  - » **बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD):** सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला मूल शुल्क।
  - » **सामाजिक कल्याण अधिभार (SWS):** सीमा शुल्क पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त अधिभार।
  - » **कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (AIDC):** कृषि अवसंरचना को समर्थन देने के लिए कुछ विशेष आयातों पर

लगाया जाने वाला उपकर।

- » **एंटी-डॉपिंग ड्यूटी:** घरेलू उद्योगों को अत्यधिक सस्ते और अनुचित आयात से बचाने के लिए लगाया जाने वाला शुल्क।
- » **सेफगार्ड ड्यूटी:** आयात में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क।



### कीमतों और उपभोक्ताओं पर प्रभाव:

- आयात शुल्क बढ़ने से सोना और चांदी की घरेलू कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि आयात लागत (landed cost) बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, विशेषकर आभूषण और बुलियन बाजारों में, जहाँ यह अतिरिक्त लागत ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी।
- घोषणा के बाद घरेलू बाजार में कीमतों में तुरंत उछाल देखा गया, जो बाजार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह कदम वर्ष 2024-25 के बजट निर्णय के विपरीत है, जिसमें सरकार ने आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% किया था।

### निष्कर्ष:

सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाहरी क्षेत्र (external sector) के प्रबंधन की एक व्यापक रणनीति को दर्शाती है। अल्प अवधि में इससे उपभोक्ताओं के लिए सोना महंगा हो जाएगा, लेकिन इस नीति का उद्देश्य भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति को मजबूत करना, रुपये को स्थिर करना और भू-राजनीतिक तथा ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के दौरान आवश्यक आयातों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना है।

## भारत में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 2026

### संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता और अल-नीनो (El Niño) के संभावित प्रभावों से कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले जोखिमों को देखते हुए एहतियाती आधार पर लिया गया है।

### सरकार के निर्णय के कारण:

यह निर्यात प्रतिबंध कई सावधानीपूर्ण कारणों से लागू किया गया है:


- **अल-नीनो का जोखिम:** कमजोर मानसून की संभावना से भविष्य में गन्ने के उत्पादन में कमी आ सकती है।
- **उर्वरक आपूर्ति में अनिश्चितता:** पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण उर्वरक आयात बाधित हो सकता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा।
- **मुद्रास्फीति नियंत्रण:** संभावित कमी को रोककर खाद्य महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
- **घरेलू स्टॉक में कमी:** वर्ष 2025-26 में चीनी उत्पादन लगभग 240 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत लगभग 280 लाख टन है। इससे देश का बफर स्टॉक घटकर करीब 45 लाख टन तक आ सकता है, जो कई वर्षों में सबसे कम स्तर है।
- **इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य:** पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए गन्ने के रस और चीनी के स्टॉक को सुरक्षित रखना आवश्यक है।

### प्रभाव:

- भारत में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव घरेलू बाजार पर पड़ेगा, जहाँ चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने से कीमतों में स्थिरता आएगी और महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद

मिलेगी। इसके विपरीत, वैश्विक बाजार में इस निर्णय के कारण तेजी देखी गई है, जिसमें न्यूयॉर्क रॉ शुगर फ्यूचर्स में लगभग 2 प्रतिशत और लंदन व्हाइट शुगर में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

- पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ये देश त्योहारों के दौरान अपनी मांग पूरी करने के लिए भारत से चीनी आयात पर निर्भर रहते हैं और ऐसे में आपूर्ति संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।



### छूट प्राप्त श्रेणियाँ:

सरकार ने कुछ परिस्थितियों में निर्यात की अनुमति दी है:

- **द्विपक्षीय कोटा:** अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) को तय CXL (कन्वर्जन ऑफ लो-ग्रेड शुगर) और टैरिफ रेट कोटा के तहत निर्यात जारी रहेगा।
- **खाद्य सुरक्षा अनुरोध:** मित्र देशों की सरकारों के विशेष अनुरोध (G2G) पर संकट की स्थिति में आपूर्ति संभव होगी।

- **प्रक्रियाधीन खेप:** जिन जहाजों की लोडिंग शुरू हो चुकी है या जिनके शिपिंग बिल 13 मई से पहले दाखिल किए गए हैं, उन्हें अनुमति मिलेगी।
- **विशेष योजनाएँ:** एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत शुल्क-मुक्त कच्चे माल के निर्यात को छूट दी गई है।

### भारत में चीनी उद्योग के बारे में:

- भारत में चीनी उद्योग दुनिया के सबसे बड़े कृषि-आधारित (agro-based) क्षेत्रों में से एक है। भारत, ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- यह क्षेत्र लाखों किसानों, मिल श्रमिकों और संबंधित उद्योगों को रोजगार देता है, जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है।
- भारत का निर्यात प्रदर्शन में समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2022 में चीनी निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था और यह ₹45,000 करोड़ से अधिक का था, लेकिन इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है।

### निष्कर्ष:

चीनी निर्यात प्रतिबंध एक नीति परिवर्तन को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य घरेलू खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति नियंत्रण और जलवायु-जोखिम के प्रति तैयारी को प्राथमिकता देना है। यद्यपि भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख चीनी उत्पादक बना हुआ है, फिर भी यह निर्णय दर्शाता है कि कृषि निर्यात अब तेजी से जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और घरेलू मूल्य स्थिरता जैसी चिंताओं से प्रभावित हो रहा है।

## भारतीय भुगतान प्रणाली में बदलाव

### संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हालिया भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटल भुगतान के परिदृश्य में एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। पिछले चार वर्षों (2021-2025) के दौरान उपभोक्ताओं का रुझान पारंपरिक डेबिट कार्ड से हटकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), क्रेडिट कार्ड तथा डिजिटल वॉलेट की ओर तीव्र गति से बढ़ा है।


### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **डेबिट कार्ड के उपयोग में गिरावट:** वर्ष 2021 से 2025 के बीच डेबिट कार्ड लेनदेन की संख्या में 67% की भारी कमी दर्ज की गई

है। यह आंकड़ा 4.087 अरब से घटकर 1.336 अरब रह गया है। इसका कुल मूल्य भी ₹7.4 लाख करोड़ से घटकर ₹4.5 लाख करोड़ रह गया है। अब डेबिट कार्ड मुख्यतः केवल नकद निकासी (ATM) तक सीमित होते जा रहे हैं।

- **क्रेडिट कार्ड उपयोग में तेज वृद्धि:** क्रेडिट कार्ड लेनदेन की संख्या 2.16 अरब से बढ़कर 5.7 अरब हो गई है, अर्थात् इसमें लगभग 2.6 गुना वृद्धि हुई है। इसका कुल लेनदेन मूल्य ₹23.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें निजी बैंकों की हिस्सेदारी 71.1% है।

## Evolution of Digital Payments in India



- **यूपीआई का प्रभुत्व:** वर्ष 2025 की दूसरी छमाही तक कुल भुगतान मात्रा (Volume) में UPI की हिस्सेदारी 85.5% रही। हालांकि, छोटे भुगतानों (₹500 से कम) में व्यापक उपयोग के

कारण कुल मूल्य (Value) में इसकी हिस्सेदारी 9.5% रही।

### बदलाव के प्रमुख कारण:

- **सुविधा और शून्य शुल्क:** UPI द्वारा उपलब्ध कराई गई त्वरित भुगतान सुविधा तथा 'शून्य मर्चेट डिस्काउंट रेट' (Zero MDR) नीति ने इसे रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सर्वव्यापी बना दिया है।
- **क्रेडिट-लिंक्ड UPI और रिवाइस:** RBI द्वारा 'RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने' की अनुमति दिए जाने के बाद उपभोक्ताओं को बिना कार्ड स्वाइप किए ऋण सुविधा प्राप्त होने लगी है। साथ ही, क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक और रिवाइस भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।
- **वित्तीय व्यवहार में परिवर्तन:** उपभोक्ता अब खरीदारी के लिए अपनी जमा पूंजी (डेबिट) खर्च करने के बजाय अल्पकालिक ऋण (बाय नाउ, पे लेटर तथा क्रेडिट कार्ड) को प्राथमिकता दे रहे हैं।

### प्रभाव:

- **औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार:** डिजिटल लेनदेन में वृद्धि से नकदी पर निर्भरता कम हुई है, जिससे समानांतर अर्थव्यवस्था (ब्लैक मनी) पर नियंत्रण लगाने तथा कर आधार (Tax Base) को व्यापक बनाने में सहायता मिली है।
- **वित्तीय समावेशन 2.0:** देश में 7,300 लाख से अधिक UPI QR कोड का होना यह दर्शाता है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन अब अंतिम छोर तक पहुंच चुका है।
- **साइबर सुरक्षा और वित्तीय जोखिम की चुनौतियां:** क्रेडिट कार्ड तथा डिजिटल ऋण (Digital Lending) में तीव्र वृद्धि से उपभोक्ताओं के ऋण-जाल में फंसने का खतरा बढ़ा है। इसके साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी (Cyber Frauds) को रोकने के लिए मजबूत तकनीकी ढांचे की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

### आगे की राह:

भारत का कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता कदम सराहनीय है। हालांकि, इस वृद्धि को दीर्घकालिक और स्थायी बनाए रखने के लिए RBI को वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा मानकों को अधिक कठोर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

## भव्य योजना: भारत की अगली पीढ़ी की

## औद्योगिक पार्क विकास पहल

### सन्दर्भ:

हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने भव्य योजना (भारत औद्योगिक विकास योजना) के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना भारत में विश्व स्तरीय, निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्क विकसित करने की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है।

### भव्य योजना के बारे में:

- भव्य योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 के बीच देशभर में 100 आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करना है, जिसके लिए कुल लगभग ₹33,660 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
- पहले चरण में, 50 तक औद्योगिक पार्कों का चयन एक चुनौती-आधारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति और व्यापक विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

### योजना के प्रमुख उद्देश्य:

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जो घरेलू और वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित कर सके। ये पार्क लॉजिस्टिक्स की बाधाओं को कम करने, व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाने और वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। साथ ही यह रोजगार सृजन, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण और राज्यों के बीच संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।

### प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक अवसंरचना

- इस योजना की प्रमुख विशेषता प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास है, जिसमें पूर्व-विकसित भूमि, तैयार उपयोगिताएँ और पूर्व-अनुमोदित नियामकीय मंजूरीयाँ शामिल हैं।
- ये पार्क तुरंत संचालन के लिए तैयार होंगे। इनमें सड़क संपर्क,

भूमिगत उपयोगिता प्रणाली, जल एवं जल निकासी प्रबंधन तथा एकीकृत विद्युत आपूर्ति (नवीकरणीय ऊर्जा सहित) जैसी बुनियादी सुविधाएँ शामिल होंगी।

### क्षेत्रीय कवरेज और भूमि आवश्यकताएँ:

- यह योजना ग्रीनफील्ड और योग्य ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के औद्योगिक पार्कों का समर्थन करती है। न्यूनतम भूमि आवश्यकता इस प्रकार है: गैर-पहाड़ी राज्यों के लिए 100 एकड़, पहाड़ी/उत्तर-पूर्वी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ तथा बड़े पैमाने के विकास के लिए 1000 एकड़ तक अनुमति। यह संरचना समावेशी और संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करती है।



### वित्तीय संरचना और सहायता:

- केंद्र सरकार वित्तीय सहायता इक्विटी योगदान के रूप में प्रदान करती है, जो विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) को हस्तांतरित भूमि के मूल्य से जुड़ी होती है, साथ ही माइलस्टोन आधारित फंडिंग भी दी जाती है।
- योग्य परियोजनाओं के लिए सहायता ₹1 करोड़ प्रति एकड़ तक हो सकती है। यह प्रदर्शन-आधारित मॉडल जवाबदेही और सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है तथा निजी और राज्य भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

### क्रियान्वयन ढांचा

- यह योजना कंपनियों अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) के माध्यम से लागू की जाएगी। ये SPVs औद्योगिक पार्कों की योजना, अवसंरचना विकास, निवेश सुविधा तथा दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) को

परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

### अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र विकास:

- यह योजना समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर बल देती है, जिसमें अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, लॉजिस्टिक्स हब, श्रमिक आवास, कौशल विकास केंद्र और डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम शामिल हैं, जिससे उद्योगों का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।

### निजी क्षेत्र की भागीदारी

- निजी डेवलपर्स को SPV आधारित मॉडल के माध्यम से सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पारदर्शिता, मजबूत शासन ढांचा और जवाबदेही मानकों को सुनिश्चित किया गया है ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे और परियोजनाओं का कुशल क्रियान्वयन हो सके।

### निगरानी और शासन व्यवस्था

- इस योजना की निगरानी GIS-आधारित प्रणालियों, नियमित प्रगति रिपोर्ट, स्वतंत्र ऑडिट और DPIIT के सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग समिति द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करती है।

### अन्य योजनाओं के साथ समन्वय

- यह योजना लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास, औद्योगिक गलियारों और पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़ी विभिन्न पहलों के साथ एकीकृत है, जिससे समग्र और समन्वित औद्योगिक विकास सुनिश्चित होता है।

### योजना का महत्व

- भव्य योजना भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, वैश्विक निवेश आकर्षित करने, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

### निष्कर्ष:

भव्य योजना एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, सतत और तकनीक-संचालित औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, मजबूत शासन व्यवस्था और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ, यह योजना भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था



- भारत झींगा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा वर्ष 2024-25 में ₹62,408 करोड़ मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया।

### निष्कर्ष:

यद्यपि भारत का शीत-जल मत्स्य क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है, फिर भी इसका रणनीतिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यह नीली अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत नीतिगत समर्थन और आधुनिक तकनीकी एकीकरण के साथ यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार बन सकता है।

## भारत के नए श्रम संहिता और उनका कार्यान्वयन

### संदर्भ:

हाल ही में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी चार श्रम संहिताओं (Labour Codes) के अंतिम नियम अधिसूचित किए हैं। इनके कार्यान्वयन के साथ भारत के श्रम नियामक ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन (overhaul) हुआ है, जिसका उद्देश्य कानूनों को सरल बनाना, अनुपालन को बेहतर करना और श्रमिकों के संरक्षण का दायरा बढ़ाना है।

### नए श्रम संहिताओं के बारे में:


- भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए श्रम संहिताएं (वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, और व्यावसायिक सुरक्षा) अधिसूचित की हैं।
- इनका मुख्य उद्देश्य व्यवसायों को सुगम बनाना (Ease of Doing Business), सभी के लिए न्यूनतम वेतन, 48 घंटे का कार्य सप्ताह, और अनुबंध श्रमिकों के लिए भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- श्रम कानूनों का संवैधानिक आधार:**
  - श्रम, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि श्रम से संबंधित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप (harmonised) श्रम संहिताओं की आवश्यकता पड़ी।

### चार श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताएँ:

- ये चार संहिताएँ निम्नलिखित हैं:
- वेतन संहिता (Code on Wages, 2019)
- औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code, 2020)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code, 2020)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)

### प्रमुख प्रावधान:

- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (National Floor Wage) निर्धारित किया जाएगा
- 8 घंटे का कार्यदिवस और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे की सीमा अनिवार्य
- सभी श्रमिकों के लिए वेतन पर्ची (wage slips) और पारदर्शी अनुपालन व्यवस्था
- गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज
- नियोक्ताओं के लिए एकल पंजीकरण (single registration) और लाइसेंस प्रणाली



### प्रमुख नीतियाँ:

- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (National Floor Wage) को भोजन, वस्त्र और आवास जैसी न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। यह एक आधार स्तर के रूप में कार्य

करेगा, जिसके नीचे राज्य वेतन तय नहीं कर सकेंगे।

- हालाँकि, अंतिम नियमों में न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए एक निश्चित सूत्र (fixed formula) को हटाए जाने से चिंताएँ बढ़ी हैं।

### श्रमिकों पर प्रभाव:

- औपचारिक श्रमिक:** बेहतर नियमन, वेतन सुरक्षा और सुरक्षा मानकों में सुधार
- असंगठित श्रमिक:** सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने की संभावना, हालाँकि इसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रहेगा
- गिग श्रमिक:** एक समर्पित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रतिनिधित्व और कल्याण कवरेज सुनिश्चित
- महिला श्रमिक:** सहमति के साथ रात्रि शिफ्ट की अनुमति, सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल सुरक्षा उपाय

### व्यापार सुगमता पर प्रभाव:

- ये संहिताएँ अनुपालन को सरल बनाती हैं, जैसे:
  - बहु-राज्य ठेकेदारों के लिए एकल लाइसेंस प्रणाली
  - डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया
  - अनेक कानूनों को एकीकृत ढांचे में समाहित करना
  - इससे नियामकीय बोझ कम होता है और श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ता है।

### चिंताएँ और आलोचनाएँ:

- मुख्य चिंताएँ इस प्रकार हैं:
  - न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए स्पष्ट सूत्र का अभाव
  - राज्यों के बीच संभावित वेतन असमानताएँ
  - संघीय समन्वय के कारण कार्यान्वयन की चुनौतियाँ
  - श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति (bargaining power) में कमी की आशंका
  - श्रमिक संघों का मानना है कि यह लचीलापन श्रमिक सुरक्षा की कीमत पर आ सकता है।

### निष्कर्ष:

चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन भारत की श्रम शासन प्रणाली में एक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। ये औपचारिकीकरण, व्यापार सुगमता और श्रमिक सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनकी सफलता संतुलित कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

## विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025

### संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में “विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025” (VB-G RAM G Act) के 1 जुलाई 2026 से लागू होने की अधिसूचना जारी की है।

### अधिनियम के बारे में:

- VB-G RAM G अधिनियम, 2025 एक ग्रामीण रोजगार कानून है जिसका उद्देश्य भारत की मजदूरी आधारित रोजगार प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। इसका लक्ष्य आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना, स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, डिजिटल शासन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना और जलवायु-संवेदनशील विकास को बढ़ावा देना है।
- यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का स्थान लेता है और ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़े पुनर्गठन का प्रतिनिधित्व करता है। यह कल्याण-आधारित रोजगार प्रदान करने की बजाय उत्पादकता, परिसंपत्ति निर्माण और सतत ग्रामीण विकास पर अधिक जोर देता है, जो दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
- यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को “विकसित भारत @2047” की दृष्टि से जोड़ता है, जिसमें रोजगार सृजन को उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण के साथ एकीकृत किया गया है। “रोजगार भी, सम्मान भी” की भावना से प्रेरित यह अधिनियम कार्य में गरिमा, विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण क्षेत्रों के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर बल देता है।

### VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ:

- बढ़ी हुई रोजगार गारंटी:** ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है।
- थीमैटिक कार्य:** जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संपत्ति निर्माण और जलवायु-संवेदनशील विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- डिजिटल शासन:** बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग, NMMS

उपस्थिति प्रणाली, GIS आधारित योजना, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और DBT आधारित मजदूरी भुगतान जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

- **विकेन्द्रीकृत योजना:** ग्राम पंचायतें ग्राम सभाओं के माध्यम से “विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPPs)” तैयार करेंगी।

और मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी।

- **मौसमी लचीलापन:** राज्यों को कृषि के चरम मौसम में अधिकतम 60 दिनों तक कार्य में विराम देने की अनुमति होगी।

### अधिनियम के लाभ:

- यह अधिनियम विस्तारित रोजगार दिवसों के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को बेहतर बनाता है और सिंचाई एवं कनेक्टिविटी जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।
- यह संरक्षण कार्यों और आपदा न्यूनीकरण गतिविधियों के माध्यम से जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) को बढ़ावा देता है। डिजिटल शासन भ्रष्टाचार और देरी को कम करता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।
- बाल देखभाल सहायता और बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। विकेन्द्रीकृत योजना स्थानीय शासन को सशक्त बनाती है और समुदाय-आधारित विकास को सुनिश्चित करती है।

## VB-G RAM G REPLACES MGNREGA WHAT CHANGES?



MGNREGA	VB-G RAM G
◆ 100 wage employment days	◆ 125 wage employment days
◆ Work scattered across categories; <b>no robust national strategy</b>	◆ Localised planning; <b>mandates Viksit Gram Panchayat Plans</b>
◆ <b>Centre bears unskilled wage</b> costs; states bear unemployment allowance	◆ <b>State cost-sharing for wages</b> ; 60:40 for most states; 90:10 for certain special-category regions
◆ <b>No explicit statutory “pause window”</b>	◆ <b>States can notify up to 60 days</b> in a FY when work will not be executed
◆ Wage payment <b>within a stipulated time window</b>	◆ <b>Weekly wage payments mandated</b> ; fortnight at most
◆ <b>Gram Panchayat planning is central</b>	◆ Integrates <b>institutionalised convergence</b> and infrastructure planning

- **समय पर मजदूरी भुगतान:** 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा तथा देरी होने पर प्रतिदिन 0.05% का मुआवजा दिया जाएगा।
- **श्रमिक कल्याण:** कार्यस्थलों पर पीने का पानी, छाया, प्राथमिक उपचार और बाल देखभाल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- **पारदर्शिता उपाय:** अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

### निष्कर्ष:

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 एक ऐसे ग्रामीण विकास मॉडल की ओर परिवर्तन को दर्शाता है जो रोजगार, बुनियादी ढांचे और सतत विकास को एकीकृत करते हुए उत्पादकता पर केंद्रित है। इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल समावेशन और समय पर धन प्रवाह पर निर्भर करेगी, ताकि विकसित भारत @2047 के तहत समावेशी और समान ग्रामीण परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

## भारत में नकली मुद्रा का बढ़ता खतरा: आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियाँ

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वित्त वर्ष 2025-26 वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग प्रणाली में नकली मुद्रा की पहचान में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 2,29,746 नकली नोट पकड़े गए, जिनमें लगभग 62% मामले ₹500 के नकली नोटों के थे। ₹500 के नकली नोटों में यह तेज वृद्धि भारत की मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदा कमजोरियों को उजागर करती है।

### आर्थिक प्रभाव:

- नकली मुद्रा का प्रचलन कई आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

यह नकद लेन-देन पर जनता के विश्वास को कमजोर करता है, बैंकों और व्यवसायों के लिए सत्यापन लागत बढ़ाता है, और मौद्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

- यद्यपि कुल मुद्रा संचलन की तुलना में नकली नोटों की मात्रा कम है, फिर भी यह वित्तीय संस्थानों और नकद आधारित लेन-देन में विश्वास को नुकसान पहुँचाती है।

### वित्तीय आतंकवाद से संबंध:

- नकली मुद्रा केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। फेक इंडियन करेंसी नोट्स (FICN) का उपयोग अक्सर वित्तीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिसमें इन नकली नोटों के माध्यम से उग्रवादी गतिविधियों, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग को वित्तपोषित किया जाता है। यह आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

### सीमा-पार तस्करी की चिंता:

- ₹500 के नकली नोटों का अधिक प्रचलन यह दर्शाता है कि इसके पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं। अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी और हवाला लेन-देन के मार्गों का उपयोग नकली मुद्रा के प्रसार के लिए किया जाता है। यह समस्या की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को उजागर करता है।

### तकनीकी उपाय:

- नकली मुद्रा पर नियंत्रण के लिए भारत को बैंकनोट्स की सुरक्षा विशेषताओं को और मजबूत करना होगा, जैसे उन्नत प्रिंटिंग तकनीक, मशीन-पठनीय (machine-readable) सुरक्षा चिन्ह और AI-आधारित सत्यापन प्रणाली। डेटा एनालिटिक्स और केंद्रीकृत नकली मुद्रा ट्रैकिंग सिस्टम उभरते पैटर्न और तस्करी मार्गों की पहचान में मदद कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार से नकद पर निर्भरता भी कम की जा सकती है।

### प्रशासनिक उपाय:

- प्रशासनिक स्तर पर सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाना और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय

आवश्यक है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है ताकि सीमा-पार नकली मुद्रा नेटवर्क को खत्म किया जा सके।

## भारत में नकली मुद्रा का बढ़ता खतरा

RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में नकली मुद्रा की पहचान में 5.7% की वृद्धि



कुल पकड़े गए नकली नोट  
**2,29,746**



लगभग **62%** मामले ₹500 के नकली नोटों के थे



₹500 के नकली नोटों में तेज़ वृद्धि भारत की मौजूदा मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है।

#### आर्थिक प्रभाव

- नकली मुद्रा का संचलन कई आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- यह नकद लेन-देन पर जनता के विश्वास को कमजोर करता है।
- बैंकों और व्यवसायों के लिए सत्यापन लागत बढ़ाता है।
- मौद्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

यद्यपि कुल मुद्रा संचलन की तुलना में नकली नोटों की मात्रा कम है, फिर भी यह वित्तीय संस्थाओं और नकद आधारित लेन-देन में विश्वास को नुकसान पहुँचाती है।

#### वित्तीय आतंकवाद से संबंध

- नकली मुद्रा केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।
- फेक इंडियन करेंसी नोट्स (FICN) का उपयोग अक्सर वित्तीय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- उग्रवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करना
- संगठित अपराध नेटवर्क को मजबूत करना
- मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देना
- मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाना

यह आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

#### सीमा-पार तस्करी की चिंता

- ₹500 के नकली नोटों का अधिक प्रचलन यह दर्शाता है कि इसके पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं।
- अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी और हवाला लेन-देन के मार्गों का उपयोग नकली मुद्रा के प्रसार के लिए किया जाता है।
- यह समस्या की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को उजागर करता है।

#### तकनीकी उपाय

नकली मुद्रा पर नियंत्रण के लिए भारत को आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करना होगा।



बैंकनोट्स की सुरक्षा विशेषताओं को और मजबूत करना (जैसे उन्नत प्रिंटिंग तकनीक)



मशीन-पठनीय (machine-readable) सुरक्षा चिन्हों का उपयोग



AI-आधारित सत्यापन प्रणाली को बढ़ावा देना



डेटा एनालिटिक्स और केंद्रीकृत नकली मुद्रा ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करना



डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार से नकद पर निर्भरता कम करना

इन उपायों से उभरते पैटर्न और तस्करी मार्गों की पहचान कर नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

#### प्रशासनिक उपाय

प्रशासनिक समन्वय और सख्त कार्रवाई से नकली मुद्रा नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है।



सीमा सुरक्षा को मजबूत करना



खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाना



RBI, NIA, DRI और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय



अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना



अंतर्राष्ट्रीय और संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों से सीमा-पार नकली मुद्रा नेटवर्क को प्रभावी तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है।

### निष्कर्ष:

वित्त वर्ष 2025-26 में नकली मुद्रा की बढ़ती पहचान यह संकेत देती है कि वित्तीय सुरक्षा एक सतत चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्नत तकनीक, सख्त कानून प्रवर्तन, मजबूत सीमा प्रबंधन और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग का समन्वित प्रयास आवश्यक है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय आतंकवाद और मुद्रा-संबंधी अपराधों से सुरक्षित रखा जा सके।

## स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट: भारत की प्रौद्योगिकी-आधारित सीमा सुरक्षा रणनीति

### सन्दर्भ:

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली हैं। अब सीमा सुरक्षा केवल बाड़ लगाना (Fencing), चौकियों और सैनिक गश्त तक सीमित नहीं रह गई है। ड्रोन, साइबर तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट निगरानी और हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियों ने पारंपरिक सीमा प्रबंधन मॉडल को अपर्याप्त बना दिया है। इसी बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा “स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट” की घोषणा भारत की सीमा सुरक्षा नीति में एक बड़े रणनीतिक परिवर्तन का संकेत देती है।

यह परियोजना भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं को तकनीक-संचालित सुरक्षा ढाँचे में बदलने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य सीमाओं को “अभेद्य” बनाना है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, ड्रोन आधारित तस्करी, आतंकवाद और अवैध घुसपैठ की चुनौतियों को देखते हुए यह पहल केवल सुरक्षा परियोजना नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है।

### बदलता सीमा सुरक्षा परिदृश्य:

- भारत की लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा विविध भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरती है। पश्चिमी सीमा पर रेगिस्तान और संवेदनशील सैन्य क्षेत्र हैं, जबकि पूर्वी सीमा पर नदियाँ, दलदली क्षेत्र और घने जंगल मौजूद हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल फेंसिंग और मानव गश्त आधारित निगरानी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।
- विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हथियार, नकली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में वृद्धि

हुई है। पंजाब और जम्मू क्षेत्र में कई बार ड्रोन गतिविधियाँ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हैं। दूसरी ओर, भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और संगठित अपराध लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त आधुनिक युद्ध का स्वरूप भी बदल चुका है। आज सैन्य आक्रमण के अलावा साइबर हमले, ड्रोन निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान और हाइब्रिड युद्ध तकनीकों का भी उपयोग होता है।


## स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम..!

घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं पर “स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट” शुरू किया है। जिसकी कुल लंबाई लगभग **7,419 किलोमीटर** होती है।

अब हमारी सीमाओं की सुरक्षा केवल तारों से नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से होगी।

### स्मार्ट बॉर्डर की मुख्य विशेषताएँ



इससे हमारे BSF जवानों को अभूतपूर्व तकनीकी सहायता मिलेगी।



वेहतर निगरानी



तुरंत अलर्ट



हर स्थिति में सुरक्षा



जवानों की सुरक्षा पहले

## स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताएँ:

इस परियोजना का मूल उद्देश्य सीमा प्रबंधन को “प्रतिक्रियाशील सुरक्षा” से “पूर्वानुमानित और निवारक सुरक्षा” (Reactive Security) to “Predictive and Preventive Security) में बदलना है। यह परियोजना मानव-गहन (Manpower-intensive) सुरक्षा व्यवस्था से हटकर ‘प्रौद्योगिकी-संचालित’ (Technology-driven) सुरक्षा मॉडल की ओर एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। इसके तहत कई अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा:

- **एआई आधारित थर्मल कैमरे और रडार प्रणाली:** रात्रि में घुसपैठ रोकने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों और रडार नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। इससे खराब मौसम या अंधेरे में भी निगरानी संभव होगी। एआई आधारित सिस्टम सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेंगे। ये तकनीकें असामान्य गतिविधियों का स्वतः विश्लेषण कर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेज सकेंगी।
- **ड्रोन एवं एंटी-ड्रोन सिस्टम:** ड्रोन आज सीमा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुके हैं। इसलिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में ड्रोन निगरानी के साथ-साथ एंटी-ड्रोन तकनीक को भी शामिल किया जाएगा, जिससे अवैध ड्रोन गतिविधियों को रोका जा सके।
- **स्मार्ट फेंसिंग और सेंसर नेटवर्क:** सीमा क्षेत्रों में ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे जो किसी भी गतिविधि को तुरंत रिकॉर्ड कर नियंत्रण कक्ष तक सूचना भेजेंगे। यह प्रणाली विशेष रूप से नदी और जंगल वाले क्षेत्रों में प्रभावी होगी, जहाँ पारंपरिक फेंसिंग संभव नहीं होती।
- **स्मार्ट अंडरग्राउंड सेंसर सिस्टम:** जमीन के नीचे होने वाली किसी भी हलचल या सुरंग खोदने के प्रयासों का पता लगाने के लिए और जलीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अंडरग्राउंड वाइब्रेशन सेंसर (UGS) और भूमिगत फाइबर-ऑप्टिक सेंसर का उपयोग किया जाएगा।
- **इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम:** बीएसएफ, स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा संस्थानों के बीच रियल-टाइम डेटा साझा करने के लिए एकीकृत कमांड सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी।

## पूर्ववर्ती प्रणालियों के साथ एकीकरण:

यह स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट कोई एकल प्रयास नहीं है, बल्कि यह भारत के पूर्व के सुरक्षा प्रयासों का एक परिपक्व और वृहद रूप है:

- **बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन**

**तकनीक (BOLD-QIT):** असम की नदीय सीमाओं पर तैनात इस प्रणाली की सफलताओं से सीख लेकर इस नए प्रोजेक्ट में जलीय सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। यह परियोजना विशेष रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा के नदी क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसमें लेजर सेंसर, थर्मल इमेजिंग और डिजिटल निगरानी प्रणाली का उपयोग किया गया।

- **कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS):** इसका पायलट प्रोजेक्ट वर्ष 2017-18 में जम्मू के सांबा सेक्टर में शुरू किया गया था। वर्तमान प्रोजेक्ट इसी CIBMS तकनीक को स्केल-अप करके पूरे 6,000 किमी के दायरे में फैला रहा है।
- **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP 2.0):** फरवरी 2026 में विस्तारित इस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों के विकास को इस डिजिटल सर्विलांस ग्रिड से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय आबादी को सुरक्षा ग्रिड की ‘आंख और कान’ बनाया जा सके।



**INDIA PLANNING**  
**“SMART BORDERS”**  
**WITH PAKISTAN & BANGLADESH**

**AMIT SHAH ANNOUNCES MAJOR TECHNOLOGY-DRIVEN BORDER SECURITY PROJECT**

- DRONES, RADARS & SMART SURVEILLANCE
- ADVANCED MONITORING IN DIFFICULT TERRAIN
- FOCUS ON ANTI-INFILTRATION & BORDER SECURITY

INTEGRATED TECHNOLOGY NETWORK | REAL-TIME ALERTS & RESPONSE | 24x7 SMART SURVEILLANCE | STRONGER BORDERS, SAFER INDIA

**SECURING INDIA'S BORDERS WITH SMART TECHNOLOGY**

## आत्मनिर्भर भारत और रक्षा आधुनिकीकरण से संबंध:

- स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह “आत्मनिर्भर भारत” और रक्षा आधुनिकीकरण की व्यापक नीति से भी जुड़ा हुआ है। यदि भारत स्वदेशी ड्रोन, सेंसर, AI प्लेटफॉर्म और साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित करता है, तो यह रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देगा।
- भारत पहले ही रक्षा तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण और ड्रोन नीति

में बढ़े निवेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट इन प्रयासों को व्यावहारिक उपयोग का मंच प्रदान कर सकता है।

### परियोजना से जुड़ी चुनौतियाँ:

- हालाँकि यह परियोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके सामने कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी हैं:
  - » **अत्यधिक वित्तीय लागत:** भारतीय सीमा को एआई, ड्रोन नेटवर्क, सेंसर और रडार आधारित प्रणाली की स्थापना तथा रखरखाव बहुत महंगा है। भारत जैसी विशाल सीमा वाले देश में इसे व्यापक स्तर पर लागू करना आर्थिक चुनौती हो सकता है।
  - » **साइबर सुरक्षा जोखिम:** जितनी अधिक डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा, उतना ही साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ेगा। यदि निगरानी प्रणाली हैक होती है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
  - » **तकनीकी निर्भरता:** भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों में विदेशी निर्भरता कम हो। अन्यथा संवेदनशील सुरक्षा ढाँचा बाहरी प्रभावों के प्रति कमजोर हो सकता है।
  - » **कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ:** रेगिस्तान, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, अत्यधिक ठंड और घने जंगलों में उपकरणों का रखरखाव आसान नहीं होगा।
  - » **अंतर-एजेंसी समन्वय:** सीमा प्रबंधन में गृह मंत्रालय के अंतर्गत BSF के अलावा स्थानीय राज्य पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB), और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सेना के बीच रियल-टाइम डेटा साझाकरण में प्रशासनिक बाधाएं आ सकती हैं।

### आगे की राह:

- **स्वदेशीकरण (Indigenisation):** रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' के तहत घरेलू रक्षा स्टार्टअप्स द्वारा निर्मित एंटी-ड्रोन सिस्टम और AI कैमरों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि साइबर जासूसी का खतरा न रहे।
- **सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचे का नियमित अपग्रेडेशन:** तकनीकी रूप से स्मार्ट होने के साथ-साथ प्रणालियों को 'फ्यूचर-प्रूफ' बनाना आवश्यक है, ताकि सीमा पार के अपराधी नई तकनीकों (जैसे डीपफेक या एन्क्रिप्टेड ड्रोन) से हमारी सुरक्षा में सेंध न लगा सकें।

- **मानव और तकनीक का संतुलन (Human-Tech Hybrid Model):** पूर्ण रूप से तकनीक पर निर्भरता आत्मघाती हो सकती है; तकनीक को केवल एक 'बल गुणक' (Force Multiplier) के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि अंतिम नियंत्रण कुशल और मानसिक रूप से सतर्क सैनिकों के हाथ में ही रहना चाहिए।
- **द्विपक्षीय कूटनीति:** सीमा प्रबंधन को केवल सैन्य दृष्टिकोण से न देखकर पड़ोसी देशों (विशेषकर बांग्लादेश) के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर 'लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (LPAI) के माध्यम से वैध व्यापार और आवागमन को सुगम बनाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त संसद और नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निगरानी के साथ नागरिक अधिकारों का संतुलन बना रहे।

### निष्कर्ष:

स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट भारत की सीमा सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह पहल स्पष्ट करती है कि भारत अब केवल पारंपरिक सुरक्षा मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तकनीक-संचालित सुरक्षा ढाँचा विकसित कर रहा है। यदि यह परियोजना प्रभावी रूप से लागू होती है, तो यह न केवल घुसपैठ और तस्करी को नियंत्रित करेगी, बल्कि भारत को भविष्य के हाइब्रिड युद्धों और तकनीकी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम बनाएगी। 21वीं सदी में मजबूत सीमाएँ केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता, डेटा इंटेलिजेंस और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र से तय होंगी। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट इसी नए सुरक्षा युग की ओर भारत का निर्णायक कदम है।

## आईएनएस महेंद्रगिरि

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस महेंद्रगिरि (Yard 12654) को कमीशन किया, जो नीलगिरि-श्रेणी (Project 17A) के फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। यह भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा निर्मित यह जहाज 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

### प्रोजेक्ट 17A के बारे में:

- नीलगिरि-श्रेणी के फ्रिगेट्स (Project 17A) शिवालिक-श्रेणी (Project 17) के उन्नत संस्करण हैं, जिनमें बेहतर स्टील्थ (गोपनीयता), स्वचालन और युद्ध क्षमता शामिल है।
- इस परियोजना के तहत कुल सात फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड्स में विभाजित किया गया है—मुंबई की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) चार जहाजों का निर्माण कर रही है, जबकि कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) तीन जहाज बना रही है।
- इस परियोजना में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हो रहा है और इसमें 200 से अधिक एमएसएमई (MSMEs) शामिल हैं, जिससे भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक तंत्र को मजबूती मिल रही है और महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है।

### सात फ्रिगेट्स की सूची:

- इस बेड़े में INS नीलगिरि, INS हिमगिरि, INS उदयगिरि, INS तारागिरि, INS दुनागिरि, INS विंध्यगिरि और INS महेंद्रगिरि शामिल हैं।
- इन जहाजों को 2025 से 2026 के बीच क्रमिक रूप से शामिल (कमीशन/डिलीवर) किया गया है, जिसमें INS नीलगिरि को जनवरी 2025 में कमीशन किया गया और INS महेंद्रगिरि को अप्रैल 2026 में डिलीवर किया गया। इन जहाजों का चरणबद्ध शामिल होना नौसेना की परिचालन क्षमता और बेड़े के आधुनिकीकरण को निरंतर बढ़ावा देता है।

### मुख्य तकनीकी विशेषताएँ:

- प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स में उन्नत स्टील्थ विशेषताएँ शामिल हैं, जैसे

रडार-अवशोषित सामग्री और बेहतर हुल डिजाइन के माध्यम से कम रडार क्रॉस-सेक्शन। इन्हें इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक से बनाया गया है, जिसमें पहले से तैयार (pre-outfitted) ब्लॉक्स को जोड़कर निर्माण समय को कम किया जाता है।

- ये जहाज लगभग 6,670 टन वजन के हैं, लगभग 149 मीटर लंबे हैं, और कंबाइंड गैस एंड डीजल (CODOG) या CODAG प्रणोदन प्रणाली के माध्यम से 28–32 नॉट्स की गति प्राप्त कर सकते हैं।



### हथियार और सेंसर प्रणाली:

- ये फ्रिगेट्स बहुआयामी युद्ध के लिए सुसज्जित हैं। वायु रक्षा के लिए इनमें 32-सेल Barak-8 (LR-SAM) प्रणाली है, जबकि सतह पर हमला करने की क्षमता 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के माध्यम से सुनिश्चित होती है।
- इनमें 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट, AK-630 क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS) और पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) उपकरण जैसे टॉरपीडो ट्यूब, रॉकेट लॉन्चर और HUMSA-NG सोनार शामिल हैं।
- उन्नत सेंसर जैसे MF-STAR AESA रडार मल्टी-टारगेट ट्रैकिंग में सक्षम हैं, जबकि शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, अवरोधन (interception) और जैमिंग की क्षमताएँ प्रदान करती है।

### महत्व:

- भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्णतः डिजाइन किया गया प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी रक्षा इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।

- ये फ्रिगेट्स ब्लू-वॉटर ऑपरेशन्स के लिए बनाए गए हैं और INS विक्रान्त के आसपास केंद्रित कैरियर बैटल ग्रुप्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे भारत की समुद्री शक्ति प्रक्षेपण क्षमता मजबूत होती है।
- भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं पर आधारित नामकरण परंपरा, पहले की नीलगिरि-श्रेणी के जहाजों की विरासत को आगे बढ़ाती है और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नौसैनिक परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है।

### निष्कर्ष:

नीलगिरि-श्रेणी फ्रिगेट कार्यक्रम के तहत INS महेंद्रगिरि का शामिल होना भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण और नौसेना आधुनिकीकरण में तेज प्रगति को दर्शाता है। उन्नत स्टील्थ, मारक क्षमता और स्वचालन से युक्त प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उसकी भूमिका को सुदृढ़ करता है।

## नवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज (NASM-SR)

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट के पास नौसेना के हेलीकॉप्टर से नवल एंटी-शिप मिसाइल - शॉर्ट रेंज (NASM-SR) का पहली बार सल्वो (एक साथ कई मिसाइलों का प्रक्षेपण) परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

### नवल एंटी-शिप मिसाइल - शॉर्ट रेंज के बारे में:

- नवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज (NASM-SR) एक उन्नत एयर-लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत की नौसैनिक आक्रामक क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य पुराने विदेशी मूल के मिसाइलों जैसे ब्रिटिश सी ईगल को बदलना है।
  - यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल है।
  - इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद सहित अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।

- यह नौसैनिक स्ट्राइक सिस्टम में आत्मनिर्भरता (self-reliance) को मजबूत करता है।

### NAVAL ANTI-SHIP MISSILE-SHORT RANGE



NASM-SR is an indigenously developed short-range anti-ship missile

Designed for launch from Indian Navy Sea King helicopters



Effective strike range is around 55 km against surface vessels



Features a solid rocket motor for propulsion



Equipped with advanced guidance and navigation systems for precision targeting



Carries a 100 kg high-explosive warhead to neutralize enemy ships



Strengthens India's self-reliance in naval strike capabilities

### NASM-SR की प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रणोदन प्रणाली**
  - ठोस-प्रणोदक इंजन
  - प्रक्षेपण के लिए इजेक्टबल बूस्टर
  - लंबी उड़ान के लिए लॉन्ग-बर्न सस्तेनर
- रेंज और उड़ान प्रोफाइल**
  - रेंज: लगभग 55 किमी
  - रडार से बचने के लिए सबसोनिक सी-स्किमिंग उड़ान पथ
- सटीक प्रहार क्षमता**
  - जहाज की जलरेखा (waterline) को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है।

- » अधिकतम जलभराव और संरचनात्मक क्षति पहुंचाता है।
- **मार्गदर्शन और नेविगेशन**
  - » फाइबर-ऑप्टिक जायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली
  - » ऊंचाई नियंत्रण के लिए रेडियो अल्टीमीटर
  - » अंतिम चरण में सटीक लक्ष्य साधने के लिए उन्नत इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर
- **डेटा और नियंत्रण प्रणाली**
  - » उच्च-बैंडविड्थ दो-तरफा डेटा लिंक
  - » लॉन्च के बाद लक्ष्य लॉक करने और उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने की क्षमता
  - » उच्च गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्ट्यूएटर और जेट वेन नियंत्रण
- **प्लेटफॉर्म एकीकरण**
  - » प्रारंभ में Sea King हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण
  - » भविष्य में इन प्लेटफॉर्म पर एकीकरण की योजना:
    - MH-60R Seahawk
    - HAL ध्रुव (उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर)

### NASM-SR का महत्व:

- भारत की स्वदेशी समुद्री आक्रमण क्षमता को प्रमाणित करता है।
- एक ही प्लेटफॉर्म से सफल सल्वो फायरिंग का प्रदर्शन करता है।
- वास्तविक युद्ध स्थितियों में परिचालन तत्परता को बढ़ाता है।
- Sea Eagle जैसे आयातित सिस्टम पर निर्भरता को कम करता है।
- DRDO, MSME और स्टार्टअप के सहयोग वाले इकोसिस्टम को मजबूत करता है।
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देता है।

### भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- NASM-SR भारत की तटीय रक्षा और नौसैनिक प्रतिरोध क्षमता को काफी मजबूत करता है। इसका सी-स्किमिंग और सटीक प्रहार डिजाइन इसे तटीय क्षेत्रों में दुश्मन के जहाजों के खिलाफ अत्यंत प्रभावी बनाता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलती है।

### निष्कर्ष:

NASM-SR का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम है। यह उन्नत मिसाइल प्रणालियों में देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है और समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हुए रक्षा उत्पादन

में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।

## तारा (TARA) ग्लाइड वेपन का सफल परीक्षण

### संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने ओडिशा के तट पर स्वदेशी 'टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन' (Tactical Advanced Range Augmentation-TARA) ग्लाइड वेपन सिस्टम का पहला सफल उड़ान परीक्षण (Maiden Trial) आयोजित किया।

### तारा (TARA) ग्लाइड वेपन के बारे में:

- तारा (TARA) एक स्वदेशी रूप से विकसित 'रेंज एक्सटेंशन किट' (Range Extension Kit) है। यह एक हाइब्रिड तकनीक है जो पारंपरिक 'अनगाइडेड' (बिना दिशा वाले) बमों को अत्यधिक सटीक 'स्मार्ट' हथियारों में बदल देती है।
- यह मौजूदा बमों को पंख (Wings) और एक उन्नत गाइडेंस सिस्टम प्रदान करता है, जिससे वे लक्ष्य की ओर ग्लाइड कर सकें। इसका विकास DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद द्वारा किया गया है।

### प्रमुख तकनीकी विशेषताएं:

- **मॉड्यूलर डिजाइन:** TARA को 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के विभिन्न वजन वाले बमों के साथ जोड़ा जा सकता है।
- **मारक क्षमता:** यह हथियार लगभग 80-100 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह 'स्टैंड-ऑफ' दूरी विमान को दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणालियों के दायरे से बाहर रहकर हमला करने की अनुमति देती है।
- **सटीकता:** इसमें जीपीएस-एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टर्मिनल चरण के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड (IIR) सीकर का उपयोग किया गया है। इसकी 'सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी' (CEP) 3 मीटर से भी कम है, जो इसे पिन-पॉइंट सटीकता प्रदान करती है।
- **प्लेटफॉर्म अनुकूलता:** हालांकि इसका पहला परीक्षण जगुआर फाइटर जेट से हुआ, लेकिन इसे सुखोई Su-30 MKI, मिराज-2000 और LCA तेजस जैसे अन्य अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों

पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है।

रूप से दुश्मन के रनवे और बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है।

- **गौरव और गौतम ग्लाइड बम:** ये भी लंबी दूरी के ग्लाइड बम हैं, जो क्रमशः 1,000 किलो और 500 किलो की श्रेणी में आते हैं।

### निष्कर्ष:

TARA का सफल परीक्षण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की उन्नत वैमानिकी और हथियार एकीकरण क्षमताओं का प्रमाण है। 'डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर्स' (DcPP) के माध्यम से निजी उद्योगों की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि इन प्रणालियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और भारतीय वायु सेना में शीघ्र शामिल होना संभव हो सके।

## हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी

### सन्दर्भ:

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने हैदराबाद में सक्रिय रूप से शीतित (Actively Cooled) पूर्ण-स्तरीय स्कैमजेट कम्बस्टर का दीर्घकालिक सफल परीक्षण किया। यह कम्बस्टर 1,200 सेकंड से अधिक समय तक संचालित हुआ, जो जनवरी 2026 में किए गए 700 सेकंड के पूर्व परीक्षण से अधिक है।

### हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में:

- हाइपरसोनिक मिसाइलें अत्याधुनिक हथियार हैं, जो मैक 5 से अधिक गति, अर्थात ध्वनि की गति से लगभग पाँच गुना तेज, से यात्रा करने में सक्षम होती हैं। मिसाइलें अत्यधिक गति और गतिशीलता (मैन्युवरेबिलिटी) के संयोजन के कारण इन्हें रोकना बेहद कठिन

### रणनीतिक और सामरिक महत्व:

- **आत्मनिर्भर भारत और लागत प्रभावशीलता:** TARA का सबसे बड़ा लाभ इसकी कम लागत है। नई मिसाइलें खरीदने के बजाय, वायु सेना अपने पुराने और बड़े बमों के भंडार को आधुनिक तकनीक से लैस कर सकती है। यह रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्य को मजबूती देता है।
- **हवाई युद्ध की बदलती प्रकृति:** आधुनिक युद्ध में 'स्टैंड-ऑफ' क्षमता महत्वपूर्ण है। TARA के उपयोग से पायलट को दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे विमान और पायलट दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **सटीक प्रहार:** यह तकनीक घनी आबादी वाले क्षेत्रों या रणनीतिक बुनियादी ढांचों के पास स्थित आतंकी ठिकानों या सैन्य चौकियों को बिना किसी 'कोलेटरल डैमेज' (अवांछित क्षति) के नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है।

### अन्य ग्लाइड बम:

- **स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW):** यह 100 किमी की रेंज वाला 125 किलो का बम है, जिसे विशेष

होता है।

- पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, जो पूर्वानुमानित मार्ग का अनुसरण करती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें दिशा बदल सकती हैं और कम ऊँचाई पर उड़ान भर सकती हैं, जिससे रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों द्वारा इनका पता लगाना कठिन हो जाता है।
- हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास आधुनिक युद्धक रणनीति और वैश्विक सामरिक व्यवस्था को तेजी से बदल रहा है।

### हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रकार:

- हाइपरसोनिक मिसाइलें मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं: हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGVs) और स्कैमजेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें।
- HGVs को रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है, जिसके बाद वे उच्च गति से लक्ष्य की ओर ग्लाइड करते हुए अनिश्चित रूप से दिशा बदल सकते हैं।
- इसके विपरीत, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें स्कैमजेट इंजनों द्वारा निरंतर संचालित होती हैं, जो दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। इससे दीर्घकालिक हाइपरसोनिक उड़ान संभव होती है तथा लंबी दूरी के अभियानों में अधिक ईंधन दक्षता प्राप्त होती है।

### स्कैमजेट इंजन के बारे में:

- स्कैमजेट (Scramjet) अर्थात “सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट” एक उन्नत एयर-ब्रीदिंग इंजन है, जिसमें दहन उस समय होता है जब वायु प्रवाह सुपरसोनिक गति में बना रहता है। पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत, स्कैमजेट अपने साथ ऑक्सीडाइज़र ले जाने के बजाय वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे वे हल्के और अत्यधिक उच्च गति पर अधिक दक्ष बनते हैं।
- हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में स्थिर दहन बनाए रखना तकनीकी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। DRDL का सफल परीक्षण इस उन्नत प्रणोदन तकनीक में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है।

### महत्व और सामरिक प्रासंगिकता:

- 1,200 सेकंड का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस परीक्षण से सक्रिय रूप से शीतित (actively cooled) कम्बस्टर के डिज़ाइन को प्रमाणित किया गया तथा तरल हाइड्रोजन ईंधन और थर्मल बैरियर कोटिंग जैसी

स्वदेशी तकनीकों की सफलता को प्रदर्शित किया।

- हाइपरसोनिक तकनीक लंबी दूरी की सटीक प्रहार क्षमता को बढ़ाकर और विदेशी रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करके भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है, जो “आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्य के अनुरूप है।

### निष्कर्ष:

अत्यधिक तापमान और उच्च विकास लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद, DRDL का यह स्कैमजेट परीक्षण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत को वैश्विक हाइपरसोनिक दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे अग्रणी देशों के साथ खड़ा करता है तथा देश की भविष्य की रक्षा तैयारियों को और सुदृढ़ बनाता है।

## एमआईआरवी तकनीक के साथ भारत का सफल उन्नत अग्नि मिसाइल परीक्षण

### सन्दर्भ:

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एमआईआरवी (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल) तकनीक से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल ने हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों पर अनेक पेलोड सफलतापूर्वक पहुँचाए।

### अग्नि मिसाइल के बारे में:

- अग्नि मिसाइल श्रृंखला भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता (Strategic Deterrence) की रीढ़ मानी जाती है और इसका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के अंतर्गत किया गया था।
- ये बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक सटीक प्रहार और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए डिज़ाइन की गई हैं। समय के साथ अग्नि श्रृंखला की मारक क्षमता, सटीकता, गतिशीलता और तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- अग्नि-1 से अग्नि-IV मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किमी से 3,500 किमी तक है तथा ये परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम हैं। नवीनतम अग्नि-5 मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किमी से अधिक है और यह अंतरमहाद्वीपीय प्रहार क्षमता रखती है। इसमें तीन-स्तरीय ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली और उन्नत नेविगेशन तकनीकों का उपयोग

किया गया है।

## एमआईआरवी (MIRV) तकनीक क्या है?

- एमआईआरवी (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल) तकनीक एक ही मिसाइल को कई वारहेड ले जाने की क्षमता देती है, जो अलग-अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हैं।
- मिसाइल एक निश्चित ऊँचाई पर पहुँचने के बाद इन वारहेड्स को अलग कर देती है, और फिर वे अपने-अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। इससे ऐसी मिसाइलों को रोकना बहुत कठिन हो जाता है और उनकी रणनीतिक क्षमता बढ़ जाती है।
- इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत मिसाइल तकनीक मौजूद है। एमआईआरवी तकनीक के सफल एकीकरण के साथ भारत उन्नत मिसाइल क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है।



**भारत की ताकत**

**MIRV तकनीक वाली अनि मिसाइल का टेस्ट कामयाब**

**MIRV तकनीक क्या है?**  
एक मिसाइल, कई वारहेड्स एक साथ अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला

**सटीकता और घातकता**  
एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता, दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को घकना

**भारत की बड़ी छलांग**  
चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हुआ भारत, सामरिक शक्ति में हुआ और इजाफा

**रणनीतिक संदेश**  
भारत की यह सफलता देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर

**अनि मिसाइल की खासियत**

- लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम
- न्यूक्लियर कंफेबिलिटी से लेस
- मजबूत और भरोसेमंद डिटेन्स
- भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण

**आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और ऐतिहासिक कदम**


भारत अब चुनौती कई टारगेट एक साथ

## उन्नत अग्नि मिसाइल की विशेषताएँ:

- परीक्षित उन्नत अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता 5,000-5,500 किमी से अधिक मानी जाती है, जिससे यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) श्रेणी में आती है।
- यह एमआईआरवी क्षमता के माध्यम से कई वारहेड ले जा सकती है और एक साथ विभिन्न सामरिक लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), अन्य DRDO प्रयोगशालाओं तथा घरेलू उद्योगों के सहयोग से विकसित इस

मिसाइल में उन्नत मार्गदर्शन, प्रणोदन, नेविगेशन और री-एंट्री तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो सामरिक प्रणालियों में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है।

## What is MIRV technology?



MIRV enables **single missiles to target multiple locations** hundreds of kilometers apart.

**Agni missile** | carries nuclear warheads, has over 5,000 km range, aimed at countering China.

Known countries with MIRV-equipped missiles include **US, Russia, China, France, and UK.**

MIRV-equipped missiles can be launched from **land or sea**, including from submarines.

Each re-entry vehicle can be independently targeted — they are all launched from one missile, but hit different targets.

Source: Centre for Arms Control and Non-Proliferation

## सफल परीक्षण का महत्व:

- यह सफल परीक्षण भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण सामरिक मजबूती प्रदान करता है। इससे एक ही मिसाइल द्वारा अनेक लक्ष्यों पर प्रहार संभव होता है, जिससे आक्रमण की दक्षता बढ़ती है।
- यह सटीक लक्ष्यभेदन, मार्गदर्शन तथा री-एंट्री तकनीक में भारत की प्रगति को भी प्रमाणित करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिक मजबूत होती है।
- एमआईआरवी युक्त मिसाइलें कई वारहेड ले जाने में सक्षम होती हैं, जो दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेद सकती हैं। इससे भारत की

“द्वितीय प्रहार क्षमता” (Second-Strike Capability) मजबूत होती है।

- यह “विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध” (Credible Minimum Deterrence) की नीति को समर्थन देता है और परमाणु परिप्रेक्ष्य में सामरिक स्थिरता को बढ़ाता है।

### भारत के लिए सामरिक महत्व:

- अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत की भू-राजनीतिक और सामरिक स्थिति को और सशक्त बनाया है। इसकी विस्तारित मारक क्षमता भारत को एशिया तथा उससे आगे के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोसी देशों के सैन्य आधुनिकीकरण के संदर्भ में ऐसी क्षमताएँ सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह “आत्मनिर्भर भारत” के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

## यूएलपीजीएम - वी3 मिसाइल

### संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यूएलपीजीएम - वी3 के अंतिम विकास परीक्षणों को कुरनूल (आंध्र प्रदेश) के निकट स्थित परीक्षण क्षेत्र में सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रणाली का परीक्षण वायु-से-भूमि (air-to-ground) तथा वायु-से-वायु (air-to-air) दोनों मोड में किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

### यूएलपीजीएम - वी3 के बारे में:

- यूएलपीजीएम - वी3 का पूरा नाम “अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल-V3” है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है।
- यह एक हल्की, सटीक-निर्देशित (precision-guided) मिसाइल है, जिसे ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) से प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल उच्च सटीकता

के साथ भूमि तथा हवाई दोनों प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है।

- इसका नवीनतम V3 संस्करण, पूर्ववर्ती ULPGM-V2 प्रणाली का उन्नत रूप है, जिसमें बेहतर सीकर (seekers), मॉड्यूलर वारहेड तथा अधिक परिचालन लचीलापन जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

### ULPGM-V3 की प्रमुख विशेषताएँ:

- ULPGM-V3 में कई उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है, जो इसकी युद्धक क्षमता को अत्यधिक बढ़ाती हैं। इनमें शामिल हैं:
  - » हाई-डेफिनिशन ड्यूल-चैनल सीकर
  - » दिन और रात दोनों समय संचालन की क्षमता
  - » “फायर-एंड-फॉरगेट” लक्ष्यभेदन क्षमता
  - » द्वि-दिशीय (Two-way) डेटा लिंक
  - » प्रक्षेपण के बाद लक्ष्य अद्यतन प्रणाली (Post-launch target update system)
  - » एकीकृत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम (GCS)
- ड्यूल-चैनल सीकर मिसाइल को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में लक्ष्यों का अधिक प्रभावी ढंग से पीछा करने में सक्षम बनाता है। वहीं, टू-वे डेटा लिंक ऑपरेटरों को प्रक्षेपण के बाद भी लक्ष्य संबंधी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है, जिससे युद्धक्षेत्र में लचीलापन बढ़ता है।

### “फायर-एंड-फॉरगेट” क्षमता के बारे में:

- “फायर-एंड-फॉरगेट” मिसाइल वह होती है, जो प्रक्षेपण के बाद बिना निरंतर मानव मार्गदर्शन के स्वयं अपने लक्ष्य का पीछा कर उसे नष्ट कर सकती है।
- जब ULPGM-V3 किसी लक्ष्य पर लॉक होकर UAV से प्रक्षेपित की जाती है, तो उसके बाद मिसाइल की ऑनबोर्ड मार्गदर्शन प्रणाली नियंत्रण संभाल लेती है। इससे प्रक्षेपण करने वाला ड्रोन शत्रु क्षेत्र से तेजी से अपनी स्थिति बदल सकता है या पीछे हट सकता है, जिससे युद्ध अभियानों के दौरान उसकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

### परिचालन और रणनीतिक उपयोग:

- ULPGM-V3 को एक बहु-भूमिका (multi-role) हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जो निम्नलिखित लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है:
  - » शत्रु के टैंक और बख्तरबंद वाहन
  - » बंकर और मजबूत किलेबंद संरचनाएँ

- » हेलीकॉप्टर
- » ड्रोन और निम्न-उड़ान वाले हवाई खतरे
- » उच्च-मूल्य वाले सामरिक लक्ष्य
- इस मिसाइल में मॉड्यूलर वारहेड्स का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के वारहेड चुने जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
  - » एंटी-आर्मर वारहेड
  - » बंकरों के लिए पेनेट्रेशन-कम-ब्लास्ट वारहेड
  - » व्यापक घातक क्षेत्र के लिए प्री-फ्रैगमेंटेशन वारहेड

- » एंटी-आर्मर युद्ध क्षमता
- » सीमा निगरानी और स्ट्राइक तैयारी
- » ड्रोन और हेलीकॉप्टर के विरुद्ध वायु रक्षा क्षमता
- मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) से सटीक-निर्देशित मिसाइलों का प्रक्षेपण विशेष रूप से उन उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में उपयोगी है जहाँ मानवयुक्त विमान अधिक खतरे में हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ULPGM-V3 भारत के नेटवर्क-सेंट्रिक और अनमैन्ड वारफेयर सिस्टम की ओर बढ़ते कदम का हिस्सा है।

### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के बारे में:

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन 1958 में स्थापित की गई थी। यह पूरे देश में प्रयोगशालाओं के बड़े नेटवर्क का संचालन करती है और स्वदेशी सैन्य तकनीकों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- **DRDO का उद्देश्य:**
  - » उन्नत रक्षा प्रणालियों का डिजाइन और विकास
  - » महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
  - » रक्षा उपकरणों में आयात पर निर्भरता कम करना
  - » भारत की रणनीतिक और तकनीकी स्वायत्तता को मजबूत करना

### निष्कर्ष:

ULPGM-V3 के परीक्षण भारत की स्वदेशी प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। UAV प्लेटफॉर्म को उन्नत मिसाइल प्रणालियों और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार के साथ जोड़कर भारत अगली पीढ़ी की युद्ध तैयारी की ओर बढ़ रहा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात क्षमता दोनों मजबूत हो रहे हैं।

**भारत की DRDO की बड़ी सफलता**  
ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण

- ✓ DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया
- ✓ मिसाइल हवा और जमिन दोनों पर सटीक हमला कर सकती है
- ✓ दुरगम के हेलिकॉप्टर और टैंकों को भी बना सकती है निशाना
- ✓ स्वदेशी कंपनियों के सहयोग से विकसित अत्याधुनिक मिसाइल
- ✓ परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया

**मिसाइल की खासियतें**

उच्च सटीकता से लक्ष्य भेदन	हेलिकॉप्टर, टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकती है	हवा और जमीन दोनों पर प्रभावी हमला करने में सक्षम	भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम
----------------------------	--	--	---

**स्वदेशी सहयोग, स्वदेशी शक्ति**

DRDO की अग्रणी भूमिका  
दिज्ञान, टेक्नापैट और परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान

स्वदेशी कंपनियों का सहयोग  
भारत की निजी कंपनियों के साथ मिलकर शक्तिशाली की गई मिसाइल

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

**किस-किस को बना सकती है निशाना ?**

दुरगम के हेलिकॉप्टर	मुख्य युद्धक टैंक	अन्य बख्तरबंद वाहन	रणनीतिक ठिकाने
---------------------	-------------------	--------------------	----------------

**मजबूत भारत, सुरक्षित भारत**  
यह सफल परीक्षण भारत की रक्षा तकनीक में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है।

### महत्व:

- यह मिसाइल भारत को एक शक्तिशाली स्वदेशी प्रिसिजन-स्ट्राइक हथियार प्रदान करती है, जो आधुनिक युद्धक्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इससे निम्न क्षमताएँ मजबूत होती हैं:
  - » सामरिक ड्रोन युद्ध क्षमता
  - » सटीक हमले (Precision Strike) अभियान

# प्रमुख चर्चित स्थल

## कुनो राष्ट्रीय उद्यान

हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत के चीता पुनःप्रवेश कार्यक्रम के तहत 2026 की वार्षिक जनगणना में 57 चीते (जिनमें भारत में जन्मे 32 शावक शामिल हैं) दर्ज किए गए।

### कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है।
- लगभग 748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ शुष्क पर्णपाती वन और घासभूमि क्षेत्र है।
- कुनो नदी, जो चंबल नदी की सहायक नदी है, इस उद्यान से होकर बहती है।
- इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- यह प्रस्तावित कुनो-माधव स्थल (Kuno-Madhav landscape) का हिस्सा है।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के साथ पारिस्थितिकीय संपर्क (ecological connectivity) साझा करता है।



### प्रारंभिक परीक्षा तथ्य:

- **चीता:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध।
- **वैश्विक संरक्षण स्थिति:** असुरक्षित (Vulnerable) – IUCN।
- **एशियाई चीता:** अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)।
- **नदी क्रम (सहायक):** कुनो → चंबल → यमुना → गंगा।

## कोलेरु झील

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने आंध्र प्रदेश सरकार को झील के संरक्षित +5 काउंटर क्षेत्र में जलकृषि (Aquaculture) अतिक्रमणों के संबंध में एक नया अनुपालन/कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

### कोलेरु झील के बारे में:

- आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है।
- एलुरु और पश्चिम गोदावरी जिलों में फैली हुई है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की बाढ़भूमि झील मानी जाती है।
- मुख्य रूप से बुडामेरु और तमिलेरु धाराओं द्वारा पोषित है।
- उप्पुटेरु जल निकासी चैनल के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है।



### महत्व:

- 2002 में रामसर आर्द्रभूमि (Ramsar Wetland) के रूप में नामित।
- 1999 में कोलेरु वन्यजीव अभयारण्य घोषित।
- निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास।
- कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणालियों के बीच एक प्रमुख बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करती है।

### जैव विविधता:

- प्रमुख प्रवासी पक्षी प्रजातियाँ:
  - » स्पॉट-बिल्ड पेलिकन (ग्रे पेलिकन)
  - » पेंटेड स्टॉर्क
  - » ग्लॉसी आईबिस
  - » एशियन ओपनबिल

## होर्मुज जलडमरूमध्य

हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में एक बहुराष्ट्रीय काफिला-संरक्षण (convoy escort) पहल शुरू की गई। समुद्री सुरक्षा ढांचे के तहत, भारत ने ऑपरेशन संकल्प-II के हिस्से के रूप में नौसैनिक संसाधन तैनात किए ताकि इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले शिपिंग मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

### होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में:

- फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ने वाला संकीर्ण जलमार्ग।
- उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान (विशेष रूप से मस्कट प्रायद्वीप) को अलग करता है।
- सबसे संकरे स्थान पर इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है।
- इसमें आने-जाने वाले समुद्री यातायात के लिए निर्धारित शिपिंग लेन हैं।



### भौगोलिक विशेषताएँ:

- फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, जो आगे चलकर अरब सागर में खुलती है।
- होर्मुज द्वीप ईरान के क्षेत्र में स्थित है।
- मस्कट प्रायद्वीप ओमान का एक एकसक्लेव है, जो मुख्य भूमि ओमान से संयुक्त अरब अमीरात के क्षेत्र द्वारा अलग है।

## मोज़ाम्बिक

मोज़ाम्बिक में मई 2026 में भारत में पहला भारत-मोज़ाम्बिक रणनीतिक संवाद (India-Mozambique Strategic Dialogue) आयोजित किया गया।

### मोज़ाम्बिक के बारे में:

- अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर हिंद महासागर के किनारे स्थित देश।
- लगभग 2,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट।
- राजधानी:** मापुटो।
- ये “दक्षिण अफ्रीका, एस्वातिनी, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, मलावी, तंज़ानिया” से सीमाएँ साझा करता है।
- मेडागास्कर से मोज़ाम्बिक चैनल द्वारा अलग है।

### महत्व:

- विशेष रूप से काबो डेलगाडो क्षेत्र में बड़े अपतटीय प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद हैं।
- भारत के लिए समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और कृषि व्यापार में महत्वपूर्ण साझेदार।



## काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park)

हाल ही में असम सरकार ने काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नवीनतम गैंडा जनगणना जारी की, जिसमें 2,786 एक सींग वाले गैंडों की गणना की गई। यह 2022 की तुलना में 173 अधिक है और पार्क में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक जनसंख्या है।

### काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:


- असम के गोलाघाट और नगांव जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। लगभग 1,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यहाँ ऊँची हाथी घासभूमियाँ, दलदली क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
- इसकी दक्षिणी सीमा दिपलू नदी बनाती है।

### महत्व:

- विश्व की जंगली ग्रेटर वन-हॉर्न राइनो (एक सींग वाला गैंडा) आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा यहाँ पाया जाता है।
- भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों में से एक। इसे निम्नलिखित दर्जा प्राप्त है:
  - » राष्ट्रीय उद्यान
  - » टाइगर रिजर्व (2007 में अधिसूचित)
  - » यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (1985)

### जैव विविधता:

- काज़ीरंगा “बिग फाइव” के लिए प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, जंगली जल भैंसा, पूर्वी दलदली हिरण है।



# पावर पैकड न्यूज

## आईपीएल 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार चैंपियन

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 31 मई 2026 को इतिहास रचते हुए लगातार दूसरा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब अपने नाम कर लिया।
- नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स (GT) को 5 विकेट से शिकस्त दी।
- इस जीत के साथ कप्तान रजत पाटीदार की आरसीबी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अपना टाइटल डिफेंड करने वाली इतिहास की तीसरी टीम बन गई है।
- टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बल्लेबाज विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने।
- टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इन प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किये गए:
  - » **ऑरेंज कैप:** राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को सीजन में सर्वाधिक 776 रन बनाने के लिए दिया गया।
  - » **पर्पल कैप:** गुजरात टाइटन्स के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा को पूरे सीजन में सबसे ज्यादा 29 विकेट लिए।
  - » **मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर (MVP):** गुजरात टाइटन्स के ही ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को उनके बेहतरीन ऑलराउंड खेल के लिए चुना गया।
  - » **इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन:** आरसीबी के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए इस खिताब से सम्मानित किया गया।

## राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) नियम और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (NST) नियम, 2026

- भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार करते हुए राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) नियम, 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (NST) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह कदम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय खेल निकायों में पारदर्शिता लाना, विवादों का त्वरित निपटारा करना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है।
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की भूमिका:**
  - » NSB देश के खेल संघों को मान्यता देने और उनके नियामक मानकों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था होगी। इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार की एक विशेष 'खोज-सह-चयन समिति' द्वारा की जाएगी।
  - » इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बोर्ड के खातों का हर साल CAG (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) द्वारा ऑडिट किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (NST) और डिजिटल गवर्नेंस:**
  - » खेल विवादों के त्वरित और कम लागत के समाधान के लिए NST को एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। अब खेल से जुड़े मामलों के लिए दीवानी अदालतों (Civil Courts) के पास नहीं जाएंगे।
  - » हितों के टकराव को रोकने के लिए NST का कोई भी सदस्य किसी खेल संघ में पद नहीं संभाल सकेगा। सरकार द्वारा एक डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल अधिसूचित किया जाएगा।
  - » विवादों को दर्ज करना, नोटिस जारी करना, प्रतिक्रियाएं देना और दस्तावेजों को जमा करना पूरी तरह डिजिटल होगा। न्यायाधिकरण के

समक्ष मामलों की सुनवाई वर्चुअली (ऑनलाइन) आयोजित की जा सकेगी। सभी आदेशों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और पोर्टल पर ही रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। यह सुधार खेल संघों की मनमानी को रोककर भारतीय खेल संस्कृति को अधिक पेशेवर और खिलाड़ी-अनुकूल बनाएगा।

## मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र का निधन

- मशहूर उर्दू शायर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. बशीर बद्र का 28 मई 2026 को भोपाल, मध्य प्रदेश में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे और लंबे समय से उग्र संबंधी बीमारियों व डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) से जूझ रहे थे।
- 15 फरवरी 1935 को अयोध्या, उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉ. बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने उर्दू शायरी को महफिलों की क्लिष्ट भाषा से बाहर निकालकर आम बोलचाल और रोजमर्रा के शब्दों से जोड़ा। उनकी ग़ज़लें सीधे आम आदमी से सरोकार करती हैं।
- साहित्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाज़ा था। इसी वर्ष उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह "आस" के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
- 1987 के मेरठ दंगों में अपना घर और अप्रकाशित रचनाएँ खोने के बाद उन्होंने भोपाल को अपना नया आशियाना बनाया।
- डॉ. बशीर बद्र की प्रमुख रचनाएँ और कविता संग्रह आस (इस प्रसिद्ध कविता संग्रह के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था), इकाई, इमेज, आमद, उजाले अपनी यादों के, मोहब्बत आसमाँ है, ग़ज़ल, सात आसमान हैं।



## यूनेस्को सर्वेक्षण में कुंभलगढ़ की दीवार को वैश्विक मान्यता

- हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के अंतर्गत एक आधिकारिक सर्वेक्षण में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किले की दीवार को 'चीन की महान दीवार' (Great Wall of China) के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर और अक्षुण्ण (intact) दीवार के रूप में मान्यता दी गई है।
- यह अजेय दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अरावली की दुर्गम घाटियों से होकर गुजरने वाली यह मजबूत दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी और 15 से 25 फीट तक चौड़ी है।
- इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी (1443-1458 ईस्वी) में मेवाड़ के प्रतापी शासक राणा कुंभा ने प्रसिद्ध वास्तुकार 'मंडन' की देखरेख में करवाया था। यह किला वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है। प्राचीन भारतीय सैन्य वास्तुकला और इंजीनियरिंग न केवल बेहद उन्नत थी, बल्कि आज सदियों बाद भी पूरी तरह सुरक्षित और अक्षुण्ण है।

## सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली 'सूर्यास्त्र' (Suryastra) का सफल परीक्षण

- भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में देश की पहली स्वदेशी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली 'सूर्यास्त्र' (Suryastra) का आधिकारिक तौर पर प्रक्षेपण किया। यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत एक बहुत बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है।

- इस अत्याधुनिक प्रणाली को पुणे स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी एनआईबीई (NIBE) लिमिटेड ने इज़राइल की 'एल्बिट सिस्टम्स' (Elbit Systems) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया है। यह एक 'मल्टी-कैलिबर' प्रणाली है।
- इसका मतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म से बिना किसी बड़े बदलाव के अलग-अलग दूरी और व्यास (कैलिबर) के रॉकेट, गाइडेड मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागे जा सकते हैं।
- यह प्रणाली मुख्य रूप से 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की दूरी पर सतह-से-सतह पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा, यह 100 किमी तक मार करने वाले लोइटरिंग म्यूनिसंस (सुसाइड ड्रोन) भी दाग सकती है।
- ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में हुए परीक्षणों के दौरान इसका 'सर्कुलर एरर प्रोबेबल' (CEP) 5 मीटर से भी कम पाया गया, जो इसकी उच्च सटीकता को दर्शाता है। यह प्रणाली एक शक्तिशाली 6x6 टाट्रा (Tatra) ट्रक पर स्थापित है।
- इसमें 'शूट एंड स्कूट' (Shoot-and-Scoot) की क्षमता है, जिससे यह रॉकेट दागने के तुरंत बाद दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपना स्थान बदल सकती है।
- भारतीय सेना की मारक क्षमता (Deep-Strike Capability) को बढ़ाने के लिए सेना ने इस प्रणाली को खरीदने के लिए लगभग ₹293 करोड़ का आपातकालीन अनुबंध किया है।

## संसद रत्न पुरस्कार 2026

- संसद रत्न पुरस्कार 2026 की घोषणा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा कर दी गई है, जिसके तहत इस वर्ष कुल 12 सांसदों (10 लोकसभा और 2 राज्यसभा) तथा 4 संसदीय समितियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुना गया है।
- इस वर्ष महाराष्ट्र से सर्वाधिक 5 सांसदों को चुना गया है। इसमें कैसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए संसद सत्र में निरंतर भाग लेने वाली लोकसभा सांसद स्मिता उदय वाघ भी शामिल हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, पी.पी. चौधरी, डॉ. श्रीकांत शिंदे और राज्यसभा से मेधा कुलकर्णी प्रमुख नाम हैं।
- कृषि समिति (अध्यक्ष - चरणजीत सिंह चन्नी), वित्त समिति (अध्यक्ष - भर्तृहरि महताब), ग्रामीण विकास समिति और कोयला एवं खान समिति को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 में शुरू किया गया यह पुरस्कार किसी सरकारी निकाय द्वारा नहीं, बल्कि एक नागरिक समाज संगठन द्वारा दिया जाता है। विजेताओं का चयन सदन में उनकी उपस्थिति, बहस में भागीदारी, पूछे गए प्रश्नों और निजी विधेयकों के आधिकारिक डेटा के आधार पर एक शीर्ष जूरी द्वारा किया जाता है। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में ऐतिहासिक 150वां संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

## राघव चट्टा बने राज्यसभा याचिका समिति के नए अध्यक्ष

- राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च सदन की प्रतिष्ठित 'याचिका समिति' (Committee on Petitions) का पुनर्गठन करते हुए राज्यसभा सांसद राघव चट्टा को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति 20 मई 2026 से प्रभावी हो गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के बाद राघव चट्टा को संसद में यह पहली बड़ी विधायी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- सभापति द्वारा पुनर्गठित इस 10 सदस्यीय समिति में देश के कई वरिष्ठ और अनुभवी सांसदों को शामिल किया गया है। इस पैनल में राघव चट्टा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी मेथर हिशाम, सुभाषीश खुंटिया, र्वंगवरा नारजरी और संतोष कुमार पी शामिल हैं।
- संसदीय व्यवस्था में 'याचिका समिति' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह समिति आम नागरिकों और जनता द्वारा संसद को

भेजी जाने वाली याचिकाओं, जनहित से जुड़ी गंभीर शिकायतों और लोक-महत्व के विषयों की बारीकी से जांच करती है। मूल्यांकन के बाद समिति अपनी रिपोर्ट और सुधारात्मक सुझाव सीधे सरकार और सदन के पटल पर रखती है, जिससे प्रशासनिक नीतियों में सुधार लाया जा सके। वर्ष 1952 में गठित यह समिति राज्यसभा की सबसे पुरानी स्थायी समितियों में से एक है।

## संयुक्त राष्ट्र 'मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025' पुरस्कार

- भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठित 'मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के साथ शांति सैनिक के रूप में कार्यरत हैं। यह सम्मान उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा समावेशी शांति स्थापना को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
- मेजर अभिलाषा बराक ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थानीय महिलाओं और किशोरियों के साथ संवाद स्थापित करने, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा शांति सैनिकों को लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से स्थानीय समुदायों और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के बीच विश्वास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।
- वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी अधिकारी हैं। इससे पूर्व मेजर सुमन गवानी (2019) और मेजर राधिका सेन (2023) को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की सक्रिय भूमिका तथा 'महिला, शांति और सुरक्षा' एजेंडा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

## मंत्रालय ने लॉन्च किए दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म: 'JEEVAN' और 'SHATAYU'

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए दो ऐतिहासिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा जारी किए गए इन प्लेटफॉर्मों का नाम JEEVAN (जीवन) मोबाइल ऐप और SHATAYU (शतायु) केयरगिवर डैशबोर्ड है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना और देश में एक मजबूत देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) का निर्माण करना है।
- JEEVAN ऐप (Joint Elderly Empowerment and Virtual Assistance Network) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकल खिड़की (Single Window) समाधान है। यह ऐप बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और मंत्रालय समर्थित सीनियर सिटीजन होम की सटीक जानकारी देता है। साथ ही, इसमें आपातकालीन सहायता और डिजिटल समावेशन के लिए बेहद सरल इंटरफेस दिया गया है।
- दूसरी ओर, SHATAYU डैशबोर्ड (Senior Holistic Care Assistance and Training For Your Utility) देश भर में प्रमाणित जेरियाट्रिक केयरगिवर्स (बुजुर्गों की देखभाल करने वाले पेशेवर) का एक व्यापक डेटाबेस है।
- इसके जरिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यह कदम भारत की बुजुर्ग आबादी को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने में उपयोगी साबित होगा।

## विधान सभा चुनाव एवं परिणाम

- हाल ही में मई 2026 में हुए 5 राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए गए और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मई के दूसरे सप्ताह में अपने-अपने पदों की शपथ ली। इन राज्यों में चुने गए मुख्यमंत्रियों और उनकी पार्टियों के विवरण निम्नलिखित हैं:
  - » **पश्चिम बंगाल:** शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में

- ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
- » **तमिलनाडु:** लोकप्रिय अभिनेता सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु वेतरी कषगम (TVK) से शानदार जीत दर्ज की और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
  - » **असम:** हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने राज्य में शानदार बहुमत प्राप्त किया है।
  - » **पुडुचेरी:** एन. रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवीं बार शपथ ली है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (AINRC) और भाजपा (NDA गठबंधन) ने मिलकर यहाँ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।
  - » **केरलम:** वी. डी. सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह जीत कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सत्ता में वापसी है।

## संयुक्त राष्ट्र के FAO द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक 2026

- हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को इटली की राजधानी रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन (FAO) मुख्यालय में वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एग्रीकोला पदक (Agricola Medal) प्रदान किया गया। यह सम्मान खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व तथा भारत के योगदान को मान्यता देते हुए दिया गया।
- प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारतीय किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित करते हुए, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप', सूक्ष्म सिंचाई, प्रिसिजन फार्मिंग तथा प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परामर्श प्रणाली, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और सेंसर आधारित मशीनरी भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक एवं जलवायु-अनुकूल बना रही हैं।
- पिछले एक दशक में भारत ने लगभग 3,000 जलवायु-प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास किया है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों, को सुदृढ़ करने में सहायक हैं।

## संयुक्त सैन्य अभ्यास 'CINBAX-II 2026'

- भारत और कंबोडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'CINBAX-II 2026' का दूसरा संस्करण कंबोडिया के कंपोंग स्पू प्रांत में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह द्विपक्षीय अभ्यास 4 मई से 17 मई, 2026 तक कुल 14 दिनों तक चला। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (पारस्परिक समन्वय) और परिचालन कौशल को मजबूत करना था।
- भारतीय सेना की ओर से मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के 120 जवान और रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 सैन्य कर्मी इसमें शामिल हुए। उप-पारंपरिक और अर्ध-शहरी माहौल में आतंकवाद विरोधी (Counter-Terrorism) अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- सैनिकों ने संयुक्त रूप से ड्रोन संचालन, स्नाइपर रणनीति, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और आपदा राहत (HADR) का कड़ा अभ्यास किया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आयोजित किया गया।
- यह अभ्यास भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पहला संस्करण दिसंबर 2024 में पुणे, भारत में आयोजित हुआ था।

## 'ताइवान ट्रेवलॉग' ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026

- लंदन के टेट मॉडर्न में 19 मई को आयोजित एक भव्य समारोह में ताइवानी लेखिका यांग शुआंग-ज़ी और अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके शानदार उपन्यास 'ताइवान ट्रेवलॉग' (Taiwan Travelogue) के लिए प्रदान किया गया।

- वैश्विक साहित्य जगत में यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह पुरस्कार जीतने वाला मंदारिन चीनी भाषा में लिखा गया यह पहला उपन्यास है।
- यह उपन्यास 1930 के दशक में जापानी-शासित ताइवान की ऐतिहासिक और औपनिवेशिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह पुस्तक दो महिलाओं की भोजन यात्रा और उनके बीच के रिश्तों के माध्यम से इतिहास, सत्ता, वर्ग और उपनिवेशवाद के जटिल समीकरणों को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। निर्णायकों ने इसकी सराहना करते हुए इसे एक बेहतरीन 'रोमांस और तीखा औपनिवेशिक उपन्यास' बताया है।
- विजेता के रूप में मिलने वाली £50,000 (लगभग 53 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि को लेखिका और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। भारत ने वर्ष 2022 में लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास 'रेत समाधि' (टॉम्ब ऑफ सैंड) पर पहली बार हिंदी भाषा के लिए यह वैश्विक सम्मान हासिल किया था।

## आरबीआई का सरकार को रिकॉर्ड ₹2.87 लाख करोड़ का अधिशेष हस्तांतरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ (लगभग ₹2.87 लाख करोड़) का रिकॉर्ड अधिशेष (Surplus) हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। यह देश के आर्थिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लामांश (Dividend) भुगतान है।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत केंद्रीय बैंक अपने परिचालन से अर्जित अतिरिक्त लाभ को आकस्मिक देनदारियों और बफर के प्रावधान के बाद केंद्र सरकार को सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अधिशेष का निर्धारण बिमल जालान समिति (2019) की सिफारिशों के आधार पर तैयार संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार CRB को 5.5% से 7.5% के दायरे में बनाए रखना होता है।
- विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप (Forex Operations), वैश्विक स्तर पर उच्च ब्याज दरों के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों पर मजबूत रिटर्न और घरेलू स्तर पर सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) से ब्याज आय।
- ये अधिशेष हस्तांतरण राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) गैर-कर राजस्व प्राप्ति सरकार को अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्य को नियंत्रित रखने में बड़ी राहत प्रदान करेगी। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) के भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों के बीच यह फंड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राजकोषीय बफर (Fiscal Cushion) का काम करेगा।
- बुनियादी ढांचा (Infrastructure) परियोजनाओं में बिना अतिरिक्त बाजार उधारी (Market Borrowing) के निवेश जारी रखने की क्षमता बढ़ेगी।

## 22 वर्षों बाद राष्ट्रीय चैंपियन बना ईस्ट बंगाल

- भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए ईस्ट बंगाल एफसी ने 2025-26 इंडियन सुपर लीग (ISL) का खिताब जीत लिया है। क्लब ने अंतिम लीग मुकाबले में इंटर काशी को 2-1 से पराजित कर 22 वर्षों के लंबे इंतजार का अंत किया। इससे पहले ईस्ट बंगाल ने वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय फुटबॉल लीग (NFL) का खिताब जीता था।
- खिताबी मुकाबले में इंटर काशी ने पहले बढ़त बनाई, किंतु ईस्ट बंगाल ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। टीम की सफलता में मोरक्को के स्ट्राइकर यूसुफ़ एज़ेज्जारी (Youssef Ezzejari) की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने पूरे सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक गोल दागे। वहीं मुख्य कोच ऑस्कर ब्रुज़ोन (Oscar Bruzon) के नेतृत्व में टीम ने पूरे सत्र में उल्लेखनीय निरंतरता दिखाई।
- यह जीत केवल एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय फुटबॉल में पारंपरिक क्लबों की वापसी और पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। अंतिम मैच दिवस तक कई टीमों खिताब की दौड़ में बनी रहीं, जिससे लीग की प्रतिस्पर्धात्मकता और लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ईस्ट बंगाल की यह ऐतिहासिक सफलता भारतीय फुटबॉल को नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ देश में फुटबॉल संस्कृति को और मजबूत बनाने की

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

## मेघालय में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 'प्रगति 2026' संपन्न

- भारतीय सेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 'प्रगति 2026' (PRAGATI 2026) का पहला संस्करण 20 से 30 मई 2026 तक मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- 'PRAGATI' का जिसका पूरा नाम "हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी" है। इस मेगा अभ्यास में मेजबान भारत सहित कुल 13 देशों के 400 से अधिक सैन्यकर्मियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत सहित भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम देश शामिल थे।
- इस दो सप्ताह लंबे अभ्यास का मुख्य फोकस अर्ध-पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों में आतंकवाद व उग्रवाद विरोधी अभियानों पर था। इसके तहत एकिकृत मिश्रित टीमों ने घात लगाने (Ambush), हेलीकॉप्टर स्लिटरिंग, आईईडी का पता लगाने और शहरी हस्तक्षेप (Urban Warfare) जैसे कठिन सामरिक कौशलों का अभ्यास किया। इसका उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर-संचालनीयता (Interoperability) और आपसी तालमेल को मजबूत करना था।

## हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल लेबर चौक 'श्रम मित्र ऐप'

- हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने राज्य के असंगठित श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए ऐतिहासिक 'श्रम मित्र' (ShramMitra) मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक लेबर चौकों पर निर्भरता को कम करना और दैनिक वेतन भोगी व कुशल श्रमिकों को सीधे नियोक्ताओं से जोड़ना है।
- यह ऐप एक 'इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज' के रूप में काम करेगा, जहां राजमिस्त्री, प्लंबर, बढ़ई और बिजली मिस्त्री जैसे श्रमिक घर बैठे ही रोजगार के अवसर देख सकेंगे।
  - » **त्रैमासिक सपोर्ट:** यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है।
  - » **जियो-मैपिंग तकनीक:** इससे नियोक्ता और श्रमिक लाइव लोकेशन और दूरी का सटीक पता लगा सकेंगे।
  - » **बिचौलियों का अंत:** दोनों पक्ष ऐप के जरिए सीधे मजदूरी और काम के घंटे तय कर सकते हैं।
- हरियाणा सरकार ने शुरुआती चरण में लगभग 75,000 पंजीकृत श्रमिकों का डेटा प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया है। यह कदम राज्य के श्रम बाजार में पारदर्शिता, गति और श्रमिकों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

## आईसीआरए ने घटाया भारत का जीडीपी अनुमान

- घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है। मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, इस कटौती का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आया भारी उछाल है।
- एजेंसी ने वित्त वर्ष 2027 में कच्चे तेल की औसत कीमत का अनुमान 85 डॉलर से बढ़ाकर 95 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है। चूंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है, इसलिए बढ़ती कीमतों से घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) और चालू खाता घाटे (CAD) पर सीधा दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण भारत के निर्यात में कमजोरी आई है और विनिर्माण क्षेत्रों में मार्जिन का दबाव बढ़ा है।
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आ रही गिरावट और ईंधन सब्सिडी बढ़ने के कारण सरकार के राजकोषीय घाटे पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह संशोधित अनुमान स्पष्ट संकेत देता है कि घरेलू मांग मजबूत होने के बावजूद, वैश्विक कारक भारत की

आर्थिक रफ्तार को सीमित कर रहे हैं। भविष्य की वृद्धि दर अब काफी हद तक वैश्विक स्थिरता पर निर्भर करेगी।

- इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) भारत की एक प्रमुख और प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह कंपनियों, बैंकों, सरकारी संस्थाओं और विभिन्न वित्तीय साधनों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करके उन्हें रेटिंग प्रदान करती है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।

## बीसीसीआई आरटीआई के दायरे से बाहर

- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने मई 2026 में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर कर दिया है। आयोग ने अपने 2018 के पुराने फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि बीसीसीआई आरटीआई की धारा 2(h) के तहत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (Public Authority) नहीं है।
- **मुख्य कानूनी आधार:**
  - » **स्थापना का स्वरूप:** बीसीसीआई तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निजी संस्था है। इसका गठन संसद या संविधान के किसी कानून द्वारा नहीं हुआ है।
  - » **सरकारी वित्तपोषण और नियंत्रण का अभाव:** बोर्ड पूरी तरह आत्मनिर्भर है और सरकार से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता। सीआईसी के अनुसार, कर (टैक्स) छूटों को 'पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण' नहीं माना जा सकता।
- आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जी टेलीफिल्म्स (2005) मामले के फैसले को आधार बनाया, जिसमें बीसीसीआई को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं माना गया था।
- यह निर्णय 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा को स्पष्ट करता है और यह स्थापित करता है कि सिर्फ 'सार्वजनिक कार्य' करने मात्र से कोई निजी निकाय आरटीआई के प्रति जवाबदेह नहीं हो जाता। यह प्रशासनिक कानून में पारदर्शिता बनाम स्वायत्तता की बहस को पुनर्जीवित करता है।

## काजीरंगा में छोड़ा गया भारत का पहला सैटेलाइट-टैग लगा गंगा सॉफ्टशेल कछुआ

- लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2026 (15 मई) के अवसर पर, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर भारत का पहला सैटेलाइट-टैग लगा गंगा सॉफ्टशेल कछुआ (*Nilssonia gangetica*) छोड़ा गया।
- यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और असम वन विभाग का एक संयुक्त प्रयास है। इसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- कछुए के कवच (Carapace) पर लगा सैटेलाइट ट्रांसमीटर अंतरिक्ष से रीयल-टाइम डेटा भेजेगा। इससे ब्रह्मपुत्र बेसिन में कछुओं की मौसमी गतिविधियों, होम रेंज और घोंसला बनाने (Nesting) के स्थानों को समझने में मदद मिलेगी।
- गंगा सॉफ्टशेल कछुए अपने बड़े आकार और सिर के ऊपरी हिस्से पर विशिष्ट तीर के आकार (Arrow-shaped) के निशानों से पहचाना जाता है। यह मीठे पानी का एक बड़ा सर्वाहारी जीव है। यह नदी के मलबे और मृत जीवों को खाकर जल तंत्र को स्वच्छ रखने में एक 'एपेक्स स्केवेंजर' (Apex Scavenger) की भूमिका निभाता है।

### संरक्षण स्थिति:

- » **IUCN रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय (Endangered)
- » **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
- » **CITES:** परिशिष्ट-I (Appendix I)
- यह असम के वैश्विक जैव विविधता महत्व को रेखांकित करती है, क्योंकि भारत में पाई जाने वाली नरम खोल वाले कछुओं की 8 प्रजातियों

में से 5 अकेले काजीरंगा क्षेत्र में पाई जाती हैं।

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के नए सीईओ

- हाल ही में 1998 बैच (महाराष्ट्र कैडर) के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जून 2026 में उन्हें 'इंडिया एआई मिशन' (IndiaAI Mission) के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है।
- देश के सबसे बड़े डिजिटल पहचान तंत्र (Aadhaar) और उभरते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व एक ही प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में आना नीतिगत अभिसरण (Policy Convergence) को दर्शाता है। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और 'Responsible AI' के विकास में तेजी लाएगा।
- UIDAI के विशाल डेटा प्रबंधन अनुभव का उपयोग इंडिया एआई मिशन के तहत संप्रभु एआई मॉडल (Sovereign AI Models) विकसित करने, एआई-संचालित नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जा सकेगा।
- IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग और विश्व बैंक में प्रशासनिक अनुभव रखने वाले श्री विजय का यह दोहरा प्रभार कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी वितरण (Welfare Delivery) और तकनीक-आधारित सुशासन (Tech-led Governance) की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

## स्वाइन लीडर सान्या

- हाल ही में, स्वाइन लीडर सान्या भारतीय वायु सेना (IAF) के 93 वर्ष के इतिहास में कैटेगरी-ए क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर (Cat-A QFI) की सर्वोच्च योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया।
- QFI ग्रेडिंग प्रणाली:** IAF में विमान चालकों की शिक्षण और परिचालन क्षमता को परखने के लिए तीन ग्रेड होते हैं:
  - » **Cat-C:** नए या प्रशिक्षु प्रशिक्षकों (Probationary Instructors) को दिया जाता है।
  - » **Cat-B:** मानक पायलट प्रशिक्षण देने हेतु अर्हता प्राप्त प्रशिक्षक।
  - » **Cat-A:** यह सैन्य विमानन का सर्वोच्च स्तर है। इसके धारक मास्टर इंस्ट्रक्टर नए पायलटों के साथ-साथ अन्य जूनियर इंस्ट्रक्टर को भी प्रशिक्षित करने और उन्नत उड़ान कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत होते हैं।
- रक्षा बलों में महिलाओं को केवल युद्धक भूमिकाओं (Combat Roles) तक सीमित न रखकर, निर्णय लेने और कमान संभालने वाले केंद्रीय प्रशिक्षण नेतृत्व (Instructional Leadership) में समान अवसर मिलने का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह उपलब्धि योग्यता-आधारित (Merit-based) चयन प्रणाली को बढ़ावा देती है और पारंपरिक बाधाओं को तोड़ती है।

## भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP)

- पश्चिम एशिया संकट और लाल सागर के भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत सरकार ने \$1.5 अरब (लगभग ₹13,905 करोड़) के 'भारत समुद्री बीमा पूल' (BMIP) की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) का यह कदम भारतीय जहाजरानी और वैश्विक व्यापार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक है।
- इस पूल की सबसे बड़ी विशेषता भारत सरकार द्वारा दी गई \$1.4 अरब की संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) है। भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC Re) द्वारा प्रबंधित यह योजना जहाजों के ढांचे (Hull & Machinery), कार्गो और युद्ध जोखिम (War Risk) को व्यापक कवर प्रदान करती है। प्रति नुकसान \$100 मिलियन तक के दावे पूल के आंतरिक कोष से और उससे बड़े दावे सरकारी गारंटी से निपटाए

जाएंगे।

- **भारत समुद्री बीमा पूल का महत्व:**
  - » भारतीय व्यापार अब विदेशी बीमा क्लबों पर निर्भर नहीं रहेगा।
  - » वैश्विक संकटों के दौरान भी भारतीय आयातकों-निर्यातकों को स्थिर और किफायती प्रीमियम की सुविधा मिलेगी।
  - » विदेशों में होने वाले भारी-भरकम प्रीमियम भुगतान पर रोक लगेगी।
- यह 10-वर्षीय पहल भारत को समुद्री वाणिज्य में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत गेम-चेंजर साबित होगी।

## युगांडा में मुसेवेनी का सातवां कार्यकाल

- हाल ही में युगांडा के 81 वर्षीय राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 12 मई, 2026 को राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में लगातार सातवीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर आधुनिक अफ्रीका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। जनवरी 2026 में हुए आम चुनावों में 71.65% वोट हासिल कर उन्होंने शानदार जीत दर्ज की, जिससे उनका 40 वर्षों का शासनकाल अब पांचवें दशक में प्रवेश कर गया है।
- मुसेवेनी ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रपति के 'कार्यकाल की सीमा' (Term Limit) और 2017 में 'आयु सीमा' को संविधान से हटा दिया था। विरोधी इसे अफ्रीका में संकुचित होती लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं।
- जहां समर्थक उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के संरक्षक के रूप में देखते हैं, वहीं मुख्य विपक्षी नेता बोबी वाइन ने चुनाव प्रक्रिया में व्यापक धांधली और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत के लिए युगांडा 'कांसाप' (वैश्विक दक्षिण) और अफ्रीकी संघ में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। मुसेवेनी का निरंतर शासन भारत-युगांडा रक्षा सहयोग और व्यापारिक समझौतों में नीतिगत निरंतरता प्रदान करेगा।



## 'सेहत मिशन' (SEHAT Mission)

- भारत सरकार ने 11 मई, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 'सेहत मिशन' (SEHAT Mission) का शुभारंभ किया। यह देश में अपनी तरह की पहली अनूठी पहल है, जिसमें स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को आपस में जोड़ा गया है। इसका पूरा नाम 'कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता' (Science Excellence for Health through Agricultural Transformation-SEHAT) है।
- यह देश के दो शीर्ष अनुसंधान संगठनों, ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) और ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) का एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन है। इस मिशन का मूल मंत्र "हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया" के विजन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आपस में एकीकृत करना है।
- यह मिशन देश की स्वास्थ्य नीति को 'इलाज' (Curative) से 'रोकथाम' (Preventive Healthcare) की ओर ले जाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। इसके तहत ICAR द्वारा विकसित 203 बायोफोर्टिफाइड फसलों की ICMR द्वारा क्लिनिकल जांच की जाएगी। यह पहल कुपोषण को दूर करने के साथ-साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने में मददगार होगी। यह मिशन कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ मानव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगा।

## निर्माण श्रमिकों के लिए 1% कल्याण उपकर अधिसूचित

- केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश के लाखों निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नए श्रम संहिताओं के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' की धारा 100(1) के तहत 1% निर्माण कल्याण उपकर (Construction Welfare Cess) अधिसूचित कर दिया है। यह नया नियम 1 मई, 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है, जिसने 1996 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया है।
- इस अधिसूचना के तहत अब नियोक्ताओं (Employers) को व्यावसायिक और अन्य सभी निर्माण कार्यों की कुल लागत का 1% हिस्सा उपकर के रूप में देना होगा। हालांकि, आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ₹50 लाख से कम की लागत से निजी घर बनाने वाले व्यक्तियों को इस उपकर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
- इस उपकर से एकत्रित धनराशि को राज्य सरकारों के कल्याण बोर्डों (BOCW Boards) में जमा किया जाएगा। इस फंड का सीधा उपयोग असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन बीमा, वित्तीय सहायता, पेंशन और उनके बच्चों की शिक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। यह कदम देश के सबसे संवेदनशील श्रम वर्ग को एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।

## राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026

- अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर 12 मई, 2026 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में 'राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026' प्रदान किए। इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा और नर्सिंग के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय और उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के कुल 15 नर्सिंग कर्मियों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा भी उपस्थित रहे।
- पुरस्कार विजेताओं में उत्तराखंड की सुश्री पूजा परमार राणा (दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण के लिए), दिल्ली के डॉ. श्रवण कुमार ढाका (जनस्वास्थ्य सेवाओं के लिए) और महाराष्ट्र की सुश्री उज्ज्वला महादेव सोयम (नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट मातृ-शिशु देखभाल के लिए) प्रमुख रूप से शामिल रहीं। विजेताओं को सम्मान स्वरूप एक प्रमाण-पत्र, एक पदक और ₹1,00,000 की नकद राशि दी गई।
- वर्ष 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार आधुनिक नर्सिंग की जनक 'फ्लोरेंस नाइटिंगेल' की स्मृति में दिया जाता है। यह नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ और असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है।

## पश्चिम बंगाल में 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' की शुरुआत

- पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' (Annapurna Bhandar Yojna) के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत कर दी है।
- यह योजना पूर्ववर्ती सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना का स्थान लेगी। इसके तहत वित्तीय सहायता को सीधे दोगुना करते हुए ₹3,000 प्रति माह कर दिया गया है। योजना का लाभ 25 से 60 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को मिलेगा जो पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हैं। हालांकि, आयकर दाता और सरकारी पेंशनभोगी महिलाएं इस लाभ के दायरे से बाहर रहेंगी।
- प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अगले 90 दिनों के भीतर सभी योग्य लाभार्थियों के लिए नया पंजीकरण और कड़ा जमीनी सत्यापन अनिवार्य किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से राज्य की करीब 2 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, महिला सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा (पिंक टिकट प्रणाली) की भी घोषणा की है।

## ‘वन केस वन डेटा’ और एआई चैटबॉट ‘सु सहायक’

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने के लिए ‘वन केस वन डेटा’ (One Case One Data) पहल की घोषणा की है। इस दूरगामी तकनीक-संचालित सुधार का उद्देश्य प्रतिभागी अदालतों के बीच डेटा विसंगतियों को दूर करना है।
- इस प्रणाली के तहत, तालुका स्तर की अदालतों से लेकर जिला, उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत तक के सभी न्यायिक रिकॉर्ड्स को एक मंच पर लाया जाएगा। देश के हर मुकदमे को आधार कार्ड की तरह एक विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जाएगी, जिससे बार-बार फाइलें तैयार करने की आवश्यकता खत्म होगी और मामले की पूरी हिस्ट्री एक ही क्लिक पर उपलब्ध होगी।
- इसके साथ ही, आम नागरिकों और वकीलों की मदद के लिए ‘सु सहायक’ (Su Sahay) नाम का एक एआई-संचालित चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित यह चैटबॉट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आने वाले यूजर्स को केस स्टेटस, गाइडलाइंस और अन्य ई-सेवाएं आसानी से खोजने में मार्गदर्शन करेगा। यह एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

## सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में शामिल

- हाल ही में सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है। यह कदम पश्चिम एशिया में वन्यजीव संरक्षण और वैश्विक जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के 50 वर्ष पूरे होने पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- सऊदी अरब के शामिल होने के बाद अब इस गठबंधन में 26 सदस्य देश और 5 पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) देश हो गए हैं। इसमें भारत, रूस, नेपाल और मलेशिया जैसे देश पहले से शामिल हैं। दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के अवैध शिकार को रोकना, उनके आवासों की रक्षा करना और सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को साझा करना है।
- यह अलायंस मुख्य रूप से 7 बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इनमें से पहले 5 जीव भारत में पाए जाते हैं। यह वैश्विक गठबंधन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

## झारखंड में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ड्रॉपआउट दर हुई 0%

- नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी ‘भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली’ रिपोर्ट और यूडीआईएसई+ (UDISE+) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, झारखंड ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-5) में शून्य (0%) ड्रॉपआउट दर दर्ज कर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने वर्ष 2014-15 के 6.41% के मुकाबले इस दर को शून्य पर लाकर स्कूली शिक्षा में बड़ा सुधार किया है।
- कक्षा 6 से 8 में ड्रॉपआउट दर 7.42% से घटकर 1.7% और माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर 23.2% से घटकर मात्र 3.5% रह गई है। माध्यमिक स्तर पर सुधार के मामले में झारखंड देश का चौथा सबसे बेहतरीन राज्य बना है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा में छात्रों के आगे बढ़ने की दर 89.6% हो गई है, जिसमें झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, इस सफलता के बावजूद राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है। वर्तमान में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर 99,565 शिक्षण पद रिक्त हैं और 9,172 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ छात्र-शिक्षक अनुपात 26:1 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 20:1 है।

## वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास दर अनुमान में कटौती

- हाल ही में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है। यह पूर्व अनुमान की तुलना में 50 बेसिस पॉइंट (0.5%) कम है। एजेंसी ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, कमजोर वैश्विक मांग तथा भू-राजनीतिक तनावों को इसके प्रमुख कारण बताया है।
- भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, किंतु निर्यात, विनिर्माण तथा निजी निवेश पर वैश्विक मंदी का प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि का असर भारतीय व्यापार और निवेश प्रवाह पर भी पड़ने की आशंका है।
- हालाँकि, घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत व्यय, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचा निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

## जननी' (JANANI) पोर्टल और डिजिटल शासन

- हाल ही में, भारत सरकार ने जननी (Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care- JANANI) नामक एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पोर्टल मौजूदा 'प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य' (RCH) पोर्टल का एक उन्नत संस्करण है।
- यह पोर्टल महिलाओं के संपूर्ण प्रजनन आयु काल के दौरान उनके प्रसव-पूर्व (ANC), प्रसव और प्रसव-पश्चात देखभाल का एक एकीकृत डिजिटल इतिहास तैयार करता है। प्रत्येक लाभार्थी को एक QR-सक्षम डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) कार्ड प्रदान किया जाता है, जिससे देश के किसी भी हिस्से में स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच (पोर्टेबिलिटी) सुलभ हो जाती है।
- पोर्टल में उच्च-जोखिम वाली गर्भस्थाओं के लिए स्वचालित अलर्ट और रीयल-टाइम डैशबोर्ड की सुविधा है, जिससे समय पर चिकित्सीय हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत ABHA ID से जुड़ा है और U-WIN (टीकाकरण) व POSHAN (पोषण) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ मिलकर काम करता है।
- भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है (SRS 2018-20 के अनुसार 97 प्रति लाख जीवित जन्म), लेकिन सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG-3) के तहत 2030 तक इसे 70 से कम करने के लिए यह पोर्टल प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगा। यह विशेष रूप से प्रवासी आबादी के लिए 'केयर ऑफ कंटिन्यूटी' बनाए रखने में सहायक है।
- 'जननी' पोर्टल केवल एक डेटाबेस नहीं, बल्कि भारत के स्वास्थ्य ढांचे में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करेगा।

## पुलित्जर पुरस्कार 2026

- हाल ही में मई 2026 में, भारतीय पत्रकारों आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा को डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी पर अपनी खोजी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है।
- इन्हें 'इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री' (Illustrated Reporting and Commentary) श्रेणी में ब्लूमबर्ग के प्रोजेक्ट "trAPed" के लिए सम्मानित किया गया। यह रिपोर्ट लखनऊ की एक न्यूरोलॉजिस्ट की कहानी उजागर करती है, जिन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) के माध्यम से ठगा गया था। यह दृश्य माध्यमों (Visuals) और शब्दों के समन्वय से आधुनिक साइबर अपराधों के भयावह चेहरे को दर्शाती है।
- एक अन्य भारतीय पत्रकार अनिरुद्ध घोषाल को भी एसोसिएटेड प्रेस (AP) टीम के हिस्से के रूप में सामूहिक निगरानी उपकरणों (Mass Surveillance tools) की वैश्विक जांच के लिए पुरस्कार मिला है।
- भारतीय पत्रकारों की यह उपलब्धि वैश्विक मीडिया परिदृश्य में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका को पुख्ता करती है।
- पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हंगेरियन-अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के आधार पर हुई थी। यह कोलंबिया

विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है। वर्तमान में यह पत्रकारिता, साहित्य, और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।

## व्हिटली पुरस्कार 2026

- हाल ही में भारतीय संरक्षणवादी परवीन शेख (BNHS) और डॉ. बरखा सुब्बा को प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूके की चैरिटी 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' द्वारा जमीनी स्तर पर संरक्षण कार्य के लिए दिया जाता है।
- परवीन शेख को 'लुप्तप्राय' (Endangered) पक्षी इंडियन स्किमर (Indian Skimmer) के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया। भारत में इसकी वैश्विक आबादी का 90% से अधिक हिस्सा पाया जाता है। चंबल नदी के किनारे इनके 'गार्जियन मॉडल' ने पक्षियों की आबादी 400 से बढ़ाकर लगभग 1,000 कर दी है।
- डॉ. बरखा सुब्बा को दार्जिलिंग में सुभेद्य (Vulnerable) हिमालयी सैलामैंडर (Himalayan Salamander) उभयचर के संरक्षण हेतु पुरस्कार मिला। यह प्रजाति अपने जन्म स्थान पर लौटकर प्रजनन करना (Philopatry) के लिए जानी जाती है, जो इसे आवास विनाश के प्रति संवेदनशील बनाती है। दोनों वैज्ञानिकों ने स्थानीय समुदायों को 'गार्जियंस' के रूप में शामिल कर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में उनकी भूमिका को रेखांकित किया है।
- परवीन शेख इस पुरस्कार राशि का उपयोग चंबल मॉडल को प्रयागराज (गंगा-यमुना संगम) में लागू करने के लिए करेंगी। यह उपलब्धि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों (जैसे कुनमिंग-मॉन्ड्रियल फ्रेमवर्क) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल देती है।



### व्हिटली पुरस्कार के बारे में:

- व्हिटली पुरस्कार की शुरुआत 1993 में एडवर्ड व्हिटली द्वारा 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' (WFN) के तहत की गई थी। यह पुरस्कार वैश्विक दक्षिण (Global South) के वन्यजीव संरक्षणवादियों को उनके जमीनी स्तर के असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। इसे पर्यावरण क्षेत्र का 'ग्रीन ऑस्कर' कहा जाता है। विजेताओं को प्रोजेक्ट विस्तार के लिए £50,000 की फंडिंग मिलती है।

## जमैका में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना तैनात

- हाल ही में भारत ने अपनी 'आरोग्य मैत्री' पहल के तहत जमैका को स्वदेशी रूप से विकसित भीष्म (BHISHM) क्यूब्स प्रदान किए हैं। यह तैनाती भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- आरोग्य मैत्री क्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, जिसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विकसित किया गया है। यह आपदा क्षेत्रों में मात्र 8-10 मिनट के भीतर एक पूर्ण कार्यात्मक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में सक्षम है।
- यह पहल 'ग्लोबल साउथ' के देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जमैका को 10 'हेल्थ क्यूब' और 30 डायलिसिस इकाइयां प्रदान करना भारत-कैरिबियन (CARICOM) संबंधों में 'रणनीतिक परोपकारिता' का उदाहरण है।
- भारत का लक्ष्य किफायती और सुलभ चिकित्सा तकनीक साझा करना है, ताकि विकासशील देश आपदाओं और आपात स्थितियों में आत्मनिर्भर बन सकें। यह तैनाती "वसुधैव कुटुंबकम्" के विचार को मजबूत करती है और भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में स्थापित करती है।

# समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

## 1. संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है।
  2. इस पद के लिए सिफारिश हेतु सुरक्षा परिषद में कम से कम 9 मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें पाँचों स्थायी सदस्यों के सहमति मत शामिल होते हैं।
  3. संयुक्त राष्ट्र चार्टर महासचिव के चयन के लिए क्षेत्रीय समूहों के बीच भौगोलिक घूर्णन (रोटेशन) की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

## 2. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भूमिका और महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासचिव को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है।
  2. महासचिव के पास सदस्य देशों पर सीधे प्रतिबंध (sanctions) लगाने का अधिकार होता है।
  3. महासचिव अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले मामलों को सुरक्षा परिषद के समक्ष ला सकता है।
  4. महासचिव अक्सर जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे मुद्दों पर वैश्विक प्रवक्ता (spokesperson) के रूप में कार्य करता है।
- उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1,3 और 4  
C: केवल 2,3 और 4  
D: 1, 2, 3 और 4

## 3. कांडला में भारत के पहले ग्रीन मथनॉल संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत का पहला संयंत्र है जो प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (Prosopis juliflora) नामक एक आक्रामक झाड़ी को कच्चे माल (फीडस्टॉक)

के रूप में उपयोग करके मथनॉल का उत्पादन करता है।

2. इस तकनीक में बायोमास को सिंगैस (syngas) में परिवर्तित किया जाता है, जो दहन (combustion) और पाइरोलिसिस (pyrolysis) के बीच की प्रक्रिया है।
  3. यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

## 4. पद्मा डोरी' पहल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की वस्त्र परंपराओं को जोड़ती है।
2. इसमें एरी सिल्क और चंदेरी वस्त्र का समन्वय किया गया है।
3. इसका उद्देश्य केवल निर्यात बढ़ाना है।

विकल्प:

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

## 5. हाल ही में सिक्किम को भारत की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किए जाने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह घोषणा e-Courts मिशन मोड परियोजना के चरण II के दिशानिर्देशों के तहत की गई थी।
  2. पेपरलेस प्रणाली सभी कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे दाखिल करना (फाइलिंग) और सुनवाई, को डिजिटल रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती है।
  3. यह पहल सिक्किम को भारत का एकमात्र राज्य बनाती है जिसने डिजिटल न्यायालय प्रणाली अपनाई है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

**6. INS महेंद्रगिरि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरी-श्रेणी) फ्रिगेट्स का अंतिम जहाज है।
2. इस जहाज का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक का उपयोग करके किया गया है।
3. यह बाराक-8 लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली से लैस है।  
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**7. मिशन दृष्टि' के संदर्भ में, जो हाल ही में समाचारों में रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान है जिसे कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है।
2. इसे इसरो द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था।
3. यह उपग्रह 'ऑप्टोसार' (OptoSAR) तकनीक का उपयोग करता है, जो ऑप्टिकल इमेजिंग को सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) के साथ एकीकृत करती है।  
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**8. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023' और हाल के सुधार भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बदलने का लक्ष्य रखते हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित संस्थानों और उनकी प्रमुख भूमिकाओं के युग्मों पर विचार करें:**

संस्थान — प्रमुख भूमिका

1. IN-SPaCe — निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एकल-खिड़की (सिंगल-विंडो) स्वायत्त नियामक।
2. NSIL — इसरो की वाणिज्यिक शाखा, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

पर केंद्रित है।

3. अग्रिकुल कॉसमॉस — भारत का पहला निजी रॉकेट, विक्रम-S, विकसित किया।  
ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही ढंग से मिलान किए गए हैं?

- A: केवल एक  
B: केवल दो  
C: सभी तीनों  
D: कोई नहीं

**9. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह एक बहुआयामी ढांचा है, जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs) का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है।
2. यह सूचकांक भारत की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, ताकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।
3. अंतिम समग्र स्कोर के आधार पर, एक महत्वपूर्ण संख्या में पंचायतें (लगभग 5%) शीर्ष "अचीवर" (90-100 स्कोर) श्रेणी में आती हैं।  
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**10. भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए नेवल एंटी-शिप मिसाइल - शॉर्ट रेंज (NASM-SR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल है।
2. यह मिसाइल अधिकतम गति के लिए द्रव (लिक्विड) प्रणोदक इंजन का उपयोग करती है।
3. यह दुश्मन के रडार से बचने के लिए समुद्र-स्किमिंग (sea-skimming) प्रक्षेपवक्र का उपयोग करती है।  
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**11. ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार**

**कीजिए:**

1. यह भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है
2. यह सुपरसोनिक कूज मिसाइल है
3. भारत वियतनाम को इसकी बिक्री पर विचार कर रहा है  
सही उत्तर का चयन कीजिए:

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**12. आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. आधार भारत में पहचान और नागरिकता दोनों का प्रमाण है।
2. सभी निजी और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के लिए आधार अनिवार्य है।
3. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) इस अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है।  
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**13. केप वर्डे के पास एक कूज जहाज पर हाल ही में संदिग्ध हंटावायरस प्रकोप के संदर्भ में, हंटावायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हंटावायरस एक जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित मानव वाहकों के सीधे संपर्क से मनुष्यों में फैलता है।
2. यह दो प्रमुख बीमारियों का कारण बनता है: हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) और हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS)।
3. वर्तमान में, हंटावायरस के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है।  
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**14. भारत में किशोर अपराधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर****विचार कीजिए:**

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को किशोर माना जाता है।
2. जघन्य अपराधों के मामलों में 16-18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों पर विशेष परिस्थितियों में वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।
3. किशोर न्याय बोर्ड केवल पुलिस अधिकारियों से मिलकर बना होता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**15. राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित किए जाते हैं।
2. इन खेलों में केवल एशियाई देशों को भाग लेने की अनुमति होती है।
3. भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी।  
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 1 और 3  
D: 1, 2, और 3

**16. अल्जीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है।
2. इसकी उत्तरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है।
3. अल्जीरिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है।  
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**17. हाल ही में उप-एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. नौसेना प्रमुख भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है।
2. भारतीय नौसेना भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. नौसेना प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

### 18. IndiaAI मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख (flagship) पहल है, जिसे पाँच वर्षों के लिए ₹10,371.92 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृति दी गई है।
2. इस मिशन का उद्देश्य 10,000 से अधिक GPUs की क्षमता वाली संप्रभु (sovereign) AI अवसंरचना का निर्माण करना है।
3. यह कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए स्वदेशी AI मॉडल तथा डेटा सेट विकसित करने पर केंद्रित है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

### 19. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) के रूप में हुई थी, जिसे बाद में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) नाम दिया गया।
2. यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है।
3. यह भारत में जैव-चिकित्सा (Biomedical) अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 1 और 3  
 D: 1, 2, और 3

### 20. हाल ही में परीक्षण किए गए 'टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज

### ऑगमेंटेशन (TARA)' ग्लाइड वेपन सिस्टम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक मिसाइल प्रणाली है जिसे उच्च गति लक्ष्य अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए किसी विदेशी साझेदार के सहयोग से विकसित किया गया है।
2. यह पंखों (wings) और मार्गदर्शन प्रणाली (guidance system) का उपयोग करके पारंपरिक बिना-निर्देशित बमों को सटीक-निर्देशित स्मार्ट हथियारों में परिवर्तित करता है।
3. इसकी मारक क्षमता 200 किमी से अधिक है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

### 21. MGNREGS से प्रस्तावित "विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025" में परिवर्तन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-से बदलाव प्रस्तावित हैं?

1. वित्तीय बोझ कम करने के लिए कार्य की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से घटाकर 75 दिन करने का प्रस्ताव है।
2. वित्तपोषण संरचना को 60:40 केंद्र-राज्य हिस्सेदारी में बदला जा रहा है।
3. व्यवस्था को पूर्णतः मांग-आधारित प्रणाली से आपूर्ति-आधारित आवंटन प्रणाली की ओर ले जाया जा रहा है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

### 22. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. BIS भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था (National Standards Body) के रूप में कार्य करता है और ISO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में देश का प्रतिनिधित्व करता है।
2. BIS, अंतरिक्ष विभाग (Department of Space - DoS) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
3. BIS, "मेक इन इंडिया" पहल को समर्थन देने हेतु भारतीय मानकों को वैश्विक ढाँचों के साथ समन्वित (harmonize) करने के लिए

जिम्मेदार है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**23. हाइपरसोनिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, हाइपरसोनिक हथियार कम ऊँचाई पर उड़ सकते हैं तथा दिशा बदल सकते हैं, जिससे वे अत्यधिक अप्रत्याशित बन जाते हैं।
2. हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGVs) निरंतर एवं ईंधन-कुशल वायुमंडलीय उड़ान के लिए स्कैमजेट इंजनों का उपयोग करते हैं।
3. हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों (HCMs) को दहन बनाए रखने के लिए अपने साथ ऑक्सीडाइजर ले जाना पड़ता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**24. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह एक मिसाइल को केवल एक बड़े वारहेड को ले जाने की अनुमति देती है, जो दुश्मन के रडार से बचने के लिए दिशा बदल सकता है।
2. अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद, मिसाइल अनेक री-एंट्री व्हीकलों को छोड़ती है, जो अलग-अलग लक्ष्यों की ओर पृथक प्रक्षेप पथ (trajectories) का अनुसरण करते हैं।
3. इस तकनीक के सफल एकीकरण से भारत विश्व के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**25. हाल ही में किए गए एडवांस्ड अग्नि मिसाइल परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इस परीक्षण का संचालन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था।

2. इस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000–5,500 किमी से अधिक है, जिससे यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) श्रेणी में आती है।
  3. यह भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता (Credible Minimum Deterrence) और द्वितीय प्रहार क्षमता (Second-Strike Capability) को प्रमाणित करता है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**26. रस्टी-स्पॉटेड बिल्ली (Rusty-Spotted Cat) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक (endemic) प्रजाति है तथा IUCN रेड लिस्ट में Vulnerable श्रेणी में सूचीबद्ध है।
  2. भारत में इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के अंतर्गत शामिल करके सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।
  3. अरावली के झाड़ीदार क्षेत्रों (scrublands) में इसकी प्रजननशील आबादी का हालिया अवलोकन यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों के निकट खंडित आवास (fragmented habitats) भी दुर्लभ जैव-विविधता का समर्थन कर सकते हैं।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो 'ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास' परियोजना से संबंधित हैं:**

1. इस परियोजना में गैलेथिया बे (Galathea Bay) में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) के निर्माण का प्रावधान है।
2. ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) के निकट स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे होकर चीन के लगभग 80% तेल आयात गुजरते हैं।
3. शोम्पेन जनजाति (Shompen tribe) तथा लेदरबैक कछुओं (Leatherback turtles) के प्रजनन स्थलों को लेकर चिंताओं के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस परियोजना को पूरी तरह रोक दिया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**28. विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (VB-G RAM G Act) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है।
2. यह अधिनियम राज्यों को कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान मिशन की रोजगार गतिविधियों को अधिकतम 60 दिनों तक स्थगित करने का प्रावधान देता है।
3. यह अधिनियम 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान को अनिवार्य बनाता है, तथा ऐसा न होने पर विलंब के लिए प्रतिदिन 0.05% क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**29. अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. IBCA आधिकारिक रूप से वर्ष 2025 में संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन (treaty-based intergovernmental organization) बन गया।
2. इसकी सदस्यता केवल उन देशों तक सीमित है जहाँ ये बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं (range countries)।
3. इस पहल का घरेलू स्तर पर क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से किया जाता है।
4. IBCA की संस्थागत संरचना व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के मॉडल पर आधारित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1,3 और 4  
 C: केवल 1,2 और 3  
 D: 1, 2, 3 और 4

**30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो Reporters Without Borders द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) से संबंधित हैं:**

1. 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस स्वतंत्रता के लिए वैश्विक औसत स्कोर पिछले 25 वर्षों में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया है।
2. यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन पाँच प्रमुख संकेतकों के आधार पर करता है: राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढाँचा, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण तथा पत्रकारों की सुरक्षा।
3. 2026 के निष्कर्षों के अनुसार, कानूनी संकेतक (Legal Indicator) में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।

- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?  
 A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**31. भारत के 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) में प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत को 180 देशों में 157वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जो 2025 की रैंकिंग की तुलना में सुधार दर्शाता है।
2. रिपोर्ट में मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण तथा पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा को भारत के लिए प्रमुख चिंताओं के रूप में रेखांकित किया गया।
3. 2026 के सूचकांक में भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका से ऊपर स्थान पर है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**32. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इसकी स्थापना विश्व खाद्य सम्मेलन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में की गई थी।
2. इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा यह विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा पर कार्य करता है।
3. यह एक सह-निवेश मंच के रूप में कार्य करता है, जो सार्वजनिक एवं

निजी दोनों प्रकार के संसाधनों को एकत्रित करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 1 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**33. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा जारी 'ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पुनर्वनीकरण अभियानों के कारण 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई।
2. रिपोर्ट में ईंधन लकड़ी (Fuelwood) और चारकोल की बढ़ती मांग को विकासशील क्षेत्रों में वन क्षरण का एक प्रमुख कारण बताया गया है।
3. जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक वनों (Primary Forests) ने पिछले दशक में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक का पूर्ण नुकसान झेला।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**34. भारत के वन संरक्षण और पुनर्स्थापन लक्ष्यों (2025 तक) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत ने 33% वन एवं वृक्ष आच्छादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो 2025 के आँकड़ों के अनुसार 35% है।
2. बॉन चैलेंज (Bonn Challenge) के अंतर्गत भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्स्थापन का संकल्प लिया है।
3. प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAMP) और ग्रीन इंडिया मिशन इन पुनर्स्थापन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रमुख पहलें हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**35. ब्रिक्स (BRICS) समूह और हाल ही में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार**

**कीजिए:**

1. नई दिल्ली में आयोजित हालिया बैठक का समापन पश्चिम एशिया की समुद्री सुरक्षा पर समूह के एकीकृत रुख को दर्शाने वाली संयुक्त घोषणा (Joint Declaration) को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ।
2. विस्तारित BRICS+ समूह में वर्तमान में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान शामिल हैं।
3. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जो समूह के लिए अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**36. गंगा सॉफ्ट-शेल कछुए (Nilssonia gangetica) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act), 1972 की अनुसूची-1 के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
2. यह प्रजाति केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों तक ही सीमित (एंडेमिक) है।
3. इसके सिर पर तीर के आकार (Arrowhead-shaped) का एक विशिष्ट चिन्ह पाया जाता है।
4. IUCN रेड लिस्ट में इसकी संरक्षण स्थिति "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" (Critically Endangered) है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 1, 2 और 3  
 D: 1, 2, 3 और 4

**37. इबोला वायरस रोग (EVD) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह एक जूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला) रोग है, जो Orthoebolavirus वंश के वायरसों के कारण होता है।
2. इबोला वायरस के Bundibugyo स्ट्रेन के लिए WHO द्वारा अनुमोदित अनेक टीके और उपचार विश्वभर में उपलब्ध हैं।
3. जब WHO किसी बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति (PHEIC) घोषित करता है, तब वह सभी

देशों को कड़े अंतरराष्ट्रीय यात्रा एवं सीमा प्रतिबंध लगाने के लिए अनिवार्य करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**38. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1950 में कुल आठ न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के साथ कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें सात puisne judges (अन्य न्यायाधीश) और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल थे।
3. “सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026” के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 38 न्यायाधीश (37 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश) कर दी गई।  
 उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**39. भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान/तंत्र संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों के निर्णय हेतु न्यूनतम संख्या में न्यायाधीशों के बैठने को अनिवार्य करता है?**

- A: अनुच्छेद 124(3)  
 B: अनुच्छेद 131  
 C: अनुच्छेद 145(3)  
 D: अनुच्छेद 143

**40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सिंधु जल संधि (IWT) के अंतर्गत विवाद समाधान तंत्र से संबंधित हैं:**

1. स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission - PIC) विवाद समाधान का प्रथम स्तर है, जहाँ दोनों देशों के आयुक्त तकनीकी और परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करते हैं।
2. एक न्यूट्रल एक्सपर्ट (Neutral Expert) को कानूनी विवादों और संधि की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए नियुक्त किया

जाता है, और उसके निर्णय केवल सलाहकारी (advisory) प्रकृति के होते हैं।

3. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Court of Arbitration - CoA) हेग स्थित सात-सदस्यीय न्यायाधिकरण है, जो PIC द्वारा अनसुलझे तकनीकी और इंजीनियरिंग विवादों को देखता है।  
 उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1  
 B: केवल 2  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**41. नवस्थापित India-Sweden Strategic Partnership (2026-2030) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह साझेदारी मुख्य रूप से चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें सुरक्षा हेतु रणनीतिक संवाद तथा अगली पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी शामिल हैं।
2. डिजिटल अवसंरचना और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग को तेज करने के लिए स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर (SITAC) को स्वीकृति दी गई।
3. स्थिरता सहयोग के अंतर्गत, दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में 2026 में “लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन” (LeadIT) की शुरुआत की।  
 उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
 B: केवल 1 और 3  
 C: केवल 2 और 3  
 D: 1, 2, और 3

**42. भारत और स्वीडन के बीच हालिया कूटनीतिक सहभागिताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारत और स्वीडन ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे तथा स्वीडन ने 2018 में प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।
2. प्रधानमंत्री Narendra Modi को विदेशी शासनाध्यक्ष के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान “रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार” से सम्मानित किया गया।
3. भारत और स्वीडन ने नवाचार-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत-स्वीडन SME और स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**43. हाल ही में भारत वापस लाई गई 11वीं शताब्दी की चोल ताम्रपत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. इन ताम्रपत्रों पर अंकित अभिलेख पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।
  2. इनमें श्रीविजय साम्राज्य के शासकों द्वारा निर्मित एक बौद्ध विहार को आनैमंगलम गाँव प्रदान किए जाने का उल्लेख है।
  3. इन कलाकृतियों को 18वीं शताब्दी में एक डच मिशनरी ने प्राप्त किया था और 1862 से इन्हें लीडेन विश्वविद्यालय में रखा गया था।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**44. चोल राजवंश के प्रशासन और समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. चोल प्रशासन में एक अत्यधिक केंद्रीकृत राजतंत्र था, साथ ही 'उर' और 'सभा' जैसी मजबूत ग्राम स्वशासन संस्थाएँ भी विद्यमान थीं।
  2. यह साम्राज्य अपनी अलगाववादी नीतियों के लिए जाना जाता है, जिसने केवल दक्षिण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया।
  3. चोल शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म तथा अन्य हिंदू परंपराओं को भी संरक्षण प्रदान किया।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**45. हाल ही में परीक्षण किए गए UPLGM-V3 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह विशेष रूप से भारी बख्तरबंद जमीनी वाहनों जैसे टैंकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है।
2. इसमें "फायर-एंड-फॉरगेट" क्षमता है, जिससे फायर करने के बाद लॉन्च करने वाला ड्रोन तेजी से स्थान बदल सकता है या वापस लौट

सकता है।

3. यह एयर-टू-ग्राउंड और एयर-टू-एयर दोनों मोड में संचालित की जा सकती है।
- नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए:

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**46. हाल ही में आयोजित तृतीय भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. बहुपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से उन्नत कर "हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी" का दर्जा दिया गया।
  2. नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारित ढांचे के अंतर्गत भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन को पुनः दोहराया।
  3. इस शिखर सम्मेलन में भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया गया।
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**47. स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मुज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. यह फ़ारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है।
  2. इसके माध्यम से विश्व के कुल तेल एवं द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) प्रवाह का लगभग पाँचवाँ भाग गुजरता है।
  3. इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले 80% से अधिक तेल और LNG का गंतव्य एशियाई बाज़ार होते हैं।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**48. आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संदर्भ में Supreme Court of India द्वारा Article 21 की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. Article 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में नागरिकों के लिए

“सार्वजनिक स्थानों पर भय से मुक्ति” भी शामिल है।

2. Article 51A(g) के अंतर्गत पशु कल्याण के सिद्धांत, नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
3. Supreme Court of India ने घोषित किया कि आवारा कुत्तों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी प्रतिबंध के रहने का मौलिक अधिकार है।  
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A: केवल 1  
B: केवल 1 और 3  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**49. भारत-Italy संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को “Strategic Partnership” से बढ़ाकर “Special Strategic Partnership” कर दिया गया।
2. दोनों देशों ने वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
3. Italy ने औपचारिक रूप से India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEEC) के प्रति अपना समर्थन वापस ले लिया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

**50. भारत में राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124A) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. सरकार की अधिक आलोचना करना राजद्रोह माना जाता है।
2. यह एक संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध है।
3. Kedar Nath Singh vs. State of Bihar मामले में Supreme Court of India ने निर्णय दिया था कि राजद्रोह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A: केवल 1 और 2  
B: केवल 2  
C: केवल 2 और 3  
D: 1, 2, और 3

## उत्तर

1	A
2	B
3	A
4	A
5	A
6	B
7	B
8	B
9	A
10	B

11	D
12	B
13	C
14	C
15	C
16	A
17	D
18	C
19	C
20	B

21	C
22	B
23	B
24	C
25	C
26	C
27	A
28	D
29	B
30	C

31	A
32	C
33	B
34	C
35	B
36	B
37	A
38	C
39	C
40	A

41	A
42	D
43	C
44	B
45	C
46	A
47	D
48	A
49	A
50	B



# फिर लहराया परचम

इसी परम्परा को आगे बढ़ते हुए...

इस वर्ष भी **UPPCS 2024** में **300+** चयन  
(ध्येय IAS टीम एवं छात्रों द्वारा किये गए प्रतिबद्ध और समर्पित प्रयासों का परिणाम)

ध्येय IAS की तरफ से UPPCS-2024 में अंतिम रूप से चयनित  
सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ



ANANAYA TRIVEDI  
RANK 02 (SDM)



ANAMIKA MISHRA  
RANK 04 (SDM)



DEEPTI VERMA  
RANK 06 (SDM)



POOJA TIWARI  
RANK 07 (SDM)



ANURAG PANDEY  
RANK 08 (SDM)



SUSHMA YADAV  
RANK 13 (SDM)



SONAM YADAV  
RANK 20 (SDM)



PANKAJ VERMA  
RANK 22 (SDM)



ANURAG PRATAP SINGH  
RANK 23 (SDM)



SHWETA DWIVEDI  
RANK 29 (SDM)



KRITIKA CHAUDHARY  
RANK 30 (SDM)



SONALI SINGH  
RANK 32 (SDM)



VINAI KUMAR  
RANK 33 (SDM)



ANJOLIE GUPTA  
Dy.SP



AKRITI SHUKLA  
Dy.SP



ANIMESH AWASTHI  
Dy.SP



BRAJENDRA KUMAR  
Dy.SP



ROSHANI PATEL  
ACCI



KAUTILYA SHUKLA  
ACCT



SUDHANSHU SINGH  
ACCT



SAHIL VERMA  
ACCT



PRAGATI VERMA  
ACCT



KRATI GAUTAM  
ACCT



NIDHI VERMA  
ACCT



ANAMIKA BAJPAI  
ACCT



MEENU RAWAT  
ACCT



ALOK YADAV  
ACCT



AKHILESH KUMAR  
ACCT



PAWAN KUMAR MISHRA  
ACCT



HARSH TIWARI  
ACCT



SHIVANI SINGH  
ACCT



SONU KUMAR  
ACCT



NIDHI SAHU  
ACCT



ANJALI SINGH  
ACCT



SUKRIT SINGH  
ACCT



ANSHIKA SINGH  
ACCT



SHUBHAM KUMAR GUPTA  
ACCT



KRATI BHANTI  
ACCT



ISHA SRIVASTAVA  
ACCT



VIKAS KUMAR PATEL  
ACCT



SWATI MISHRA  
ACCT



SHIVAM VISHWAKARMA  
ACCT



SAMEER RAI  
ACCT



MAYANK KUMAR PATEL  
ACCT



ASHOK KUMAR SINGH  
ACCT



KARUNA SAGAR SHUKLA  
ACCT



ASHISH KUMAR SAINI  
ACCT



PRINCY YADAV  
ACCT



SAKET KUMAR GUPTA  
ACCT



PREM SHANKAR SINGH  
ACCT



DEEPAK GUPTA  
ACCT



AKASH YADAV  
ACCT



PRASOON YADAV  
ACCT



ARVIND KUMAR SAROJ  
ACCT



VIKAS  
ACCT



RAJAT KANAUJIYA  
ACCT



PRAGYA SACHAN  
ACCT



SARVESH KUMAR  
ACCT



VINAY KUMAR  
ACCT



MONAL GAUTAM  
ACCT



AKSHITA SHAGUN  
ACCT



VIPIN SINGH  
ACCT



RITIKA SHUKLA  
ACCT